राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १६६६ का ४१वां दिवस [संख्या ३०

गुरुवार,
दिनांक ७ अप्रेल, १६६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

--

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य, खाद्य, जन-अभियोग निराकरण, राजनैतिक, सामान्य प्रशासन, कृषि, नियुक्ति, पशु-पालन विभाग]

प्रश्न संख्या ६३५

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

सरपंचों को उड़ाकर ले जाने वालों का चालान

६३५. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार को यह विदित है कि सन् १६६५ के मार्च माह में कुचामन पंचायत समिति के चार सरपंचों (चितावा, हुडील, गुडासाल्ट व शिव) को जबरन उड़ा कर ले जाने वाले अभियुक्तगण का सरकार ने आज तक चालान नहीं किया ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में समय समय पर मुख्य मंत्रीजी, उप-मंत्री, गृह विभाग, आई० जी० पी०, राजस्थान, गृह सचिव महोदय आदि को भी अनेक दरख्वास्तें दी गई किन्तु साल भर की अवधि में कोई कार्यवाही नहीं कर जन-प्रतिनिधियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले दस्यु गिरोह को सरकार ने नाजायज पनाह दे रखी है ?

(३) दिनांक १६-४-६५ के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने के आश्वासन का क्या हुआ ?

(४) सम्बन्धित केसेज की मिसलें एस० पी०, नागौर के यहां कितने दिन तक पड़ी रखी गई और क्यों व किस मकसद से ?

(५) उक्त चारों किडनैपिंग केसेज के मुलजिमान की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें एवं अनुचित विलम्ब के लिए कौन पुलिस अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(१) ६ मुकद्दमे सरपंचों को फरार करने बाबत जिला नागौर के थाना चितावा, नावां, परबतसर में सन् १६६५ में पंजीबद्ध हुए, उनमें से चार तफतीश से झूठे साबित हुए,

Page No.2

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
अतः अदम वकुआ में फाईनल रिपोर्ट पेश की गई और २ में चालान पेश किए जा रहे हैं। आयन्दा पेशी तारीख २९-४-६६ अदालत में पेश करने की मुकर्रर है।

(२) जी हां, दरख्वास्त प्राप्त होने पर मुकद्मों की तफतीश शीघ्र करने हेतु अधीक्षक, आरक्षी, नागौर व उप-महा-निरीक्षक, अपराध, को लिखा गया था।

(३) दिनांक २९-४-६५ को ही अधीक्षक, आरक्षी, नागौर को इन मुकद्मों की तफतीश शीघ्र एवं सावधानी पूर्वक कराने हेतु लिखा था व बाद में स्मरण-पत्र भी दिये गये।

(४) एस० पी०, नागौर के दफ्तर में मुकद्मा नं० १४ व ८ की मिसलें एक माह पड़ी रहीं। मुलजिमों की एन्टीसिपेटरी बेल के आदेश के खिलाफ अपील करने हेतु व जांच आदि के लिए एवं पथ-प्रदर्शन देने हेतु रुकी थीं।

(५) इन दोनों मुकद्मों में निम्नलिखत अपराधी हैं:–

(१) श्री सूरजबख्तसिंह,

(२) रामसिंह मंडावरा

(३) शक्तिदानसिंह मीठड़ी एवं

(४) श्री भंवरसिंह रूपपुरा।

(ख) सम्बन्धित एस० एच० ओ० व सी० ओ०, नागौर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी: चालान में देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: देरी होने का कारण एस० एच० ओ० और सी० ओ० की कुछ लापरवाही है और कुछ तीन महीने तक एस० पी० के यहां पर इसके कागजात पड़े रहे, इसके कारण देरी हुई है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी: इन पुलिस-अधिकारीगण के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? जब आप स्वयं कह रहे है कि इनकी लापरवाही रही तो फिर आपने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा प्रश्न के अंतिम भाग में निवेदन किया कि एस० एच० ओ० और सी० ओ० के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एस० पी० के खिलाफ क्यों नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस० पी० के यहां तीन महीने तक मिसलें इसलिए पड़ी रहीं कि जो एन्टीसिपेटरी बेल अदालत के द्वारा दे दी गई थी उसके विरुद्ध, उस एन्टीसिपेटरी बेल को रद्द करवाने के सम्बन्ध में रिविजन की कार्यवाही की जा रही थी, उसमें वहां देरी हुई।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : एस० पी० के यहां तीन महीने तक फाइल पड़ी रहने का क्या कारण था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अभी अर्ज किया कि इस मुकद्मे में दो मुकद्मे साबित हुए हैं उसमें अभियुक्तों को एन्टीसिपेटरी बेल ले ली गई। इस एन्टीसिपेटरी बेल के सम्बन्ध में उनको रद्द कराने के लिए उसी मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
में सेक्शन ४६७, क्लाज़ (५) के अन्तर्गत रिविज़न एप्लीकेशन पेश की गई थी। रिविज़न एप्लीकेशन का विवेचन करने के लिए एस० पी० के० यहां फाईलें मंगाई गई और इसी रिविज़न एप्लीकेशन में एन्टीसिपेटरी बेल को रद्द कराने के प्रश्न पर कुछ अदालत में देरी हुई और उसके बाद अदालत ने उस रिविज़न को एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद आगे बढ़ने के प्रश्न पर पी० आई० की राय, लीगल राय मांगी गई। यह सारी कार्यवाही एन्टीसिपेटरी बेल को रद्द कराने के सम्बन्ध में की गई और इसकी वजह से ही तीन महीने तक कागजात एस० पी० के पास पड़े रहे, इसलिए यह देरी एक्सप्लेन-एबल होने की वजह से ठीक है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही है कि एन्टीसिपेटरी बेल होने के पूर्व कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सही है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इसका क्या कारण था जबकि सरकार को हमने सूचना देदी थी कि पुलिस निष्क्रिय है, कोई कार्यवाही मुल्जिमान के खिलाफ नहीं कर रही है तो भी इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : केसेज़ जो साबित हुए हैं उनमें, अध्यक्ष महोदय, कुल चार और दो, कुल ६ केसेज़ एब्डक्शन के हैं। चार को तो तुरन्त एफ० आई० आर० दे दिया गया, अदालत में एक्सेप्ट भी हो गया। उसकी इत्तला होने के बाद केस रजिस्टर हुए और केस रजिस्टर होने के बाद में तफतीश आरम्भ हुई, लेकिन एब्डक्टेड परसन्स को रेस्क्यू किया गया, वे छोड़ कर आ गए और वे नहीं मिल पाए। इस पर इन मुल्जिमान के एरेस्ट का प्रश्न सामने आया और इस पर कार्यवाही हो ही रही थी कि इसी बीच में मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए और अदलत ने for reasons best known to him, उनकी एन्टीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट कर ली।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अदालत में जिन केसेज़ में एफ० आई० आर० दे दिया गया उन केसेज़ में कम्प्लेनेन्ट के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन कम्प्लेनेन्ट्स के बारे में जहां तक मुझे मालूम है उनके खिलाफ १८२ आई० पी० सी० के तहत केस रिकमण्ड कर दिया गया है, एक केस में। बाकी पांच केसेज़ में सिवाय एक केस को छोड़ कर चार केसेज़ में और १८२ आई० पी० सी० के तहत रिकमण्ड कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जैसा कहा कि ६ केसेज़ में से एक केस में तो रिकमण्ड कर दिया है और चार केसेज़ में रिकमण्ड करवा रहे हैं तो बाकी एक केस को छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्योंकि उसमें कम्प्लेनेंट मुसम्मात है उच्छलकंवर जिसने दरख्वास्त पेश की थी अपने पति के सम्बन्ध में कि एब्डक्ट कर लिया है। करणसिंह उनके पति हैं। इसके अलावा उनका वर्शन जो था वह भी दूसरों के कहने पर था, हियरसे के आधार पर उसने दरख्वास्त दी थी। तो इसमें दो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
चीजें हैं, एक तो मीटिगेटिंग सरकम्स्टांशियल एवीडेंसेज हैं, वर्शन हियरसे के आधार पर है और वह महिला है। इसलिए हमने इसको नहीं लिया है।

श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु०) : सरपंचों को उड़ा ले जाने के क्या कारण थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस वक्त पंचायत समितियों के इलेक्शन हो रहे थे और उन इलेक्शन्स में ये सरपंच मतदाता थे। यही कारण था, ताकि ये मत न दे सकें इसलिए एब्डक्शन किया गया।

श्री श्रवणलाल : क्या उनको उड़ा कर लॉकअप में रखा गया वोटिंग के समय तक ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, कहीं, कहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय !

श्री हनुमानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और। क्या यह सही है कि इन मामलों में जो जीपें आदि काम में ली गईं उनको अभी तक बरामद नहीं किया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक जीप तो बरामद हो चुकी है, दूसरी जीप का मुझे ख्याल नहीं है। जीपों की बरामदगी के सम्बन्ध में ठीक जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि तीन जीपों का प्रयोग किया गया था, उसमें से अभी तक एक जीप को भी रिकवर नहीं किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें पुलिस ऑफिसर्स की लेप्सेज तो हैं ही, इसी लिए एस० एच० ओ० और सी० ओ० के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है और उनका वहां से ट्रांसफर भी कर दिया गया है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी: क्या यह सही है कि जो लोग अरेस्ट किए गए उनका चालान पेश करने से पहले ही, एफ० आई० आर० अदालत में पेश करने से पहले ही मुल्जिम छूट गए बहुत से।

श्री निरंजननाथ आचार्य: जो शहादत के आधार पर अभियुक्त पाए गए उनको तो रखा गया, बाकी जो शहादत से दोषी नहीं पाए गए वे छूटते हुए चले जाते हैं। इन सारे केसेज में से जिन दो केसेज में शहादत से अभियुक्त पाए गए उनको रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, वैद्य गोविन्द सहायजी का प्रश्न मैं पूछ लेता हूं।

६३६. रायसिंहनगर में नाजायज कब्जा

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया]:- क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सरदार निरंजन सिंह नाम के व्यक्ति ने रायसिंहनगर नगरपालिका की काफी जमीन पर कई वर्षों से बस स्टेण्ड के नाम से नाजायज कब्जा कर रखा है ?

(श्री हरीप्रसाद शर्मा)

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन का रु.० ५,०००) रुपया वार्षिक लीज मनी रायसिंह नगर के तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा तय करके सरकार की मंजूरी मांगी गई थी, यदि हां तो, क्या सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस रूप में हजारों रुपयों की राशि निरंजनसिंह के जुम्मे बकाया है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त निरंजनसिंह आज कल नगरपालिका, रायसिंह नगर का अध्यक्ष है तथा अध्यक्ष बनने के उपरान्त उसने उपरोक्त स्थान पर और अधिक नाजायज निर्माण किया है एवं और अधिक भूमि पर नाजायज निर्माण किया है ?

(५) क्या यह सही है कि २१ जुलाई, १९६५ को कलेक्टर, गंगानगर जब रायसिंह नगर में मौजूद थे तो नगरपालिका के कुछ सदस्यों एवं रायसिंह नगर के नागरिकों ने उन्हें लिखित में शिकायत की थी एवं मौका देखने को कहा था ?

(६) यदि हां, तो क्या यह सही है कि कलेक्टर, गंगानगर ने मौका देखने से साफ इन्कार कर दिया था जबकि मौके पर नाजायज निर्माण कार्य चल रहा था तथा स्थान भी कलेक्टर के निवासस्थान से बिलकुल पास था ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां, परन्तु वे अब अध्यक्ष नहीं हैं।

(५) जिलाधीश की सूचना अनुसार जिलाधीश, गंगानगर के कार्यालय में यह सूचना प्राप्त नही है।

(६) प्रश्न के क्रमांक ५ के उत्तर के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस जमीन के ऊपर जो अधिकार किया गया है और जिसको सरकार भी एक हिसाब से एन्क्रोचमेंट मानती है तो इस एन्क्रोचमेंट को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका ने इसको कई बार नोटिसेज दिए थे लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। आगे नगरपालिका द्वारा धारा २०३ के तहत कार्यवाही की जा सकती थी लेकिन की नहीं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे सामने यह प्रश्न रखा, निर्वाचित नगरपालिका के बाद में जब प्रशासक आए तो उन्होंने यह प्रश्न राज्य सरकार के सामने रखा कि राज्य सरकार द्वारा पांच हजार रुपया वार्षिक लीज मनी कायम की जाय। इस पर राज्य सरकार ने यह स्वीकृति दी कि जबसे इनका अनधिकृत कब्जा है तब से पांच हजार रुपया वार्षिक के हिसाब से पैसा वसूल करके उसको लीज मान लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस व्यक्ति ने, जिसने अनधिकृत कब्जा कर रखा है उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह पांच हजार रुपया वार्षिक के हिसाब से लीज मनी के रूप में दे देगा।

Page No.6

श्री दौलतराम सारण : यह स्वीकार नहीं किया है और स्वीकार नहीं करने की स्थिति में ही उन्होंने राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है।

श्री भैरोंसिंह : जब उसने स्वीकार नहीं किया और सरकार से एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, इसके उपरान्त भी उसने मकान बना लिया और कन्सट्रक्शन का काम शुरू कर दिया तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : क्या कार्यवाही हो रही है वह मैंने निवेदन कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : फिर मकान कैसे बना रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसके अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की गई है, केवल उनको नोटिस दिया गया है। अनधिकृत कार्यवाही के खिलाफ जब नोटिस दिया और नोटिस के बाद में भी उसने कब्जा नहीं हटाया तो उसके बाद में लीज कायम करने की कलेक्टर के सुझाव और प्रशासक के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

श्री भैरोंसिंह : लीज़ मनी तो डिसाइड कर दी लेकिन उस पर पैनल्टी क्यों नहीं इम्पोज़ की ?

श्री दौलतराम सारण : पैनल्टी इम्पोज नहीं की गई ?

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं की गई ?

श्री दौलतराम सारण : अब यह पुराना मामला है। मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : पुराना है तो क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : लीज़ भी एक तरफा नहीं हो सकती। जब तक वह स्वीकार नहीं करे तब तक लीज़ का कोई मतलब नहीं है। लीज़ मनी भी वसूल नहीं कर सकते जब तक कि वह मन्जूर नहीं करे और तब तक वह अनधिकृत माना जायेगा।

श्री दौलतराम सारण: सिविल लिटिगेशन में जाना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट की लेण्ड है और सिविल लिटिगेशन के लिये आप कह रहे हैं तो बाकी जयपुर में सिविल लिटिगेशन में क्यों नहीं जाते। यहां सीधे क्यों मकान तुड़वा देते हैं ? रायसिंहनगर में दूसरा कानून है और जयपुर में दूसरा है। यहां पर तो आप तुरन्त तुड़वा देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका को एक्शन लेना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका का चेयरमेन था उस समय कब्जा कर लिया।

श्री दौलतराम सारण : चेयरमेन था उस समय नहीं किया। चेयरमेन बाद में बना। चेयरमेन नहीं था उस समय किया था कब्जा। उसके ८ वर्ष के बाद में चेयरमेन बना।

श्री भैरोंसिंह : फिर एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं हटा रहा है। गवर्नमेन्ट हटाने के लिये आदेश नहीं दे रही है। कलेक्टर को जाकर यह सूचना दी गई है कि इस जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और उसमें कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कलेक्टर महोदय इतने डरे हुए थे कि उसको देखने के लिये भी नहीं गये। लोगों ने शिकायत की कि

(श्री भैरोंसिंह)

आप देखें और एस० डी० एम० या तहसीलदार को आदेश दें कि उसको तुड़वा दें। उन्होंने कहा कि मैं देखने नहीं जाऊंगा। जिस आदमी ने काफी जमीन पर रायसिंहनगर में कब्जा कर लिया और सरकार चुप हुए बैठी है और लीज की बात लिये हुए बैठी हो। न लीज का एग्रीमेन्ट होता है और न पेनल्टी इम्पोज होती है और न उसको रिमूव किया जा रहा है और न उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस राज्य में जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसने सरकारी जमीन पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसने कर लिया और सरकार उसकी स्वीकृति दे देती है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की जा सकती है उसकी पूरी जानकारी करके कार्यवाही करवाने की चेष्टा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं और बता दूं और सदन में कहना चाहूंगा कि इसी अध्यक्ष को करपशन के मामले में इतनी बड़ी सीरियस चार्जशीट दी थी कि जिस समय चार्ज शीट दी थी उस समय ऐसा लगता था कि इस चेयरमेन को जेल जाना पड़ेगा। वह चेयरमेन मुझसे मिला और कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों से मिला। चार्जशीट को हमने देखी और चार्जशीट देखकर कहा कि तुमको जेल में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इस पर उन सरदारजी ने कहा कि आप जेल जाने की बात करते है मैं कुछ पैसा खर्च करके बच कर आता हूं और उसके १५ दिन बाद उसने बता दिया कि मैंने पैसा खर्च किया है और बचकर आ गया। जमीन पर कब्जा कर रखा है वहां पर पैसा काम करता है। कानून काम नहीं करता है। जहां जरुरत पड़ती है पैसा फेंकता है और उसके आधार पर कब्जा करके बैठता है। आप चार्जशीट मंगाकर देख लें कि क्यों वह बिगड़ी की गई है। वह फाइल स्टिक कर रही है। वह फाइल बदबू दे रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और माननीय स्वायत्त मंत्री मौन! माननीय मुख्य मंत्री मौन! जहां पैसा पहुंच जाता है वहीं चुप, और अगर इस तरह से चुप हैं तो सरकार की जमीन यों ही जायेगी। आप जवाब देते रहिये। नगरपालिका क्या कार्यवाही करेगी। जब मंत्री महोदय.........

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से सरसरी तौर पर आप आरोप लगादें तो बहुत बुरी बात है। माननीय सदस्य को पेशेन्स रखने चाहिये। यह हो सकता है कि किसी मामले के अन्दर जैसी वे चाहते है कार्यवाही नहीं हो रही हो, मैंने यह आश्वासन दिया कि इस मामले में और क्या कार्यवाही हो सकती है इसके ऊपर पूरी जांच करके इस पर कार्यवाही कराने की चेष्टा करूंगा। लेकिन एक सरसरी तौर से आरोप लगाना कहां तक ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सरसरी तौर पर नहीं केटेगोरिकली आरोप लगाता हूं, कि पैसा देकर वह बैठा है। पैसा काम कर रहा है। उसको आज तक जमीन पर से नहीं हटाया गया है। मैं केटेगोरिकली कहता हूं। अगर आपकी हिम्मत है तो इन्क्वारी कराईये। मैं प्रूव करके छोडूंगा,

Page No.8

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया शायद माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री के पास पैसा पहुंचा इस तरह की बात कही है ?

श्री भैरोंसिह : मैंने आपके लिये नहीं कहा है । आपके लिये यह कह सकता हूं कि ऐसे मामलों में रायसिंह नगर से आपके पास एक नहीं कई शिकायतें आई है उन शिकायतों की प्रतिलिपियां मेरे पास में हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि मुख्य मंत्री के पास कापी भेजी गई है । उन पर आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ ? आप यह बतादें मेरे सामने सरदार ने यह कहा है और मैं गवाह करवा सकता हूं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की जिनके सामने उसने इस प्रकार से कहा हैं कि इस फाईल को देखकर आप कहते थे कि मैं जेल जाऊंगा । मुझे थोड़ासा पैसा खर्च करना पड़ा और बच कर आगया । वह बच सकता है पैसा देकर ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह कहे इससे साबित नहीं हो जाता कि वह इस वजह से बचा हुआ है । लेकिन मैं इतना निवेदन कर दूं कि जैसा कि अभी बताया गया है कि जो भी आवश्यक कर्यवाही होगी वह की- जायेगी ।

श्री भैरोंसिह : आज तक हमेशा होती आई है ? होता नहीं है कुछ भी ।

श्री दौलतराम सारण : उसको सस्पेंड किया गया था और कार्यवाही भी हुई है।

श्री भैरोंसिह : रिइन्स्टेट भी हुआ था । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिटेल्स देखने की बात कह कर आप हमेशा सदन को गुमराह करते हैं । एक समय में जो चार्जेज लगाये जाते हैं और किसी मामले में चार्जेज लगाये जाते हैं तो एक मामला भी आप बता दें कि जिसमें सुनवाई हुई हो । आप फाइल मंगाकर अध्यक्ष महोदय को बता दें कि क्यों सस्पेंड हुआ था और क्यों फिर उसको रिइन्स्टेट किया गया ? वे कैसे चार्जेज थे, जमीन पर कैसे उसने कब्जा कर रखा है, किस जगह सरकारी अधिकारियों ने रिलेक्सेशन आफ ड्यूटी की है और क्या सजा दी है उनको ? इन सब क्वेश्चन्स को दिखा दें आप ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप इस सम्बन्ध में इस समय कुछ बता रहे हैं, कुछ फेक्ट्स आपने सामने रखे हैं तो उसकी फरदर इन्क्वायरी करायेंगे । इसकी वजह से कि पैसा ले लिया यह कह देने के लिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब तक केटेगोरिकली इस प्रकार की बात न हो तब तक केवल उसके कह देने की वजह से मान लिया जाय कि पैसा ले लिया यह गलत बात है ।

श्री भैरोंसिह : उसने खुद ने कहा है कि पैसा खर्च करके रिइन्स्टेट हुआ हूं । आपके कांग्रेस के कई सदस्य मेरे साथ थे जिनसे उसने बात की है । उनके सामने मैंने उससे कहा था कि अगर तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो तो मैं दिल्ली से बुलाकर या यहां के एन्टीकरपशन के द्वारा फंसा दूं । इस पर उसने कहा कि आप फंसा तो दोगे लेकिन मैं सस्पेनशन में रहूंगा ।

श्री दौलतराम सारण: आपने जो कहा उसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी को बचाने का कोई सवाल नहीं आता। कानून के अन्दर जो दोषी होगा तो सजा दी जायगी मैं आपको भरोसा दिलाना चहता हूं कि कोई बचाने का सवाल नहीं है। कानून के अन्तर्गत आरोप साबित होंगे तो सजा दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : आप विधि विभाग से राय ले लें और सदन को अगले सप्ताह में अवगत करा दें कि क्या कार्यवाही की जा सकती है। अगर सस्पेन्शन के मामले में भी कुछ बताना चाहें तो अगले सप्ताह में बता दें।

श्री भैरोंसिंह : सब मालूम है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): और अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सरकार इतने दिन तक जो तथ्य यहां आये हैं उनके सम्बन्ध में सोती रही। सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। बड़े ताज्जुब की बात है कि कुछ नहीं कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : वह ७ वर्ष से कब्जा करके बैठा है। नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर के बैठा है। यहां पर किसी की छोटी झोंपड़ी के बारे में मुख्य मंत्री को और अधिकारियों को ताकीद होती है कि उसको तोड़ कर फेंक दो। ७ वर्ष से वह कब्जा किये हुए बैठा है और मुख्य मंत्री से लेकर नीचे से नीचे का अधिकारी मौन बैठा है।

श्री श्रवण लाल (हिण्डोन सु०): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की एक ही घटना हो, यह एक जगह ही हो ऐसा नहीं है। ये घटनाएं राजस्थान में सब जगह हैं। हमारे यहां हिण्डौन में भी ऐसा हुआ कि वहां के ए० डी० एम० साहब ने आर्डर दिये बिल्डिंग को तुड़वाने के लिए, क्योंकि वह नाजायज तौर पर बना दी गई थी और म्युनिसिपेलिटी की स्वीकृति नहीं थी। उसकी तामील हो गई और ए० डी० एम० साहब ने २४ घन्टों के अन्दर तुड़वाने का हुक्म दिया, लेकिन कलेक्टर साहब के आजाने के बाद आज भी वह बिल्डिंग वहां खड़ी हुई है। बेचारे गरीबों की झोंपड़ियां बनी हुई होती हैं तो एक दिन के अन्दर तुड़वाकर फिकवा देते हैं। यह घटनाएं सब जगह होती हैं कि गरीबों की झोंपड़ियों को मिनटों में फिकवा दिया जाता है, लेकिन पैसे वालों का मकान होता है तो उस पर किसी प्रकार कार्यवाही नहीं होती है।

प्रश्न संख्या ६३७

श्री अध्यक्ष : श्रीरघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

जैतारण व रायपुर तहसीलों में शक्कर व गेहूं की वितरण व्यवस्था

६३८. **श्री मांगीलाल** (रायपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सरकार जैतारण व रायपुर तहसील में शक्कर व गेहूं के कोटे का वितरण तहसीलदार द्वारा कराये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य में उक्त वस्तुओं के वितरण का कार्य कहीं तहसीलदार को और कहीं पंचायत समिति को सुपुर्द किया हुआ है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न तक के लिए स्थगित किया गया ।

श्री विजयसिंह झाला !

जन-अभियोग निराकरण विभाग के सुझाव

६३९. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के जन-अभियोग निराकरण विभाग ने प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार को कब तथा क्या-क्या सुझाव दिये हैं ? विस्तृत जानकारी दें ।

(२) सरकार ने उन सुझावों को कार्य रूप में परिणित करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्य में विलम्ब को कम करने के लिए "सैल" प्रणाली अपनाने का सुझाव भी दिया गया था ? यदि हां, तो कितने विभागों में इस प्रणाली को अपनाई तथा इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) विभाग ने जो सुझाव अलग-अलग विभागों को दिये हैं, जिससे कि कार्यप्रणाली सुधर सके, वे निम्नलिखित हैं:—

(क) कुछ ऐसे मामले सामने आये जिनमें सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने अपना बीमा प्रान्तीय बीमा विभाग से करा रखा था, कई वर्ष पहले मर चुके थे, लेकिन उनके वारिसों को बीमा की रकम नहीं मिली थी। यह देखा गया कि बीमा विभाग के अधिकारी मृतक कर्मचारियों के सम्बन्धियों से इस विभाग में पत्र के लिए इन्तजार करते थे । अतः दिनांक २०-८-६४ को बीमा विभाग को यह सुझाव दिया गया कि वह मासिक प्रिमियम भेजने के बिलों की ओर ध्यान रखें और यदि उनकी प्रीमियम किसी महीने में न मिल सके तो उनके लिए वे कारण मालूम करें ।

(ख) यह जानकारी होने पर कि अस्थायी परमिट की प्राप्ति के लिए परिवहन विभाग से अनापाती प्रमाण पाने में बहुत समय लग जाता है, तो उस विभाग को यह सुझाव दिया गया कि इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र पर प्राप्ति के दिन ही निर्णय हो जाना चाहिए और यदि सलाह की आवश्यकता पड़े तो विभिन्न अधिकारी टेलीफोन द्वारा आपस में बात कर लें ।

(ग) कार्यालय को यह अनुभव होने पर कि कर्मचारियों की कमी के कारण जिला अधिकारी द्वारा भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा देने में देर होती है, तो राज्य सरकार को दिनांक २९-६-६४ को यह प्रस्ताव भेजा गया कि अधिक कर्मचारी उनको दिये जायं ।

(घ) इस विभाग को यह मालूम हुआ कि देवस्थान विभाग द्वारा जमानत की रकम लौटाने में काफी समय लग जाता था क्योंकि पिछले वर्ष में ली गई रकम को फिर से अगले वर्ष में लागू कर दिया जाता था । अतः दिनांक ३-९-६४ को इस विभाग द्वारा देवस्थान विभाग को यह सुझाव दिया गया कि हर वर्ष नई जमानत स्वीकार कर लें व पुरानी जमानत को वापिस कर दें, जिससे कि विलम्ब न हो सके ।

(उप-मंत्री, वित्त)

(ङ) विभाग को यह अनुभव होने पर कि जमीन अवाप्त करके मुआवजा पाने में भी काफी समय लग जाता है। अवाप्त की कार्यवाही शीघ्र ही तय करने के लिए इस विभाग द्वारा दिनांक २१-९-६४ को यह सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित इंजीनियर तहसील कर्मचारियों को मौके पर बुला लेवे और जमीन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करलें। जिससे सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना शीघ्र ही प्रकाशित हो सके। उपरोक्त सुझाव स्वीकृत होने पर विभाग द्वारा राजस्व तथा निर्माण व सिंचाई विभाग को दिनांक ११-१२-६४ को पत्र लिखा गया।

(च) काफी विलम्ब वेतन स्थिरिकरण व पेन्शन के मामलों में पाया गया। उसी प्रकार से यात्रा-भत्ता व चिकित्सा बिलों के भुगतान में भी देरी पाई गई। अतः इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से विचार विमर्श किया गया और सुझाव उन्हें इस सम्बन्ध में नीचे लिखे मुताबिक दिये गये :

(अ) कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामले ध्यान में आये कि जिनको अवकाश प्राप्त के पश्चात् भी रखा गया था, जिसके लिए सरकार से दुबारा नौकर रखने की मंजूरी की आवश्यकता थी। अतः वित्त विभाग को दिनांक २४-७-६४ को यह सुझाव दिया गया कि विभागीय अध्यक्षों को दिनांक १-१२-६२ से पूर्ण अवकाश प्राप्त अधिकारी की पुनर्नियुक्ति आज्ञा जारी करने के अधिकार दे दिये जायं।

(ब) पहले सरकार को इस प्रकार के आदेश थे कि एक साल से पुराने वेतन स्थिरिकरण इत्यादि के मामलों में लेखा परीक्षा की जांच होना आवश्यक है। यही नहीं, तीन साल से अधिक के मामलों में जांच हेतु स्वीकृति भी सरकार से ली जाती थी, जो कि बहुत समय लेती थी। अतः दिनांक २४-७-६४ को विभाग द्वारा वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया कि ऐसे काल तिरोहित मामलों में जांच की स्वीकृति के अधिकार ड्राइंग या डिसबर्सिंग आफिसर्स अथवा विभागीय अध्यक्षों को दे दिये जांय, ताकि मामले जल्दी निपट सकें।

(स) सरकारी कर्मचारियों के फिक्सेशन तथा पेन्शन सम्बंधी मामलों में यह पाया गया कि उनके तय करने में जो देरी हो रही है उसकी खास वजह यह है कि कई जगह सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अपूर्ण थीं। उनको पूरा करने के लिये काफी समय लग रहा था। अतः दिनांक ११-९-६४ को वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया कि किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण पर संबंधित विभागीय अध्यक्ष उसके अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के नीचे उसकी सेवा पुस्तिका पूर्ण किये जाने बाबत भी एक सर्टिफिकेट दें और साथ ही उसमें यह भी जाहिर करें कि कर्मचारी के स्थानान्तरण के साथ साथ उसकी सेवा पुस्तिका भी उसके नये स्थान पर भेजी जा रही है।

(द) राज्य कर्मचारियों के पेन्शन के मामलों के तय होने में विलंब तो होता ही था, साथ ही यह महसूस किया गया कि राज्य सरकार के ऐन्टीसीपेटरी पेन्शन बाबत आदेश होते हुए भी ऐसे

(उप-मंत्री, वित्त)

मामलों में जहां कि देरी कि सम्भावना होती थी, वहां उसे एन्टीसीपेटरी पेन्शन भी प्रात नहीं होती थी अतः दिनांक ३०-३-६५ को विभाग द्वारा वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया कि कर्मचारियों को राज्य सेवा से रिटायर करते समय संबन्धित अधिकारी उक्त आदेश के साथ साथ उसे एन्टी-सीपेटरी पेन्शन दिये जाने बाबत भी आदेश जारी कर दिया करें। इससे अवकाश प्राप्त व्यक्ति को कुछ राहत मिल सके, किन्तु किन्हीं कारणों वश यह सुझाव वित्त विभाग द्वारा नहीं माना गया। अतः दिनांक ८-१२-६५ को उन्हें इस बाबत दूसारा सुझाव दिया गया कि जब राज्य सरकार ने दिनांक १-३-६५ से राज्य कर्मचारियों को मिनिमम पेन्शन ३०) माहवार कर दी है, तब ऐसे कर्मचारियों को जब तक कि उनका मिनिमम पेन्शन संबन्धी मामला तय नहीं हो जाता, कम से कम ३०) माहवार एन्टीसीपेटरी पेन्शन तो मिल ही जाय।

(२) सुझाव (१) (क) संचालक, बीमी विभाग ने इस सुझाव को मान लिया और दिनांक २६-८-६४ को उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस बारे में एक परिपत्र जारी कर दिया।

(ख) परिवहन विभाग द्वारा यह सुझाव मान लिया गया और दिनांक ३१-८-६४ को विभाग के प्रबन्धक द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के नाम आदेश जारी कर दिये गये।

(ग) यह प्रस्ताव मान लिया गया और दिनांक २६-६-६४ को इस बारे में आवश्यकीय आदेश जारी कर दिये गये।

(घ) यह सुझाव मान लिया गया और उक्त विभाग द्वारा इस बारे में एक परिपत्र भी दिनांक ११-११-६४ को जारी कर दिया गया।

(ङ) अन्त में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक १७-२-६५ को इस बारे में एक परिपत्र जारी कर दिया गया।

(च)(अ) विभाग का यह सुझाव मान लिया गया और वित्त विभाग ने इस बारे में एक आदेश दिनांक १८-१२-६४ को जारी कर दिया।

(ब) वित्त विभाग ने सुझावों पर विचार कर आदेश दिनांक ५-१-६५ के द्वारा एक वर्ष के गिनने के लिये नये आदेश निकाले, जैसे कि स्थिरीकरण संबन्धी मामलों में एक वर्ष स्थिरीकरण के अनुमोदन से माना जायगा और यात्रा बिलों में एक साथ काउन्टर सिगनेचर की तिथि से माना जायगा। इसी प्रकार अन्य मामलों में भी। ३ साल से अधिक के मामलों में जांच हेतु स्वीकृति के लिए अधिकार वित्त विभाग ने अपने आदेश दिनांक २१-१२-६४ के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के विभागीय अध्यक्षों को दे दिये और अन्य विभागीय आक्षेपों के मामलों में ऐसे अधिकार प्रशासनिक विभागों को दे दिये गये।

(स) वित्त विभाग ने उपरोक्त सुझाव में कुछ तरमीम करते हुए एक आदेश दिनांक ६-३-६५ को जारी किया जिसके अनुसार भविष्य में हरेक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की दो प्रतिलिपियां रहेंगी। एक संबंधित विभाग में व दूसरी प्रतिलिपि कर्मचारी के पास। इससे कर्मचारी को यह

Page No.13

(उप-मंत्री, वित्त)
मालूम होता रहेगा कि उसकी सेवा पुस्तिका सम्पूर्ण है या नहीं ?

(२) यह सुझाव अब भी वित्त विभाग में विचाराधीन है ।

उपरोक्त सुझावों का परिणाम यह हुआ कि अब उनसे संबंधित मामलों को निपटाने में ज्यादा विलंब नहीं लगता ।

(३) नहीं । ऐसा कोई सुझाव विभाग द्वारा नहीं दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह रिपोर्ट पेश हुई है, उसको हाउस में डिस्कस किया जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह किस प्रकार की रिपोर्ट है, इस पर विचार किया जा सकता है या नहीं यह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में तय कर लेंगे ।

श्री रामचन्द्र !

पेय-जल की व्यवस्था, जिला सिकर

६४०. श्री रामचन्द्र (श्री माधोपुर) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सीकर जिले में किन किन नगर-पालिका क्षेत्रों में पेय-जल की सरकार द्वारा व्यवस्था की जा चुकी है व किन किन कस्बों में अभी तक नहीं जिन कस्बों मे अभी तक पेय-जल की व्यवस्था नहीं की गई है उनके क्या कारण हैं ?

(२) जिन कस्बों में अभी तक पेय-जल की व्यवस्था नहीं हुई है उनमें कब तक हो जावेगी ?

(३) सीकर जिले के जिन कस्बों मे अब तक जो पेय-जल की व्यवस्था की गई है उन्हें प्राथमिकता देने में कौन से सिद्धान्त अपनाये गये हैं ?

(४) क्या बाकी कस्बों के लिये विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (१) सीकर जिले में कुल ७ नगरपालिका क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं :

(१) सीकर, (२) लक्ष्मणगढ़, (३) फतहपुर, (४) रामगढ, (५) खंडेला, (६) नीमकाथाना (७) श्री माधोपुर ।

इनमें से सीकर में पेय-जल की व्यवस्था पिछले चार वर्ष से है । बाकी के तीन कस्बों (लक्ष्मणगढ, फतहपुर एवं नीमकथाना) की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है और उन पर निर्माण कार्य चालू है । बाकी बचे हुए कस्बों की जल वितरण योजनाऐं बनाई जा रही है ।

सरकार के पास उपलब्ध धन, सामग्री एवं स्टाफ की व्यवस्था को देखते हुए उन कस्बों की नल योजनाएं पहले बनाई गई या क्रियान्वित की गई है जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स है और फिर बाकी के बचे हुए कस्बों की जनसंख्या को देखते हुए व धन की उपलब्धता को देखते हुए तैयार की गई है ।

(२) जिन जिन योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है और निर्माण कार्य चालू हैं, वहां पेय-जल की व्यवस्था, आवश्यक सामग्री एवं वित्त व्यवस्था के उपलब्ध होने पर २-३ साल में कर दी जायगी और जिन कस्बों की योजना बनाई जा रही है वहां पेय जल

(मन्त्री, जन स्वास्थ्य) की व्यवस्था के लिए स्वीकृति आने के बाद ही काम हाथ में लिया जायगा ।

(३) इसका उत्तर (१) में दिया गया है ।

(४) जैसा कि उत्तर (१) में दिया गया है कोई भी कस्बा ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसके लिए सर्वेक्षण कराना बाकी हो ।

श्री रामचन्द्र : खंडेला और श्री माधोपुर का सर्वे कब कराया गया ?

श्री हरदेव जोशी : सर्वे कम्पलीट होकर हमारे पास रिपोर्ट आ गई है ।

श्री रामचन्द्र : कितना समय हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास तारीख नहीं है ।

श्री भेरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : काम कब तक हो जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : कहां का ?

श्री भेरोंसिह : श्री माधोपुर का ।

श्री हरिदेव जोशी : अभी कह नहीं सकता ।

श्री भेरोंसिह : इसमें कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसकी मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं ।

श्री भेरोंसिह: क्या पब्लिक को यह जानकारी दी गई थी कि अमुक मात्रा में धन एकत्रित करने पर काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: धन भी नहीं है, मन भी नहीं है ।

श्री जोधसिंह चौहान ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवामुक्ति नगरपालिका, पीपाड़ ।

६४१. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा:) [**श्री अब्दुल जब्बार निम्बाहेड़ा द्वारा पूछा गया**]

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका, पीपाड़ के उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद सद्दीक ने जब वे अध्यक्ष का कार्य दिनांक २९-७-६४ से २०-८-६४ तक कर रहे थे, तो दिनांक १८-८-६४ को स्थानीय पालिका के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्री मिश्रीलाल, जो कि एक गरीब आदमी होते हुए भी ईमानदार था, को बिना किसी कारण के नगरपालिका की सेवा से मुक्त कर दिया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारी श्री मिश्रीलाल ने उक्त आदेश के विरुद्ध नगरपालिका उप-मंडल के सामने अपील की, जिसको कि अध्यक्ष नगरपालिका ने आज तक मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं की ?

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कर्मचारी ने इसके विरुद्ध उप जिलाधीश जोधपुर के कार्यालय में अपील की और जिसका फैसला उप-जिलाधीश ने देते हुए उपरोक्त कर्मचारी को फिर से बहाल करने के आदेश अध्यक्ष, नगरपालिका, पीपाड़ को दिये परन्तु आज तक उपरोक्त कर्मचारी को वापिस बहाल नहीं किया गया है ।

(४) कृपया बतावें कि उपरोक्त कर्मचारी को बहाल करने के आदेश होने पर

Page No.15

(श्री जोधसिंह चौहान)

भी उसको बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है और बहाल नहीं करने वाले के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है, अथवा की जा रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) श्री मिश्रीलाल को उनके विरुद्ध बगैर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये ही सेवा मुक्त कर दिया गया था।

(२) यह सही है।

(३) दिनांक ५-५-६५ को श्री मिश्रीलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पुनः नगरपालिका की सेवा में ले लिया गया था।

(४) प्रश्न के खंड ३ के उत्तर के अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री अब्दुल जब्बार : जितने रोज तक वह बाहर रहा उस पीरियड का पेमेन्ट देने के बारे में नगरपालिका ने क्या व्यवस्था की ?

श्री दौलतराम सारण: उसको बहाल कर दिया है तो पेमेन्ट भी करेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या तमाम पीरियड का देंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह तो जो ऑर्डर दिया है उस पर निर्भर है, क्या मंत्रीजी को मालूम है कि क्या ऑर्डर दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : गलती उसकी नहीं है डिपार्टमेन्ट की है। पैसा दिलाने का आर्डर पास हुआ है। सरकार एग्जामिन करे और उस छोटे कर्मचारी को पैसा दिलावे।

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्णकुमार गोयल।

कोटा नगर के कारखानों में छुट्टी

६४२. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि श्री लाल बहादुर जी शास्त्री, प्रधान मंत्री के निधन पर कोटा नगर के कुछ उद्योगपतियों ने अपने कारखानों में दो दिन की छुट्टी नहीं की ? अगर हां, तो किस २ ने नहीं की ?

(२) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : (१) जी हां, श्रीराम रेयन्स, कोटा व श्रीराम विनयल केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, कोटा ने दिनांक १२ जनवरी, १९६६ को अपने उद्योगों में सवेतन छुट्टी नहीं की। दिनांक ११ जनवरी, १९६६ को प्रधान मंत्री के निधन की सूचना मिलने पर दोनों उद्योगों में शोक-सभा आयोजन कर ११ बजे छुट्टी की गई थी।

(२) छुट्टी न करने की सूचना, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर को प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, कोटा द्वारा दिनांक १३-१-६६ को की गई थी और कार्यवाही औद्योगिक अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत चल रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि इन दो उद्योगपतियों ने जिस रोज श्री लालबहादुर जी शास्त्री की भस्मी पुष्कर में प्रवाहित की गई थी उस रोज भी छुट्टी नहीं की, २५ जनवरी को ?

श्री चन्दनमल वैद : उस रोज की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इस बारे में इन उद्योगपतियों का पहला अवसर नहीं है। जिस दिन नेहरू जी की डेथ हुई थी तब भी छुट्टी नहीं दी थी।

श्री चन्दनमल वैद: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रश्न पूछते तो मैं जवाब देता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: आपने उत्तर दिया कि लेबर डिपार्टमेंट को लिखा गया है। कार्यवाही कर रहे हैं। इन दोनों इन्डस्ट्रीज़ का मालिक एक ही उद्योगपति है। यह पहला अवसर ही नहीं हैं, नेहरूजी की मृत्यु पर भी छुट्टी नहीं दी थी। आज तक मजदूरों का वेतन बाकी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): आप तो यह बताइये कि क्या छुट्टी देना जरूरी था १२ जनवरी और २५ जनवरी को?

श्री चन्दनमल वैद: कानून से उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राइवेट अंडरटेकिंग्ज़ को छुट्टी देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: फिर कार्यवाही क्या चल रही है?

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): लेबर डिपार्टमेन्ट में क्या कार्यवाही चल रही है?

श्री चन्दनमल वैद: लेबर लाज़ के अनुसार यदि प्राइवेट अन्डरटेकिंग और पब्लिक अन्डरटेकिंग–एक प्राइवेट अन्डरटेकिंग हो और दूसरी पब्लिक अन्डरटेकिंग हो–दोनों में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जैसे यह छुट्टी का मामला है तो इस मामले पर हम इण्डस्ट्रियल डिस्प्युट्स एक्ट, १९४७ के तहत कन्सीलियेशन के लिए कह सकते हैं या इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में इसे ले जा सकते हैं। हमारा मानना है कि एक प्राइवेट अन्डरटेकिंग में छुट्टी नहीं रही और एक पब्लिक अन्डरटेकिंग में छुट्टी रही तो इस छुट्टी के मामले में प्राइवेट अन्डरटेकिंग और पब्लिक अन्डरटेकिंग के अन्दर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इस वास्ते हम इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कन्सीलियेशन के लिए जा सकते हैं और इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: जब राज्यपाल महोदय का ऑर्डर है तो उसको मानने के लिये आप बाध्य क्यों नहीं करते हैं? आपने जो कहा है उससे तो वह बच जाते हैं और आगे के लिये उनको प्रोत्साहन मिलता है। यह आज कल का मामला नहीं है, हमेशा का मामला है। इसलिए आप कानूनी स्थिति साफ करें। आपका जो ऑर्डर है उसके विपरीत वे कोई काम करते हैं तो आप इसके लिए बाध्य करें कि वे आपके ऑर्डर का पालन करें।

श्री चन्दनमल वैद: इसमें जो कानूनी स्थिति है वह मैंने साफ कर दी है।

श्री अध्यक्ष: किसी कानून के अन्तर्गत ये छुट्टियां घोषित की जाती हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट है?

श्री चन्दनमल वैद: नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत छुट्टी घोषित की जाती है, लेकिन उस स्थिति में भी यह मत है कि उसको मानना जरूरी नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट की उन धाराओं का अध्ययन किया है जिनके अन्तर्गत छुट्टी घोषित की जाती है और इन छुट्टियों को घोषित किया है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह जरूरी नहीं है कि मैं कानून की धाराओं का अध्ययन करूं। सरकारी कर्मचारी अध्ययन करते रहते हैं जो सब धाराऐं हैं उनका और जरूरत के समय सलाह देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सलाह किसने दी है कि वह मानने के लिए पाबन्द नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : सरकारी कर्मचारी, जिन पर जवाब देने का उत्तरदायित्व है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने लॉ डिपार्टमेन्ट से राय ले ली है कि कानूनन प्रोसिक्यूशन हो सकता है या नहीं और क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : यह समस्या हर दफा पैदा हो सकती है जिस तरह एक दफा एक तरीके से पैदा हुई है इसलिए आप विधि विभाग से जांच करवा लें और उनकी राय ले लें।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, यह लेबर डिपार्टमेंट में एग्जामिन हो चुका है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कानूनन हमें फोर्स करने का अधिकार नहीं है। वैसे जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट अन्डरटेकिंग और पब्लिक अन्डरटेकिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होने पर हम कन्सीलियेशन करा सकते हैं और इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने ले जा सकते हैं और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि ऐसी छुट्टियां घोषित करे या नहीं करे क्योंकि इस तरह के आदेश का उल्लंघन होता है और इस तरह के आदेश जिस भावना के ऊपर किये जाते हैं वह भावना समाप्त होती है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा अगर यह चाहती है कि कानून बनाया जाय, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की ऐसी भावना हो तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर विचार कर लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून की कम्पलायेन्स से ये तीनों छुट्टी डिक्लेअर की गई हैं, और वह पेड होलीडे डिक्लेअर की गई हैं जिस तरह से आपकी १५ अगस्त की और २६ जनवरी की पेड होलीडे होती है और वह उनको करनी पड़ती हैं। चाहे कोई प्राइवेट अन्डरटेकिंग हो या कोई पब्लिक अन्डरटेकिंग हो-कोई यह हिम्मत नहीं कर सकता है कि १५ अगस्त को, और २६ जनवरी की छुट्टी न करें। उसी तरह से यह जो ११, १२, और २५ की छुट्टी थी यह सब के लिए पेड होलीडे थी और कोई इस आदेश का वायोलेशन करता हैं या ब्रीच करता है तो कानून के आधार पर आप प्रासिक्यूशन कर सकते हैं—इसमें कोई दो राय नहीं है।

Page No.18

श्री अध्यक्ष : यह तो मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि कानूनी रूप से उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०): यह कानूनी राय किसने दी है ?

श्री अध्यक्ष : आप इस सारी व्यवस्था पर विचार कर लें।

श्री जेठमल !

श्री कृष्णकुमार गोयल : चरतराम भरतराम का मामला है।

परवतसर नगर की जल वितरण योजना

६४३. **श्री जेठमल बरवड** (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि परबतसर नगर की जल वितरण योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत परबतसर शहर में इसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): जी हां, योजना जिसकी अनुमानित लागत रु० ३,८३,००० है, बनाई जाकर भारत सरकार को दिनांक १०-१-६६ को भेजी जा चुकी है। योजना की स्वीकृति आने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न संख्या ६४४

श्री अध्यक्ष : श्री गणपति लाल (अनुपस्थित)

श्री भैंरवलाल "कालाबादल"।

राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की सम्पत्ति

६४५. **श्री भैंरवलाल "कालाबादल"** (अकलेरा-सु०): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आजादी के लिए संघर्ष करने के कारण राजस्थान की अलग स्टेटों में रियासती सरकारों ने किस २ राजनैतिक कार्यकर्त्ता की चल व अचल सम्पति जब्त कर ली थी ?

(२) आजादी प्राप्त कर लेने के पश्चात् राजस्थान बनने के बाद सरकार ने उन भूतपूर्व राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की जब्त की हुई सम्पत्ति को वापिस लौटाने या मुआवजा देने के बारे में क्या निर्णय किया है ?

उप-मंत्री नियुक्ति (श्री चन्दनमल वैद): (१) ऐसी विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है कि राजस्थान में सम्मिलित होने वाली किन २ रियासतों ने स्वतन्त्रता के संघर्ष में भाग लेने वालों की चल व अचल सम्पत्ति जब्त की थी। राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम के अन्तर्गत पेन्शन के जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनके आधार पर जो चल व अचल सम्पत्ति जब्त होने के हाल मालूम हुए उनकी सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राजनैतिक पीड़ित के आवेदन-पत्रों पर विचार विमर्ष करने के बाद जो सहायता प्रदान हुई उसका विवरण उस सूची में है जो सदन की मेज पर रखी गई है, दे दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन लोगों ने आजादी दिलाई उनके बारे में एक अलग से कमेटी बना कर उन कार्यकर्त्ताओं की जानकारी प्राप्त करती सरकार ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) वह मिनिस्टर बन जायेंगे फिर ।

मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस सम्बन्ध में जानकारी करना यह भी मुश्किल है कि पुरानी रियासतो में जो सम्पत्ति जब्त की गई, वह भी राजनैतिक कारण से जब्त की गई थी–इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । इसलिऐ स्पष्ट जानकारी होना बहुत मुश्किल है । लेकिन जो पोलिटिकल सफरर्स रूल्स हैं उनके अन्तर्गत आम तौर से जहां इस तरह की बातें सामने आई हैं या जिसने लिख कर भेजी हैं तो उनकी जानकारी करते हैं और जितना रिलीफ दिया जा सकता है वह दिया गया हैं और देने के लिए प्रयत्न करते हैं ?

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : इस सूची में पहले नम्बर पर है–काशीलाल व्यास, इनकी ७५० बीघा भूमि जब्त की गई थी । आपने इसमें जवाब दिया है कि भीलवाड़ा कलेक्टर को लिखा है, वह इसकी जांच कर रहे हैं, यह आदेश कब दिया हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी तारीख तो इस समय स्पष्ट तौर से नही हैं । इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है । इसके अन्दर बहुत सी उलझने हैं । मैं समझता हूं इसलिए टाइम-लगना स्वाभाविक है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बून्दी के एक कांठियार हैं, वह दिन पर दिन मोहताज होते जा रहे हैं । उनकी पचास हजार की सम्पत्ति जब्त की गई थी । उसके बारे में निवेदन किया था, उसके अन्दर क्या हो रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तत्काल तो कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वे दिन पर दिन भूख से मरते जा रहे हैं और उनको मोहताज होना पड़ रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तत्काल तो कोई जानकारी नही दे सकता । बाद में कह सकता हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पोलिटिकल सफरर्स रूल्स के अन्तर्गत सहायता वही लेने आते हैं जो बेहया हैं और अपने मान सम्मान की परवाह नही करते हैं । वैसे कोटा जिले में ऐसे लोग मोजूद हैं जिन्होंने कई बार कहा है कि वे मर जाना पसन्द करते हैं बजाय इसके कि वे सहायता के लिए दरख्वास्त दें । लेकिन ऐसे लोगों को सहायता दी जाय—इसके लिए आपको विचार करना चाहिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर दरख्वास्त नही देंगे और उनके बारे में जानकारी नहीं हो, तो फिर उनके बारे में जानकारी करने का जरिया क्या है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल ; जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि स्वयं सरकार की यह ड्यूटी हो जाती है कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर हर केस का एनेलिसिस किया जाये और एक एक केस

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
को एक्जामिन किया जाय कि आजादी की लड़ाई के कौन योद्धा थे, उनकी उस समय स्थिति क्या थी, उनकी सम्पत्ति क्या थी, उनको किस प्रकार रिलीफ देना चाहिए। यह स्वयं जानना सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है बजाय इसके कि वे खुद कहें कि हम पोलिटिकल सफरर्स हैं और हमको सहायता दी जाय। मैं समझता हूं कि यह उचित भी नहीं है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन को झोंका और जिनकी सम्पति जब्त हुई वह सहायता के लिए दरख्वास्त दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है। अभी लादूराम वाले केस के लिए कहा, उसके अन्दर उनकी माफी जब्त की गई थी लेकिन कारण कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद में सरकम्सटान्सेज और दूसरे तरीके से जानने का प्रयत्न करना होता है। और वह व्यक्ति विशेष सारे हालात जब तक नहीं बताता है तब तक क्यों कि अलग अलग रजिस्टर मेन्टेन नहीं होते थे कि राजनैतिक आन्दोलन की वजह से सम्पत्ति जब्त की गई या और वजह से, इसलिए जानकारी नहीं मिलती है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०): कोई नहीं देगा तो हम जानकारी दे देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आप जानकारी दे देंगे, तो मैं निवेदन कर सकता हूं कि वह व्यक्ति विशेष स्वयं दरख्वास्त न दें, और आप दे दें तो आवश्यक जानकारी करके जो रिलीफ दिया जा सकता हैं वह रिलीफ देंगे।

श्री भेरवलाल "कालाबादल": यह जानकारी मिल सकती है क्यों कि जिस कांग्रेस संगठन की सरकार है, उस कांग्रेस का संगठन गांव मंडल तक सीमित है। और पुराने रेकार्ड के सारे कागजात सरकार के पास नहीं मिले, लेकिन मंडल कमेटियों के पास मौजूद हैं, जिला कांग्रेस कमेटियों के पास रिकार्ड मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि आपके, किस कार्यकर्ता की सम्पत्ति जब्त हुई थी, किसने यातनायें भुगती थीं - अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं कि बून्दी के बेगार आन्दोलन के अन्दर नानक जी भील थे, जिनके बारे में मुझे मालूम है डाबी ग्राम में सुपरिन्टेंडेन्ट इकराम हुसैन को गोली से मारे गये थे। आज उनके बाल बच्चों की ऐसी हालत है जो बहुत खराब हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह नहीं जानते कि किसको दरख्वास्त दें, क्या कैसे करना है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे संगठनों से उस समय के सेनानियों का जानकारी करके क्या रिलीफ नहीं दी जा सकती जानकारी करें रिलीफ दें?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: माननीय सदस्य भी सदन में इस बारे में पहली बार कह रहे हैं। मैं समझता हूं राजनैतिक पीड़ित जो हो उसको सहायता मिलनी चाहिए और उसके बारे में कहने के लिए कोई रुकावट नहीं है। जिनको जानकारी हो वह कहें और जानकारी दें तो नियमों के आधार पर जो रिलीफ मिल सकता हैं वह अवश्य दिया जायगा कांग्रेस कमेटी को ना नहीं है, किसी को भी ना नहीं है कि वह नहीं भेज सकते।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
वह भेजें तो हम जो रिलीफ दे सकते है वह अवश्य देंगे ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन सु०) : क्या यह सही है कि फर्जी डाकूमेन्ट पेश करके रिलीफ ले लिया गया है, कांकरोली में एक मीठालाल को दे दिया गया है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यू० पी० के अन्दर जो सी० आई० डी० के अन्दर थे वह बाद में कोटा के अन्दर बस गये और बस कर पालिटिकल सफरर के नाम से जमीन ले ली है ? इस तरह का अजीब केस है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी जानकारी मुझे नहीं है कि सी० आई० डी० में रहे और जेल नहीं गये और कुछ नहीं किया, फिर भी रिलीफ ले लिया है ।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : यह गलत है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आप जानकारी दें तो मैं पकड़वाने की कार्यवाही कर सकता हूं ।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : बिल्कुल गलत बात है । हमारे संगठन के लोगों को गवर्नमेंट की सी०आई०डी० करने के लिए भेज देते थे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप किसके लिए कह रहे हैं ?

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : मुझे मालूम हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप नाम बतायें, क्या नाम है ?

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" ; मैं जानता हूं । यह बिल्कुल गलत है । ऐसे लोगों पर आप दोष नही लगायें । ऐसे लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी हैं । मै जानता हूं कि कोठयार की हालत खराब है ।

प्रश्न संख्या ६४६

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह (अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया ;

लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

६४७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान लोक सेवा आयोग का निर्माण कब किया गया ? आयोग के मौजूदा सदस्य कौन कौन हैं और वह कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे किसी सदस्य को आयोग का सदस्य नामजद करने का विचार रखती है जो लोक सेवा आयोग में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके ? यदि हां, तो कब तक ऐसा कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) १६ अगस्त, १९४९ । वर्तमान सदस्यों की सूची निम्न प्रकार है। ये इनके

Page No.22

उप-मंत्री वित्त, (श्री चन्दनमल वैद) सामने अंकित तारीखों से कार्य कर रहे हैः—

(१) श्री विष्णु वासदेव नारलीकर अध्यक्ष १-८-६०
(२) श्री श्यामलाल १७-४-६१
(३) डा० भंवरलाल रावत ४-९-६१
(४) श्री रामचन्द्र चौधरी २०-३-६५

(२) राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों के लिये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये खास तौर से कोई सुरक्षित स्थान रखने की नीति नहीं है। आयोग में नियुक्तियां योग्यता व तजुर्बे के आधार पर की जाती हैं इसलिये इनमें से भी नियुक्तियां हो सकती हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आयोग के कुल सदस्यों का कोटा कितना है ?

श्री चन्दनमल वैद : जैसा मैंने ऊपर बताया है, चार का है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने प्रश्न के भाग (२) में कहा कि इसमें कोई रिजर्वेशन की नीति नहीं है। आयोग में नियुक्तियां योग्यता व तजुर्बे के आधार पर की जाती हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन डिपार्टमेंटों में यह रिजर्वेशन है क्या उनमें लोगों को योग्यता के बेसिस पर नहीं लिये जाते हैं, जहां पर १२॥ परसेन्ट कोटा लिया जाता है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह तो पब्लिक सर्विस कमीशन से संबन्धित प्रश्न है। दूसरे विभागों के अलग अलग नियम हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : योग्यता का आधार यहां पर भी है और वहां पर भी है तो फिर यहां पर रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें रिजर्वेशन की बात कोन्सटीट्यूशन मे नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : जो क्वालिफिकेशन्स इन सदस्यों के लिये निर्धारित हैं क्या इस योग्यता के व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब में नहीं मिल सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कोई रुकावट नहीं है कि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता लेकिन इसमें रिजर्वेशन नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या यह उचित नहीं है कि जब दूसरी सभी आॅर्गेनाइजेशन्स में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य हैं तो यहां पर क्यों नहीं रखे जा सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां उचित और अनुचित का प्रश्न पैदा नहीं होता। यहां पर उपयुक्त व्यक्ति ही रखे जा सकते हैं, मगर इसके लिये रिजर्वेशन की पोलिसी नहीं है।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर): क्या यह सही है कि दो सीटें इसी चालू साल में होने वाली हैं क्या उसमें हरिजन को लिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में अभी मैं कुछ कह कर नहीं चल सकता।

श्री जेठमल बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जन-जातियों की काफी आबादी है। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि कम से कम एक सदस्य तो अनुसूचित जातियों में से या अनुसूचित जन-जाति में से रख दें ताकि जो हरिजन हैं उनके दिमाग में यह बात नहीं रहे कि हमारा प्रतिनिधि वहां पर नहीं है। उनके दिमाग में यह रहेगा कि उनका प्रतिनिधि वहां पर बैठा है। उसके बाद में हमें यह शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम फिर चीफ मिनिस्टर से कभी नहीं कहेंगे। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि कम से कम एक सदस्य तो रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : आपके मिनिस्टर होने के बाद भी आप यह कहते हैं।

श्री जेठमल बरवड़ : यह नौकरी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यहां पर और भी ज्यादा बड़ा प्रश्न है फिर भी आप उनको बख्शते नहीं।

श्री जेठमल बरवड़ : शेड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट आती है कि कोटा पूरा नहीं हुआ। जहां पर पब्लिक सर्विस कमिशन में अपोइन्टमेंट का प्रश्न है वहां पर हमारा एक सदस्य रहे। अगर यू० आई० टी० में भी हमारा एक सदस्य रहे तो अलोटमेंट की समस्या है वह हल हो सकती है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोविन्दसिंह।

पशु मेलों से आमदनी

६४८. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान सरकार ने जब से कुछ महत्वपूर्ण मेले स्टेट केटल फेयर के तहत अपने अधिकार में लिए हैं उन मेलों से राज्य सरकार को कितनी आमदनी हुई है ? हर साल के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त मेलों को राज्य सरकार के अधीन लेने की तिथि से पिछले तीन साल इन मेलों से पंचायत या नगरपालिका को कितनी आमदनी होती रही है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) उपरोक्त मेलों को राज्य सरकार ने अपने अधीन कर लेने के बाद संबन्धित पंचायत या नगरपालिका के घाटे की कमी को किस प्रकार दूर किया है और इस घाटे की पूर्ति के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत या नगरपालिका को कितनी कितनी राशि किन किन तारीखों को दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) उपरोक्त मेलों को राज्य सरकार ने किस मंशा से अपने अधीन लिए हैं और उस मंशा को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाया है ?

(५) जब से यह मेले राज्य सरकार ने अपने अधीन लिए हैं राज्य सरकार का हर मेले में कितना २ खर्चा अलग अलग मद में होता है और कितना कितना इनाम मेलों में वितरण किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री पशुपालन (श्री भीमसिंह) : (१) सूची संलग्न हैं ।

(२) पंचायत समिति से कोई भी मेला नहीं लिया गया । केवल करौली का ही मेला ऐसा है जो नगरपालिका करौली से लिया है। इस मेले को राज्य सरकार के अधीन लेने की तिथि से पिछले तीन सालों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

१९६०-६१	२८,१९७.००
१९६१-६२	४३,८६३.००
१९६२-६३	४९,९८८.००

(३) जैसा उत्तर २ में स्पष्ट किया जा चुका है पंचायत समितियों से कोई मेला नहीं लिया गया । इसलिये उनका घाटा पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। करौली नगरपालिका को ३० हजार रु० अनुदान के रूप में १९६३-६४ और १९६४-६५ में सरकार द्वारा स्वीकृत हुए हैं।

(४) राजस्थान पशु मेला नियम, १९६३ की भूमिका (प्रिएम्बिल) इस विषय को स्पष्ट करता है और उसके अनुसार कदम उठाया जा रहा है।

(५) सूची संलग्न है ।

[सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

श्री गोविन्दसिंह : आपने जो सूची दी है उसमें १० मेलों की सूची दी है । आपने १३ मेले लिये हैं । आपने इन तीन केटल फेअर को क्यों छोड़ दिया, इनका क्या हुआ ?

श्री भीमसिंह : सूची १० मेलों की है।

श्री गोविन्दसिंह : जब १३ मेले स्टेट में लिए हैं तो इन तीन मेलों का क्या हुआ ?

श्री भीमसिंह : १३ का तो मैंने कहीं निवेदन नहीं किया हैं।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायत समितियों से मेले लेने का प्रश्न नहीं पूछा है । आपने कहा है कि पंचायत समिति से कोई भी मेला नहीं लिया गया । आपने करौली का नाम लिया है ।

श्री भीमसिंह : आपने पूछा है कि राज्य सरकार के अधीन उपरोक्त मेलों को लेने की तिथि से पिछले तीन साल इन मेलों से पंचायत या नगरपालिका को कितनी आमदानी हुई है। मैंने उसके लिए निवेदन किया कि पंचायत समितियों से कोई मेला नहीं लिया गया केवल करौली का ही मेला ऐसा है जो नगरपालिका करौली से लिया है ।

श्री गोविन्द सिंह : मैंने पूछा है कि इन मेलों से पंचायतों और नगरपालिकाओं को कितनी आमदनी होती रही है। आपने करौली का ही क्यों लिया दूसरे क्यों नहीं लिये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री कहते हैं कि उनके अलावा और है हो नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह : और भी कई है । झालरापाटन का है, चन्द्रभागा का है क्या ये नगरपालिका में नहीं आते ?

श्री भीमसिंह : ये पहले कस्टम के अधीन लगते थे फिर उसमें से हिस्सा म्युनिसिपेलिटी में दिया जाता है ।

Page No.25

श्री गोविन्दसिंह : कान्तिसागर, चन्द्रभागा के मेले म्युनिसिपेलिटी की तरफ से होते हैं। आपने करौली का नाम बताया झालरापाटन का मेला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर म्युनिसिपेलिटीज को ४० हजार, ५० हजार का नुकसान होता है म्युनिसिपेलिटीज के लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, मेरा यह निवेदन है कि उनको कितना ही अनुदान दे दें मगर आप मेला का अनुदान नहीं देते हैं। मैं आमदनी का प्रश्न पूछता हूं और दूसरा ही जवाब देते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जावे और आगे के लिये जवाब देने के लिये रखा जावे।

श्री भीमसिंह : ये मेले नगरपालिका द्वारा नहीं लगाये जाते थे। ये कस्टम विभाग से लगाये जाते थे। नगरपालिका से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): झालरापाटन में म्युनिसिपेलिटी है। आपने जब से मेले टेक अप किये, गवर्नमेन्ट ने मेले टेक ओवर किये, उससे पहले कस्टम डिपार्टमेन्ट नहीं था।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि ये मेले कस्टम विभाग ही लगाता था। इसलिये म्युनिसिपेलिटी में उनको नहीं माना गया है। अगर प्रश्न पूछने वाले सदस्य यह साबित कर देंगे कि वास्तव में नगरपालिका की तरफ से भरते थे, छोटे मोटे टैक्स कोई दूकानों आदि के नगरपालिका लेती हो, फिर भी वे इनसिस्ट करते हैं कि म्युनिसिपेलिटी को मिलना चाहिये, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह : अगर साबित कर देते हैं तो कब तक दे देंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कह दिया है कि साबित कर दें तो विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६४६
महाराज कुमार श्री ब्रजेन्द्र पाल
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५०
श्री माधोलाल खानपुरिया
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५१

श्री दलपतसिंह
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)
(१२ मध्याह्न)
मेला मुखिया

६५२. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि झालरापाटन व चौमहला (जिला झालावाड़) में लगने वाले मेलों में फोरमर झालावाड़ स्टेट की तरफ से एक मेला मुखिया मुकर्रर था? जिसका कार्य अधिक से अधिक संख्या में मवेशी व व्यापारियों को मेलों में लाने का होता था।

(२) क्या यह सही है कि "मेला मुखिया" का धन्धा एक ही खानदान (चौमहला का रहने वाला) सदा से करता आया है?

(३) उक्त मुखिया को राज्य सरकार के द्वारा इन मेलों को भराया जाने के पहले क्या मिलता था?

Page No.26

(श्री गोविन्दसिंह)

(४) झालरापाटन के दोनों मेलों को राज्य सरकार ने अपने अधीन कर लेने पर उपरोक्त "मेला मुखिया" को क्या मिल रहा है?

(५) यदि राज्य सरकार मेले मुखिया की प्रथा को बन्द करना चाहती है, तो उपरोक्त मेले के मुखिया को क्या मुआवजा देने का विचार रखती है?

उप-मंत्री कृषि (श्री भीमसिंह): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सीगोटी (कमीशन) के नाम से एक आना प्रति पशु व २१ रुपये व एक शिरोपाव दिया जाता था।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पशु मेला अधिनियम में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह: आपने मालूम किया है क्या, कि इसका धन्धा यही था कि व्यापारियों और पशुओं को बाहर से मेले के अन्दर ले आना? जबसे आपने मेले को लिया है तबसे उसको एक पैसा भी आप नहीं दे रहे हैं?

श्री भीमसिंह: प्रश्न यह है कि जो मुखिया मेला के नाम से काम चला रहा था पशु मेला एक्ट के तहत उसे मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नही है।

श्री गोविन्दसिंह: मेला मुखिया का पेशा ही यह था, जब जागीरों का आपने मुआवजा दिया है तो क्या आप इसे मुआवजा देने के बारे में फिर से सोचेंगे?

श्री अध्यक्ष: श्री जेठमल बरवड़।

मकराना की जल वितरण योजना

६५३. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मकराना नगर की जल वितरण योजना सरकार के पास विचाराधीन है?

(२) क्या यह सही है कि यह योजना भारत सरकार के पास भेजी गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(३) मकराने नगर में कहां से पानी दिया जावेगा?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (१) जी हां।

(२) जी हां, यह योजना भारत सरकार के पास दिनांक ७-५-६४ को भेजी थी, भारत सरकार ने यह योजना आवश्यक संशोधन करने हेतु दिनांक १०-८-६५ को वापिस लौटा दी है। आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् योजना वापिस भारत सरकार को भेज दी जायेगी।

(३) पानी के स्रोत की तलाश जारी है।

श्री जेठमल बरवड़: भारत सरकार को कब तक भेज दी जायेगी?

श्री हरिदेव जोशी: जब पानी का स्रोत मिल जायगा और योजना अच्छी तरह बन जायगी तब।

श्री जेठमल बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, मकराना इतना बड़ा इण्डस्ट्रियल टाउन है, वहां पर सारी फैक्टरीज पानी से चलती हैं। पानी का यदि जल्दी प्रबन्ध नहीं किया तो वहां बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो जायगी। पिछले साल २० हजार रुपया सरकार ने दिया तो कुएं में थोड़ा पानी कराया गया, एक महीने बाद वहां पर पानी का अच्छा इन्तजाम नहीं हुआ तो मकराना की जनता बिना पानी के प्यासी मर जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अब इन्तजाम हो जायगा, माथुर साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, बात सही है, कि मकराणा में पानी की कमी है, मैं खुद वहां गया, अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा हम वहां पानी के स्रोतों की तलाश करवा रहे हैं।

श्री जेठमल बरवड़ : अभी वहां बोर्ड का काम नहीं हो रहा है, गच्छीपुरा में हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है, जहां वाटर सोर्स मिलेंगे वहीं तो करेंगे।

श्री जेठमल बरवड़ : गच्छीपुरा तो मकराना से १८ माइल दूर है। दूसरी, गांगवा में क्यों नहीं करते, कुचामण में पानी है, वहां से प्रबन्ध क्यों नहीं करते? १८ मील दूर से तो मकराना में पानी आने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे यहां जो पॉवरफुल सदस्य हैं वे जोर से बात कहते हैं कि पानी का इन्तजाम किया जाय, नहीं तो भूख हड़ताल कर दूंगा, उनकी बात तो मान ली जाती है और हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। ज्वाला भाई कहते हैं तो कर देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं है, मैं खुद मकराना गया हूं। स्केलेटन वाटर सप्लाई स्कीम भेजी थी, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने उसे वापिस भेज दिया कि यह काफी नहीं है, आवश्यक संशोधन करने के बाद वह स्कीम गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को वापिस भेजी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि ज्वालाप्रसादजी के कहने से अजमेर में पानी का इन्तजाम कर देते हैं, यह सही नहीं है। अजमेर की वाटर स्कीम की फेज्ड स्कीम ६२ में बनी, पर ६७ में वोट लेने तक पानी दिया जायगा ताकि अजमेर के लोग इन्हें वोट दे दें। यह सरकार अजमेर को प्यासों मार कर वोट लेना चाहती है।

स्थगित प्रश्न

(३-३-६६ व २४-३-६६)

तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा खाद्यान्नों के निर्यात की आज्ञाएं

६७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जुलाई, १९६४ से जुलाई, १९६५ की अवधि में तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा मोठ, ज्वार व खाद्यान्नों के निर्यात की आज्ञाएं दी गई थीं?

(२) क्या यह सही है कि जिन खाद्यान्नों के निर्यात की आज्ञा दी गई थी

(श्री तेजाराम गहलोत)
उनके निर्यात पर उस अवधि मे रोक थी ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री दौलतराम सारण): तहसीलदार, बिलाड़ा ने चना और मोठ के निर्यात की आज्ञा दी, तहसीलदार बिलाड़ा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर तारीख ३ को दिया था तो दोनों चीजों का मंत्री महोदय ने इन्कार किया था। अब जबकि तहसीलदार ने डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स के अन्दर सरकार के मना करने के बावजूद भी चने और मोठ के निर्यात की आज्ञा दी तो क्यों नहीं उसके खिलाफ डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स में प्रोसीक्यूशन किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न के बाद में मंत्री महोदय ने जांच का आश्वासन दिया, जांच के परिणामस्वरूप तहसीलदार के खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही आवश्यक होगी, विभागीय कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जायगी, यह कहा है ।

श्री तेजाराम गहलोत : डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स का वायोलेशन हुआ है, उसमें प्रोवीजन है कि उसका बिना डिपार्ट-मेण्टल इन्क्वायरी के प्रोसीक्यूशन करना चाहिये । जब सरकार के पास डॉक्यूमेन्टरी प्रूफ है कि चने और मोठ का निर्यात रेल से किया है तो ऐसे निकम्मे अफसर का प्रोसीक्यूशन करके सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये ।

श्री दौलतराम सारण : कार्यवाही करने में सरकार कोई कोताई नहीं करेगी मैंने कहा कि विधि विभाग की राय से जो भी संभव होगा वह कार्यवाही की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कार्यवाही करने में कोई कोताई भी नहीं होती और कार्यवाही भी नहीं होती, यह क्या रहस्य है ?

श्री तेजाराम गहलोत : उसे सस्पेन्ड तो करते ।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह तक तय करके बतादें ।

स्थगित प्रश्न

(२५-३-६६)

प्रश्न संख्या ४९४

श्री केसरीसिंह (खाची)

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

स्थगित प्रश्न

(२६-३-६६)

तकावी आदि का वितरण, जिला बूंदी।

५०६ **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) बूंदी जिले के कृषि विभाग के द्वारा सन् १९५२ से लगाकर अब तक कुल कितनी रकम तकावी, बीज व खाद के रूप में वितरित की गई है ?

Page No.29

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) क्या विभाग ने इस बात की जांच करने की कोशिश की है कि इनमें से कितनी पंचायतो के मार्फत दिया जाने वाला बीज किसानों को नहीं दिया जाकर उसका गबन किया गया है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिह) : ५६-५७,५७-५८, ५८-५९ और ५९-६० में १,१३,४४१ रुपये खाद की तकावी वितरित की गई व ४,७३,४५७ रुपये बीज की तकावी वितरित की गई ।

५२ से ५६ तक के पहले फिगर्स अवेलेबल नहीं हुए थे । वे अब अवेलेबल हो गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

५२-५३ से ५५-५६ तक १२१ हजार का खाद बांटा गया व बीज ४ लाख ३८ हजार का बांटा गया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ५२ से ५६ तक बूंदी जिले में ५ लाख की तकावी बांटी गई, उसके कागजात जला दिये, उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भीमसिह : दुबारा आंकड़े तैयार करवा कर जहां जहां फिगर्स अवेलेबल हो सके ४३,५२६ रुपया खाद का व १३१ हजार बीज का वसूल किया गया है । बाकी फिगर्स थे उनके तहसीलदारों को अलग २ पर्चे दिये ताकि वसूली जल्दी से जल्दी हो सके ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: आग लगी उसकी जिम्मेदारी किस पर थोपी, जिसने रेकर्ड जला दिया उसके लिये सरकार ने किसको जिम्मेदार ठहराया ?

श्री भीमसिह : केस पुलिस को दिया गया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अधिकारी का नाम दिया क्या ?

श्री भीमसिह : तसल्ली से सुनिये। मैं बता रहा हूं । पुलिस ने जिन २ को सस्पेक्ट किया था उनके नाम हैं : प्रेमशंकर, नन्दकिशोर, वासुदेव और नारायणप्रसाद । इसके बाद कोर्ट ने इनके खिलाफ कोई सबूत साबित न होने पर रिलीज कर दिया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मुख्य कृषि अधिकारी कौन था, उसको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया, छोटे छोटे क्लर्कों को पकड़ लिया। वे बरी हो गये । ५२ से ५६ तक ५ लाख रुपया बांटा गया । उसका रेकर्ड जला दिया। ६२ से बार बार प्रश्न देने के बाद आज ६६ में कहा जाता है कि चार क्लर्कों को पकड़ा और बरी हो गये । मुख्य कृषि अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है, उसका नाम बताइये, और यह बताइये कि उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री भीमसिह : १५-५-५६ को साढ़े बजे आग लगी, डी० एम० और एस० पी० बूंदी घटना स्थल पर गये, आग बुझाई । इन आदमियों को सस्पेक्ट किया गया, एस० पी० की रिपोर्ट कहती है :-

"Prem Shankar, who is suspended Cashier of the Department, was also arrested but the Court released him as no sufficient proof was available against him in this regard"

Page No.30

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इन कर्मचारियों के विरुद्ध और जिस अधिकारी का सुपरवाइजरी कन्ट्रोल था उनके खिलाफ डिपार्टमेन्टल एक्शन लिया गया ?

श्री भीमसिंह : आग लगने पर पुलिस में केस दिया गया पर सबूत नहीं मिल सका इसलिये अदम सबूत में केस गया ।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट में अदम सबूत में गया तथा पुलिस के पास सबूत नहीं था तो कैसे चालान किया ?

श्री भीमसिंह : चालान नहीं किया एस० पी० ने रिपोर्ट दी है :-

"Prem Shankar, who is suspended Cashier of the Department, was also arrested but the Court released him as no sufficient proof was available against him in this regard.'

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट में केस नहीं गया तो कोर्ट ने कैसे छोड़ दिया ?

श्री भीमसिंह : जो जानकारी मेरे पास थी वह आपको दी है । इससे मालूम होता है कि एस० पी० ने सबूत नहीं मिलने पर चालान नहीं किया होगा, प्रिपेरेटरी बेल में कोर्ट में गया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि चालान नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : विभागीय जांच क्यों नहीं की ?

श्री भीमसिंह : विभागीय जांच की, पर आगे सबूत नहीं मिला; तो कैसे आगे चलें । एस० पी० ने अलग की और कृषि विभाग में डिस्ट्रिक्ट आॅथोरिटीज ने अलग अपनी कोशिश की ।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश का सवाल नहीं, जांच का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि इस तरह के मामले और भी होते हैं । उनमें विभाग भी कार्यवाही कर सकता है और अदालत भी । जिस तरह का सुबूत अदालत में चाहिए व नहीं मिलता है, लेकिन विभागीय जांच में उस तरह के सबूत की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए यदि अदालत में साबित नहीं होता तो विभाग ने कोई जांच की ?

श्री भीमसिंह : विभागीय जांच के लिए एक श्री बजरंगलाल, गार्डन सुपरवाइजर और श्री वासुदेव एफ० पी० एस० को मुकर्रर किया गया, लेकिन साबित नहीं हो सकी ।

श्री भैरोंसिंह : आग लगने के क्या कारण थे ?

श्री भीमसिंह : अगर साबित हो जाता तो सजा हो जाती । आग लगने का स्पेसिफिक कारण नहीं मालूम होता । सस्पेक्ट किया जाता है कि किसका क्या इन्टरेस्ट था, आग लगाने में, किसने लगाई, क्यों लगाई इसका सुबूत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के केसेज में ज्वोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी के नाते लोगों का प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है, डिपार्टमेन्टल एक्शन लिया जा सकता है, और वह नहीं लिया गया ।

श्री भीमसिंह : डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए सरकार अभी भी तैयार है, लेकिन कोई कार्यवाही होती है तो कायदे से ही होगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांच की है कि इसमें किसी की कान्ट्रीब्यूटरी नेगलीजेंस हो सकती है ?

श्री भीमसिंह : मैंने आपको नाम बतलाए कि इन पर सस्पीश्यन था कि इनमें से किसी ने लगाई होगी या इनका इन्टरेस्ट हो सकता है । इसलिए इनसे पूछताछ की गई; पकड़ा भी गया पर साबित नहीं हो रहा था और कोई एवीडेंस सामने नहीं आरही थी इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकी है ।

श्री भैरोंसिंह : तो आपने उनको गिरफ्तार किस आधार पर कर लिया ?

श्री भीमसिंह : एवीडेन्स को डिगाउट करने के लिए और सस्पीशियन में । क्योंकि जिस आदमी के पास अकाउन्ट्स रहते हैं, जिसने लेन-देन में गड़बड़ी की हो या जिसका इन्टरेस्ट हो आग लगाने में या लगवाने में, उसको सस्पीशियन में अरेस्ट किया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह उचित समझते थे कि केवल संदेह ही गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त था ?

श्री भीमसिंह : पुलिस ने जिनको सस्पेक्ट किया उनको पकड़ा ।

श्री अध्यक्ष : क्या इस रिकार्ड को वापिस बनाने की कोशिश की गई है ?

श्री भीमसिंह : पिछले महीने रेकर्ड कम्पलीट हो गया और उसी रेकर्ड के आधार पर मैंने आंकड़े दिए कि इतनी इतनी रकम अलग अलग सालवार थी और उसके आधार पर वसूल हुई, वह मैंने बताई ।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों को आपने तकावी दी है क्या उन लोगों ने एडमिट किया कि इतनी रकम हमने ली थी ?

श्री भीमसिंह : आंकड़े तैयार ही इन्हीं बेसिस पर किए गए थे जिनको दिया गया था; जिन जिन सोर्सेज से रकम आई अथवा जिन जिन सोर्सेज के पास रकम गई, उन्हीं के आंकड़े इकट्ठे किये गए ।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंटल आंकड़े तो आपने इससे बनाए होंगे कि कितनी धन-राशि आई और कितनी वितरित हुई, लेकिन जिनको दी गई क्या उन्होंने स्वीकार किया है कि इतनी राशि हमने तकावी के रूप में ली है ?

श्री भीमसिंह :- इसकी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है । मैं इकट्ठी करवा लूंगा कि किस किस ने एडमिट किया है । बाकी डिटेल्स आप या प्रश्नकर्त्ता मुझे दे दें तो मैटर को मैं रीओपन करने को तैयार हूं; हम किसी को भी शील्ड करना नहीं चाहते ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पांच लाख रुपये बांटे गए । १९६२ से यह प्रश्न दिया हुआ है, जबसे मैं विधान सभा में आया हूं, तो इन चार सालों में आपने क्या कार्यवाही की ? मैंने यह प्रश्न १९६२ में दिया था । खुद पैसे खा गए और उसके बाद आग

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
लगाई डिपार्टमेंट में और फिर ४ साल में कोई इन्क्वायरी नहीं करवाई।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बड़ी नल योजना

६३७. **श्री रघुवीरसिंह** (बाड़ी): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या बाड़ी नल योजना के पानी की सप्लाई के लिए महाराज बाग (बाड़ी) के कुए पसन्द किये गये हैं?

(२) क्या एग्रीकल्चर विभाग से इन कुओं को सरकार ने नल योजना को क्रियान्वित किये जाने के लिये संबन्धित विभाग को दिये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं? अगर हां, तो कब और अगर नहीं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) जी हां।
(२) जी हां, दिनांक १५-२-६६ को।

भीलवाड़ा नगर से अनाज की निकासी

६४४. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में अनाज के एसोसियेशन बने हुए हैं? यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम हैं?

(२) क्या यह सही है कि उक्त एसोसियेशन को राजस्थान से बाहर अनाज ले जाने के परमिट दिये गये थे? यदि हां, तो अप्रेल सन् ६५ से अगस्त सन् १९६५ तक किस २ को कहां २ के लिये परमिट दिये गये?

(३) क्या यह सही है कि जो अनाज उक्त एसोसियेशनों ने बाहर बेचने के लिये भेजा उसका सरकारी हिस्सा नियमानुसार सरकारी गोदाम पर तुलाया गया?

उत्तर

(१) जी हां।

(क) ग्रेन मर्चेन्ट एसोसियेशन, भीलवाड़ा।

(ख) खाद्य व्यापार सिन्डीकेट, भीलवाड़ा।

(२) जी हां। केवल खाद्य व्यापार सिन्डीकेट, भीलवाड़ा को डिगवाड़ा (बिहार), बम्बई (महाराष्ट्र) के लिए परमिट दिये गये।

(३) जी हां।

चम्बल क्षेत्र में भूमि-कटाव

६४६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विभाग द्वारा चम्बल क्षेत्र की भूमि का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करवाया जा कर 'चंबल क्षेत्र के किसानों से, बुकलैट छपवाया गया है और समिति व जानकार व्यक्तियों को बांटा गया है?

(श्री जुझारसिंह)

(२) इस बुकलेट में दी गई जानकारी व सिफारिशें किन व्यक्तियों द्वारा व कितने समय में प्राप्त की गई है और क्या इस जानकारी से राजेस्व विभाग भी अवगत है ?

(३) क्या यह सही है कि इस जानकारी के अनुसार चम्बल क्षेत्र की २,१८,६०३ एकड़ जमीन खेती व चरागाह के काम में ली जा सकने के अयोग्य बतलाई गई है और उस जमीन का कटाव रोकने व पड़ौसी भूमि को खेती योग्य सुरक्षित रखने हेतु केवल स्वभाविक वनस्पति उगने देने के लिए छोड़ देने की सिफारिश की गई है ?

(४) उपरोक्त जमीन को राजस्थान सरकार के सेटलमेन्ट विभाग ने किस श्रेणी में बतलाया है और क्या इसको काबिल काश्त बंजड़ बतलाया जाने के कारण अलाट करने के लिए दिया जा रहा है ?

(५) बुकलेट में दर्ज छठी श्रेणी की उपरोक्त २,१८,६०३ एकड़ जमीन में से अन्दाजन कितनी भूमि बुकलेट छपने के पहले और बाद में राज्य सरकार द्वारा एलाट की जा चुकी है ?

(६) क्या यह सही है कि कोटा जिले की दूसरी तहसीलों में भी भूमि का कटाव काफी बढ़ता जा रहा है और सरकार की कोई ठोस निर्धारित नीति नहीं होने के कारण अनुपयुक्त भूमि को कृषि कार्य में लिया जाता रहा है ?

(७) सरकार कोटा के कटाव ग्रसित सांगोद क्षेत्र व दूसरे इलाकों के लिये क्या कोई योजना बनाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) इस बुकलेट छपवाने का आधार एक साइल सर्वे रिपोर्ट है । चम्बल क्षेत्र के अन्तर्गत जमीन व फसलों के परीक्षण का सर्वे केमिस्ट कृषि विभाग, राजस्थान तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा १९५३ से ५७ तक किया गया था । इस रिपोर्ट के तैयार करते समय कृषि अधिकारियों ने रेवेन्यू तथा सिचाई विभाग से सम्पर्क स्थापित किया था । इसकी प्रतियां पंचायत समिति, रेवेन्यू, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी गई थी ।

(३) जी हाँ । २,१८,६०३ एकड़ भूमि छटी श्रेणी में दिखाई है । इस भूमि में बड़े बड़े नाले और खार बने हुये हैं । इसलिये ही कृषि और चारागाह के लिये अनुपयुक्त बताया है ।

(४) कृषि विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(५) कृषि विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(६) दूसरी तहसीलों में भी भूमि के कटाव की समस्या है। सरकार द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये सरकार की नीति निर्धारित की हुई है और भूमि संरक्षण के अन्तर्गत कैचमेन्ट बेसिस पर ग्रेड बंडिंग का कार्य योजना के अनुसार चल रहा है । इस समस्या को उग्रता को देखते हुये कृषि विभाग बड़े पैमाने पर सांगोद व अटरू पंचायत समितियों में रिफाइनेन्स कोरपोरेशन द्वारा ऋण लेकर योजना बनाई है । इस योजना में ऐसे

(श्री कृषि मंत्री)
भू–भाग का काफी बड़ा हिस्सा सम्मिलित किया जावेगा।

(७) सीमित फण्ड्स के कारण भू-संरक्षण के छोटे ही कार्य पंचायत समिति में लिये गये हैं किन्तु सांगोद तथा अन्य क्षेत्रों के लिये जैसा कि प्रश्न ६ के उत्तर में कहा गया है। रिफाइनेन्स कारपोरेशन की मदद से योजना बनाई है।

पुलिस वर्दी में अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी

६४९. महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल (करोली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि २-३-६९ को एक पुलिस पार्टी ने जयपुर-भरतपुर सड़क पर सेवर के पास कुछ व्यक्तियों को फर्जी पुलिस वर्दियों में जिनमें से एक व्यक्ति जो ए० एस० पी० की वर्दी में था, अरेस्ट किया ?

(२) क्या उसी रात कुछ बदमाश लोगों ने इस सड़क पर एक ट्रक को लूटने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप पुलिस पार्टी और गुन्डों में आपस में गोली चली ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां, ५-६ बदमाशान ने चलते हुए ट्रक पर अन्धेरे में चढ़ कर लूटने का प्रयास किया। किन्तु खलासी के जग जाने पर उतर कर पत्थरों से मुकाबला शुरू किया। जिसके फलस्वरूप उन्हें पकड़ने एवं आप सुरक्षा की नियत से एक पुलिस अधिकारी ने निजी पिस्तौल चलाई।

नहर परवन से पानी

६५०. श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नहर परवन (शेरगढ) जिला कोटा से तहसील अटरू की ग्राम पंचायत, शेरगढ, बड़ोरा, कटावर के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी न देने का क्या कारण है ? इन ग्राम पंचायतों के ग्रामों में कब तक सिंचाई के लिये पानी दे दिया जायेगा ?

उत्तर

नहर परवन (शेरगढ़) जिला कोटा से जल वितरण कमेटी के निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत, शेरगढ, बडोरा और कटावर के क्षेत्रों को जब तक नदी में जल का प्रवाह रहा सिंचाई के लिये पानी दिया गया था। इस वर्ष नदी में पानी का प्रवाह न होने के कारण सिंचाई हेतु पानी देने का प्रश्न नहीं उठता। आगामी वर्षों में जब तक नदी में बराबर जल का प्रवाह रहेगा तब तक इन क्षेत्रों को जल उपलब्ध होता रहेगा।

होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति

६५१. श्री दलपतसिंह (आबू): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आर० ए० एस० ऑफीसर्स व विकास अधिकारियों की होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति सरकारी नियमानुसार वर्जित है ?

(२) अगर हां, तो खारची पंचायत समिति जिला पाली में विकास अधिकारी जो उसी जिले के रहने वाले हैं, क्यों रखे गये हैं ?

(श्री मुख्य मंत्री)

(१) जी हां।

(२) श्री चावण्डदान देवल, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खारची, जिला पाली को उनके गृह जिले से बाहर पद-स्थापन करने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य की नल कूप योजना

६५४. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ट्यूब वेल लगाने और बोरिंग द्वारा कुओं को अधिक गहरा करके सिचाई का विस्तार करने की क्या योजना है ?

(२) क्या जालौर जिले में कुछ ट्यूब वेल निर्माण हुए हैं ? यदि हां, तो कहां २ हुए हैं तथा कितनी अर्जियां अभी तक पड़ी हुई हैं ?

(३) क्या सरकार ट्यूब वेल खोदने की हर एक जिले में एक मशीन रखने की योजना बना रही है ?

उत्तर

(१) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत २०० ट्यूब वेल्स और ५० खुले कुओं की खुदाई जारी है। इस योजन के अन्तर्गत जिन ट्यूब वेलों से २०,००० गेलन प्रति घन्टा से ज्यादा पानी उपलब्ध होता है उनको सिंचाई के काम में लिया जावेगा।

(२) जी हां, कुल ३७ नल कूपों का निर्माण हुआ है। उनमें से ३१ नल कूपों पर मीठा पानी मिला है बाकी ६ नल कूपों का पानी खारा होने की वजह से वे पाट दिये गये हैं। जहां २ नल कूप खोदे गये हैं उनकी सूची संलग्न है। अर्जियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। साईट सैलेक्शन कमेटी जो पसन्द करती है उस पर खुदाई होती है।

(३) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ३३ रोटेरी एन्ड परकेशन ड्रिलिंग रिग्स खरीदी जावेगी जिनमें से १२ परकेशन ड्रिलिंग रिग्स अप्रेल, १९६६ में उपलब्ध होने की आशा है। यह जिलों में जरूरत के माफिक काम में लाई जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित-प्रश्न

(२५-३-६६)

सघन कृषि योजना के अन्तर्गत हुई पैदावार के आंकड़े

४६४. **श्री केशरीसिंह** (खारची) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में सघन कृषि योजना क्षेत्रों में, खाद्य फसलों पर किये गये फसल कटाई के प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों से यह बताने की कृपा करें कि सन् १९६१ से ६५ तक प्रति वर्ष किस किस अनाज की कितनी पैदावर प्रति एकड़ हुई ?

उत्तर

सघन कृषि कार्यक्रम, पाली जिले में सन् १९६१ में चालू किया गया था। इस कार्यक्रम में फार्म प्लान्ट तैयार किये जाते हैं और ऐसे कृषकों को सब प्रकार

(श्री केशरीसिंह)

को सुविधा बीज, खाद, सिंचाई के लिये, तकावी आदि दी जाती है । इन कृषकों की उपज फसल कटाई के प्रयोगों द्वारा मालूम की जाती है पिछले वर्षों में पैदावार इस प्रकार रही है:–

पैदावार क्विन्टल–प्रति ट्रैक्टर

जिन्स	१९६१-६२		१९६२-६३		१९६३-६४		१९६४-६५	
	फार्म प्लानर	साधारण	फार्म प्लानर	साधारण	फार्म प्लानर	साधारण	फार्म प्लानर	साधारण
मक्का	१०.७	९.३	१०.७	६.७	६.६	५.६	८.७	७.०
बाजरा	४.०	३.१	४.५	२.७	१.७	१.५	३.३	४.४
ज्वार	३.६	२.९	०.४	१.७	०.२	०.५	१.२	१.४
गेहूं	११.३	१०.४	१३.३	८.८	१०.२	७.०	—	—
जौ	१२.३	११.८	१२.३	१०.५	१२.६	६.४	—	—

इनसे प्रतीत होता है कि फार्म प्लानर्स को उपज २९ से ६६ प्रतिशत, बाजरा में, १५ से ३३ प्रतिशत, मक्का में १७ से ५६ प्रतिशत, गेहूं व जौ में बढ़ी है । सन् १९६२ से १९६५ तक वर्षा की कमी से राजस्थान में अकाल की स्थिति रही है । जिससे पैदावार में गड़–बड़ इस जिले में भी हुई ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रक्षा कोष में धनराशि की वसूली

१३१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रक्षा कोष के लिए जो धनराशि प्राप्त की जाती है उसके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है ?

(२) क्या यह भी सच है कि रक्षा कोष की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रत्यक्षरूप से कोई आदेश नहीं हैं ?

(३) क्या यह भी सच है कि ग्राम पंचायत स्तर पर रक्षाकोष के लिए निश्चित धनराशि वसूल करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उनके अनुसार सख्ती से निर्धारित रकमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि उदयपुर जिले में ग्रामीणों के परिवार से प्रति व्यक्ति के हिसाब से निर्धारित रकम रक्षा कोष के लिए वसूल की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह न्यायोचित समझती है ?

(५) क्या यह भी सच है कि उदयपुर डिवीजन में अकाल की स्थिति होते हुए भी रक्षा कोष वसूल करने के लिये लगान का चौथाई किसानों से वसूल किया गया है और जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें यह कह कर धमकाया गया कि उन्हें तकावी,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
अनुदान और कुओं के लिये सहायता नहीं दी जायगी ?

सरकार से उत्तर प्राप्त नही हुआ

नल–कूप

१३२. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

२५० नल-कूपों के लगाने की जो केन्द्रीय योजना है, उसमें से २८ फरवरी, १९६६ तक कितने नल-कूप लग चुके हैं व किस-किस जिले के किन-किन गांवों में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

२८ फरवरी, १९६६ तक के सफल १५२ हैं, और उन नल-कूप की सूची जिले-वार इसके साथ संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई मानसिंह टाउन हाल

१३३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सत्य है कि सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर, जयपुर नरेश की निजी सम्पत्ति है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार, जयपुर नरेश को इस भवन का किराया अदा करती है ? यदि हां, तो कितना और आज दिन तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है ?

(ग) क्या राज्य सरकार के और जयपुर नरेश के बीच इस भवन को काम में लेने का कोई समझौता है ? यदि हां, तो क्या ?

(घ) राज्य सरकार इस भवन को अब और कितने समय के लिए रखना चाहती है ? क्या विधान सभा के दूसरे भवन के निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण हो जावेगा और क्या लागत होगी ?

उत्तर

(क) भारत सरकार और महाराजा जयपुर के दरमियान प्राइवेट प्रोपर्टी का जो सेटलमेन्ट हुआ था, उसकी रूह से जो इन्वेन्टरी बनी थी उसमें अन्य सम्पत्ति के साथ सवाई मानसिंह टाउन हॉल के लिए इस प्रकार इन्द्राज किया हुआ है ।

(iv) Jaleb Chowk, including Town Hall and Rajendra Hazari Guards buildings—which are within the City Palace area—to be handed over to the Rajasthan Government for official use, and to be maintained by Government.

(ख) राजस्थान सरकार जयपुर नरेश को इस भवन का कोई किराया अदा नहीं करती है ।

(ग) इसका उत्तर (क) के उत्तर में सम्मिलित है ।

(घ) यह भवन राजकीय कार्य (official use) में आ रहा है और आता रहेगा ।

अभी विधान सभा के दूसरे भवन के निर्माण की योजना सरकार के समक्ष नहीं है ।

Page No.38

तहसील उदयपुरवाटी में बांध

१३४. श्री जीवराज (गुढा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील उदयपुरवाटी में किन किन बांधों व एनिकट्स का सर्वे हुआ है ?

(२) सर्वे कब हुआ ?

(३) इनका निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

उत्तर

(१) ग्राम मन्डावरा के पास मंडावरा एवं ग्राम पोंक के पास पोंक योजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका है।

(२) मण्डावरा का सन् १९६२ में तथा पोंक का सन् १९५६ में हुआ।

(३) मण्डावरा योजना से अदायगी कम होने के कारण इसका निर्माण सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। जबकि पोंक योजना का कार्य सन् १९६० में प्रारम्भ हो कर समाप्त हो चुका है।

(विराम)

(१२.१५ म० प०)

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(क) विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

(सदन की मेज पर रखना)

उपाध्यक्ष, श्री नारायणसिंह मसूदा (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्राक्कलन समिति।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है।

(ख) प्राक्कलन समिति का २२वां प्रतिवेदन (उपस्थापन)

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) (सभापति, प्राक्कलन समिति की ओर से): अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, १९६५-६६ "पुरेजात सम्पत्तियां" विषयक समिति के २२वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा गंगानगर जिले में गड़बड़ी विषयक स्थगन–प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान के कुछ नागरिकों ने मुजाहिदों के साथ होकर गंगानगर जिले के अन्दर कुछ गड़बड़ी की है और उसके साथ साथ कुछ मवेशी उठा ले गए हैं तथा बीकानेर के क्षेत्र से वे ऊंट, भेड़, गायें और बकरियां ले गए हैं उस संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, सरकार उसका उत्तर दे।

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी सीमा की जो स्थिति है और उस पर कुछ घटनाएं हुई हैं उस संबंध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। मुख्य मंत्रीजी से आज मेरी बात हुई और ऐसा तय किए जाने का विचार है कि अगर सरकार चाहे तो सदन में स्पष्टीकरण कर दे और

(श्री अध्यक्ष)
जो माननीय सदस्यों को आशंका है उसके संबंध में अगर कोई अपने निजी तौर से विरोधी पक्ष के प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर सारी बातों का निराकरण करना चाहें तो कर दें और मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था शीघ्र की जायगी, ताकि माननीय सदस्यों के जो इस गंभीर स्थिति के बारे में विचार हैं, उनका उस हद तक निराकरण हो सके।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है शिक्षकों के संबंध में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(विराम)

(विधायी कार्य)

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:–

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)
श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं)
श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)
श्री मानधातासिंह (महुवा)

(१) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ को जनमत जानने हेतु एक माह/तीन माह के लिये परिचालित किया जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री मोहनराज (बाली)

(२) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में/एक सप्ताह/एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।]

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीद) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मोटर विहीकल्स टैक्सेशन अमेन्डमेन्ट बिल प्रस्तुत हुआ है। उसके सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से संशोधन रखा गया है और जैसे दरें टैक्सेशन की बढाई गई इसके द्वारा इस धंधे पर किस प्रकार से असर पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान के जितने ट्रक लोडस हैं, इस गुडस टैक्स के बढने की वजह से इनके विरोध में उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया, उसका एक प्रतिवेदन तमाम विधान सभा सदस्यों के सामने भी प्रस्तुत किया और मुझ को भी दिया उसमें कहा गया है कि यहां पर २५ प्रतिशत से लेकर ६५ प्रतिशत तक उस टैक्स का भार गुडस पर बढ़ा है।

Page No.40

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आज की परिस्थितियों मे हम देखते हैं कि राजस्थान में अकाल की वजह से जगह जगह सामान पहुंचाने की जरूरत है, अनाज इधर-उधर पहुंचाने से लोगों को सुविधा प्राप्त होती है। अगर ट्रक वाले टैक्सेशन में बढ़ोतरी के प्रोटेस्ट में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती है और जिस प्रकार से यह टैक्स बढ़ गया है उससे महसूस होता है कि जितने भी ट्रक लोड्स चलते हैं उन पर उससे ज्यादा वजन पड़ेगा और उनको अपने धंधे में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विचार करके ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाय जिनसे सरकार को भी नुकसान न हो और जो ट्रक लोड के मालिक हैं उनको भी कुछ न कुछ सहूलियत मिल जाय ताकि उनके इस प्रकार के प्रोटेस्ट भी खत्म हों और लोगों को सामान इधर-उधर लेजाने में सहूलियत मिले।

जहां तक टैक्सेशन का प्रश्न है, मोटर विहीकल्स डिपार्टमेन्ट का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार मोटरों की व्यवस्था है, जो मोटरों के द्वारा जिस प्रकार लोगों को सहूलियतें मिलनी चाहिये उसके सम्बन्ध में में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां का ट्रान्सपोर्ट विभाग है और उसके कर्मचारी हैं, खास तौर से आर० टी० ओ० के दफ्तर के लिये निवेदन करना चाहता हूं, उसमें किस प्रकार मोटर मालिकों को तंग किया जाता है या मोटर मालिकों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है उसके सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कहां का ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हर जगह का।

इस विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, एल० डी० सी०, यू० डी० सी०, मेकेनिकल इन्स्पेक्टर, ट्रान्सपोर्ट इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर-ये लोग दस दस साल से एक जगह कायम रहते हैं और उनकी दुकानदारी इस प्रकार जमी रहती है कि हर गाड़ी से मंथली या इयरली, जैसे उनके ही एजेन्ट हो उसी प्रकार उनके कुछ न कुछ अलाउन्सेज बंध जाते हैं। इस प्रकार की चीजों को खत्म करना है, इस प्रकार के डिपार्टमेन्ट में जहां आढ़त इस प्रकार बंधी हुई है उसको खत्म करने के लिये एक-दो साल की जो अवधि बंधी हुई है उससे अधिक किसी कर्मचारी को उस जगह न रहने दिया जाय ताकि उससे कॉन्टेक्ट न बढ़े और वह गड़बड़ियां न कर सके।

टोकन और टैक्सेज की वसूली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें यह गड़बड़ियां हो रही है कि बहुत सी गाड़ियों के पास टोकन ही नहीं होते हैं और बिना पैसा जमा कराये गाड़ियां बराबर चलती हैं। बहुत सी गाड़ियों को पैसा देना चाहिये वे पैसा नहीं देते हैं। आर० टी० ओ० का दफ्तर या कलेक्टोरेट में मेकेनिकल इन्स्पेक्टर का दफ्तर होता है वे लोग उनसे मिले हुए रहते हैं, टोकन बिना लिये ही उनको गाड़ियां चलती रहती हैं। इससे सरकार को काफी हानि होती है। ये टैक्सेज को इवेड करते हैं और बराबर उनकी गाड़ियां चलती रहती हैं।

Page No.41

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसी प्रकार पेसेन्जर्स टैक्स के लिए भी निवेदन करना है। जहां तक पेसेन्जर्स टैक्स का सवाल है हालांकि यह इस मोटर विहकल्स से ताल्लुक नहीं रखता है और गुडस एन्ड पेसेन्जर्स टैक्स से ताल्लुक रखता है। लोग बाग हमेशा पैसा पेसेन्जर्स से वसूल कर लेते हैं और वे अपनी जेबों में भर लेते हैं और सरकार के खजाने में जमा नहीं कराते। अपना धन्धा उस पैसे से करते हैं, कारोबार करते हैं और साल दो साल तक उस पैसे को जमा नहीं कराते। हमारे अधिकारियों का क्या रवैया है कि यदि किसी में दो रुपया भी वसूल नहीं होता है तो उसकी गाड़ी जाम कर देते हैं और जिन लोगों में दस दस हजार, पचास पचास हजार और लाख लाख रुपया बाकी है उनकी वसूली नहीं करते हैं जिससे लाखों रुपया सरकार का उनमें बकाया है। जनता से जो रुपया वसूल किया जाता है उसका भी हिसाब पूरा नहीं रखा जाता है। पिछले साल और इस साल भी सुझाव दिया गया कि सरकार व्यवस्था करे कि जिनको पेसेन्जर्स टैक्स देना पड़ता है वह पैसा सरकार के खजाने में आजावे न कि उन लोगों के पास बना रहे . . .

श्री परसराम मदेरणा : पेसेन्जर्स एन्ड गुड्स एक्ट पर कोई अमेन्डमेन्ट थोड़े हो है आज ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इससे सम्बन्धित है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पेसेन्जर्स टैक्स पर अभी इसका असर नहीं पड़ेगा लेकिन आज जो टैक्सेज आप बढ़ा रहे हैं उससे कल यह स्थिति आवेगी कि कल किराया बढ़ायेंगे। ५१ का तय है उसको बढ़ायेंगे और वह अन्डर कन्सीडरेशन है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : निश्चय है और कोई संदेह नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : न मैं कन्सर्निंग मिनिस्टर हूं, इस हालत में मैं जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पेसेन्जर्स टैक्स का इससे ताल्लुक नहीं है लेकिन इससे इसका ताल्लुक है कि जो पैसा सरकार के पास आना चाहिये वह नहीं आता है और सरकार के खजाने में कमी होती है तो सरकार उस हालत में दूसरी तरफ हाथ पसारती है। जैसे गुड्स टैक्स में भारी तरमीम की, भारी बढोतरी की कि २५ परसेन्ट से लेकर ६५ परसेन्ट तक बढ़ाया। यही स्थिति कल आवेगी कि पेसेन्जर्स टैक्स को लेंगे और उसको किसी न किसी ऑर्डिनेन्स से बढ़ा देंगे। आपकी तमाम मशीनरी जो इसमें काम करने वाली है उसमें इफिशियेन्सी लानी चाहिये। उसमें बडी भारी कमी है। उनको आपने खुली छूट दे रखी है कि वे अपनी पोकेट्स भरें और सरकार के खजाने में जितना पैसा आना चाहिये वह नहीं आता है इसलिये ये गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं . . . .

गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट देना और उनको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये पिछले साल तरह तरह की शिकायतें की कि पुरानी मोटरें चलती हैं जिससे कि एक्सीडेन्ट्स हो जाते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट उनको वाजिब तरीके से नहीं दिया जाता है, मिल झुल कर गलत तरीके से फिटनेस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सर्टिफिकेट दे देते हैं। आपने एस० डी० एम० को उसके लिये मेम्बर बनाया। उसके बावजूद भी इस परिस्थिति में किसी प्रकार का फर्क नहीं आया है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो मेकेनिकल इन्सपेक्टर रहता है और फिटनेस सर्टिफिकेट देता है वह आदमी उनसे मिला हुआ है। चाहे चालीस की गाड़ी हो, चाहे ४२ की गाड़ी हो। पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, जितना सामान होना चाहिये उसके अभाव में वे गाड़ियें पास हो जाती हैं और मंथली जो उनको पैसा गाड़ी पर बंधा हुआ है मेकेनिकल इन्सपेक्टर के पास चला जाय तो भीलवाड़ा में बैठे हुए आसींद की गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। होना तो यह चाहिये कि एस० डी० एम० खुद जाकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे। इसलिये रिन्यूवल और फिटनेस का प्रश्न तय होना चाहिये। फिटनेस के बारे में इस नई कमेटी का निर्माण किया उससे भी जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। इसमें कुछ न कुछ तरमीम होनी चाहिये ताकि मेकेनिकल इन्सपेक्टर या ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर जिनके द्वारा भारी गड़बड़ियां होती हैं, पक्षपात करते हैं, सरकार के पैसों का इवेजन होता है, वह न हो और जनता को सहूलियतें मिलें।

जितनी भी गाड़ियों का परमिट देते हैं, कल प्रश्न भी आया था, रतनगढ़ और दूसरी तरफ गाडियां कम चलती हैं और ओवर लोडिंग होती है। पुरानी गाडियां हैं, ८ गाडियां चलती हैं, १२ गाड़ियां पडी रहती हैं। खराब हैं। ऐसे लोगों को परमिट देने से वे लोग लाइन पर मोनोपोली कर देते हैं। उससे जनता को तकलीफ होती है और जिनके पास गाड़ियां हैं वे लोग ओवर लोड करके ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट उठाते हैं और व्यवस्था खराब होती है। सरकार को चाहिये कि आप ऐसी नीति रखिये कि जो भी परमिट मांगे उसको परमिट दीजिये। आपका उसमें क्या बिगड़ता है। आपको पैसा मिलेगा और लोगों को आराम मिलेगा। जो कम्पीटीशन में खड़े होंगे वही टिक सकेंगे। आठ आठ दस दस मिटिंग्स कौंसिल होती जाती हैं। हजारों की तादाद म लोग इकट्ठे होते हैं और उनको परमिट नही दिया जाता है हालांकि मांग करते हैं। आपके सामने सब समस्यायें आती हैं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सारे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट पर ही बहस करने लग गये। जो यह बिल आया है उस बारे में कहें, पालिसी के बारे में कह सकते हैं लेकिन यह नहीं हो सकता कि सारे डिपार्टमेन्ट को ही आप क्रिटीसाइज करने लग जायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसकी अव्यवस्था के बारे में ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अव्यवस्था के बारे में नहीं कहें, आप तो सारे डिपार्टमेन्ट की बहस इस पर ले आये, बिल क्या है, किस लिये लाया गया है उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिन गाड़ियों पर टैक्स बकाया रह जाता है उनकी वसूली के बारे में अनियमितता बरती जाती है। मेरी गाड़ी में यदि पांच हजार की बकाया है तो उसको छोड़ दिया जाता है और

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दूसरों की गाड़ी में सौ दो सौ रुपया भी यदि बकाया है तो टैक्सेशन अधिकारी उसकी गाड़ी कुर्क कर लेते हैं। इस तरह से गरीब मोटर मालिकों की गाडियां बन्द करदी गई हैं, टैक्सेशन ऑफिसर के अटेचमेन्ट में पड़ी हुई हैं। इस प्रकार का पक्षपात इस टैक्स के संबन्ध में नहीं होना चाहिये। एक ही प्रकार की नीति रखनी चाहिये, टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में अगर छूट देनी है तो या इन्स्टालमेन्ट्स करनी हैं एक ही तरह की इन्स्टालमेन्ट की जाय ताकि सब लोगों को समान प्रकार से सहूलियतें मिल सके।

इसी प्रकार जितना भी मोटर व्हिकल्स पर टैक्सेज दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, गुड्स, पैसेन्जर्स, रोड़ टैक्स आदि सब टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं इस तरह से अलग अलग तौर से अलग प्रकार के टैक्स वसूल किये जाते हैं। उससे इस धन्धे पर बुरा असर पड़ता है। पैसेन्जर्स टैक्स लगता है, गुड्स टैक्स लगता है। परमिट के लिये अलग पैसा देना पड़ता है इस तरह से कई प्रकार के टैक्स होने से, इस धन्धे पर काफी असर पड़ता है उससे यह महसूस हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इन पर ज्यादा तादाद में टैक्स बढ़ रहा है। इस धन्धे को पनपाना है तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी ताकि लोगों को सहूलियतें मिलें। या तो आप इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिये जिससे सारे गुड्स और ट्रान्सपोर्ट को नेशनेलाईज कर दीजिये ताकि इससे होने वाली आमदनी का उपयोग सारी की सारी सरकार उठावे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जिन रूट्स का नेशनेलाईजेशन होना चाहिये वह नहीं हो पाता, जो रूट्स इतने बढ़िया चलते हैं उस पर यदि सरकारी गाड़ी लगा देवें, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। आप इस काम को भी पूरा नहीं कर रहे हैं आप कोई नेशनेलाई-जेशन की स्कीम निकालते हैं, तो उसके लिये हाई कोर्ट में रिट हो जाती है, और इसी तरह से वह मामला खटाई में पड़ जाता है।

प्राईवेट ऑपरेटर्स जो गाड़ियां चलाते हैं, पेसेन्जर गाड़िया चलाते हैं या गुड्स के लिये चलाते हैं उन पर यदि इसी प्रकार से भार बढ़ता गया तो इस धन्धे की कमर टूट जायगी और यह धन्धा आगे नहीं बढ़ पायेगा। आपको इस धन्धे को सहूलियतें प्रदान कर इसको आगे बढ़ाना होगा। या तो पूरे के पूरे को नेशनेलाईज करके सरकार अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावे और इस प्रकार से जो हाफ हार्टेड पालिसी आपकी चल रही है उससे दोनों काम बिगड़ रहे हैं। इसकी वजह से ट्रान्सपोर्ट में अव्यवस्था हो हो रही है। आपको कोई भी काम करना चाहिये, वह मजबूती के साथ करना चाहिये। इस सारे गुड्स और पेसेन्जर्स के तमाम ट्रांसपोर्टेशन को अपने हाथ में लेना चाहिये, यदि यह कर देते हैं तो हमें ज्यादा खुशी होगी। उससे जितना ज्यादा पैदा होगा उससे नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी तो रात दिन जो टैक्स लगाने की बात होती है वह नहीं आयगी यही मेरा इस संबन्ध में सुझाव है।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं):—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर गाड़ी करा-रोपण संशोधन विधेयक, १९६६ को मैंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जहां तक नई सड़कों के निर्माण का सम्बन्ध है और मौजूदा सड़कों की हालत सुधारने का सवाल है उसके लिये अतिरिक्त टैक्स लगाने का

(श्री चौसरसिंह बावेल)

प्रावधान किया है। मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि जिन रोड्स से होकर गाड़ियां निकलती हैं, मोटर गाड़ियां निकलती हैं उन रूट्स पर राज्य सरकार ने अभी तक सड़कें नहीं बनायी हैं जहां से रोजाना गाड़ियां चलती हैं जैसे बेंगू से नदवई मोटर जाती है डेली सर्विस है वहां पर सड़क नहीं है।

दूसरा राणा प्रतापसागर को जाने वाली सड़क बेंगू से राणा प्रतापसागर तक जाने वाली सड़क भी नहीं बन पायी है। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार सड़कों की दुरुस्ती न करे, नई सड़कें नहीं बनावे तब तक टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं। एक सड़क खराब हो जाती है उसको ठीक नहीं की जाती वैसी हालत में यह टैक्स किस लिये लगाया जाता है। ऐसी सड़कों पर गाड़ियां चलने से मोटर गाड़ियों के टायर खराब हो जाते हैं, इससे गाड़ी वालों को जल्दी से जल्दी टायर बदलने पड़ते हैं, उनकी मशीनरी खराब हो जाती है। जहां सरकार टैक्स बढ़ाने की बात करती है वहां रोड्स की हालत तो यह है। वैसी हालत में सरकार टैक्स बढ़ाती है तो यह बहुत अन्यायपूर्ण है इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। या तो आप पैट्रोल पर टैक्स बढ़ाते हैं, डीज़ल पर बढ़ाते हैं, पांच साल में आपने पांच गुना टैक्स बढ़ा दिया है। इस तरह से टैक्स बढ़ाने से ऐसे मोटर मालिक हैं जो खुद मोटर चलाते हैं उनको बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

इसके अलावा राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत पहले सौ रुपया दंड का होता था उसकी जगह २०० कर दिया अब उसके बजाय ३०० की तादाद बढ़ायी है वह न्यायोचित नहीं है। इस बारे में सरकार विचार करे इसको हटाने की कृपा करे।

यात्री लोग जो सफर करते हैं उनको भी काफी पैसा देना पड़ता है यह टैक्स का भार जाकर सीधा जनता पर पड़ता है। जो गाड़ियें कुर्क कर ली जाती हैं उन गाड़ियों को बाहर धूप में बरसात में खड़ी कर देते हैं, ट्रक्स बाहर खड़ी कर देते हैं इस तरह से तहसीलदार एस०डी०ओ० आदि भ्रष्टाचार करते हैं। मुकद्मे जो कोर्ट में जाते हैं वे बहुत अरसे तक फैसल नहीं होते। उन ट्रक्स आदि से बेगार करवायी जाती है इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। डीजल पर टैक्स लगा देने से कृषक को नुकसान पहुंचा है यह काश्तकारों के काम में आता है इसका सीधा असर काश्तकार पर पड़ता है।

आप जिन पर टैक्स पहले से बकाया है उनसे आप वसूल नहीं करते हैं। आपके जो मरजीदान हैं उनको आप छूट देते हैं इस तरह से भारी तादाद में टैक्स की रकम बाकी है।

हमें मालूम नहीं सरकार क्या सोच कर टैक्स लगा रही है। चार साल में आपने ३२ करोड़ का टैक्स लगा दिया। चौथी योजना में ३२ करोड़ के और टैक्स लगाने वाले हैं इसको समाजवादी सरकार न कह कर टैक्सी सरकार कहा जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। समाजवाद के नाम को क्यों शर्माते हैं। समाजवाद का एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं दूसरी तरफ जनता टैक्स के भार से दबी जा रही है, दिन प्रति दिन आप उन पर टैक्सों का भार बढ़ाते जा रहे हैं। आज जनता को रोटी, रोजी, कपड़ा, मकान नहीं, गरीबों की कोई

(श्री चौसरसिंह बाबेल)
सुनने वाला नहीं केवल समाजवाद का ढोंग रचकर समाजवाद नहीं ला सकते, आपको समाजवादी सरकार न कह कर टैक्सी सरकार कहा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

आज अकाल की स्थिति है उस हालत में सामान को इधर उधर लाने लेजाने में, घास के इधर उधर ले जाने में ये ट्रक्स ही काम आयेंगे, आखिर इसका सारा वजन गरीबों पर ही पड़ेगा, जिसकी भलाई की आप बातें करते हैं । उन गरीबों का खून चूसा जायगा। मैं और विशेष अर्ज नहीं करता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन हड्डी चूस करों के मारे जनता परेशान हो चुकी है। आप अपने रवैये को बदलें तो बहुत अच्छी बात है । दिल्ली, बंगाल और दूसरे राज्यों से दूने टैक्स यहां आपने लगा रक्खे हैं । आपकी सरकार ने इसे खुद ने मन्जूर किया है कि टैक्स ज्यादा हैं । कल इन्कार किया था मन्त्री महोदय ने, पर मेरे पास पुस्तिका नहीं थी । तो इस तरह से आप टैक्स लगाकर अन्याय न करें । मैं यह कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने टैक्स बढ़ाने का जो रवैया अपना रक्खा है यह बड़ा अन्यायपूर्ण है । सरकार एक ओर अनाप शनाप निरन्तर टैक्स बढ़ाती जा रही है, दूसरी ओर उसका निरन्तर अपव्यय भी करती जा रही है । फिर वह यह भी नहीं सोचती कि जिन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, उन पर क्या बीतती होगी ।

राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्रों में जहां रेलगाड़ियां नहीं जातीं, ट्रकों और बसों से बहुत सहूलियत होती है । मेरी कान्स्टीट्युएन्सी ऐसी है जिसमें ट्रक माल ढोने का बहुत अच्छा साधन बना हुआ है, जनता को इससे बहुत राहत है ।

आज जब दस हजार ट्रक वालों ने हड़ताल की तो उस क्षेत्र में साग सब्जी जैसी जीवनोपयोगी सामग्री तक लोगों को नहीं मिल पा रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति क्यों बनी ? आज एक ट्रक मालिक चालीस, पचास और साठ हजार खर्च करके ट्रक खरीदता है । इतना इन्वेस्टमेन्ट करने के बाद स्थिति क्या होती है । रजिस्ट्रेशन के लिये आर०टी०ए० के दफ्तर में जाता है तो छोटे छोटे क्लर्क ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसा एक साधारण गरीब के साथ भी नहीं करते । इसके अलावा बिना कुछ लिए दिये रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होता, अगर करा लेता है तो आगे के लिये हैरानी खड़ी कर लेता है, अधूरा काम होता है, दूसरों से खराब काम होता है पैसा देने वाले अपना सब काम करा लेजाते हैं । जितने रुपये रजिस्ट्रेशन में खर्च करने पड़ते हैं करीब उतना ही रुपया क्लर्क आदि दफ्तर के स्टाफ को रिश्वत के रूप में भी देना पड़ता है । पर राज्य सरकार को इसका आभास नहीं है । उसे तो टैक्स चाहिए । फिर कोई उसकी आड़ लेकर कितना ही लूटे सरकार आंख मूंदे पड़ी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बात सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रत्येक ट्रक को मेकेनिकल इन्सपेक्टर

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

से फिटनैस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब जब तक उसको ३०) रु० प्रति ट्रक के हिसाब से नहीं दिया जाता, वह फिटनैस सर्टिफिकेट देता ही नहीं, यह रिश्वत के भाव एक से नहीं हैं, कहीं अधिक भी हो जाते हैं, जयपुर में अमूमन यह रेट हैं, दूसरी जगह भी लगभग यही रेट होगी, वहां की मैं नहीं जानता। अब कोई बिल्कुल नया भी ट्रक है, ६५ या ६६ के मोडल का भी, तब भी वह बिना यह रिश्वत की फीस दिये सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, अगर लेने की कोशिश करेगा तो, उसको छः महीने का ही दिया जावेगा, वह भी बड़ी हैरानी के बाद, और वैसा ही बिल्कुल उससे मिलता जुलता भी अगर दूसरा ट्रक हुआ और उसने उसके रिश्वत की फीस दे दी तो उसको साल भर का मिल जावेगा। जबकि दोनों ट्रकों में रत्ती भर भी अन्तर नहीं, एक से हैं, अगर नम्बर प्लेट बदल दी जावे तो पता भी चलाना मुश्किल हैं। मैं इसकी मिसाल भी देता हूं। आर०एस०एल० ४६३६ नम्बर की ६६ की गाड़ी थी और उसी तारीख को उसी कम्पनी की एक साथ खरीदी हुई उसने ३०) नहीं दिये उसको कुछ महीने के लिये ही सर्टिफिकेट दिया। तो इस प्रकार का भेद भाव रिश्वत लेकर बरता जाता है।

इसी प्रकार आर०एस०एल० ४६३६ के साथ यह किया गया, उससे पुराने मोडल की २५५७ नम्बर की गाड़ी को ५०) रु० लेकर साल भर का सर्टिफिकेट दे दिया गया। अगर ये एक दो केस हों तो दर गुजर भी कर दें, पर यह तो लीगेलाइज जैसी स्थिति बनी हुई है।

ऐसी ही मिसाल ट्रक नम्बर आर०जे० आर० ३१००, आर०एस०एल० २७०७ की है। पहला ट्रक ६३ मोडल का है उसे एक साल का मिल गया। दूसरा हालांकि ६५ मोडल का है अच्छी हालत में है, पर उसे छः महीने का ही दिया। कारण स्पष्ट है, एक ने लीगेलाइज्ड सरीखा बना हुआ ३० रुपया दे दिया, दूसरे ने नहीं दिया, कहता रहा कि मैं क्यों दूं, मेरी गाड़ी बिल्कुल सही हालत में है, ६५ का मोडल है। देख लो, जांच कर लो। पर यह कौन सुनता है।

तो इस तरह ऐसी घटनाएं बताई जावें तो सैकड़ों की तादाद में हो सकती हैं। यह तो आम रिवाज होगया है। मैं अगले समय तक अगर मन्त्री महोदय यह सुना सकें कि अब यह रिश्वत हमने बन्द कर दी है तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

आज कौन नहीं जानता कि ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर की तनखा दो सौ, ढाई सौ से अधिक की नहीं होगी, पर वैसे उनकी आमदनी पांच सौ, हजार रुपया माहवार से कम नहीं है। जब इच्छा होती है इन्सपेक्टर जहां चाहे वहां जिस किसी भी ट्रक को चाहे रोक लेता है और कोई न कोई बहाना बना कर मन चाहे पैसे उससे वसूल कर लेता है। यह हाल हर जिले का है।

उधर पुलिस ने अपनी दुकान अलग जमा रखी है। हर ट्रैफिक की पुलिस का पैसा बंधा हुआ है। दस रुपया महीना हर ट्रक से वसूल किया जाता है जो उसके एरिया में घुसता है। इसकी आप जांच करावेंगे तो आपको अन्दाज लगेगा।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

दस रुपया लेने के बाद फिर भी अभयदान उसको महीने भर का मिल जावे यह भी मुश्किल है, बीच बीच में जब मन में आया आ धमकते हैं और मनमाना पैसा और ऐंठ ले जाते हैं। अगर पैसा नहीं देते हैं तो कुछ भी नहीं होते हुए चालान अवश्य हो जावेगा। अब रोता रहे ट्रक वाला अपना धन्धा छोड़कर कचहरी में पेशी कराता। तो इस तरह से इसको भी एक कानूनी मान्यता मिली हुई है। यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है।

अब एक्साइज और टैक्सेशन की चेक पोस्टें जो हैं उन पर भी नियम बन गया है। हर ट्रक से पांच रुपया वसूल करते हैं। यह भी लगभग आम रिवाज सा बन गया है। इसी तरह जिस नगरपालिका की सीमा से ट्रक निकलेगा, वहां की चुंगी के अलावा हर ट्रक से चुंगी क्लर्क लोग हैरान नही करने के नाम से आठ आना, बारह आना या चार आना जैसी जिसकी हैसियत होती है उनसे वसूल करत हैं। अपने खुद के लिये।

ऐसी बातें बहुत तेजी से चल रही हैं, लोग हैरान हैं, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार तो यह समझती है कि उसे तो करों के रूप में अधिक से अधिक रुपया मिलता रहे, ताकि इसे सहकारिता और पंचायत समितियों में पानी की तरह से अपने आदमियों के लिये अपनी पार्टी के हित के लिये पानी की तरह से बहाया जा सके, उसमें गबन होते रहें, करते रहें। गबन हो, अपव्यय हो इस ओर उसका ध्यान नहीं। वह तो नये नये तरीके सोचती रहती है कि ऐसे कौनसे तरीके हो सकते हैं कि जिन पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, एमर्जेन्सी में बोर्डर पर ट्रक भेजे गये। आज उनका पेमेन्ट उनको नहीं मिल रहा है। कभी जोधपुर और कभी जयपुर के वे चक्कर काटते फिर रहे हैं। अगर चाहेगी सरकार तो इन सब की सूची मैं दे दूंगा उसको।

इसके अलावा ट्रक वालों से सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले और आर० टी०ओ० के अधिकारी, कलेक्टर, एस०डी० ओ० आदि जबरन बेगार लेते रहते हैं और इस बेगार के अतिरिक्त भी लाखों रुपया जबरन चन्दा का भी वक्त वक्त पर वसूल करते रहते हैं। अभी कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर मुझे मालूम हैं रसीदें मैंने देखी हैं। ट्रक आपरेटरों से १,६२,८०० रुपया जबरन चन्दा के नाम से वसूल किया है। अगर सरकार या मंत्री लोग चाहें तो मैं वे रसीदें जो उनको दी गई हैं बतला सकता हूं।

मैं साथ ही यह दावे के साथ कहता हूं कि इन ट्रक आपरेटरों में से उनके मालिकों में से किसी ने वालन्टरी चन्दा नहीं दिया है। हरेक से आर०टी०ओ० के दफ्तर में आर०टी०ओ० के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के दबाव से उनकी मार्फत वसूल किया गया है। कांग्रेस के दफ्तर में जाकर एक आदमी ने भी एक पैसा नहीं दिया है। यह घृणास्पद बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप दो-चार आदमियों के नाम तो बताएं।

Page No.48

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप नाम सुन लीजिये । नाम ही सुनना है तो मैं तो बता रहा था, बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं ?

जिनसे जयपुर के आर०टी०ओ० के दफ्तर में बुलाकर रुपया वसूल किया गया है उनके नाम हैं, [××××]

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनके लिये रसीदें दी गई हैं । यह तो

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): वे रसीदें सरकार की नहीं हैं । चन्दा वे भी दे सकते हैं । वे भी नागरिक हैं, आप भी पार्टी के लिये उनसे लेते हैं । आपको भी वे देते हैं, हमें भी देते हैं । हम रसीदें देते हैं । आखिर गुनाह क्या हो गया । मेरा गला आज जरा काम नहीं कर रहा है, वर्ना और भी ज्यादा मैं बोलता ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : चन्दा देने से मुझे आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति यह है कि आर०टी०ओ० और पुलिस अधिकारियों के दबाव के नीचे जो चन्दा दिलाया गया है वह ऐतराज के काबिल है, वॉलन्टरी वे दें तो सही बात है, वे नागरिक हैं, दे सकते हैं । आप उनसे पूछ लीजिये कि उन्होंने वॉलन्टरी दिया है या कैसे दिया है । एक भी नहीं कह सकता कि वॉलन्टरी दिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तो ट्रक मालिक की शिकायत दीजिए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं वह भी बताता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): वह आ ही नहीं सकती, उन्हें तंग होना है क्या?

श्री राधाकृष्ण गोयल : जयपुर के आर०टी०ओ० दफ्तर में ट्रक आपरेटर्स से जबरन चन्दा वसूल किया गया और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे जब चन्दा लिया गया ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप लिखी हुई शिकायत बताइए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप बीच में क्यों उछलते हैं ? आप इस पर जांच कीजिए आप खुद अंधेरे में रहते हैं और अंधेरे में ही दूसरों को भी रखना चाहते हैं और लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं । आज आर०टी०ओ० और पुलिस की मारफत ट्रक आपरेटर्स से चन्दा जबरन वसूल किया है और आप बीच बीच में यों ही उछलते हैं । मैं आपको लिस्ट देता हूं और मैं चेलेन्ज करके कहता हुं कि एक आदमी भी यह कह दे कि मैंने चन्दा वॉलन्टेरिली दिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : एक भी ट्रक मालिक की आप शिकायत करवा दीजिये !

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या कहा मिनिस्टर साहब ने ?

श्री मथुरादास माथुर : आप एक भी ट्रक आपरेटर की शिकायत भिजवा दीजिए कि दबाव कर के सरकारी अफसरों ने चन्दा वसूल किया है तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

×××× अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार रेकार्ड नहीं किया गया ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अगर मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि जो रुपया उनसे दबाव देकर लिया गया है वह उनको वापिस लौटा दिया जायेगा तो मैं एक ही नहीं बल्कि प्रत्येक की शिकायत को लिखवा कर दे सकता हूं। जब आप गला घोट कर चन्दा लेते हैं तो आप शिकायत सुनेंगे क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : आज मैं जोर से नहीं बोल सकता....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आज इनका खुद का गला घुटा हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप नहीं भी बोलें तो भी हम जानते हैं कि क्या उत्तर आने वाला है। आप सब जानते बूझते अनभिज्ञ बन रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपका चार्ज है कि दबाव से ट्रक आपरेटर्स से चन्दा लिया गया है, तो जिस शख्स से चन्दा लिया गया है उसकी शिकायत मेरे पास करवा दीजिए, मैं जांच करूंगा। वर्ना आपतो रोज मिनख मारो और रोज ही शिकायत कर देते हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बस लीपा पोती होती है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं माननीय मंत्री महोदय के सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन आप क्या इस बात का आश्वासन देते हैं कि वह शिकायत यदि सही पाई गई तो आप वह रुपया वापिस लौटा देंगे और जिन्होंने गलती की उनको पनिश करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अगर शिकायत सही साबित हुई कि दबाव डालकर लिया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री राधा कृष्ण गोयल : मैं आपको बताता हूं उनके नाम और आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा और आपने स्वीकार किया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप बुलाकर पूछ लेना। [× × × ×] से २५०-२५० रुपये दो बार लिए गये।

श्री अध्यक्ष : कोई भी नाम प्रॉसीडिंग्स में दर्ज नही किये जायेंगे। अगर कोई शिकायत हो तो मंत्री महोदय को दे दें; सदन में रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : शिकायत किस से करें ? जब सरकार खुद ही गला घोटकर चन्दा वसूल करती है और वह भी अपनी संस्था के लिए किया जा रहा है तो शिकायत किस को करेंगे ? ऐसी कोई जगह तो है नहीं कि जो सरकार के ऊपर हो और फिर आप चाहते हैं कि आप उनको और तंग करें। आपने उन दिनों इनसे १ लाख ६२ हजार और ८०० रुपये लिए। किसी को भी बुला कर पूछ लीजिए कि किसी ने वॉलन्टरी दिया है क्या ? मैं हर एक के लिए कहता हूं और मैं लिस्ट अभी दे रहा हूं। आप किसी को भी बुला कर पूछ लो....

श्री अध्यक्ष : आपको अधिकार क्या है उनकी तरफ से बोलने का ? अगर है तो लिखकर दो। इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। आपको कोई बात कहनी है, ठीक है, आपने तो

[× × × ×] अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार रेकार्ड नही किया गया।

Page No.50

(श्री अध्यक्ष)
चलते हुए बात कह दी लेकिन यह नहीं कि आप अपना सारा भाषण उसी पर आधारित कर दें। अब आप बिल पर बोलिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जब मंत्री जी ने चक्करदार बात कही

श्री अध्यक्ष: कोई चक्करदार बात नहीं कह रहे हैं। चक्करदार बात तो आप कर रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि इसी अधिवेशन के समय में कई ट्रकों से बेगार ली गई

श्री अध्यक्ष : अब आप विधेयक पर बोलिये। इस तरह से तो कोई निराकरण नहीं हो सकता।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जिसकी शिकायत हुई है उसको बताना चाहता हूं। एक मेकेनिकल इन्सपेक्टर के यहां आर० टी० ओ० के दफ्तर में एक ट्रक गया तो उस ट्रक वाले से कहा गया कि तुम कांग्रेस अधिवेशन में जाओ और वहां पर काम करो। वह वहां पर फिटनेस के लिए गया था और जब वह अधिवेशन में काम करने गया तो उसकी मियाद निकल गई और उसका मेकेनिकल एग्जामिनेशन नहीं किया। तो उस ट्रक ऑनर ने "दी देन कलेक्टर" मिस्टर राय को शिकायत की कि मुझे जबरन कांग्रेस अधिवेशन का जहां काम चल रहा था वहां भेज दिया और जो मेकेनिकल एग्जामिनेशन की डेट थी वह मेरी गलती से नहीं निकली। यह शिकायत लिखी हुई मौजूद है। आप देख लें और अगर आप चाहें तो मैं ट्रक का नम्बर भी दे दूं....

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : [××××] का ट्रक है।

श्री मथुरादास माथुर : किसको शिकायत की, किसने शिकायत की, कौनसी तारीख को की और किस समय की?

श्री राधाकृष्ण गोयल : कलेक्टर मिस्टर राय को और जो डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी हैं, उनको की और वह शिकायत मौजूद है

श्री मथुरादास माथुर : शिकायत तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं मिनिस्टर हूं या वे मिनिस्टर हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : हर ड्राइवर आपके पास थोड़े ही पहुंच सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : कोई दरख्वास्त की नकल नहीं। अब मैं कलेक्टर के दफ्तर में कहां ढूंढता फिरूं। मुझे शिकायत कीजिए मैं जांच करने के लिए तैयार हूं जो कोई करता नहीं है। शिकायत कोई करता नहीं है और कह दिया कि जोधपुर हाई कोर्ट में शिकायत कर दी। वहां कर दी तो फिर वहीं जाओ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, खैर मैं अभी इस बात से....

श्री अध्यक्ष : अब आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

[××××] (अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार रेकॉर्ड नहीं किया गया)

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाया है वह इस आधार पर बढाया है कि रोड्स में इम्प्रूवमेंट किया जायेगा इसलिए। इनको जो सहूलियतें मिलेंगी उसके बदले में टैक्सेशन इनसे लिया जायेगा थोड़ा ज्यादा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रोड्स की हालत जितनी खराब है उतनी नेबरिंग स्टेट्स में कहीं नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान की रोड्स कहीं ज्यादा अच्छी हैं, मैं चैलेंज करके माननीय सदस्य से कहता हूं कि वह मध्य प्रदेश और यू० पी० की सड़कों से हमारे यहां की सड़कों का मुकाबिला करें तो।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सड़कों की हालत देखेंगे तो वहां की राजस्थान से कहीं ज्यादा अच्छी निकलेंगी। मंत्री महोदय कुछ दिन पहले ही शायद गंगापुर का दौरा करके आये हैं। यहां से हिण्डौन, टोंक से सवाई माधोपुर, यहां से कोटपुतली आदि सड़कों की हालत देखेंगे तो यहां एक व्हिकल का टायर ३ महीने से ज्यादा नहीं चलता और जब कि यू० पी० और पंजाब में ६ महीने उन टायरों का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर रोड्स की हालत खराब नहीं हो तो फिर ट्रक्स की इतनी खराब हालत क्यों हो। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के टैक्स में बढ़ोतरी की है वह अत्यंत ही ज्यादा अनुपात से की है। जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ जगह २० परसेन्ट बढ़ाया है जो कि बहुत ज्यादा है।

जैसे राजस्थान भर का परमिट दिया जावे तो गुड्स टैक्स पर ६० प्रतिशत बढ़ाया है और एक रीजन का परमिट देवे और ६ टन से ज्यादा का भार गाड़ी का हो तो ६५.५ प्रतिशत टैक्स बढ़ाया है और यह टैक्स इतना अधिक बढ़ाया गया है कि जो बिल्कुल असह्य है और इसका भार बस ओपरेटर्स पर तो जितना होगा वह तो होगा ही पर इसके साथ जो कंज्यूमर्स हैं, जनता है और खास करके उन स्थानों के निवासियों पर जहां कि रेल से कनेक्शन नहीं है, वहां के निवासियों पर इसका भार बहुत ज्यादा होगा। आज वैसे ही महंगाई बढ़ीहुई है और इस महंगाई के साथ साथ अकाल की स्थिति है और और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, लोग किसी तरह से जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह भी मुश्किल से कर पा रहे हैं, उस पर आपने यह टैक्सेज का भार बढ़ा दिया है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगने से, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स बढ़ने से वस्तुएं और महंगी हो जायेंगी और जो ताजा वस्तुएं, साग सब्जी, फल-फूल, अण्डे, मीट वगैरा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिदिन जाते हैं उनके भी भाव महंगे हो जायेंगे और उनका वजन भी साधारण जनता को उठाना होगा। तो अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों की ओर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, उनको तो टैक्स बढ़ाना है, जो पैसे की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिये कोई न कोई साधन जुटाना है, उसके लिए कभी इधर हाथ मार दिया तो कभी उधर हाथ मार दिया और इस प्रकार ट्रांसपोर्ट व्हिकल्स पर भी टैक्स बढ़ा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बड़ी नम्रता से एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। वैसे इससे अभी कोई मेरा सीधा

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

सम्बन्ध नहीं है। आज अर्ध रात्री से दस हजार के करीब ट्रक मालिकों ने राजस्थान में हड़ताल आरम्भ कर दी है। इसके दो दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। पहला तो जनता को जो चीजें समय पर और ताजा उपलब्ध हो सकती थी उस उपलब्धि का अभाव हो गया है। इसके साथ साथ उन दस हजार ट्रकों पर पचास हजार कर्मचारी और पांच हजार के करीब मालिक हैं, वे सब बेकार हो गये हैं और बेकारी की अवस्था में वह इस जन जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात के लिये कि पचास हजार, पचपन हजार के करीब आदमी जयपुर में विशेषकर और और भी बड़े २ शहरों में बेकार पड़े हैं, तो बेकार नहीं पड़े रहने चाहिएं और जैसा कि कहते हैं कि एम्प्टी माइण्ड इज ए डेविल्स वर्कशोप। जब आदमी बेकार रहता है तो कुछ भी कर सकता है, अपनी धुन में आकर। वैसे भी राजस्थान की स्थिति साधारण है उसमें कुछ असाधारण स्थिति पैदा करने का नुक्ता ला सकते हैं इसलिए इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। दो लाख रुपये के लगभग बस ओपरेटर्स को जो नुकसान होगा तो उसको तो वे उठायेंगे ही लेकिन राज्य सरकार के कोष में भी रुपया नहीं आयगा और जनता का भी नुकसान होगा। आखिर में वे भी तो वहां के, राजस्थान के ही नागरिक हैं और अगर उनका नुकसान होता है तो यह राजस्थान का ही नुकसान है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, यू० पी०, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे भी राजस्थान में होकर ट्रक्स का आवागमन रुक गया है और इस तरह से जो ट्रक्स दूसरी स्टेट्स के राजस्थान में होकर जाते थे, बम्बई का माल यू० पी० जाता है, बम्बई का माल दिल्ली जाता है, तो वह राजस्थान में होकर ही जाता है उनका आवागमन भी रुक गया है। ऐसी स्थिति में उन लोगों में भी एक प्रकार भी अव्यवस्था बन रही है। अतः राज्य सरकार को जो कुछ भी स्थिति बन रही है, उसको जल्दी से जल्दी रेगुलर करने के लिये ध्यान देना चाहिये और राज्य सरकार यदि यह अनुभव करे कि यह जो कर बढ़ाया गया है वह अवैज्ञानिक है, उसका परिणाम जनता के हित में अच्छा नहीं होने वाला है और इससे जनता पर बोझ बढ़ेगा और बस मालिकों में भी एक प्रकार से असंतोष होगा तो सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, गम्भीरता से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसी स्थिति लानी चाहिए कि जिससे सबको संतोष उपलब्ध हो सके।

श्री अध्यक्षः—श्री मानधातासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एक प्रस्ताव किया है उस सिलसिले में यह बात तो सही है कि सरकार को विकास के लिए अगर काम करना है और आगे बढ़ना है तो टैक्सेज इनएविटेबल हैं, वह लगेंगे और उनके लगने से आज यह भी पता चलता है कि हम विकास कर रहे हैं। आज ट्रांसपोर्ट के मामले को ही ले लीजिए। इस आवागमन के अन्दर कितनी जरूरतें जनता की बढ़ गई हैं। यह जरूरतें इतनी बढ़ना, पहले से गाड़ियों का दुगुना चौगुना हो जाना इस १८-२० साल के अन्दर, यही इस बात का द्योतक है कि राजस्थान तरक्की कर रहा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
आज जो आदमी गांवों में और दूसरी जगह रुके हुए थे, आज उनकी माली हालत इस कदर हो गई है कि वे चलना चाहते हैं। सामान जा रहा है, सामान आ रहा है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम पहले बहुत दूर थे, राजस्थान बहुत बड़ा लगता था, आज हमारे आदमियों के लिए इस ट्रांसपोर्ट के जरिए आज राजस्थान छोटा हो गया है। हम आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। छोटी से छोटी दुनियां की नायाब चीजें जिनको देखने कि लिए लोग जाया करते थे वे सब आज गांवों में मिलती हैं, गांवों में पहुंचती हैं। यह सब इस बात का द्योतक है कि राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में जो मैंने प्रस्ताव किया है कि इसके ऊपर आम जनता में विचार की जरूरत है, उसका कारण यह नहीं है कि हमको टैक्सेज नहीं लगाने हैं। हमें टैक्सेज लेने हैं और लेकर विकास की गति को तेज करना हैं। हम भी चाहते तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं हम भी सारे टैक्सेज को छोड़ कर बड़ी आसानी से वाहवाही लूट सकते थे, लेकिन इस कांग्रेस की इस देश के अन्दर कुछ जिम्मेदारी है और उसे उस जिम्मेदारी को पूरा करना है और इस कीमत पर भी पूरा करना है, जनता को समझा कर जनता से कह कर कि तुम्हारे विकास के लिए यह काम होना जरूरी है, तुम्हारी आने वाली पीढी की खुशहाली के लिए और हिन्दुस्थान की तरक्की के लिए यह सब टैक्सेज जरूरी हैं, यह हम भी जनता को समझा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस टैक्स को जो आपने बढाया है उसका कोई ऐसा बेसिस होना चाहिए कि जिससे हमारी समझ में आए कि जो टैक्सेज इतने बढाए हैं वे जायज हैं, और टैक्सेज के जायज होने में एक ही बात आती है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी मिनिस्टर बैंच पर नहीं बैठता है....

(श्री परसराम मदेरणा और श्री मथुरादास माथुर राजकीय दीर्घा में बैठे अधिकारियों से बात करने के लिए गये और श्री ज्वालाप्रसाद के उपरोक्त शब्दों पर श्री मथुरादास माथुर ने हाथ से इशारा किया)

इस तरह हाथ उठाने से क्या होता है, मैदान में बैठो। अध्यक्ष महोदय, सब ट्रेजरी बेंचेज खाली हैं।

श्री अध्यक्ष: मैदान छोड़ गए आपके सामने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: किससे बात करें? अध्यक्ष महोदय, यह सदन में बड़ी सीरियस बात है, दूसरे सदन में इस तरह से नहीं चल सकता। इस तरह से कम से कम कुछ फोर्मेलिटीज, कुछ कर्मकाण्ड ऐसे हैं जिनके बगैर सदन का काम नहीं चल सकता। आपके मार्फत क्या बेंचों से बातें करें?

(श्री मथुरादास माथुर ने स्थान ग्रहण किया)

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन में ही मौजूद हूं। माननीय सदस्य के चश्मा होते हुए भी नजर नहीं आता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात सही कही है। अगर इन्हें कंसल्टेशन करना है तो अपने बंगलों पर करें, यहां बैठ कर हमारी बात सुनें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): माथुर साहब के यंत्र लगा हुआ है, यहां होते हुए भी दिखता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके कहने से पहले तो यंत्र मेरे लग जाता है ।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं कोई मोटर मालिकों की तरफदारी नहीं करता, अगर कोई मजबूरी है तो बराबर उनके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए, मैं यह मानता हूं, लेकिन आज मैं इन टैक्सेज को देखता हूं तो मैं टैक्सेज के उपर गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहता हूं । यहां पर जितने टैक्सेज लगाते हैं तो यह कुनबा टैक्स लगाने वालों का बढ़ता ही जाता है । दूसरे मुल्कों में भी टैक्स लगे हैं लेकिन आप तो जिन पर टैक्स लगाते हैं उसको बेईमान मान कर ही चलते हैं । यह मान कर चलते हो कि जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है वह बेईमान है वह टैक्स नहीं देगा । यह दशा स्वतंत्र भारत में बिल्कुल गलत है । जब टैक्स लगाया जाता है तो यह कहा जाता है कि उस पर सौ की जगह दो सौ तीन सौ का जुर्माना कर देंगे, यह इस एक्ट में कहा है । मैं आपसे कहता हूं कि टैक्स कलेक्शन के लिए आपको इतनी जमानत बढ़ाने की जरुरत क्या है । मैं यह मानता हूं कि आप एक तारीख निश्चित कर दीजिए, इन टैक्स देने वालों के लिए और एक नोटीफिकेशन के जरिये यह नोटीफाई कर दीजिए कि जो टाईम से टैक्स नहीं देगा उसके उपर एक हजार गुना फाइन होगा । हजार रु०, दो हजार रु० फाइन होगा, इससे आपकी मशीनरी कर्टेल होगी जो आदमी टैक्स इवेड करे । जो उस निश्चित तारीख तक टैक्स का रुपया सीधा ट्रेजरी में जमा नहीं कराए तो उस आदमी पर आप इतना फाइन कीजिये कि उसकी मोटर ही नहीं रहे, उस पर इतनी जबरदस्त पैनल्टी होनी चाहिए कि उसकी मोटर तक न बचे और इस तरह से आप टैक्स देने वाले आदमी को ईमानदार बनाइए । सब को एक ही तरह से घसीटना और सबको बेईमान समझना कि वे टैक्स नहीं देंगे, कभी वाजिब नहीं है । आप यह करिए कि फलां तारीख तक अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उसके पन्द्रह दिन बाद टैक्स ड्योढ़ा हो जायगा । और १५ दिन बाद देगा तो दुगना हो जायगा और २ महीने तक नहीं देगा तो १०० गुना लगेगा, ताकि वह फर्म ही खत्म हो जाती है ।

यहां तो यह है कि पहले रिटर्न दे, फिर उसकी जांच करेंगे, फिर निगोशियेशन्स चलेंगे और फिर गलती देखी जाती है । एक इस तरह की कार्यवाही खोल रखी है, इस तरह की अन्धी मजिस्ट्रेटी खोल रखी है कि जिनके अन्दर जूते घिस जाते हैं टैक्स देने वालों के । वह बेइज्जत होता है जो कि कस्टमर है सरकार का । जो टैक्स इकट्ठा करके देता है । सरकार में उसकी इज्जत नहीं और अफसर की ही सब कुछ इज्जत है । मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह से टैक्स वसूल करने में और टैक्स वसूल करने के बाद भी इतना इवेजन है, इतनी चीज इसके अन्दर गायब है कि जो टैक्स लगा हुआ है वही पूरा वसूल हो जाये और कोई टैक्स मत लगाओ तो भी आपको तिगुना टैक्स वसूल होने वाला है । इसको जो खा रहे हैं । वह खा रहे हैं बिचोलिये । जुर्माना १०० से २०० किया गया तो उससे मामूली फर्क पड़ेगा । जिससे आप

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

एक दो महीने का टैक्स ८००-९०० लेते हैं उसके लिए आप १०० से लेकर २०० या तीन सौ का एमेंडमेंट लाते हैं। जहां टैक्स वसूली की बात है, जहां जुर्माने की बात है यह मशीनरी उनको एन्करेज करना चाहती है कि तुम कानून को तोड़ो और तोड़ने के बाद डरो मत और हम से निगोशियेशन्स हो जाये तो छूट जाओ और निगोशियेसन्स न हो तो २००-३०० में पीछा छूट जायेगा। ज्यादा जुर्माना नहीं करते हैं। मैं कहूंगा कि सरकार को इस कानून के जरिये पूरा टैक्स बसूल करना है तो उसके लिए १ या दो हजार का जुर्माना रखना चाहिए। इनके ऊपर जुर्माना तो १०० रुपये बढ़ाते हैं और टैक्स कितना बढ़ाया है? कहीं २ तो ३०० परसेन्ट तक टैक्स बढ़ाया है, लेकिन जुर्माने की रकम बढ़ाते हुए आपको बुखार आता है। क्यों बुखार आता है? जो टैक्स इवेड करते हैं उनके ऊपर २०० और ३०० का जुर्माना और १०० रुपया बढ़ाते हैं। कौन सा फण्डामेन्टल रूल है जुर्माने की रकम का। जो प्रोसीक्यूशन सेक्शन इसके अन्दर रखा है तो क्या जस्टीफिकेशन है पेनाल्टी की रकम रखने का ५० हजार की जो गाड़ी चलाता है उसके ऊपर १०० रुपये के जुर्माने से आप कन्ट्रोल करना चाहते हैं कि टैक्स इवेजन न करें तो मैं समझता हूं कि यह हास्यास्पद है। इसके अन्दर टैक्स अपने आप आये उसके लिये जुर्माना इतना रखिये, पेनाल्टी इतनी रखिये, सैम्पल सर्वे रखिये। स्टाफ को छुट्टी दे दें। इतना हैवी टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो रहा है। इनकी नीयत साफ नहीं है। जुर्माना १०० रुपया और टैक्स ५१ पर्सेन्ट बढ़ाते हैं।

अब जहां तक टैक्स का सवाल है इस पर जो कागज देते हैं सदन में, अध्यक्ष महोदय, उसमें यह नहीं बतलाते हैं कि पहले कितना टैक्स था, उससे पहले साल कितना टैक्स था। केवल टैक्स की रकम दे देते हैं। वह यह समझते हैं कि इनके पास इतने साधन नहीं हैं। एक एल०एम०पी० ए० नहीं रख सकते हैं कि जिसकी वजह से वह देखकर बतलाये कि क्या कारस्तानी और क्या कारीगरी की है। इस चीज को करके सरकार हमको डाज करती है। यह नहीं बताते हैं कि कितना पैसा कहां पर बढ़ा है, लेकिन यह कागज दे देते हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि किस कदर किया है। वैसे हम सुनते हैं लेकिन सरकार की तरफ से आथोराइज्ड चीज मालूम नहीं होती है कि आया क्या किया है, किस तरह से टैक्स बढ़ाया है, उससे कितनी रकम बढी है, कितना टक्स ज्यादा लेना चाहते है, पहले कितना टैक्स था, उसके पहले कितना बढ़ाया है, यह कोई चीज साफ नहीं करते हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ा डिस्क्रीशन रखते हैं। मैंने कई दफा कहा है कि मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं कि बहुत बड़ा टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगाने के बाद लोगों से, व्यापारियों से नेगोसियेशन्स हो जाते हैं तो टैक्स को छोड़ देते हैं। रील के एक फीट पर बहुत बड़ा टैक्स लगाते हैं लेकिन उसको यह कहकर छोड़ देते हैं कि टाइमली टैक्स नहीं आ रहा था। सरकार को इस तरह का डिस्क्रीशन नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज सख्ती के साथ होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कानून लाये हैं तो इस टैक्स को वसूल करोगे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
या नहीं ? इस तरह से आपस में बात करके अपने कमरे में बुलाकर नेगोसियेशन्स करके उस टैक्स को छोड़ेंगे या नहीं ? (श्री मथुरादास माथुर के बैठे बैठे गरदन हिलाने पर) इस तरह से नहीं मुंह से बोलें और कहें ।

श्री मथुरादास माथुर : जो यह सदन पास करेगा टैक्स, उस टैक्स के अन्दर कोई भी रियायत नहीं दी जायेगी ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ठीक है, यह आपने दे दिया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठे हुए) इन्होंने कहा है वह लिखा नहीं गया है । धीरे से बोले हैं ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : तो मैं रिपोर्ट कर दूं कि जिससे लिखा जाये कि इन्होंने यह कहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, मैंने यह कहा है कि जो यह सदन टैक्स पास करेगा उसमें से एक पैसा भी कम नहीं किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह मत दो एश्योरेन्स । यह कहो कि ज्यादा नहीं किया जायेगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं इस एश्योरेन्स से सेटिस्फाइड हूं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह सवाल कांग्रेस बैन्चेज की तरफ से पूछा जा रहा है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : जी हां, आप और मैं दोनों ही कांग्रेस मेन हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह चीज इसलिए कह रहा हूं कि इससे आम जनता में अविश्वास पैदा होता है एक्जीक्यूटिव पर । उनके ऊपर टैक्स लगाया ६ लाख का, वह आने लगा दो लाख का तो दूसरी दफा लगाया ६ लाख का, आज तक आया है क्या ? टैक्स लगाया सिनेमा की सीटों पर तो सिनेमा के मालिक आप से मिले और उसको रिड्यूस कर दिया । हम समझते हैं कि सदन की प्रतिष्ठा के लिये यह काफी जरूरी है कि आप इस सदन में अच्छी तरह से सोच लें । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह कहेंगे कि १० हजार ने कर दी हड़ताल और कोई आकर कहेगा कि ५० हजार आदमी बेकार हो गये तो उस बेकारी के दबाव में मत करिये । जो कुछ करना है यहां करिये । इसको खींच खींच कर कबड्डी मत बनाये कि जिससे सांस भर जाये ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कबड्डी का यहां क्या लेना देना ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह अब भी करेंगे एजीटेशन । फिर उसका हो जायगा फिर जुलूस निकालेंगे, निगोशियेशन्स होंगे और फिर ये लीडर लोग जायगे कि हमारा सत्यानाश हो गया । हम सरकार को देख लेंगे । और देखने के बाद हम लोग तो वहीं रह जायेंगे और सरकार को देखने वाले लोग आपके साथ बैठ जायेंगे ।

डेमोक्रेसी का यह मतलब नहीं है । डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि वैलथोट चीज हो । यहां पर २०० आदमी विचार कर रहे हैं तो कौनसी ऐसी चीज है कि जो आपके सामने नहीं आती है, और उसके आने के बाद अगर बढ़ाने की जरूरत है

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)
लगाने की जरूरत है तो अवश्य लगायेंगे । इसलिए मैं यह अर्ज कर रहा हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मेरे ख्याल से बढ़ाने का सवाल तो कौल साहब की मर्जी मुबारक पर मुनहसर है । एक भी चीज साफ नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस बात का मैं स्वागत करता हूं । मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क के अन्दर जो डेटाज इकट्ठे किये जाते हैं और सेच्यूरेटेड पोइंट पर किसी जगह टैक्स पहुंचता है तो उसकी मिकदार और साइन्टिफिक एनेलेसिस करने वाले नहीं हैं । इनके स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट है, लेकिन इनको समझाने की यह कोशिश नहीं की जाती है कि इन बस वालों ने इस के अन्दर इतना पैदा किया है और पैदा करने के बाद टैक्स को बढ़ाया है तो इस बढ़ने के बाद जो कमाई हुई है तो उस कमाई के अन्दर हमारा हिस्सा है । यह जस्टिफिकेशन इस सरकार की तरफ से नहीं आता है । इसके बाद पेसेन्जर्स टैक्स और दूसरे टैक्सों की बात नहीं आती । लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आपकी रोडवेज है वह रोडवेज नहीं चलेगी और रोडवेज मूव करेगी इस चीज को और इन सब की जिन पर यह टैक्स लग रहा है वह हिमायती बनेगी रोडवेज और यहां पर जनता को चूसने के लिए आप से टैक्स बढ़ाने के लिए कहेगी । मैं आज आपको इस बात के लिए कहता हूं कि आप क्या कहते हैं, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ? रोडवेज वाले आकर कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे ? वह कहेंगे कि आपने टैक्स बढ़ा दिया तो हम पैसा बढ़ायेंगे तो आप पेसेन्जर टैक्स बढ़ायेंगे, पैसा वसूल करें या नहीं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : किस पर बोल रहे हैं ? किस सेक्शन पर बोल रहे हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : रूल्स के अन्तर्गत है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपने पढ़ा नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपसे ज्यादा पढ़ा है और पढ़ने के बाद कह सकता हूं कि उस सेक्शन से हम सब जिस खड्डे में गिरने जा रहे हैं । जनता नहीं कहती है । हमारा कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है । कल आप जनता की गरदन पकड़ेंगे । मैं इस बात की आपको चेतावनी देता हूं कि आप जनता की गरदन तब पकड़ेंगे जब आपका कारपोरेशन डूब जायेगा जिसमें इस सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है । वह कहेंगे कि इस पेसेन्जर टैक्स से हम मर जायेंगे, इस ५१ पर्सेन्ट से मर जायेंगे । जनता तो तब भी चिल्लायेगी । दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं और जब दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप खुद करेंगे । इन बसों में घाटा लगने लगेगा और आपकी सरकार और उसके ये हिमायती उनके हिमायती बन कर कहेंगे ।

आज सबसे बड़ा भार ट्रान्सपोर्ट पर है । राजस्थान सरकार ने दोनों साइड्स को नहीं देखा तो कैसे चलेगा । मैं आज वार्निंग देता हूं, इन शब्दों की याद दिलाता हूं आप आने वाले हैं लीडर बन कर, आप लाने वाले हैं आर० टी० एस० का माइलेज बढ़ा देना चाहिये । माइलेज बढ़ने से यह सारा टैक्स जनता पर लगने वाला है । यदि जनता पर लगने वाला है तो आप इसको रेशनल बनाइये, जो चल जाय वह बात करिये और जो नहीं चले वह बात मत करिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो सात दिन में अपना प्रतिवेदन दे । मैं यह निर्णय लेकर चलता हूं, कि प्रवर समिति में यह नहीं जाने वाला है, आज ही पास होगा। जैसा कि विरोधी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने बताया है । दूसरी स्टेट्स में मोटर गाड़ियों पर कर कम लगता है । मैं मंत्रीजी से आशा करूंगा कि वे हमको बता दें बिल पास होने से पहले कि पड़ौसी रियासतें, यू० पी०, मध्य प्रदेश, गुजरात में मोटर गाडियो पर कितना टैक्स लग रहा है। यदि यह मालूम हो जाय कि कितना टैक्स लगता है तो मैं समझूंगा कि नया कर वाजिब है।

यह बताया जाता है कि १० हजार मोटर चलाने वाले हड़ताल कर देंगे। मैं समझता हूं यह गलत बात है, कोई हड़ताल नहीं होने वाली है। टैक्स लगेगा, बिना टैक्स काम नहीं चलेगा। विरोधी पक्ष का तो यह रवैया है कि हर चीज का विरोध करना ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपही की पार्टी वालों ने विरोध किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा नाम लेकर मत कहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपमें हिम्मत ही नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह : एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वहां सड़क खराब है मरम्मत होनी चाहिये और दूसरी तरफ टैक्स का विरोध करते हैं, कैसी अजीब बात है। मेरा निवेदन है कि दूसरी स्टेट्स से कम्पेयर कर लिया जाय, वाजिब हो तो लगाया जाय। साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जो टैक्स के हिमायती हैं वे यह क्यों नहीं कहते कि ट्रक वाले ३ टन के या ५ टन के बजाय ७ टन माल भर लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह आपही की सरकार की इनएफिशियेन्सी है।

श्री गोविन्दसिंह : राजस्थान सरकार को यह बात जरूर करनी चाहिये कि जिस ट्रक की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा माल न भरे। इससे सड़कें भी खराब नहीं होवेंगी व एक्सीडेन्ट से भी बचेंगे। ३ ट्रक्स में भरने का सामान २ ट्रक्स में भर लेते हैं, एक ट्रक का चक्कर कम कर देते हैं इससे सड़क भी ज्यादा खराब हो जाती है और ये ट्रक वाले इतने ओवर लोडेड होते हैं कि पीछे या सामने से आने वाली दूसरी गाड़ियों को रास्ता तक नहीं देते, कार वालों को ही संभल कर चलना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ओवर लोड करके ट्रक्स को चलाते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लेने की व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक सवाल मेकेनिकल इन्स-पेक्टर्स द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट देने का है, यह कहा गया कि जब तक ३० रु० या ५० रु० उनको नहीं देते तब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं देते। यह बात यहां कहने के बजाय अगर उनके पास सबूत है तो एफेडेविट देकर उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाने की कार्यवाही वे खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता

Page No.59

(श्री गोविन्दसिंह)

हूं कि जहां फिटनेस सर्टिफिकेट देने का सवाल आता है तो ४०-५० ट्रक इकट्ठे हो जाते हैं तब मेकेनिकल इन्सपेक्टर और एस० डी० ओ० आकर आधे घंटे में सभी ट्रक्स को पास कर देते हैं। जहां तक एक एक ट्रक की जांच करने के बाद यह तसल्ली न हो जाय कि यह ट्रक चलने काबिल है तब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिये। जो गाड़ियां फिट नहीं हैं वे भी फिट करदी जाती हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें घोटाला जरूर है। मेकेनिकल इन्सपेक्टर्स में करप्शन दूर हो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसे तीन-चार आदमी जिनमें विश्वास हो उनके सुपुर्द यह काम करना चाहिये और किसी भी तरह से जो गाडियां फिट नहीं हैं उनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। एक आदमी पर यह काम छोड़ना गलत है।

टैक्सेज आप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन टैक्सेज पूरी तरह से वसूल नहीं होते। सबसे पहला काम तो यह होना चाहिये कि पुरानी वसूली होनी चाहिये। मैंने इस बारे में प्रश्न भी रखे थे। झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कंपनी ने अपनी गाड़ियें बेच दी। परमिट दूसरे के नाम ट्रान्सफर नहीं हुआ तो वह आदमी दूसरे के नाम से गाड़ियें चलाता रहा। जबकि इस कम्पनी में राजस्थान सरकार के शेयर्स हैं, इसके डाइरेक्टर्स में एक आदमी राजस्थान सरकार का नुमायन्दा भी है, जब उनको मालूम हो गया कि झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ने अपनी दो गाड़ियों को बेच दिया तो जिसको बेची उसके नाम परमिट ट्रान्सफर क्यों नहीं किया? यदि उसके नाम परमिट ट्रान्सफर करते तो ५०० रु० या १,००० रु० जो रजिस्ट्री के आने चाहिये थे वे आते। इसी प्रकार झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कंपनी ने अजमेर की एक कंपनी को गाड़ियें बेचे दीं और वापिस झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कंपनी ने कुछ समय बाद फिर अपने पास लेली। इस बात के लिये अगर आपका विभाग सतर्क रहता, किसको बेची गई है तो उसके नाम से ही रजिस्टर होनी चाहिये थी। मैं तो सिर्फ झालावाड़ के बारे में ही जानता हूं हो सकता है दूसरी जगह भी ऐसे कितने ही केसेज होते होंगे, गाड़ियां बेची जाती हैं और जो टैक्स सरकार को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। एक तरफ टैक्स बढ़ रहा है और दूसरी तरफ टैक्स की चोरियां होती हैं, सरकारी अधिकारी इसकी रोक-थाम नहीं कर पाते; इसलिये निवेदन है कि कम से कम ऐसा इन्तजाम तो रखे कि जो टैक्स वसूल होना चाहिये वह अवश्य वसूल हो। मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है, लेकिन आप इसको पास करें उससे पहले यह बताने की कोशिश करें कि दूसरी स्टेट्स में कितना टैक्स है और वहां के टैक्स में और यहां के टैक्स में क्या फर्क है? जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि १० हजार ट्रकवालों की हड़ताल होगी, ऐसी बात नहीं है, सारे राजस्थान में हड़ताल होना नामुमकिन बात है। यह भी कहते हैं कि दूसरे प्रान्तों से आनेवाले ट्रक बंद हो जायेंगे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई बात यहां पर कही जाय तो जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिये। सदन में कहना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया इसको शोभाजनक मैं नहीं मानता हूं। दूसरे राज्यों में कितना टैक्स है यह बताने पर माननीय सदस्यों को तसल्ली हो जायगी कि उनके मुकाबले में हमारे यहां कितना टैक्स बढ़ाया है। यह कहना कि हड़ताल होगी, आदमी बेकार

(श्री गोविन्दसिंह)
बैठे हैं, वे क्या करेंगे, यह ठीक नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हू।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, आज हम मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन पर विचार कर रहे हैं। स्वभावत: हमारा ध्यान इस बात की ओर जाता है कि जब कभी हम टैक्स को घटाने, बढाने और लगाने पर विचार करें तो यह सोचना बहुत लाजमी हो जाता है कि हमारा यह उद्योग इस प्रकार के करारोपण से पनपेगा, वृद्धि होगी अथवा कमजोरी आयेगी। मैं मानता हू कि अभी अभी जो बिल प्रस्तावित किया गया है, जो कर निर्धारित किये गये हैं उनको निर्धारित करते समय इन सब फेक्टर्स के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन इस पर ध्यान नही रखा गया है। हम लोग यह लक्ष्य मान कर चलते हैं कि आखिरकार जब हमारे आर्थिक साधन अच्छे हो जायेंगे उस समय सारे के सारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा। लेकिन जब हमारे साधन इतने नहीं हैं तो कम से कम हम हमारे इस लक्ष्य को ध्यान में रखें। जब टैक्स लगावें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी इस उद्योग में बढ़ रही है उसको रोका जावे जिससे आगे जाकर लक्ष्य की प्राप्ति में सुविधा हो। आज जो एक या दो गाड़ी रखने वाले हैं उन पर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं उनके बजाय यदि हम जो बहुत सी गाडियों के फ्लीट के फ्लीट और कारवां रखते हैं बसेज और ट्रक्स के उन पर हम अधिक टैक्स लगाकर वसूल करने जायेंगे तो जो एकाधिकार की मनोवृत्ति बढ रही है वह कम होगी।

आज हमारे यहां इस प्रकार के कारवां मौजूद हैं जिनमें सौ सौ बसेज और ट्रक्स हैं। वे सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार से छाये हुए हैं कि जो छोटे–छोटे ट्रक्स चलाने वाले हैं, एक या दो गाड़ियें रखने वाले हैं उनका उद्योग खत्म होता जा रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि कर इस प्रकार निर्धारित करें कि जो १ या २ गाड़ियें रखने वाले हैं उन पर कर का भार कम पड़े, लेकिन जो ज्यादा रखने वाले हैं, बड़ी बडी कंपनियां कायम करके हिन्दुस्तान के ट्रान्सपोर्ट उद्योग पर अपना एकाधिपत्य रखना चाहते हैं उन पर ज्यादा कर रखें। जिससे बहुत बड़ा मुनाफा करके एक बहुत बड़ी पूंजी कुछ हाथों में जमा होने का स्वाभाविक परिणाम होता है कि छोटे उद्योग करने वालों पर बर्डन पड़ता है, इसलिये उनके ऊपर रोक लगाने के लिए आप उन पर ज्यादा टैक्स लगायें और जहां पर छोटे उद्योग करने वाले हैं उन पर कम टैक्स लगाया जाय। इस तरह अगर आप टैक्सेशन करेंगे और इस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग पनपेंगे और वह अपनी गाडियों को अच्छी तरह से रख सकेंगे। आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े कारवां रखने वाले हैं और फ्लीट रखने वाले हैं वह ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और हिन्दुस्तान में दूर दूर तक वह चक्कर लगाते हैं और सब तरह से एक दूसरे के साथ में कनेक्शन जोड़ कर सारे हिन्दुस्तान को वह अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उन पर ज्यादा टैक्स लगाने की नीति पर अमल किया गया तो राज्य कोष में कोई घाटा नहीं आ सकेगा और छोटी–छोटी पूंजी से जो लोग धन्धा करना

(श्री मोहनराज)
चाहते हैं, जो आज ज्यादा कर भार महसूस करते हैं, जो आज वह लोग अपने को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन पर भार घट जायगा। मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय इस दृष्टि से इस बात पर विचार करेंगे तभी जाकर मेरा ख्याल है कि इस उद्योग में भी सुविधाजनक प्रगति हो सकती है। इससे लोगों पर अधिक भार भी नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा जो लोग ज्यादा कार रखते हैं और ऐसी गाड़ियां रखते हैं जो फोरिन मेक की होती हैं, और लक्जूरिअस गाडियां रखते हैं तो ऐसे लोगों पर, जिन्हें ज्यादा आराम चाहिए, जिन्हें बड़ी बड़ी गाडियां चाहिए, जिन्हें विदेशों में बनी गाड़ियां चाहिए-उन पर आप ज्यादा कर लगायें। उन पर आप ज्यादा टैक्स लगायें और उनसे ज्यादा कर वसूल किया जाय। आप कहेंगे कि उनसे तो भारत सरकार कर वसूल करती है। भारत सरकार करती है, लेकिन अगर वह ज्यादा आराम चाहते हैं, और उन्हें देशी गाड़ियां पसन्द नहीं हैं और विलायती गाड़ियां पसन्द हैं तो वह ज्यादा कर भी दें। तो जिस प्रकार देशी गाड़ियों में और विलायती गाड़ियों में भिन्नता है उसी प्रकार उन पर लगने वाले कर में भी भिन्नता होनी चाहिए। उन पर ज्यादा कर होना चाहिए। तो मैंने जैसा पहले सुझाव दिया था कि जो ज्यादा गाड़ियां रखते हैं, ज्यादा बस रखते हैं, ज्यादा ट्रक रखते हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो यह स्थिति हो सकती है कि वह अलग अलग नामों पर गाड़ियां रख देंगे और इस कारण सरकार को कोई मुनाफा नहीं होने वाला है। मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि घर में जितने मेम्बर हैं उनके नाम पर अलग अलग ट्रक और गाड़ी कर देंगे और इस प्रकार वह कानून से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे बचने के तरीके को रोका जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए कई तरीके सुझाये जा सकते हैं। इस समय उनकी डिटेल्स में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं समझता हूं कि जो एकाधिकार की प्रवृत्ति इस उद्योग में बढ़ रही है और जो छोटी-छोटी पूंजी से धन्धा करने वाले हैं उनको हानि उठानी पड़ रही है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार का स्लेब सिस्टम होना चाहिये कि जो ज्यादा धन्धा करता है, जो बड़ी पूंजी का धन्धा करता है और लाखों रुपये का मुनाफा कमाना चाहता है वह अधिक से अधिक टैक्स दे और जो छोटे लोग धन्धा करने वाले हैं उनको लाभ मिले। इस प्रकार से कर लगाने पर आप विचार करें-यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो टैक्सेज के प्रावधान रखे हैं उन पर विचार करने से पूर्व जिस मोटी बात को लेकर यह टैक्सेज लगाये जाते हैं-कि राज्य सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए टैक्सेज की आवश्यकता है-इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम वर्ष है। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है और किस प्रकार की बनेगी इसकी रूप रेखा अभी हमारे सामने नहीं है; हमारे समक्ष योजना भी एक वर्ष की है और राजस्थान का बजट भी एक वर्ष का है। अब तक हम तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी

(श्री भैंरोसिंह)

कर चुके हैं। हर पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सरकार की ओर से यह आश्वासन मिलता है, जैसा मुझे याद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में कहा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हमारी स्थिति टेक ऑफ की हो जायगी, कि उस दिन से हम ऐसा विचार करने लगेंगे कि जो कुछ हमने डेवलपमेंट के नाम पर टैक्सेज़ लगाये हैं उन टैक्सेज़ में किस सीमा तक रिडक्शन किया जाय। टैक्सेज़ के रिडक्शन का एक युग चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से शुरू होगा, इस प्रकार का एश्योरेन्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में एक बार नहीं कई बार, कई मुद्दों के ऊपर–वह चाहे राजस्थान कैनाल हो, वह चाहे भाखरा हो, वह चाहे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो—उन सबके ऊपर हमारी सरकार की ओर से बराबर इस बात का आश्वासन मिलता रही है और हम भी उस आश्वासन के ऊपर चल रहे थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक राजस्थान में न अनाज की कमी रहेगी, न राजस्थान में रोजगार की कमी रहेगी, न राजस्थान में किसी प्रकार की भी कमी रहेगी, न राजस्थान में पीने के पानी की समस्य रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान इस योजना की समाप्ति तक हो जायगा। लेकिन लगता ऐसा है कि हमारी इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं से समस्याओं का समाधान तो नहीं हुआ लेकिन हम ऐसी समस्याओं में उलझ गये जिन समस्याओ का समाधान हम निकट भविष्य में नहीं निकाल सकते। राजस्थान सरकार फाइनेन्स कमीशन के सामने जब अपना रिप्रेजेन्टेशन पेश करती है उस समय एक दलील देती है, वह दलील शायद इस बात के लिए होती होगी कि भारत सरकार से हमें ज्यादा से ज्यादा अनुदान मिल सके, भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा कर्ज हम ले सकें। इसलिए एक दलील दी जाती है कि राजस्थान सरकार की अब ऐसी स्थिति नहीं है कि वह अधिक से अधिक या और ज्यादा टैक्स लगा दे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३२ करोड़ के टैक्सेज़ का आरम्भ में प्रावधान रखा गया और २३६ करोड़ की योजना को घटा कर २०८ करोड़ की योजना कर दिया गया था और सदन को यह भी विश्वास दिलाया गया था कि ३२ करोड़ के टैक्सेज़ के बजाय २४ करोड़ के कर वसूल किये जायेंगे। लेकिन प्लान के टार्जेट तो पूरे नहीं हुए लेकिन हमारी सरकार इस बात का गर्व अनुभव करती है कि टैक्सेज़ के ओरिजिनल टार्जेट रखे ३२ करोड़ के, वह पूरे कर लिये। इसका मतलब यह कि जहां २४ करोड़ वसूल करने थे उसके स्थान पर ३२ करोड़ वसूल कर पाये। फिर जब चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनने लगा, जो कुछ प्रारूप बनाया में उस प्रारुप की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान की पर-कैपिटा इन्कम और आल इंडिया पर-कैपिटा इन्कम के अन्दर जो डिफरेन्स है, इन दोनों इन्कम के अन्दर के इस डिफरेन्स को घटा सकें, इसके लिए प्रयत्न किया जायगा, इसको रिड्यूस किया जायगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उस डिफरेन्स को तो रिड्यूस

(श्री भैरूंसिंह)

नहीं कर पाये हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उस गेप को हम रिड्यूस नहीं कर पाये हैं। यह मैं नहीं कहता किन्तु यह सरकार ने भी स्वीकार किया है। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में लिखा है:

"राज्य की तृतीय योजना का एक लक्ष्य राष्ट्र व राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को कम से कम करना था। वास्तव में प्रथम दो योजनाओं की अवधि में राष्ट्र व राज्य के प्रति व्यक्ति आय में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं रहा है लेकिन १९६५-६६ तक प्रति व्यक्ति आय का परिवर्धित स्तर ३८५ रुपये हो जाने पर तृतीय योजना की समाप्ति तक इस अन्तर के काफी विस्तृत हो जाने की संभावना है।"

यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का रिजल्ट है। इसके साथ जो आय का साधन है वह सबसे बड़ा टैक्सेज का है। इसके बारे में सरकार ने स्पष्ट रूप से माना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या अतिरिक्त करारोपण होंगे इसकी जनता के सामने, भारत सरकार के सामने और प्लानिंग कमीशन के सामने इस सरकार ने एक पिक्चर पेश की है, वह मैं पेश करना चाहता हुं :

"चतुर्थ योजना काल में होने वाली आर्थिक वृद्धि के फलस्वरूप सन् १९६५-६६ में लगाये जाने वाले करों के अलावा अन्य करों से प्राप्त आय संभावित वृद्धि को वित्त आयोग को प्रेषित पूर्वानुमानों में सम्मिलित कर लिया गया है। अन्य राज्यों में प्रचलित, विविध प्रकार के कर, राजस्थान में करीब करीब सभी प्रचलित हैं और इसलिए राज्य में कर के लिये शायद कोई नया श्रोत हो। अन्य राज्यों में प्रचलित दरों की तुलना में राज्य के वर्तमान करों की दरें अपेक्षा पूर्ण ऊंची हैं।"

यह बात राज्य सरकार ने कब स्वीकार की? आज नहीं, आज से दो वर्ष पहले इस बात को राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि राजस्थान में टैक्सों की रेट है वह अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा है। अन्य राज्यों में टैक्सेज हैं वैसे के वैसे टैक्सेज राजस्थान में लगे हैं, इस बात को सरकार ने स्वीकार किया। इस बात को स्वीकार किया कि २४ करोड़ के बजाय आपने ३२ करोड़ के टैक्स वसूल किये। आपने इस बात को स्वीकार किया कि २३६ करोड़ खर्च करने को थे उसकी जगह २०८ खर्च किया और ऐसा करके जनता के साथ आपने विश्वासघात किया। इसलिये हमें यह विश्वास करके चलना होगा कि लोगों की पर-केपिटा इन्कम गिरती जा रही है और उनके सामने आर्थिक संकट के रूप में यह भेद किसी दिन सामने आएगा। यह आर्थिक संकट तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस सीमा तक ही नहीं सीमित रहेगा कि वे अच्छे मकान नहीं बना सकें, अच्छा भोजन नहीं कर सकें, सिविक एमिनिटीज का लाभ नहीं उठा सकें बल्कि लोगों के सामने अपने पेट भरने का प्रश्न पैदा होगा और पेट भर रोटी की समस्या पैदा हो जावेगी। जब ऐसी समस्या आती है तो सरकार हमारे पर टैक्स लगाये इस पर विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार के मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि

(श्री भैरूंसिंह)
सन् ५१ में हमारे यहां पर २,८०७ का रजिस्ट्रेशन था जिसमें प्राइवेट कार्स, ट्रक, ट्रेलर, स्कूटर आदि सभी शामिल हैं। उसके मुकाबले में आज हम देखते हैं कि हमारे यहां पर आज ४८,८७८ के करीब रजिस्ट्रेशन का नम्बर हो गया है। मैं यह समझता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार यह कह कर चलने की कोशिश करेगी कि यह राजस्थान की प्रगति के लक्षण हैं। म यह निवेदन करूंगा कि यह प्रगति नहीं हुई है। दूसरी सारी स्टेटों के सारे आंकड़े में नहीं देना चाहता लेकिन में यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में केवल दो स्टेटों को छोड़कर रजिस्ट्रेशन के मामले में राजस्थान सबसे नीचे है। पंजाब, यू० पी०, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर आदि बड़े बड़े सभी राज्यों में ट्रकों, बसों, स्कूटरों, आदि का रजिस्ट्रेशन नम्बर ज्यादा है और राजस्थान का नम्बर हिन्दुस्तान में कम है, इसलिए आप इसके लिये यह नहीं कह सकते कि हमने इस सम्बन्ध में बहुत प्रगति की है।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां राजस्थान में केवल ४० हजार मील तक रोड्स हैं, जहां पर टैक्सीज, बसेज, स्कूटर्स आदि चल सकते हैं। ऐसी सड़कें केवल ४० हजार मील ही हैं। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब और महाराष्ट्र को देखें तो उनका नम्बर लाखों मीलों पर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने प्रगति की है तो किस बात की की है। आप यह कह सकते हैं कि हमने इन्कम बढ़ाई है? यह आप कह सकते हैं कि हमने फीस इतनी बढ़ादी है और टैक्सेज इतने बढ़ा दिये हैं। अगर आप यह कहें कि हमने परमिट बढ़ाये हैं तो यह भी आपने ३,७०० परमिट दिये हैं। तो फिर आपने प्रगति किस बात में की है? यह सही है कि आप टैक्सेज पर टैक्सेज लगा रहे हैं और यह समझते हैं कि बस मालिक बड़े मालदार हैं। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि आप यह टैक्सेज किस बूते पर बढ़ा रहे हैं? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि उनका खर्चा कितना आता है। आज डिज़ल के भाव कितने बढ़ गये हैं, बसों की कीमतें बढ़ गई हैं। टायरों का क्या भाव है और वे भी आसानी से नहीं मिलते हैं और उनका ब्लेक में कितना रुपया लगता है। वे अपने बस में कन्डक्टर को कितनी तनख्वाह देते हैं, ड्राइवर को कितनी तनख्वाह देते हैं, क्लीनर को कितना देते हैं। इसके अलावा स्पेयर पार्ट के कितने पैसे हो गये हैं। आपने इसका अन्दाजा नहीं लगाया कि इन सब पर कितना खर्चा होता है। आपने इस बात का अन्दाजा लगाया है कि ट्रकों के चलाने वाले मालिक मालदार होते हैं इसलिये उनको खाया जावे। मैं यह पूछना चाहता हूं आपके ४४१ बसेज हैं। राजस्थान की उसमें केपिटल १॥ करोड़ रुपये से भी अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। आपको कितना मुनाफा हो रहा है? आपकी ४४१ बसें चालू करने के बाद यह हालत है तो आप देखें कि जिसके एक बस है उनकी क्या हालत है? आपने १॥ करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है और जब आप उसमें ६ लाख से ज्यादा का मुनाफा नहीं कमा सकते तो माथुर साहब! आप इस बात पर विचार करिये कि एक बस जिसके है वह किस प्रकार कमाता होगा।

Page No.65

(श्री भैरोंसिंह)

स्कूटर रिक्शा है, उसमें एक आदमी किसी प्रकार से कुछ कमाने की कोशिश करता है और पेट पालने का साधन पैदा करता है, उसको भी हमारी सरकार कमाने नहीं देती है और उसकी कमाई पर आघात करती है। हम टैक्स बढ़ाते हैं और बढ़ावेंगे मगर आप नोन-टैक्सेबल रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। आप नोन-टैक्सेबल रेवेन्यू को नहीं बढ़ा सकते, अपने खर्चे कम नहीं कर सकते और आप यह चाहते हैं कि पब्लिक एक्सचेकर पर अपनी रंगरलियें करते रहें और मौज उड़ाते रहें, यह उचित नहीं होगा। मैं आपसे यह कहूंगा कि हमेशा यह आपकी हुकूमत रहने की नहीं। एक दिन वह हुकूमत आने वाली है, कोई कांग्रेस की बपौती नहीं, कांग्रेस ने कोई हुकूमत का पट्टा नहीं करा लिया है। आखिर हुकूमत बदलेगी और जब हुकूमत बदलेगी तो एक एक मंत्री जिन्होंने इस प्रकार के कारनामे किये हैं उनको फांसी के तख्तों पर लटकाएंगे और जेलखाने में बंद कर दिये जावेंगे। जब तक फांसी का हुक्म मिलेगा, इस प्रकार का दंड मिलेगा। आज आप सत्ता के नशे में मदमस्त हो रहे हैं और मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं, आपको सत्ता के मोह ने अन्धा कर दिया है और सत्ता के मोह में अन्धे हो कर चलते हैं। आपने बसों पर टैक्स लगाया, आपने कभी यह देखा कि उनका क्या खर्चा होता है? वे आपको टैक्स चुकाते हैं। मोटर व्हिकल्स एक्ट के अनुसार जो सड़क बनाली है उसको ठीक तरह से पालन करते हैं तो उनको बचत क्या है? आपने कभी अपने अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार जानकारी कराने की कोई कोशिश की है? आपके पास आपका स्टेटिस्टिक्ल डिपार्टमेंट है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट है, अच्छे अच्छे आई० ए० एस० ऑफिसर्स हैं। क्या उनसे आपने कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट तैयार कराया है कि बस ओपरेटरों की आमदनी क्या है? आप यह समझते हैं कि एक महीने में बस ओपरेटरों की आमदनी हजारों रुपये की है? हमने उनकी आमदनी और खर्चे का केल्कूलेशन कभी नहीं किया।

अमूमन होता क्या है कि आपको नीचे से आपके अधिकारी लिख कर भेज देते हैं कि अमुक पर टैक्स बढ़ाओ और आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले राजस्थान में चार रीजन थे–उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। इसके बाद में सरकार ने कोई मितव्ययता अभियान में बीकानेर के रीजन को तोड़ना चाहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): बीकानेर और कोटा।

श्री भैरोंसिंह: बीकानेर और कोटा को तोड़ना चाहा। लेकिन अंत में हुआ क्या? मैं निवेदन करूं कि जयपुर, जोधपुर में ७, ८ डिस्ट्रिक्ट हैं। इस प्रकार एक रीजन ८ डिस्ट्रिक्ट का होता है। उदयपुर ५ का और कोटा ३ का और बीकानेर २ का और गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट रीजन बने। मेरे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के रीजन बनाने का साइन्टिफिक बेसिस क्या है? जयपुर रीजन में ८ डिस्ट्रिक्ट हैं और एक बस ऑपरेटर को ८ डिस्ट्रिक्ट में घूमने का परमिट है और दूसरी तरफ गंगानगर का रीजन है उसमें एक बस ऑपरेटर को एक ही डिस्ट्रिक्ट में घूमने

(श्री भैरोंसिंह)
का परमिट है जो जयपुर के ११ डिस्ट्रिक्ट के बराबर नहीं है। एक तरफ तो यह और दूसरी तरफ यह कि टैक्स भी उनको ज्यादा देना होगा।

इसके अलावा जहां आपने बीकानेर रीजन को तोड़ कर जोधपुर में रखा मगर वहां पर भी आपने देखा कि नरसिंहदास, एन० सिंह को तो आपको कहीं न कहीं लगाना ही होगा, अगर इनको कहीं नहीं लगाते हैं तो यह आपकी सरकार कैसे चलेगी, तो आपने लगाया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बेकार तो हजारों आदमी बैठे हैं। उनको तो आप लगाने की चेष्टा नहीं करते, इन दो को ही क्यों आपने लगाया।

आप कहते हैं कि इससे राजस्थान का घाटा पूरा होगा और आमदनी बढ़ेगी। यह तो कोई लोजिक नहीं, रीजन बढाने का। यह बस ऑपरेटरों और ट्रक ऑपरेटरों पर भार बढता है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं। टैक्सों की कोई लिमिट नहीं। कोई बकरी दूध देती है तो उसका दूध निकालते जावें। मगर यह तो नहीं होना चाहिये कि एक दिन आ जावे कि आप उसका मांस खा जावें और सदा के लिये उसको खत्म कर दें। इसलिये मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था से चलें कि उनका भी पेट भरता रहे और आपका खजाना भी भरता जावे।

लेकिन इसका हमने कभी विचार नहीं किया। इसका विरोध उन लोगों ने शुरू किया तो सरकार ने उन लोगों को क्या कहा? नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। बस आपरेटर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज सरकार से मिले तो उनको सरकार ने कहा कि हम तो तुम से टैक्स लेते हैं, पर हमने तुम्हें कब कहा कि जनता से ज्यादा फेअर मत लो, तुम पर आर्थिक संकट आये तो तुम पेसेन्जर्स फेअर, गूड्स फेअर बढ़ाओ, तुम भी कमाओ और हम भी कमावें। दोनों मिल कर जनता के खिलाफ षड्यन्त्र करना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं क्लेरिफीकेशन के तौर पर इतना ही एड करना चाहता हूं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये कि वे जो फेअर या टैक्स बढाते हैं वह आर०टी०ओ०, एस०टी० ए० से ही बढ़वा लेते हैं यहां लाने की जरूरत नहीं। रीजनेबलनेस ये पैदा करते हैं। अगर उनकी टैक्स पे करने की केपेसिटी है तो जनता पर टैक्स नहीं बढाना चाहिये और अगर उन बस ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स की टैक्स पे करने की केपेसिटी नहीं है, सरकार को उन बस ऑपरेटर्स और ट्रक ऑपरेटर्स पर टैक्स नहीं बढाना चाहिये। अगर उनकी सरकार को टैक्स पे करने की केपेसिटी है तो जनता पर क्यों टैक्स बढाते हैं? जनता पर टैक्सेज बढाने की क्या आवश्यकता है? आर० टी०ओ०, एस०टी०ए० जैसी क्वाजी-जुडीशियल बाडी बीच में खड़ी कर रखी है। मैं फिर आगाह कर देना चाहता हूं, इस टैक्स से डबल टैक्स रोडवेज के नाम से जनता पर लादने वाले हैं, वह हमारे सामने नहीं आने वाला है।

श्री भैरोंसिंह: मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि सरकार इस समय मौन है और इस मौन से लाभ उठाने वाली है। जिस

(श्री भैरोंसिंह)

समय बस ऑपरेटर्स और ट्रक ऑपरेटर्स पर टैक्स का भार बढ़ेगा तो इनकी संख्या कम होगी । सरकार ने ५७ में नेशनेलाइजेशन प्रारम्भ किया, ५७ से लेकर आज तक का दस वर्ष का यह ऐसा पीरियड है कि जिसमें न तो नेशनेलाइजेशन ने राज्य सरकार के कोष को बढ़ाया है, न राज्य सरकार की आमदनी बढ़ी है । अगर बस ऑपरेटर्स और राज्य सरकार के नेशनेलाइजेशन की तुलना की जाय तो अध्यक्ष महोदय, १९५७ में और ५७ से पहले राजस्थान मोटर व्हिकल्स एक्ट के द्वारा सरकार ने जो फेअर निर्धारित किया था वह ८ पाई पर माइल था, बस ऑपरेटर्स वही वसूल करते हैं और मैं तो कहूंगा कि बस ऑपरेटर्स ने सरकार को इस मैदान में डिफीट दी है । वहां सरकार नेशनेलाइजेशन करके अपनी बसेंज रवाना करती है वह प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बनिस्वत ज्यादा किराया वसूल करती है । बस ऑपरेटर्स जो हर तरह से खर्चा करते हैं, जो इन्कम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, पेसेन्जर्स टैक्स के हिसाब को मेन्टेन करते हैं, पुलिस वालों को ओब्लाइज करने की कोशिश करते हैं, हर तरह से खर्चा करते हैं। वह खर्चा करने वाली यूनिट कम किराया चार्ज करती है और उनके मुकाबले राजस्थान सरकार जिसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता वह उनसे ज्यादा किराया वसूल करती है। इस नाते हमारी सरकार को बस ऑपरेटर्स ने डिफीट दी है, जनता की सेवा की है और दूसरी तरफ नेशनेलाइजेशन आफ रूट्स के द्वारा सरकार ने लोगों को ठगा है । दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार बस ऑपरेटर्स से कहती है कि हम तुमसे टैक्स वसूल करते हैं तो तुम क्यों नहीं किराया बढ़ाते । पर हर एक अपने यूनिट को अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखने की कोशिश करेगा, वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमने एक पाई भी बढ़ा दी तो हमारी बसें चलेंगी नहीं । मैं मन्त्री महोदय को चेलेंज देकर चलता हूं कि आप इन रूट्स को मोनोपोलाइज्ड बेसिस पर मत चलाओ, यदि आप में एफिशियेन्सी है, यदि आप बस ऑपरेटर्स के कम्पीटीशन में खड़े रह सकते हैं तो मोनोपोली को छोड़ दीजिये । एक रूट पर आपकी ५ बसेज चलती हैं तो ५ बसेज प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की भी चलाने दो, फिर देखते हैं कि कौन ठीक तरह से चलता है, किसमें कितनी एफिशिएन्सी है । पर वस्तुस्थिति यह है कि कम्पीटीशन में खड़े होने की सरकार की शक्ति नहीं है।

आप इस प्रकार टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसका परिणाम आखिर क्या होगा, कौन टैक्स चुकायेगा? बसेज में यात्रा करने वाले होते हैं ग्रामीण और ग्रामीणों के ऊपर राजस्थान में कोई टैक्सेज की कमी हो, ऐसी बात नहीं है । सरकार ने इन्डायरेक्ट टैक्सेशन का भार ग्रामीणों पर बढ़ा रखा है । एक ग्रामीण को आज यह पता नहीं कि वह जो कपड़ा खरीदता है उस पर उसे टैक्स देना पड़ रहा है, ग्रामीण को यह पता नहीं कि वह तेल, शक्कर या और उसकी जरूरत की चीजें जो वह शहर से खरीद रहा है, उस सामान पर कितना टैक्स उसे चुकाना पड़ता है । राजस्थान सरकार ने यह इन्डायरेक्ट टैक्सेशन ग्रामीणों पर इतना बढ़ा दिया है कि हर चीज पर उसे टैक्स देना पड़ता है पर उसे पता नहीं कि कितना टैक्स वह अपना सामान खरीदने पर दे रहा है और इस प्रकार ग्रामीणों पर इन्डायरेक्ट टैक्सेज का भार डाल कर सरकार उनकी अशिक्षा का लाभ उठा रही है । उनसे रुपया वसूल कर रही है।

Page No.68

(श्री भैरोंसिंह)

अगर सरकार में हिम्मत हो तो ग्रामीणों पर डायरेक्ट टैक्सेज लगा कर देखे, फिर माथुर साहब को पता चले कि उधर बैठते हैं या अपोजिशन की सीट्स पर। पर यह सरकार में हिम्मत नहीं, जनता को धोखा दे कर इन्डायरेक्ट टैक्सेज के रूप में सरकार ग्रामीणों पर टैक्सेज बढ़ाती जा रही है।

प्लानिंग कमीशन कहता है, दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं, हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्री कहते हैं कि इन्डायरेक्ट टैक्सेज की अब हिन्दुस्तान में जरूरत नहीं है, पर हमारी सरकार सुनती ही नहीं है, वह तो इन्डायरेक्ट टैक्सेज बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही है।

ट्रक ऑपरेटर्स पर टैक्स बढ़ाया है। एक रोजन का किसी ट्रक ऑपरेटर के पास परमिट है तो पहले उसको १,२०० रुपया देना पड़ता था अब १,५०० रुपया देना पड़ेगा। यह ६ टन से नीचे का है। ६ टन से ऊपर के ट्रक पर पहले १,२५० रुपया टैक्स था अब १,६०० कर दिया गया है। सारे राजस्थान का अगर किसी ट्रक ऑपरेटर के पास परमिट है तो ६ टन से ऊपर वाले पर पहले २ हजार रुपया टैक्स था अब किया गया है २,५०० और ६ टन से नीचे का है तो उस पर पहले २ हजार था, अब किया गया है २,४०० रुपया। क्या लॉजिक है इसके पीछे। आपके पास कौनसे आंकड़े हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि इसकी आमदनी २,५०० रुपया तक है, २,४०० रुपया हमें ले लेना चाहिये। ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री है इसको कर्जा लेकर डेवेलप करना चाहें तो डेवेलप नहीं कर सकते। बेस्ट इकोनोमिस्ट भी नहीं कह सकते कि कर्ज लेकर हम इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट करें। सेविंग्स से ही इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट हो सकता है, जितनी सेविंग होगी उतनी ही इन्डस्ट्रीज डेवेलप होंगी। पर सेविंग के क्लाज को तो आपने खत्म ही कर दिया है। उसका परिणाम यह है कि आज कई बसेज पड़ी हैं। एक-एक रूट पर पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस बसेज और उसमें भी सिफारिशों पर कूप परमिट, एक-एक रूट पर झुन्ड के झुन्ड। ४० माइल का रूट और ४० बसेज, एक महीने में उसके कितने नम्बर आयेंगे। इस पर बस ऑपरेटर्स सरकार की तरह २ के टैक्स देते हैं, अपने बच्चों का भरण-पोषण करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ सरकार के पास इतना बड़ा फ्लीट, उसमें खर्चा दिन प्रतिदिन ५७ से ले कर आज तक बढ़ता ही गया, फिर भी अब आमदनी गिरती जा रही है। तो आज सरकार अन्दाज लगा कर चले कि बस ऑपरेटर्स की कितनी आमदनी है। ट्रक ऑपरेटर्स की क्या स्थिति है। दुर्भाग्य की बात है कि एक ही विचार से टैक्स नहीं लगाया जाता कि इससे आमदनी बढ़ाने का ही प्रश्न नहीं, ट्रक ऑपरेटर्स ने भारत की रेल्वे को चुनौती दी है, ट्रक ऑपरेटर्स ने भारत की रेल्वे को हरा दिया है, डिफीट दी है। रेल्वे से लोग अपना माल न भेज कर ट्रकों से भेजते हैं। लोग देखते हैं कि रेल्वे के बुकिंग में कितना पैसा देना पड़ेगा, तुलाई में कितना देना होगा, गुड्स क्लर्क को कितना देना पड़ेगा, रेल्वे के मजदूरों को कितना देना पड़ेगा, सामान बदल लेगा या नहीं, जितना माल चढ़ाया है उतना पहुंचेगा या नहीं, इन सब बातों में रेल्वे एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों का विश्वास खो दिया है, इसलिये रेल्वे ट्रक ऑपरेटर्स पर चार्ज लगाती है कि इन ट्रक ऑपरेटर्स के कारण रेल्वे की आमदनी कम हो रही है, इसलिए आवश्यकता है कि रेल्वे की आमदनी बढ़ाई जाय। रेल्वे की आमदनी कैसे बढ़े ट्रक्स बन्द हों तो रेल्वे की आमदनी बढ़े पर ट्रक्स कैसे

(श्री भैरोंसिंह)

बंद हों, यों तो किसी को बन्द करने के लिए कह नहीं सकते, तो इसके लिए सरकार ने एक नया तरीका अख्तियार किया कि इन पर टैक्सेज का बर्डन इतना लगा दिया जाय कि ये चल ही नहीं सकें। अगर ऐसा विचार सरकार का है तो लोगों को कह दीजिये कि इसमें वे अपना इन्वेस्टमेंट ही न करें।

अगर इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे प्राईवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, हर एक अर्थ-शास्त्री यही कहेगा कि किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेन्ट हो रहा है उससे इन्कम होगी तभी इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट हो सकेगा। सरकार सबको कस्टोडियन है।

जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है और ऐसे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं जिससे वे बच्चों का पालन पोषण कर सकें तो सरकार का कर्तव्य होता है कि लोगों को डायरेक्ट करे कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस से सेविंग नहीं होती तो कोई और काम करो। लेकिन सरकार के पास बेरोजगारी है, कहां से लोगों को रोजगार दे। सरकार के पास कोई साधन नहीं है।

पहली योजना में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, दूसरी योजना में बढ़ गई, तीसरी योजना में और बढ़ गई, उस बेरोजगारी को हम नहीं मिटा सकते। अब आदमी कहां से खर्चा लाए? घर वालों के जेवर लाकर हाई इन्टेरेस्ट पर कर्जा ले? सरकार को भ्रम है कि जितनी फाइनेन्स कंपनीज हैं या फाइनेन्सियर्स हैं वे लो परसेंट ऑफ इन्टेरेस्ट में पैसा देते होंगे, लेकिन यह नहीं है। आज हालत यह है कि हैवी रेट ऑफ इन्टेरेस्ट इनसे चार्ज किया जाता है। ४०-४५ हजार में एक ट्रक आता है तो ट्रक के लिए पैसा, फाइनेन्स कंपनीज से लाते हैं। आपने मनी-लेन्डर्स एक्ट तो पास कर दिया, आप कितनी भी कानूनी पाबंदी लगा दें लेकिन जो हेवी रेट ऑफ इन्टेरेस्ट चार्ज करते हैं उनको रोक नहीं सकते। यह तो दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिसमें सरकार किसी प्रकार से हैवी इन्टरेस्ट रोक नहीं पाती। सरकार कहती है कि हैवी इन्टरेस्ट, दो, हैवी टैक्सेशन दो, हैवी जिम्मेदारी लो, तो माथुर साहब आप एक कानून पास करदें कि जैसे आपने रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया उसी तरह से राजस्थान में कोई ट्रक, कोई बस, कोई स्कूटर, कोई कार किसी प्रकार प्राईवेट आदमी की नहीं चलेगी और एक आदेश साम्यवादी देशों की तरह लागू कर दें कि प्राईवेट नाम की कोई चीज हिन्दुस्तान में नहीं है। आपका समाजवाद भी पूरा होगा और जनता भी भूख के गड्ढे में गिरकर प्राणों की अंतिम सांस लेगी।

यह जिद्द का सवाल नहीं है। इसमें गह-राई से विचार करें। यह केवल ५-२५ बस ऑपरेटर्स या ट्रक ऑपरेटर्स का सवाल नहीं है, आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ेगी कि इसकी लाएबिल्टी इस युग के अंदर कितनी बड़ी है, किस प्रकार से हम इनको फेसि-लिटीज दे सकते हैं, क्या सुविधाएं आपने उनको दीं। जितने बढ़िया-बढ़िया ए क्लास रूटस थे, आपने नेशनेलाइज किए, बी क्लास रूट्स पर आपकी बसेज चलती हैं, सी क्लास पर आपकी बसेज चलती हैं। सड़कों को मेन्टेन करने के बारे में सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, ट्रक ऑपरेटर्स और बस ऑपरेटर्स को मोटर व्हिकल्स एक्ट के तहत जो कुछ कन्सेशन्स डिक्लेयर कर रखे हैं उनको पूरा करने की चेष्टा नहीं करते। सड़क कैसी भी हो, टायर कितने ही जल्दी खराब हों, आपको

(श्री भैरोंसिंह)

उसकी परवाह नहीं आपको चिंता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खजाने में आ जाय। इसी विधान सभा के बाहर में आपके साथ चलता हूं। प्राईवेट बसेज को देखिए और रोडवेज की बसेज को देखिए। रोडवेज की बस में देखेंगे कि कूड़ा करकट भरा हुआ है और प्राईवेट बस देखेंगे कि साफ सुथरी है। वह मिट्टी यात्रियों के कपड़ों से रगड़कर ही साफ हो जाती है। मैं कोटा से जयपुर आया रोडवेज बस में। हालत क्या देखता हूं ? एक कोने में बीडियों के टुकड़े, माचिस, केले और मूंगफली के छिलके काफी मात्रा में पड़े हुए थे। एक बार विचार आया कि रूमाल में बांधकर जयपुर में मंत्री महोदय को भेंट करूं, फिर मैंने देखा कि मैं गरीब आदमी, रूमाल और जायगा। इसलिए उसको वहीं छोड़ दिया।

हमारी सरकार कहती है कि हमको टैक्स चाहिए, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। क्या कभी आपने और वित्त मंत्री ने बैठकर सलाह की कि आप तो पैसेन्जर्स और गुड्स टैक्स बढ़ाएं और मैं बढ़ा रहा हूं रोड टैक्स। कभी दोनों ने विचार नहीं किया कि आप कौनसा बढा रहे हैं और मैं कौनसा बढा रहा हूं। दोनों का इम्पेक्ट एक बस और ट्रक ऑपरेटर पर क्या पड़ेगा, इसकी चिंता नहीं। टैक्स लेने के मामले में दोनों सलाह करते हैं कि कहीं एक आईटम पर डुप्लीकेट टैक्स तो नहीं बढ़ा है। पैसेन्जर्स टैक्स बढ़ाया, रोड टैक्स बढ़ाया, डीजल टैक्स बढ़ाया, टायरों की कीमत बढ़ा दी और पुलिस का टैक्स किताब में नहीं लिखा है, ओक्ट्रोय का टैक्स कानून में नहीं लिखा है, लेकिन कोई भी बस ऑपरेटर दिल्ली से उनके लिए केले नहीं लाए, आगरा से पेठा नहीं लाए तब तक वह म्युनिसिपल गेट नहीं पार कर सकता, पुलिस चौकी नहीं पार कर सकता। अगर आप वैल्युएशन करें तो आपने जो टैक्स बढ़ाया है वह तो वैसे ही वे हर साल देते हैं।

आज उन्होंने हड़ताल करदी, ट्रक्स बिल्कुल ऑफ दी रोड्स हैं। वे तो हड़ताल करेंगे। हम निवेदन करते हैं तो आप सुनते नहीं, आपके पैर पकड़े जायें तो सुनते नहीं, सदन की भावनाओं का खयाल करते नहीं, सरकार को समझाने की एक ही भाषा है कि हड़ताल करो सरकार को डर दिखाओ। यदि सरकार मुर्दाबाद कहने से डरती है तो मुर्दाबाद कहो, पत्थर फेंकने से डरती है तो पत्थर फेंको। लोकतंत्र में यह चीज ठीक नहीं है। यदि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो आप लोकतन्त्र के हामी नहीं हैं, आप हिन्दुस्तान में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लोगों के असंतोष को उभारकर लोकतंत्र को खड्डे में डालना है। अगर लोकतंत्र का नाम केवल बहुमत के आधार पर हुकूमत करना है तो यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वह है जहां जनता की कानून में आस्था बढ़े।

आज विधान सभा के कांग्रेसी सदस्य यहां कह देंगे व्हिप के डर से कि टैक्स लगना चाहिये लेकिन अपनी कान्सटीट्यूएन्सी में बस ऑपरेटर्स और ट्रक ऑपरेटर्स के सामने खड़े होकर जनता के सामने कहदें कि पैसेंजर्स टैक्स लेना चाहिये तो मैं आपकी हिम्मत मानूंगा। कोई नहीं कह सकता। एक ही मंत्री ऐसा है; खाद्य मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा जो किसानों के बीच में जाकर भी कह सकता है कि यह टैक्स लगाना है, वह सीधी भाषा में कह देंगे कि आपका इतना फायदा हुआ तो ४ आने लिए तो क्या हो गया ? उनका आर्ग्यूमेंट लोजिकल है

(श्री भैरोंसिंह)

बाकी माथुर साहब आप डीडवाना की बस स्टेंड पर खड़े होकर कहदें या लाडनूं के बस स्टेंड पर खड़े होकर कह दें कि बस और ट्रक आँपरेटर्स पर इतना टैक्स लगना चाहिये, कभी नहीं कह सकते और कहेंगे तो पब्लिक मीटिंग में एक बात कहेंगे और घर पर दूसरी बात कहेंगे । तो जिस चीज को हम आम जनता में नहीं कह सकते, पब्लिकली किसी को कन्विंस नहीं कर सकते । केवल बहुमत के आधार पर सदन में मनवाना चाहते हैं तो यह लोकतंत्र की स्प्रिट के अनुसार नहीं है । आपने बसेज पर १९४९-५० में १६ रु० पर सीट लगाया, १९६० में ३७.५० पर सीट लगाया और १९६६ में ५० रु० पर सीट । पर सीट आपने इतना टैक्स बढ़ाया, अब आप अंदाज लगाएं तो फिर वे कैसे कमा सकेंगे, फिर तो वे चोरी करेंगे। २५ सवारियों की जगह ३५ बिठाएंगे, गाड़ियों की मशीनरी ठीक नहीं है तो उसकी चिन्ता नहीं, उनको फिटनेस का सर्टीफिकेट मिल जायगा । आपके कई इन्सपेक्टर्स तो "फिटनेस" शब्द नहीं जानते, उसको कहते हैं फिटनेस । आपका एक इन्सपेक्टर एक गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर ने गीयर बदलने की कोशिश की तो उसने ड्राइवर के हाथ पकड़ लिए कि अगर मेरे सामने करोगे तो मैं तो नहीं बदलने दूंगा । तो फिर आप इन्सपेक्टर्स के भरोसे क्या करेंगे ? २० की जगह २५ सवारियां और १०० रुपया महीना इन्सपेक्टर्स को देंगे । तो फिर वे पेसेंजर्स टैक्स की चोरी करते हैं तो कोई बेइमानी नहीं, सवारियां ज्यादा बैठती हैं तो सवारियों को तकलीफ होती है, मशीनरी ठीक नहीं होती है । इस सबके बावजूद भी आप टैक्स वसूल करते हैं तो ऐसे कानून को तोड़ना वाजिब बात है । मैं उनको एन्करज नहीं करता, लेकिन आप स्थिति ऐसी बना रहे हैं कि वे कानून तोड़ें । मैं कई बार प्राईवेट बसेज में जाता हूं, ऊपर से नीचे तक भरी रहती है ।

मैंने उनसे कई बार कहा कि बात क्या है कहने लगे हिसाब देख लो । हिसाब घाटे में चलता है तो बिठाओ । एक लेजिस्लेटर के नाते नहीं कहना चाहिये, मैं इसमें अपनी बहादुरी नहीं समझता । लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम कह नहीं सकते । बस के मालिक आते हैं तो कहेंगे कि न बिठायें लेकिन मंत्रियों की गाडियों में दिल्ली से मक्का की बोरियां आती हैं । इसलिये आती हैं कि वहां मक्का सस्ती है और यहां पर महंगी है । मंत्री महोदय को पहले बंधा हुआ पेट्रोल नहीं मिलता था, फिर तादाद निर्धारित कर दी । राजस्थान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान से युद्ध छिडा, मंत्री महोदय ने कह दिया कि मर्जी चाहे जितना पेट्रोल दो । आप रूल्स देखिये । मैं भी देखे हुए हूं । मैं बैठता हूं आप कह दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : ऐसा नहीं है । जो दौरे में जाते हैं पेट्रोल खर्च होता है तो उसकी पहले भी लिमिट नहीं थी और अब भी नहीं है । लोकल कन्जम्पशन के लिये लिमिट कर दी गई थी और यह सदन के सामने भी आयी थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रोड टैक्स बढ़ाने से आपके दिल में दर्द हो रहा है इसलिए आवाज भी और गला भी रुंध गया है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस समय रूल्स लेकर नहीं आया हूं । सदन में कोट कर चुका हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, पर भी वे ही रूल्स लागू होते हैं वे जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको क्वार्टरली दो सौ गैलन मिलता था उसको ४०० गैलन किया।

श्री मथुरादास माथुर : वह सदन के सामने पेश किया गया था और सदन ने किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले जो अपनी कार रखता था उसको २५०) अलाउन्स मिलता था अब ५००) कर दिया महीने का।

श्री भैरोंसिंह : इतना ही नहीं कार खरीदने के लिए कर्जे की व्यवस्था भी कर दी। अध्यक्ष महोदय को इतना ही मिलता है यह कहा गया, लेकिन उनको तो ज्यादा मिलना चाहिये। यदि उनको ज्यादा पेट्रोल मिलेगा तो वे हमारी कोन्स्टीट्यूएन्सी में जावेंगे तो वहां के हालात को सुनेंगे। आप जाकर हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में बहका कर आते हैं, वे जावेंगे तो वहां के दुख दर्द को सुनेंगे तो सही। पूरे के पूरे साधन अध्यक्ष महोदय को दिये जायें, हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में उनको घुमाया जाय तो उनको भी पता लगेगा कि आखिर ये लोग कितने दुखी हैं।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने पेट्रोल का खर्चा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी बसेज का दायरा बढ़ाने की कोशिश करलें, टैक्स न लगता हो, नेशनेलाइज्ड रोडवेज के कारपोरेशन में घाटा होता है, उस घाटे में बाकी की बसेज को देखें, ट्रक्स को देखें, स्कूटर चालकों को देखें, इनसे घाटे की पूर्ति नहीं होनी चाहिये। घाटे की पूर्ति करनी है, उसको कम करना है तो चार डिप्टी मिनिस्टर्स को कम कर दीजिये। उनकी तनख्वाह से, बाकी की चीजों से; फालतू खर्चे की इससे बचत होगी। इसमें मितव्ययता करनी है तो आप ओपोजिशन के मेम्बर्स को बुलायें। आप बहुत टैक्स लगाकर डेवेलपमेन्ट पर खर्च करना चाहते हैं। डेवेलपमेन्ट पर खर्चे की भी व्यवस्था होगी लेकिन वह ऐसी व्यवस्था होगी कि जिससे न मजदूर बेकार होंगे, न एल० डी० सी० और यू० डी० सी० बेकार होंगे। इस प्रकार की कटौती होगी जिसको राजस्थान की हुकूमत को बता सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऐसा ही कोई प्लान हो तो सबके सामने आ जाय। यहीं कह दो, प्राईवेट में क्यों बात हो?

श्री भैरोंसिंह : वह सही है। आप रोज प्लान देते हैं। आपकी हालत क्या होती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सीक्रेट क्यों रखते हैं। मानें या न मानें।

श्री भैरोंसिंह : आपके यह सीक्रेट प्लान मानें या न मानें; कह देते हैं लेकिन मेरे पास ऐसे सीक्रेट प्लान हैं कि मुझे बाहर नहीं कह सकते कि वाजिब नहीं हैं लेकिन यहां पर कह देंगे कि गैर-वाजिब हैं। आप कह दो कि चार को निकाल दो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारे लीडर समझते हैं तो निकाल देंगे। नहीं समझते तो नहीं निकालते।

श्री भैरोंसिंह : आपने कई बार मुंह से कहा कि राजस्थान का वित्त मंत्री बेकार है। क्या निकाल दिया उसको?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने इन लफ्जों में नहीं कहा । मुकाबले की बात कही ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्त मंत्री खराब हैं क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके लिये अच्छे नहीं हैं तो क्या ? मैंने उनको निकालने की बात नहीं कही, सुधारने की बात कही ।

श्री भैरोंसिह : सुधरे नहीं हैं खड्डे में जा रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप खड्डे में जा रहे हैं । पब्लिक की सेवा क्या कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह : ४००) रु० तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आपको खड्डे में उतारूं ।

इस प्रकार आपने जो अनरर्गोशनेट टैक्स लगाए हैं इससे राजस्थान की ट्रांस्पोर्ट इन्डस्ट्री खत्म होगी । राजस्थान इन्फेन्सी की स्टेज पर है उस हालत में भारत सरकार ने डां० केसकर की चेयरमेनशिप में एक कमेटी की नियुक्ति की है उसकी रिपोर्ट आने वाली है । उप-मंत्री, ट्रांन्सपोर्ट मेम्बर हैं और मसानी जिसके चेयरमेन हैं उस कमेटी का उल्लेख किया । भारत सरकार ने टैक्सेज के बारे में सीमा रखी है उस सीमा को ताक में रख कर इस प्रकार के टैक्सेज लगाने के लिए आमादा है तो इस के सिवाय और कोई चारा नहीं है कि सरकार जिस भाषा में समझती है उसी भाषा में बोलकर उसको समझाया जाय ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थाना गाजी) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ विचारार्थ प्रस्तुत है । मैं इसे प्रजातंत्र में बहुत ही आवश्यक समझता हूं कि किसी भी प्रजातंत्र की हुकूमत को चलाने के लिए टैक्सेज का लगाना बहुत ही आवश्यक है । परन्तु जो टैक्सेज लगाते हैं वे टैक्सेज जिन लोगों पर लगाते हैं उन लोगों की हालत को भी देखना हमारा परम कर्त्तव्य है क्योंकि हम देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं । समाजवादी समाज की स्थापना जब ही कर सकते हैं जब देश में रहने वाले सब लोग, चाहे वे किसी वर्ग के हों, चाहे जैसा वे धंधा करते हों, चाहे जैसा कार्य करते हों, उनको इस बात की सहूलियत हो कि वे अपने बच्चों का, अपनी गृहस्थी का पालन-पोशण कर सकें । आपने रोड टैक्स लगाया, गुड्स और पेसेन्जर्स टैक्स लगाया; इस सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम चाहते हैं कि विकास करें, राजस्थान के बजट में कितनी बड़ी आमदनी होती है और उस आमद के लिए क्या टैक्स बढाना ही परम कर्त्तव्य है आपका, क्या टैक्स बढाना ही परम आवश्यक है और परम आवश्यक है तो वह कौन देते हैं इस बात को सोचेंगे और इसकी तह में जावेंगे तो टैक्स को बढ़ाना और ज्यादा करना है तो उसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आवेगी । मेरे बहुत से साथियों ने और बहुत से लोगों ने यह कहा कि हमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के टैक्सेज को देखना चाहिये, उस समय यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो हालत है वह राजस्थान से मिलती है या नहीं मिलती है ? तो मैं यह कहूंगा कि वहां की हालत हमारे राजस्थान से नहीं मिलती है । हमारी जो रोड्स हैं, सड़के हैं, वे खराब

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हैं और हमारे यहां के बस ओपरेटर्स, ट्रक ओपरेटर्स हैं। आज उनकी जो माली हालत है वह बहुत गिरी हुई है। यह इस बात से जाहिर होता है कि यहां पर जब पंजाब की बसेज आवें, यू०पी०की बसेज आवें और मध्य प्रदेश की बसेज आवें उनको देखें तो स्वतः मालूम हो जावेगा कि राजस्थान के लोगों की क्या हालत है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि आप भी इस धन्धे पर दृष्टिपात करें तो राजस्थान में यह धन्धा होते हुए बाहर के लोग हावी हैं।

यदि आप यह चाहते हैं कि छोटे छोटे जो ट्रक्स चलाने वाले हैं, जो इन पर काम करते हैं उनका नामोनिशान ही मिटाना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई हठ नहीं, कोई गिला नही, दूसरे लोगों को देना चाहते हैं तो दीजये। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि आप यह तो देखिये कि इन टैक्सेज के बढ़ाने से कितनी आमदनी होगी एक करोड, डेढ़ करोड? आखिर कितनी आमदनी होगी। आखिर इतनी आमदनी होती भी है तो कहीं से इसमें सुराख तो नहीं है जो इधर से आमदनी का जरिया करें और वह उधर की उधर ही रह जाय जैसे घडा रात को भर दिया और उस में सुराख रख दिया तो सुबह तक वह खाली हो जायेगा। आखिर आपने इन पर टैक्सेज का कितना भार डाल दिया। बस मालिकों पर जहां चार साल पहले पच्चीस परसेंट टैक्सेज देते थे आज उसको पचास परसेंट सालाना कर दिया। आपने दुगना टैक्स बढा दिया। मोटर मालिकों से, ट्रक मालिकों से ३१२.५० रुपया लिया जाता था उसको बढाकर ३६२ कर दिया। आपको चाहिये तो आप बस मालिकों से ट्रक मालिकों से ३६२ की बजाय पांच सौ ले लीजिये, ६०० ले लीजिये क्वार्टरली कर लीजिये उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।

बहुत से लोगों ने यह भी राय जाहिर की कि हमारे यहां रजिस्ट्रेशन की तादाद बढ़ती जारही है। पहले जो ६ हजार थी वह बढ़कर ४६ हजार हो गई। रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा काम है। आपके यहां जितनी भी चेसिस नयी मिलती हैं, वे डीलर्स को मिलती हैं। नयी चेसिस राजस्थान के अन्दर रजिस्टर्ड नहीं होती तो वे बाहर नहीं जा सकती। इसलिए आपके गंगानगर में रजिस्टर्ड हुई चेसिस पंजाब में चल रही है। गंगानगर, अलवर और जयपुर की चेसिस चाहे मर्सडीज हों चाहे ले लेन्ड हों चाहे एम्बेसेडर कार हो, फिएट कार हो, वास्पा स्कूटर हो वह यहां रजिस्टर्ड होता है उसके बाद आर० जे० एल० और आर० एस० एल० एम्बेसेडर दिल्ली में चलती है और दूसरी दूसरी जगहों पर चलती हैं। इसी प्रकार ट्रक्स जो गंगानगर में पास होते हैं और जाकर पंजाब में चलते हैं इस तरह से रजिस्ट्रेशन के आंकडों का अन्दाज लगाना चाहते हैं तो यह आपका भूल भुलैया का मामला है। आप पहले तो इस बात को देखें जिन लोगों पर आप टैक्स लगा रहे हैं उन लोगों की आमदनी का जरिया किस प्रकार का है।

एक तरफ बस ओपरेटर्स की हालत की तरफ दृष्टिपात करें, मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं। एक-एक रूट पर जो तीस और छत्तीस मील का टुकड़ा है उस पर चालीस-चालीस बसें चलती हैं, चार चार बसें डेली चलती हैं, एक बस का नम्बर पांच पांच दिन में आता है। ३६ मील जाना और ३६ मील आना ७२ मील का टुकड़ा है उस पर एक बस का नम्बर पांच दिन के बाद आता है। अगर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

एक बस में मैंगजीमम पचास सीट भी मानकर चलें तो डेढ़ रुपया अलवर से बहरोड़ और बहरोड़ से किशनगढ़ का १ रु० २५ पैसा चार्ज करता हैं। पूरी सीटें ही भरी हुई मान लें तो उसका माहवारी किराया १,२०० रुपया होता हैं। उस बारह सौ रुपये के अन्दर २२५ रुपये ड्राईवर को देता हैं कंडक्टर को देता हैं। २५० करीबन डीजल पर खर्च हो जाता हैं। पचास रुपये सालाना पर सीट का टैक्स हैं उस हिसाब से ४ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से २२५ रुपया इसका चला जाता हैं। इसके अलावा चालीस हजार की बस लेकर वह चलता हैं वहां कभी कोई मोटर पार्टस भी खराब होजाते हैं, वे इतने महंगे होते जा रहे हैं, इनकी कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी कोई हद नहीं। मैं भी जीप रखता हूं। जीप के टायर खरीदने का खयाल आया; जिस टायर की कीमत पांच साल पहले १२५ रुपया थी मैंने सोचा कि नया टायर खरीद लिया जाय। मेरा टायर पंचर हो गया तो मैं उसको बदलवाने के लिये दुकानदार के पास गया, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। मैंने सोचा नया टायर बदल लिया जाय। जब मैंने टायर की कीमत दुकानदार से पूछी तो उसने बताया २१२ रुपया और सेल्स टैक्स अलग। मैंने उस समय देखा कि अभी नहीं थोड़े दिन ठहर कर लिया जाय। इतने में वह दुकानदार मेरा मिलने वाला था, उसने कहा बाबूजी, १ तारीख को अगर लेने आओगे तो इस पर साढे सात परसेन्ट टैक्स और बढ़ने वाला हैं। जो टायर १२५ में आता था उसका आज २१२ हो गया और फिर जैसा उसने कहा साढे सात परसेन्ट और टैक्स बढ़ने वाला हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यही हालत हैं ट्रक्स के टायर्स और बसेज के टायर्स की। बसेज के टायर जो पहले ५०० रुपये में आते थे उसके अब ६७५ रुपये हो गए। आप इस बात का भी खयाल करें। माननीय सदस्यों से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज इनकी कीमतें कितनी अधिक बढ़ गई हैं। एक तरफ तो रोड का किराया दूसरा जनता पर कर का भार। यह देखकर मुझे एक बात याद आती हैं एक छोटा सा किस्सा हैं।

एक आदमी के दो लड़कियां थीं एक तो उसने कुम्हार को ब्याही और दूसरी धोबी को। कुछ दिनों बाद लड़कियों का बाप अपनी लड़कियों से मिलने गया। पहले धोबी के यहां गया; वहां अपनी लड़की से पूछा कैसे हाल हैं, तो उस लड़की ने कहा पिताजी पन्द्रह दिन में यदि बरसात बन्द नहीं हुई, तो भूखों मर जायेंगे, कपड़े कैसे धोयेंगे। उसके बाद कुम्हार के यहां गया। उस लड़की ने भी कहा पन्द्रह दिन में यदि बरसात नहीं हुई तो बरतन कैसे तैयार करेंगे, भूखों मर जायेंगे। जब दोनों से मिल कर वह घर आया तो उसकी पत्नि ने पूछा कि लड़कियों के क्या हाल चाल हैं तो उसने कहा पन्द्रह दिन में एक मरेगी। तो इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जनता पर यह टैक्स लगेगा, लेकिन उसमें एक वर्ग बस ओपरेटर्स का, ट्रक ओपरेटर्स का यह जरुर नजर नहीं आयगा; इसलिए नजर नहीं आएगा कि वह इस योग्य नहीं रहेगा कि वह इतना टैक्स भर सके। उनके पास आमदनी का जरिया नहीं रहेगा तो ज्यादा दिन तक वह अपनी बसेज को नहीं चला सकेगा।

आज जो हमारे देश में यातायात के साधन हैं उनमें ये ट्रक्स और बसेज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सही मायने में समाजवाद को लाने वाले हैं। आज अकाल की सी स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह अनाज के लाने लेजाने, घास के इधर उधर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लाने लेजाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज सस्ती दर पर एक जगह से दूसरी जगह चीजें भेजने का यह अच्छा माध्यम है। आज हमारे देश में ट्रान्सपोर्ट के साधनों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि आप स बारे में यहां की और यू० पी० और पंजाब की तुलना न करें। आप यह देखें कि ट्रान्सपोर्ट में किस प्रकार की बसेज और ट्रक्स चलते हैं। आपने तो गुड़ और खल एक ही भाव कर रखा है। झुंझुनू से दिल्ली के लिये बस का परमिट दिया है जहां से दिल्ली २०० माइल है वह भी उतना ही टैक्स देगी जितना २० मील का टुकड़ा है उस पर चलने वाली बस देगी जिसका नंबर हर पांचवे दिन आता है। दोनों पर समान टैक्स लगेगा। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। जिन बसेज को छोटे-छोटे रूट्स के परमिट दि जाते हैं उनके लिये रूट्स का एडवर टाइजमेंन्ट होता है। आब्जेक्शन इनवाइट किये जाते हैं। लेकिन झुंझुनू से दिल्ली का परमिट कब दे दिया, किन हालात में दे दिया गया, राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य को किस प्रकार दे दिया या उसी को देना था या और किसी को देना था, दिया गया। इतने बड़े बड़े रूट के परमिट बिना किसी एडवरटाइजमेंन्ट के दे दिय जाते हैं उनके लिये कोई ओब्जेक्शन आदि की जरूरत नहीं और जिन छोटे रूट्स के लिये परमिट देने की बात हो, वहां ओब्जेक्शन्स और दूसरी-दूसरी बातें होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि हरेक रूट पर कितनी केपेसिटी है कितना परमिट हो सकता है। यह नहीं कि एक तरफ टैक्सेज के बढाने के लिये पांच-पांच दिन से जिन सेज का नम्बर आता है वे भी उतना ही टैक्स पे करें जितना डेली २०० मील चलने वाली बस पे करे। उनको भी फाइनेन्स करने वाले वैसे ही उधार नहीं देते।

यदि हम बाजार में पांच रुपया लेने जावें तो मिलने में दिक्कत होगी। पर ट्रकों को चेसिस वालों को, बस के मालिकों को फाइनेन्शियर्स लोग सूद के मारे चूसते हैं, दो रुपया, ढाई रुपया सैकड़ा, तीस परसेन्ट इन्टरेस्ट पर रुपया लोन देते हैं। मन्थली इन्सटोलमेन्ट के रूप में लेते हैं। तो ट्रक और बस ओपरेटर्स बेचारे उसके सूद को भी बर्दाश्त करके उसकी मन्थली किश्त भी चुकाते हैं और अपने बच्चों का पेट भी भरते हैं। यह बड़ी कमाई आपको जो नजर आती है, वह इनकी नहीं है। यह उनकी है जिनको आपने लम्बे लम्बे रूट दे दिये हैं, जिनकी इन लम्बे रूटों की एक तरह से मोनोपोली बन गई है। अलवर-जयपुर, जयपुर से दिल्ली, अजमेर-अहमदाबाद। जिनको आपने बड़े रूट घोषित कर रक्खा है और इनके लिये जिनको आपने मोनोपोली दे रक्खी है। लोकल ट्रक वालों का हाल अच्छा नहीं है। छोटे हैं उनका रूट भी नहीं।

इधर तो रूट का सवाल है और दूसरी तरफ एक भूल भुलैया और है। मैं निवेदन करूं कि रजिस्ट्रेशन के नम्बर देखकर बजट में आमदनी के आंकड़े सरकार ने तैयार कर लिये होंगे तो आपका बजट पूरा नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रक्स और बसेज मौजूद हैं जिनके नम्बर रजिस्टर हुए सात-सात, आठ-आठ साल हो गये, जिनका पता नहीं, मालिक का पता नहीं, ट्रक या बस का पता नहीं। मालिक का पता भी हो तो उसे मोतियाखान में बिके आठ-आठ साल हो गये। तो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इसका कोई आपके पास तरीका नहीं, विचार नहीं। आखिर राज के बजट में इन गलत आंकड़ों के आधार पर लाखों करोड़ो रुपया बकाया निकलेगा नहीं तो क्या होगा। जिस ट्रक का या बस का आठ आठ साल से नामो निशान नहीं उससे आप कैसे वसूल होने की उम्मीद लेकर आंकडे बनाते जाते हैं? आखिर इसकी व्यवस्था आपको एक्ट में करनी होगी। अगर कोई दो साल में फीस नहीं देगा, तो उस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। डेढ साल, साल भर नहीं देगा, तो कैंसिल कर देंगे। कुछ मियाद आप रखिये। पर आज तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आपके एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। आप दो सौ जुर्माना कर लो, तीन सौ कर लो। आप इसका एण्ड भी तो कहीं करेंगे? जब गाड़ी अस्तित्व में ही नहीं रही, तो उसका रजिस्ट्रेशन उसका परमिट और फिटनेस कभी कैंसिल तो करेंगे कि नहीं? इसके लिये आप तैयार नहीं।

अगर सरकार जानना चाहे तो इस तरह की बहुत सी गाड़ियों के नम्बर मेरे पास हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एक तरफ डीजल महंगा हो रहा है, और होता जा रहा है, टायर महंगे, दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यदि इनकी बढ़ती हुई कीमतों को देखें और दूसरी तरफ उसके मुकाबले में उनकी आज की आमद को देखें तो स्वतः ही आपको मालूम हो जावेगा कि जो टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हैं उनको वहन करने की शक्ति इन बस और ट्रक आपरेटरों में नहीं है।

इसका एक इलाज तो सबसे बड़ा यह होता कि राजस्थान सरकार के जो इससे सम्बन्धित दो विभाग हैं, एक ट्रांसपोर्ट का जिसमें गुड्स टैक्स की बात होती है तो माथुर साहब कह देते हैं कि इससे मेरा सम्बन्ध नहीं। और रोड टैक्स की बात सामने आती है तो गुडस टैक्स वाले कहेंगे कि इससे हमारा सम्बन्ध नहीं। दो टैक्स इन पर मनमाने तौर पर जो चाहे बढाता जा रहा है, और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। तो अगर ये दोनों विभाग एक साथ होते, या इनमें अच्छा कोआर्डिनेशन होता तो शायद है यह करारोपण गुडस टैक्स का आता या रोड टैक्स का आता, या कोई भी आता कि नहीं? आप दोनों एक साथ नहीं लगाते। इधर गुडस टैक्स जो पहले १६५ रुपया साल था आज ३३० हो गया। दुगुना से ज्यादा हो गया।

अब बस वाले तो पैसेन्जर्स टैक्स पैसेन्जरों से वसूल कर लेते हैं पर गुडस टैक्स अगर ट्रक वाला गुड्स वाले से वसूल करने जावे तो उसे वह नहीं मिलता, उसको ही घाटे में रहना पड़ता है क्योंकि उसे रेलवे से कम्पिटीशन में खड़ा होना पड़ता है। अगर गुड्स टैक्स मांगेगा भी तो वह किराये में कमी कर देगा। इसलिये आखिर जाकर यह गुड्स टैक्स भी ट्रक ओनर को अपनी जेब से देना पडता है।

सरकार को पता नहीं कि प्राईवेट बस ओपरेटरो को बन्द करने से और स्टेट रोड़वेज को चलाने से प्रकारान्तर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

से कितना घाटा हुआ है और कितना नुकसान पब्लिक को हुआ है, कितना अनएम्पलोयमेन्ट हुआ है।

सरकार के कारपोरेशन की तरफ से बसें चलती हैं। ४४१ बसें हैं, और उनकी आठ लाख की आमदनी सरकार बताती है। यह उस घाटे के सामने कोई आमद नहीं जो सरकार को भुगतना पड़ रहा है। कारपोरेशन ८ लाख की आमदनी की बात करता है, मैं २८ लाख के घाटे की बात सरकार को बताना चाहता हूं। २८ लाख का और इससे भी अधिक का घाटा बर्दाश्त करके सरकार ८ लाख कमाती है।

सारी बसों का उदाहरण नहीं देकर मैं रोडवेज की अलवर–जयपुर की रूट पर चलने वाली बसें का उदाहरण देता हूं। पहले ४२ बसें प्राईवेट बस ओनरों की चलती थीं। अलवर से नारायणपुर १६, अलवर से दिल्ली ८।

अध्यक्ष महोदय, इन ४२, १६ और ८ बसों का रोड टैक्स राजस्थान के खजाने में आता था और अब उनकी जगह १२ बसें रोडवेज की लगाई हैं, ८ और ४ और लगाई हैं। इस तरह से ४२ बसों का रोड़ टैक्स आज कम हो गया है।

इस तरह से ४२ बसें एक रूट पर कम हुई; ६६ में से तो ४४२ बसों के अन्दर भाग लगा दीजिये, कितनी कम हुई। ४२ बसों का अन्दाज ८० हजार का रोड टैक्स बनता है। अब इस पर से अन्दाज लगाइये कि बाकी की बसों पर कितना घाटा सरकार को हुआ है। तो इस पर से आप स्वतः ही अन्दाज लगालें कि रोडवेज से क्या फायदा सरकार को है।

दूसरा पहलू इसका और है। रोडवेज में ८ लाख की बढ़ोतरी बताई गई। अब एक बस रोज चलती है ७० मील ७५ मील और ७०–७५ मील वापिस आती है तो १५० मील रोज चली। इसके बाद ८ लाख रुपया कमाया। जब कि दूसरी गाड़ियां १८–१९ मील रोज चलने वाली हैं। उन पर ३२ रु० पर सीट टैक्स था, जो आज ५० रु० कर दिया गया। उधर टायरों पर बढ़ती कीमतों पर आपका चेक नहीं, डीजल को बढ़ती कीमतों पर आपका चेक नहीं। स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती कीमतों पर चेक नहीं तो इस प्रकार होने वाली हानि को देखें आप।

दूसरी तरफ एक और नुकसान हुआ है। जितने बस और ट्रक ओपरेटर्स होते थे इन्कमटैक्स देते थे। उनका शेअर भी राजस्थान के खजाने में आता है जो अब कम हो गया है।

फिर एक बात और निवेदन करूं। पहले एक-एक बस पर तीन-तीन आदमी प्राईवेट ओपरेटर रखते थे, आज भी जहां हैं, तीन-तीन आदमी रखते हैं तो आपने ४२ बसें कम कर दीं तो १२६ आदमी बेकार हो गये। यह एक रूट का हाल है। बाकी कितने हैं आप गुणा कर लें।

तो आप इन सब आंकड़ों को देखना चाहें तो आपको मालूम होगा आपके रिसोर्सेज कितने कम हो गये हैं।

आप टैक्स बढ़ाते हैं बढाईये, पर उनके

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जो साधन हैं उनकी आमदनी के वे साधन किस तरह से बढ़ें यह भी आप देखिये। हरेक को आप ५० मील पर डे का एवरेज देना चाहते हैं और दूसरी तरफ बड़ों बड़ों को मोनोपोली रूट पर लगाकर श्योर करना चाहते हैं कि उनको ज्यादा साधन मिलें, ज्यादा आमदनी उनको हो।

अगर आप आमदनी के जरिये बढाने के लिये उनके लिये साधन उपलब्ध कराना चाहते हैं तो २५ बीस रुपया के टैक्स के लिये कोई बड़ी बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम ट्रक बस ओनरों के खाने कमाने के साधन बढावे। आज तो छोटे-छोटे लोकल रूटों पर चलकर वे मुश्किल से तीन सौ, चार सौ रुपया महीना बचा पाते हैं और उससे अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण भी मुश्किल से कर पाते हैं। वह भी आप राज्य के खजाने में ले लेना चाहते हैं, तो बड़ा दुख पैदा होता है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप इन सारी बातों को बारीकी से, गहराई से देखें, मनन करें और विचार करें।

आप तो इतना भी करलें कि जो आज आपके टैक्सों का लीकेज हो रहा है उसे न होने दें और जैसा मैंने पहले कहा था कि घड़े में पानी भरा है पर उसके छेद आप रोक दें तो आपको इन टैक्सों की जरूरत ही न पड़े। आपके पास मोटर व्हिकल टैक्स हैं, गुड्स टैक्स, पैसेन्जर्स टैक्स हैं। यदि सबको ठीक तरह से वसूल करने के लिये तत्परता से काम लें और जो गाड़ी रजिस्टर हो गई और टैक्स एक दो साल नहीं देती है तो उसे कैंसिल करने का प्रोवीजन कर दें और जो लाखों करोड़ों रुपया टैक्स का लोगों में बकाया है उसे वसूल करने में सावधानी बरतें तो इन तीन मुद्दों से आपको इतनी वसूली हो जावेगी कि जितनी इस टैक्स को लगाने के बाद भी नहीं मिलने वाली है। नहीं तो इन टैक्सों से यह होगा कि दो तीन महीनों में राजस्थान की हजारों गाडियां दूसरे प्रान्तों में चली जावेंगी, बहुत सी चली गई हैं और वहां बिक गई हैं। आखिर नतीजा इसका यह होगा कि लोग दुविधा में पड़ जावेंगे, ट्रक वाले तबाह होंगे और जनता भी परेशान होगी। इसलिये ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन मुद्दों को अच्छी तरह से देखें।

एक भाई ने यह प्रश्न किया था हाउस में कि वे जनता की इस वाजिब मांग पर भी विचार नहीं करेंगे और ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम उनकी नहीं सुनेंगे तो यह बात जनतन्त्र के खिलाफ पड़ती है। प्रजातन्त्र का तो उसूल यह है कि जो सही मांग हो, सदन में या बाहर सरकार अगर उसे सही समझे तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही जगह पहुंच जावें। तो अन्त में यही निवेदन करता हूं कि आप इस पर सही तरीके से गहराई से विचार करें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०): अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री मथुरादास माथुर (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने

(श्री मथुरदास माथुर)

जो विचार रखे उन विचारों से और खास तौर से वह विचार जिससे कि हमारे यहां पर कर की वृद्धि हो सकती है और कर में चोरी होती है या कर में लीकेज होती है उसको रोकने के लिए जो सुझाव रखे गये हैं उनके लिए तो मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके सुझाव हैं उनके ऊपर राज्य सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और इस तरह का प्रयत्न करेगी कि हम जहां तक हो सकेगा कर की वसूली ठीक कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी जबकि इसी सदन में ट्रान्सपोर्ट विभाग की मांग पर चर्चा हुई थी उस समय मैंने आंकड़ों के साथ में इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात की तसल्ली दिलाने की कोशिस की थी कि हमारे विभाग ने इन वर्षों में जो करों की वसूली करने के लिए तत्परता और होशियारी दिखाई है उसके लिए मुझे याद है कि मैंने और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने माना था कि इस विभाग के अधिकारी सराहनीय हैं। इसलिए आज के दिन करों की वसूली में और जो आंकड़े बजट में हम बताते हैं हम करीब करीब सेन्ट परसेन्ट उसकी वसूली कर लेते हैं और जो कुछ भी बकाया बाकी है उसके लिए भी मैंने आपको दूसरे प्रान्तों से उसका मुकाबिला करके यह आंकड़े मैं सदन के सामने रख चुका हूं अब मैं दुबारा समय लेना चाहता नहीं हूं इसलिए यह कुछ माननीय सदस्यों का विचार कि जो कुछ भी कर लगाये जाते हैं उनको पूरी तरह से वसूल कर लिया जाये तो उनसे स्वतः ही इतनी आमदनी पैदा हो जायेगी कि जिसकी वजह से नये कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इसके लिए पूरी सतर्कता बरती है और उसके लिए सदन के सामने आंकड़े भी रख चुका हूं। यह बहुत जोरों से माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि जो कुछ भी राष्ट्रीयकरण करते हैं उसमें एक व्यक्ति जो अपने उद्योग को चलाता है उसके मुकाबिले में कुछ आंकड़े देकर यह कहा जाता है कि प्राईवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का कम्पिटीशन एक ही रूट पर किया जाये और जिसकी वजह से माननीय सदस्य यह विचार रखने का प्रयत्न करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में मुनाफा कम होगा और इसलिए प्राईवेट सेक्टर अच्छा है। मैं इस विचार को कतई गलत समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट सेक्टर वाले जो धन्धा करते हैं उनके पास में कई तरह के ऐसे कार्य हैं जो पब्लिक सेक्टर में करने वाले नहीं कर सकते। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों को मजदूरों की मांगों का उन्हें पूरा ध्यान रखना पड़ता है और उनके पूरे हकों को देना पड़ता है। इसलिए ऐसी सूरत में पब्लिक सेक्टर मुनाफा करने के लिए ही साधन नहीं है बल्कि उसके साथ ही साथ समाज के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधन है। ऐसी सूरत में कम मुनाफा भी हो इसमें तो यह एक बहुत बड़ी चीज है जिसको राज्य सरकार को अपनाना चाहिये और हलके हलके हम उसकी और बढ़ते जा रहे हैं। यह बहुत जोरों से कहा गया

(श्री मथुरादास माथुर)

और पचास रुपये लेते हैं। इसलिए यह कहना कि राजस्थान के अन्दर मोटर व्हिकल्स पर, बसेज पर भार ज्यादा है, कहना वाजिब नहीं है और अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैंने माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह दिया है इसलिए कि कोई गलतफहमी माननीय सदस्यों के बीच में न रहे। हमारी भी जो हमारे मोटर व्हिकल ओपरेटर्स हैं, चाहे वे गुड्स के हों, चाहे पैसेंजर सर्विस के हों, हमारी भी उनके साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन यहां पर भी इस तरह के भाषण सदन में हुए कि जिससे लोगों को महसूस हो कि राज्य सरकार इन मोटर व्हिकल ओपरेटर्स के खिलाफ है और माननीय सदस्य ही उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, राज्य सरकार तो उनके खिलाफ ही चलना चाहती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार बराबर अपना फर्ज समझती है और जो भी उनकी तकलीफें हैं उनको दूर करने का अपना जिम्मा लेती है।

इसके साथ साथ इस वक्त जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है उसके अन्दर भी माननीय अध्यक्षजी, तीस प्रतिशत इन्क्रीज हुआ है। इस पीरियड के अन्दर, इस दूसरी पंचवर्षी योजना के अन्त तक जो कोस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स ऑफ रोड्स हैं उसके अन्दर तीस प्रतिशत इन्क्रीज हुआ है। ऐसी स्थिति में यह टैक्स, मोटर व्हिकल टैक्स तो कम्पन्सेट्री टैक्स है। इसका रिलेशन रोड से है, रोड से यह टैक्स सम्बन्ध रखता है। सड़कें बनाने की मांग सदन में आए दिन की जाती है और सड़कों के रिपेयर्स की मांग भी की जाती है। सड़कों के रिपेयर्स की और सडकों के बनाने की भी आए दिन तरक्की हो रही है और जब इस विषय की डिमाण्ड पर विचार हुआ था तो सम्बन्धित माननीय मंत्रीजी ने बताया था कि राजस्थान के अन्दर इस योजना में हजारों मील सड़कें नई बनाई गई हैं। कोलतार की सड़कें, ए० बी० सी० टाइप की सडकें, और और तरह की सड़कें जो बनी हैं उनके आंकड़े रखे थे और इसकी जानकारी के लिए एक पुस्तिका छाप कर भी वितरित की गई थी। ऐसी स्थिति में जो माननीय सदस्य ५०-५१ की बातें करते हैं तो उस वक्त न तो इतना बिजनेस था, न इतना ट्रेड था, न प्रोडक्शन था और न इतनी फ्रिक्यूएंसी थी। उस वक्त दो से पांच टन तक की कोई व्हिकल नहीं थी, जबकि आज माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान के अन्दर पांच से लेकर नौ टन की व्हिकल्स राजस्थान में चलती हैं। मकराना से ९ टन पत्थर भर कर संगमरमर का पत्थर लेकर राजस्थान से गुजरात, मद्रास और दिल्ली की ओर जाते हैं तो जो स्पेसिफिक कोलतार की रोड्स हैं उन पर इन बड़े भारी लोडों से कितना असर पड़ता है, रोड का डेप्रीसियेशन होता है। माननीय सदस्यों की शिकायत रहती है कि सड़कें बनते ही साल भर में ही कोरोगेशन हो गया। अब यह कोरोगेशन न हो तो क्या हो जबकि आज यहां पर १३ टन, १५ टन, २० टन और ३० टन तक की व्हिकल्स चलती हैं। ऐसी स्थिति में जब इतनी व्हिकल्स चलती हैं और इतनी भारी भारी व्हिकल्स चलती हैं तो उसका सड़कों पर इम्पेक्ट होता है, सड़कों का कितना

(श्री मथुरादास माथुर)

डिटिरियोरेशन होता है। तो इस प्रकार जब उनकी आमदनी बढ़ गई है, रोड्स को वे ज्यादा काम में लेते हैं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी फ्रीक्युएन्सी बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गया है तो उसका टैक्स भी ज्यादा देना होगा और ज्यादा देना चाहिये। यह हमारे ईमान का तकाजा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में माननीय अध्यक्षजी, यह भी कहा गया कि डीजल के भाव बढ़ गए हैं, टायरों के भाव बढ़ गए है तो ठीक है, भाव बढ़ गए हैं तो मैं क कहता हूं कि ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अगर भाव ज्यादा बढ गए हैं तो ज्यादा किराया चार्ज करो। जब रेल्वे के द्वारा भी फेयर में वृद्धि की जाती है क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, चीजें महंगी मिलने लग गई हैं आज के दिन, तो जो ब ओपरेटर्स का किराया मुकर्रर किया गया था उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो दस साल पहले मुकर्रर किया गया था उसको बढाओ। मैं यह नहीं कहता कि मन चाहे वैसे ही किराया बढ़ा लो, लेकिन मैंने तो सिर्फ दो सौ, ढाई सौ रुपया बढाया है और पूरे टैक्स के स्ट्रक्चर को लें तो बारह परसेंट है, कहीं बीस और पचीस परसेंट है लेकिन उसकी जगह आपकी व्हिकल्स की केपेसिटी भी बढ़ गई है, बीस और तीस टन तक के लोड्स हैं। तो जो आप कहते हैं कि चीजों के भाव बढ़ गए है, डीजल का भाव बढ़ गया है, चेसिस का भाव बढ गया है, टायर्स के भाव बढ़ गए हैं तो इसके साथ साथ रोड के कंस्ट्रक्शन की कीमत भी तो बढी है। रोड के कंस्ट्रक्शन को कम्पेन्सेट भी तो करना पड़ता है, अब चाहे वह गुड्स टैक्स के जरिए हो, चाहे सर्विसेज के जरिए, पेसेन्जर्स टैक्स के जरिए कम्पन्सेट करना पड़ता है उसको हमारे यहां पर व्हिकल्स पर जो सालाना टैक्स लगता है तो उसको भी हमने तीन रीजन्स में बांट रखा है। जो अपनी गाड़ी को चाहे वह बस ओपरेटर हो या लोड को प्लाई करने वाला हो, जो राजस्थान में बस चलाता है उसका एक पेटर्न है, गुड्स का भी पेटर्न है। हमने इसके तीन रीजन बना रखे हैं, एक पेटर्न है टैक्स का। कोई आदमी सिर्फ अपने एरिया में ही, एक इण्डस्ट्रीयल पोइन्ट से एण्टरप्राइज तक ही वह काम करता है तो उसका टैक्स कम है। और जो सारे राजस्थान में चलाता है उसका टैक्स उससे ज्यादा है और जो आल इण्डिया में ले जाता है उसका टैक्स और भी ज्यादा है। अब जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही उसकी ओर मैं ध्यान दूंगा कि रीजन छोटे हो गए हैं। मैं निवेदन करूं कि रीजन जो छोटे या बड़े हैं वे रेवेन्यू के डिविजन या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं हैं। गंगानगर के एक जिले के अन्दर जितनी ओटोमोबाइल्स हैं, जितनी गाडियां हैं, चाहे जीपें हैं चाहे कारें, बसें, लोरीज हों ट्रेक्टर हों ये सब मिला कर इतनी व्हिकल्स हैं कि उनको देखते हुए एक रीजन बनाना ठीक समझा गया क्योंकि इससे लोगों को सहूलियत रहे टैक्स जमा कराने में और दूसरे दूसरे कामों में भी और इसी लिए हमने वहीं पर एक रीजन मुकर्रर किया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): दूसरी जगह भी इतना ही कर दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : सुन लीजिए

(श्री मथुरादास माथुर)

है और मैंने पहले भी कहा है कि रोड़वेज कोरपोरेशन का प्रोफिट जो पहले २६ लाख था अब उससे घटकर कम होता जा हा है। इसके कई कारण हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि वह प्रोफिट जो पहले २६ लाख था वह अब कम इसलिए होता जा रहा है कि आज बढ़ती हुई डीजल की महंगाई, करों की महंगाई, रेट ऑफ इन्टेरेस्ट में वृद्धि, टैक्स की दरों में वृद्धि और उसके साथ ही साथ हमारे यहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करने से और दूसरे कई तरह के कारण हैं कि जैसे इन दिनों मजदूरों की मांगों के लिए मन्जूर किया था। अगर इन सब कम्पोनेन्टस को जोड़कर देखा जाये तो आप को इस बात का अनुभव होगा कि अब प्रोफिट का माद्दा उतना नहीं हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी भावना बिल्कुल गलत है कि कोरपोरेशन को व्हिकल टैक्स नहीं देना पड़ता है या दूसरे टैक्सेज जो यह हाउस पास करता है उनको नहीं देने पड़ते हैं। रोडवेज कोरपोरेशन जितने टैक्स यह सदन किसी व्यक्ति के ऊपर लागू करता है वह सब उसके ऊपर लागू होते हैं। इसलिए जो टैक्स आज हम बढ़ाने जा रहे हैं या जो टैक्स यहां पास कर दिया जाता है वह रोडवेज कारपोरेशन की हर बस के ऊपर लागू होगा, उसके ऊपर इन्कम-टैक्स भी लागू होता है, कोरपारेशन टैक्स भी लागू होता है, रोडवेज की चीजों की खरीद के ऊपर सेल्स-टैक्स भी लागू होता है और मोटर व्हिकल्स टैक्स भी लागू होता है, जर्स टैक्स भी लागू होता है तो ऐसी सूरत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय वर्कशोप डेवेलप नहीं होने की वजह से बहुत सी गाड़ियां ऑफ दी रूट रहीं और नई गाड़ियां भी एमरजेन्सी के कारण नहीं आईं। इसलिए कुछ दिक्कतें पैदा हुईं, वर्ना रोडवेज को भी टैक्स देना पड़ता है और उसके लिए कोई एग्जेम्प्शन नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो आज मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन में बढ़ोतरी करने का प्रावधान रखा है इस अधिनियम के द्वारा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले ५१ में और ५२ में यह टैक्स लागू हुआ था फिर कुछ चीजें ५७ में रिवाइज हुई थीं और अब हम फिर इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। इन वर्षों के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने फिगर्स से बताना चाहता हूं कि कितनी फ्रेट टन किलो मीटर में वृद्धि हुई है। अगर १९५०-५१ की बेस मान लें तो यदि उस समय १०० फ्रेट टन किलो मीटर यदि १९५०-५१ में मान लें तो आज १९६३-६४ तक के आंकड़े हमारे पास हैं वहां फ्रेट टन किलो मीटर ४९०.९ हो गया है। इसके मतलब करीब करीब ५ गुना वृद्धि हुई है। नेशनल इनकम जबकि हमारी १९५०-५१ में १०० बेस माना जाये तो इस समय १५७.५ है। ऐसी सूरत में इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के अन्दर यदि १९५०-५१ को बेस मानकर १०० समझा जाये तो उसमें वृद्धि हुई है २०२.५ की।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): आप यह भी बतादें कि उस समय गाड़ियों की कीमत क्या थी और टायर, ट्यूब्स

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
की कीमत क्या थी और वह कितने परसेन्ट इन्क्रीज हुई है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस समय जो इकोनोमिक ट्रेण्ड बढ़ा है उसके लिए कह रहा हूं, भाव के बारे में नहीं कह रहा हूं।

अगर १०० को बेस मान लेते हैं तो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के अन्दर जो इन्क्रीज हुआ है वह २०२.५ हो गया है। इसका मतलब करीब करीब २। गुना हो गया है। मिनरल प्रोडक्शन के अन्दर यदि १६५०-५१ में १०० बेस था तो इस समय २०२.२ हो गया है। इसका मतलब दुगुना हो गया है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अन्दर अगर १६५०-५१ के अन्दर १०० बेस समझा जाये तो इस समय १॥ गुना हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अन्दर, मिनरल प्रोडक्शन के अन्दर इतनी वृद्धि हुई है जिसकी वजह से इनके मूवमेन्ट के लिए भी रोड और रेल के जरिये से तरक्की हुई है। उसकी वजह से लोगों के पास में जो ट्रान्सपोर्ट के फिगर्स १६५०-५१ के और आज के कम्पेयर करते हैं जो कि करीब ४६ हजार पहुंच गये हैं बल्कि हर एक ट्रान्सपोर्ट की माइलेज की फ्रीक्वेन्सी बढ़ गई है। ऐसी सूरत में आज गुड्स ट्रान्सपोर्ट करने के लिए बढ़ गया है और उसके साथ ही साथ में यह भी मानता हूं कि पोपुलेशन का इन्क्रीज हुआ है और जब पोपुलेशन इन्क्रीज हुई है तो कन्जम्पशन बढ़ गया है और लोगों की हैबिट्स बढ़ गई हैं। इसलिए मूवमेन्ट और बढ़ गया है। पहले गांवों के अन्दर लग्जरी गुड्स नहीं जाता था लेकिन अब गावों के अन्दर गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये सब चीजें पहुंच गई हैं वर्ना पहले गांव के लोग वही रेजा बनाकर गुजारा कर लेते थे। यह सब बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए रख रहा हूं कि यह बता सकूं कि इन लास्ट १० ईयर्स में लोगों की हैबिट्स में चेन्ज आया है, प्रोडक्शन बढ़ा है और ऐसी सूरत में गुड्स का मूवमेन्ट इतना बढ़ा है कि सबको अगर गौर करें तो मैंने जो कुछ फिगर्स १,२०० से १,४०० और १,५०० से १,७०० कर दिये हैं वह माइलेज और इसके टैलीस्कोपिक माइलेज को वितरित किया जाय तो उसका फिगर नेग्लीजीबल होगा। ऐसी सूरत में यह कहा जाता है कि इण्डस्ट्रीज ठप्प हो जायेंगी या जो गुड्स ट्रेफिक मूवमेंट में लोग बेकार हो जायेंगे, सरकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा तो यह वाजिब नहीं है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करूं कि जो कुछ भी राज्य सरकार ने बढ़ाया है वह बहुत नेग्लोजीबल है बमुकाबिले दूसरी स्टेटों के। अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि हमको दूसरी स्टेटों के फिगर्स बताए जायं और खास तौर से पंजाब की तरफ ध्यान दिया जाता है। मैं निवेदन करूं कि पंजाब के अन्दर बसेज पर एक सीट पर ७५ रुपये की सीलिंग मुकर्रर है। एक सीट के लिए ७५ रुपये पये सारी बस के लिए तीन हजार का टोटल भार है। जहां पंजाब में ७५ रुपया पर सीट और तीन हजार रुपये बस पर लेते हैं, वहां राजस्थान में चालीस रुपय २५ से ४० तक की सीट्स पर लेते हैं और ५० रु० अगर चालीस से अधिक हों तो हैं। तो जहां ७५ रुपये हैं वहां हम चालीस

(श्री मथुरादास माथुर)
पहले मेरी बात को, थोड़ा सबर रखें।

माननीय अध्यक्षजी, तो मैं अभी यह बतला रहा था कि जो हमने गंगानगर का रीजन बनाया तो इसका रोड लेवल कुल ७० माइल तक का है। गंगानगर के एक इलाके से इधर से उधर जावें तो सत्तर मील से अधिक नहीं बैठता है और इस तरह कुल सत्तर मील के अन्दर ही उसको बिजनेस मिलता है, और एक आदमी जो जोधपुर में परमिट लेता है तो उसको दो सौ मील का बिजनेस मिल जाता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं। जहां तक रीजन्स का सवाल है मैं इसको आर० टी० ओ० के साथ नहीं जोड़ता। आर० टी० ओ० के साथ रीजन्स जोड़ने की बात नहीं है लेकिन जहां तक उनके बिजनेस करने की बात है इसके लिए राज्य सरकार विचार कर रही है कि आज जो रीजन्स रख रखे हैं उनको रखें या न रखें, कितना रखें, या इस सारे स्ट्रक्चर को री-ऑर्गेनाइज करें, इस सारे मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है और निर्णय भी जल्दी ही लिया जाएगा। इस बारे में गगानगर के बस, लारीज के चलाने वाले ऑपरेटर्स की मांग है उसको मैं वाजिब मानते हुए इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक......

श्री भैरोंसिंह : आज नाराजगी है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्षजी, अमूमन चले जाया करते हैं इसलिए ऐसा हो गया। मेरी खुशकिस्मती है कि आप बिराजे हुए हैं और इसलिए मेरे पर इधर-उधर से हमले भी कम हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा था कि मैंने आपसे कहा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरे चौथे प्लान की योजना और थर्ड प्लान के ऊपर जो खर्चा हुआ और पूरे टैक्स स्ट्रक्चर का बयान करते हुए कुछ बातें रखीं, वह ठीक है। वह छपी हुई किताब है आप १० दफा पढ़ चुके हैं और मैंने लिखी है, लेकिन उसका इन्टरप्रिटेशन किस तरह से किया जाय, किस तरह से उसको रखा जाय, कौनसी लाइन पढ़ी जाय और कोनसी लाइन नहीं पढ़ी जाय इसके जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य आर्टिस्ट हैं। मुझे तो जो लिखा हुआ है वही पढ़ना पड़ता है, लेकिन वे छिपा जाते हैं।

यह ठीक है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना इस सदन में करीब करीब २०६ करोड़ की बनाई थी। जिसको कि कोर ऑफ दी प्लान कहा गया था और जिसको पूरा किया गया। उसके अन्दर सेन्ट्रल असिस्टेन्स जितनी मिलनी चाहिए थी २३२ करोड़ की वह पूरी सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिली। यह कहा जाय कि हम अपने हिस्से का रुपया टैक्स के जरिये से दें या नॉन-टैक्स के जरिये से दें या और दूसरे रिसोर्सेज से रेवेन्यू लायें, हमको अपना शेयर देना पड़ता है। जब शेयर अपना देना पड़ता है तो कुछ हालत ऐसी हो गई कि ३२ करोड़ टैक्स से वसूल होकर और टोटल रिसोर्सेज को पूरा करके सेन्ट्रल असिस्टन्स पूरी ले ली और राज्य का कम हिस्सा दिया गया तो माननीय

(श्री मथुरादास माथुर)

सदस्य को क्यों ऐतराज होना चाहिए। हमारे यहां। जो कमी रही है वह सेल ऑफ लैण्ड की रही है जो हमने नहीं बेची और बेटरमेंट लैवी और सेल्स टैक्स, इन दो-तीन की वजह से टारगेट जो मुकर्रर किया गया था वह नहीं कर पाये। भाखरा की लैण्ड तो आज नहीं बेची कल बिक जायेगी। तो नॉन-टैक्स रेवेन्यू का जो थर्ड प्लान में निवेदन किया था उसमें घाटा नहीं है। वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। जब चाहे राज्य सरकार बेच सकती है और पूरा फायदा उठाकर प्लान में ले सकते हैं। राज्य सरकार को कुछ बिल्डिंग बेचने का सवाल था। जो नहीं बिकी तो भाव बढ़ गये हैं और अच्छा पैसा आयेगा। राज्य सरकार ने खास तौर से इस जमीन के बारे में कई मामले थे इसलिए उसको पोस्टपोन किया है कि ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज बन जायेंगे। हम घाटे में नहीं हैं। हमने भारत सरकार से पूरा पैसा वसूल किया है। २३२ करोड का प्लान बनाकर सेन्ट्रल असिस्टेन्स वसूल करके २०९ करोड़ का प्लान करके स्टेट शेयर को कम कर दिया है। इससे राजस्थान के लोगों को जितनी रिलीफ मिल सकती थी उतनी मिली है।

दूसरी स्टेटों के बारे में भी.....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): इसमें सवाल यह है कि ३२ करोड के टैक्स वसूल कर लिये और ३० करोड का सेविंग ले लिया। इस तरह से कुल ६२ करोड लेकर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ३२ करोड का किया गया है। आपने जितना प्लान बनाया था इन्वेस्टमेंट करने का उसमें ३२ करोड़ के तो टैक्स लगाने थे वह लग चुके और ३० करोड़ सेविंग से लिया। कुल मिलाकर ६२ करोड़ रुपये निकाले, लेकिन इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं किया पंचवर्षीय योजना में।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। ३२ करोड़ रुपये के टैक्स वसूल हुए हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है अपने 'बजट भाषण में कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमको ३२ करोड रुपया टैक्स का वसूल करना था वह कर चुके और उसके अलावा सेविंग का ३० करोड़ का था वह हमको पूर्ण रूप से मिला, तो इस तरह से जो ३० करोड़ का टारगेट था वह वसूल कर चुके। इस प्रकार कुल ६२ करोड़ रुपये वसूल किया गया, इन्वेस्टमेंट जो पंचवर्षीय योजना में होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ३२ करोड़ तो टैक्स से वसूल किया और बाकी लोन और सेविंग से हुआ, लेकिन जो कमी रही है रिसोर्सेज की वह सेल ऑफ लैण्ड, बेटरमेंट लेवी और दूसरे रिसोर्सेज थे उनकी कमी रही।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कमी का सवाल नहीं है। ६२ करोड़ रुपया आया उसके बजाय इन्वेस्टमेंट किया ३२ करोड़ ही।

श्री मथुरादास माथुर : इतना ही करना था।

श्री सम्पतलाल बोहरा : ६२ करोड़ तो करते। यह नहीं किया। ६२ लेकर ३२ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है।

श्री मथुरादास माथुर : पंचवर्षीय योजना में जितना वसूल किया है जिसमें सेल ऑफ लैण्ड और सेविंग एक आइटम था और टैक्सेशन का दूसरा था। तो पहले आइटम में बेटरमेंट लेवी और सेल ऑफ लैण्ड में कमी रही है और उसमें कमी रहने की वजह से हमारे प्लान के अन्दर जो पूरा प्लान बनाना था वह नहीं कर सके और कोर ऑफ दी प्लान तो पूरा रह गया और सेन्ट्रल असिस्टेन्स ले ली और अपना कम दिया। परफर्मेन्स दोनों की पड़ी हुई है। सेल ऑफ लैण्ड से पैसा कभी भी वसूल कर सकते ह। यह आपने जिक्र किया इसलिए बीच में हवाला दे दिया।

जहां तक मोटर व्हिकल्स का सम्बन्ध है स्कूटर वालों से दो रुपया साल लेते हैं उसका ३ रु० साल लेंगे। एक रुपये की तो आप मूंगफली और पान स्कूटर पर बैठे बैठे थूक देंगे और तीन रुपया राज्य को मिल जायेगा। यह हुआ एक महीने का आठ पैसे। एक महीने में आठ पैसे स्कूटर पर बैठने वाले के लिए करदें तो स्कूटर पर बैठे बैठे जूता यों करके पोलिश करवाते हैं तो उन पर क्या फर्क पड़ता है। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि कामन मैन के यूज में आने वाली जो ओटोमोबाइल बसें हैं उन पर टैक्स की वृद्धि का पर्सेन्टेज कम रखा है और जो ३०-२५ टन की व्हिकल्स हैं उनका पर्सेन्टेज ज्यादा रखा है। टोटल १२ से १५ पर्सेंट बढ़ाने की कोशिश की है। आखिर बढ़ाना इसलिए पड़ गया कि यहां पर जितने आपरेटर्स हैं, चाहे वे बस के आपरेटर्स हों चाहे गुड्स के ऑपरेटर्स हों वे सड़कों का पहले से ज्यादा यूज करते हैं, मोटर फिक्वेंसी की वजह से, मोर माइलेज की वजह से, मोटर व्हिकल्स के हैवी होने की वजह से इनमें वियर एण्ड टियर ज्यादा होता है इसलिए कुछ कम्पेन्सेट्री टैक्स होना चाहिए और उसी इरादे से टैक्स लगाया है। बाकी जनता को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। चाहे वे हड़ताल करें तो उनकी मर्जी। हमने उनसे हाथ जोड़कर कहा है कि हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए और आज भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। मेरा कहना मानते हों तो मैं फिर कहता हूं, और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कोशिश करेंगे तो शायद वे मान जायें। स्ट्राइक के लिए न तो टैक्स हटाते हैं और न लगाते हैं। हम तो एक रीजनेबल बात कहते हैं। आप रीजनेबल बात कभी भी कहेंगे तो मैं हमेशा मानने को तैयार रहूंगा। यह मैं आपसे कह देता हूं। लेकिन जो बात रीजनेबल थी और जिसको हम यहां तय कर रहे हैं उसको बराबर बदलने को तैयार मैं नहीं हूं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष, मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि जो टैक्स लगाया है वह ज्यादा नहीं है दूसरी स्टेट्स से। पंजाब में, जैसा कि मैंने बताया है, एक सीट पर ७० रुपये हैं और सीलिंग ३,००० रु० का है, पर हमारे यहां एक सीट पर ४० रु० हैं और उसके बाद में...

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपने एक टैक्स बता दिया और दूसरा टैक्स जो उन पर लगता है वह ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस बिल की बात करता हूं। मैं इस बिल को पाइलोट कर रहा हूं। सभी बिल्स को मैं पाइलोट नहीं करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसी ट्रान्सपोर्ट पर जो दूसरे टैक्स लगाये हैं वे नहीं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह पंजाब में भी लगता होगा।

श्री भैरोंसिंह : पंजाब में कम लगता है, ज्यादा नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : पंजाब में गुड्स व्हिकल्स पर ज्यादा है। मोटर साइकल पर मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, मैसूर, उडीसा और महाराष्ट्र में ज्यादा है। स्टेज कैरेज पर मध्यप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मद्रास, केरल, मैसूर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हमसे ज्यादा है। गुड्स व्हिकल्स पर गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली में हमसे ज्यादा है। मोटर केस पर गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर आदि में हमसे ज्यादा है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): रोड्स अच्छे हैं। कॉन्टिन्जेन्सी बेटर है।

श्री भैरोंसिंह : गुड्स टैक्स बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : गुड्स टैक्स का सवाल नहीं है। वह इस बिल के परव्यू में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप नाराज न हों। आपने रोड टैक्स का तो कम बता दिया, लेकिन एक गाड़ी के ऊपर जो टोटल टैक्स है वह कितना आता है? उस हिसाब से पंजाब और बाकी की स्टेट्स का मुकाबला करें। रोड टैक्स राजस्थान में कम है कुछ स्टेट के मुकाबले में। जितने इन्होंने नाम बताये उतनी स्टेटों में नहीं है कम।

श्री मथुरादास माथुर : यह छपे हुए फिगर्स हैं। मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : गुड्स टैक्स ज्यादा है उसके बारे में नहीं बतायेंगे। टोटल इम्पेक्ट ऑफ टैक्सेज बाकी की स्टेटों से ज्यादा आता है। यह बता दें कि टोटल टैक्स कितना आता है एक गाड़ी पर ?

श्री मथुरादास माथुर : बताने की आपकी इजाजत हो, माननीय अध्यक्ष, तो बता दूंगा, लेकिन वह इस बिल के परव्यू के बाहर की बात है, मगर परम्परा गलत पड़ जायेगी। मैं सदन के सामने तैयार हूं जो इस बिल के अन्दर आता है। जब गुड्स टैक्स पर बहस हो रही थी तो माननीय सदस्य कहां गये थे जबकि कन्सर्न्ड मिनिस्टर ने जवाब दिया था। मैं तैयार हूं। टोटल इकोनोमिक्स एक एक व्हिकल की निकाल कर बताने को। उस वक्त आपको पोइन्ट उठाना चाहिये था जिसका जवाब कंसर्निंग मिनिस्टर देते। मैं इसके लिये भी तैयार हूं, एक एक व्हिकल का केलकुलेट करके बताने को तैयार हूं। आज के दिन बस ऑपरेटर्स की एक गाड़ी पर जिसके पास 'ए' क्लास परमिट है उसको एक गाड़ी पर महीने में नेट सेविंग एक हजार से दो हजार रुपये तक होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यहां 'ए' क्लास कहां, यहां तो अधिकतर 'सी' क्लास हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : 'बी' क्लास पर एक हजार से १,५०० रु० और 'सी' क्लास पर ८००-७५० रु० लाभ उठाता हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यही लाभ रोडवेज को क्यों नहीं हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मैं पहले कह चुका हूं; शुरू में आप आये नहीं, बाहर चाय पी रहे थे तो मैं क्या करूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो आपने १,००० रु० लाभ उठाने का कहा उसको निकालने का बेसिस क्या है? इन्कम-टैक्स के फिगर्स से निकाला या कैसे निकाला १,००० रु० करते हैं तो सभी इन्कम टैक्स देते होंगे?

श्री मथुरादास माथुर : सेम्पल सर्वे से।

श्री भैरोंसिंह: क्या सेम्पल सर्वे कराने की बात सही है ?

श्री मथुरादास माथुर : इन्कम-टैक्स देने के अलावा इवेजन वगैरह भी होता होगा, लेकिन हमने सेम्पल सर्वे 'सी' रूट्स और 'बी' तथा 'ए' का जो करवाया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: किससे करवाया ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये हमारे पास अलग विभाग है जो इस काम को करता है ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं): दिल्ली में १० पर्सेंट पैसेन्जर्स टैक्स है, राजस्थान में २५ पर्सेंट ।

श्री मथुरादास माथुर : आप पैसेन्जर टैक्स की बात करते हैं मैं तो होली की गा रहा हूं आप दिवाली की गाते हैं।

श्री चौसरसिंह बावेल : हम तो रोजाना सही बात कहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी इजाजत से गुड्स टैक्स बढाया है इसी सदन में ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो थोड़ी देर बाद यह भी कहेंगे कि सदन की अनुमति से पैसेन्जर्स टैक्स बढाया है। मेजोरिटी है तो कह सकते हैं, लेकिन सदन के मेम्बर्स ने कभी नहीं कहा कि गुड्स टैक्स बढाया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : युनानिमस हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : युनानिमस तो कांग्रेस भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: हमने कहा तो इसलिए नहीं कहा कि यह भार और डाल दें।

श्री मथुरादास माथुर : गुड्स टैक्स पंजाब में प्लेन्स और हिल्स पर अलग अलग हैं । प्लेन्स पर पंजाब में १,२१५ रु० कंसोलिडेटेड है और हिल्स पर १,८१६ रु० या १,८१८ रु० है और राजस्थान में ७५० से १,३२० रु० है ।

Page No.90

श्री भैरोंसिंह : उनका बताइये हजार का लिन्क ।

श्री मथुरादास माथुर: उनके यहां १,२१५ रु० प्लेन्स पर और हमारे यहां ७५० रु० ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप तो हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश का बता दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कहता हूं कि टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में ले लीजिये किसी में कोई आइटम कम है किसी में कोई आइटम ज्यादा है । फाइनेन्स बिल हुआ तब ये सब बातें हो चुकी हैं । मेरा संबंध तो मोटर व्हिकल्स टैक्स और गुड्स टैक्स से है । मैं खुद टैक्स पेयर हूं । मैं मोटर व्हिकल टैक्स देता हूं, मैं इन्कम-टैक्स देता हूं, कोर्पोरेशन टैक्स देता हूं, मैं भी प्राईवेट डीलर की तरह हूं, जो कुछ करता हूं वह मेरे पर भी लागू होता है । ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, जो टैक्स के आंकड़े हमने आपके सामने रखे वे मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स से कम हैं, नेबरिंग स्टेट्स से कम हैं । हमारी रोड्स की रिपेयर्स और कंस्ट्रक्शन पर खर्चा बढ़ा उसको देखते हुए थोड़ा सा कंपेन्सेट करने का अटेम्प्ट किया है पांच छः साल के बाद । पहले ५१ में हुआ फिर ५७ में, फिर ६१ में और अब ६६ में । इसलिये मैं समझता हूं जो एतराज उठाये हैं उनका एक एक का जवाब मैंने देने की कोशिश की है ।

श्री चौसरसिंह बावेल : धारा ११ में जुर्माने की तादाद सौ के बजाये दो सौ कैसे कर दी ?

श्री मथुरादास माथुर : मोटर व्हिकल टैक्स में यह लम्बी बात नहीं है दो से तीन कर दिया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप क्लेरिफिकेशन यह दे दें, आपने कहा, आप टैक्स पेयर हैं, सभी टैक्स देते हैं, इन्कम-टैक्स देते हैं, दूसरे टैक्स भी देते हैं; तो क्या सरकार देखेगी कि जो प्रति मील टिकट बढ़ाने के लिए आपका एस० टी० ए० और आर० टी० ए० नहीं बढ़ायेंगे, इस बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री मथुरादास माथुर : माइलेज बढ़ाने का, कॉर्पोरेशन और आर०टी०ए०, एस० टी०ए० को कोई अधिकार नहीं है । इसके लिये हमारा नोटीफिकेशन निकलता है राज्य सरकार का और उसका १ महीने का नोटिस होता है, पब्लिक ओपीनियन मांगी जाती है, उस पर विचार किया जाता है और मोटर व्हिकल एक्ट में गवर्नमेन्ट को पावर है उसके अनुसार किराया बढ़ाया जाता है । अभी नहीं बढ़ा है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: जो आदमी ट्रवल करता है उस पर सेल्स टैक्स भी ज्यादा पड़ेगा और ....

श्री मथुरादास माथुर : अप्रेल ४, १९६६ का एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी गजट पढ़ लीजिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप गवर्नमेन्ट की तरफ से बताइये इसको पास करने से पहले, हमारा और जनता का दिमाग साफ है क्या माइलेज पर टैक्स बढ़ाने वाले हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: यह जो गजट का रेफरेन्स दिया था वह गजट निकला है पब्लिक ओपीनियन के लिए । इस वक्त 'ए' रूट्स पर पर माइल २.५८ नया पैसा लगत है उसके लिए राज्य सरकार ने जनता की राय मांगी है, ३ पैसा पर माइल करना चाहती है, आधा पैसे से भी कम बढ़ाना

(श्री मथुरादास माथुर)
चाहती हैं और बी रूट पर २.५८८ है उसके बजाय ३.७ करना चाहती है।

श्री भैरोंसिंह : यह पर माइल है, अजमेर तक कितना भार बढ़ता है ?

श्री मथुरादास माथुर : और ४.५२६ सी पर है उसके बजाय ४.७ करना चाहते हैं। जो पब्लिक ओपीनियन आयेगी उस पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने नोटीफिकेशन इश्यु किया है उससे एक बात निकलती है। गवर्नमेन्ट का खुद का इन्टेन्शन ऐसा है उचित समझ कर करती है ?

श्री मथुरादास माथुर : बस ऑपरेटर्स का रिप्रेजेन्टेशन करीब एक साल से पेंडिंग था, इसके लिये गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी ने बस आपरेटर्स की एविडेन्स ली। इन्क्रीज को वर्क आउट करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी।

राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार किया और निर्णय पर पहुंची।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट में हमने पढ़ा है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रजेन्ट टैक्स बर्डन को ध्यान में रखते हुए किराया बढ़ाया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : उसमें यह बिल्कुल नहीं लिखा है, न तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है कहां से पढ़ी ? बाहर आउट ही नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : यदि यह बात इसमें नहीं है तो आप उसको हाउस की टेबल पर रखें। कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। मैं कहता हूं लिखा है और आप कहते हैं नहीं लिखा है। इसलिए आप इसको हाउस की टेबल पर रखिये।

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट आयेगी। रिपोर्ट में यह लिखा है क्योंकि चीजों के ऊपर कीमत बढ़ी है, मोटर के चेसिस पर, बॉडीज पर, पार्ट्स के ऊपर, टायरों पर, डीजल पर भाव बढ़ गए हैं और किराया दस साल से रिवाइज नहीं किया है। इसलिए उनकी एविडेन्स लेकर रिपोर्ट सबमिट हुई है। २.५८८ के बजाय ३ पैसा पर माइल कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, sir, एक रिपोर्ट का उल्लेख मंत्रीजी ने सदन में किया, जिस रिपोर्ट के कुछ रेफरेन्सेज उन्होंने सदन में बताए। मैंने भी उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी की है। उसमें लिखा है कि प्राइसेज बढ़ गई हैं और प्राइसेज के साथ साथ सरकार टैक्सेज बढ़ाती जा रही है इस कारण आपरेटर्स की फाइनेन्शियल कंडीशन खराब हो रही है इसलिए किराया बढ़ाया जाय। वह कंडीशनल है। मंत्रीजी इन्कार करते हैं। रिपोर्ट का रेफरेन्स यहां दे दिया जिस चीज का रेफरेन्स दिया जाय उसको सदन की मेज पर रखा जाय। यहां कंट्रोवर्सी हो गई, इसलिए उचित है कि इसको मेज पर रखा जाय। मैंने कहा है वह सही है या मंत्रीजी ने कहा है वह सही है, इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को कराने के लिये रिपोर्ट सदन की मेज पर आनी चाहिये। रूल्स के माफिक मंत्रीजी को आदेश दिया जाय कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कोई कान्फीडेन्शियल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उसमें कान्फीडेन्शियल कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सामान्य तौर से जैसा माननीय सदस्य ने कहा है वह सही है कि जिस किसी दस्तावेज का उल्लेख किया जाय सदन में या उसके आधार पर बहस में बोला जाय तो उसे सदन की मेज पर रखना उचित होता है। लेकिन जहां तक इस रिपोर्ट का प्रश्न है, में नहीं समझता कि पहले उल्लेख माननीय सदस्य ने किया या माननीय मंत्री ने किया।

श्री भैरोंसिंह: पहले उल्लेख उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): मंत्री महोदय ने किया है।

श्री अध्यक्ष: किसी ने कियाहो। लेकिन जब कमेटी बनाई है और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कुछ निर्णय लेगी, तो मैं समझता हूं कि वह सदन के समक्ष आ जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह: निर्णय तो ले लिये हैं। लेकिन अब रिपोर्ट में लिखा क्या है ? मैं तो कहता हूं कि यह लिखा है और मंत्री महोदय कहते हैं कि यह नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष: यह भेद है, यह उत्पन्न नहीं हो पाये इसलिए इस प्रकार की रिपोर्ट सदन के समक्ष आ जाय तो उचित है ताकि माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय कि रिपोर्ट के किस आधार पर निर्णय लिये गये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल: आज की डिबेट के पहले आ जाती तो अच्छा रहता।

श्री मथुरादास माथुर: मैं निवेदन कर रहा था कि यह रिपोर्ट वह नहीं है एक स्टेच्युटरी रिपोर्ट, . . .

श्री भैरोंसिंह: इसकी जरूरत नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: डिपार्टमेंटली इस बात को देखने के लिए एक कमेटी बनाने के बाद में उसको रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को माननीय सदस्य को या आपको देने में मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि यह एक प्रिसिडेंस कायम हो जायगा और हर रिपोर्ट को सदन की मेज पर पेश करना पड़ेगा। वैसे उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जिस निर्णय पर पहुंची है उन निर्णयों पर विचार होगा, क्रिटिसिज्म होगा उसके बाद में वह फाइनल होंगे।

श्री भैरोंसिंह: जब पब्लिक ओपिनीयन के लिए आपने उसे सर्क्यूलेट किया है तो सदन से उसे छुपा कर रखना हम सहन नहीं कर सकते।

श्री मथुरादास माथुर: रिपोर्ट को सर्क्यूलेट नहीं किया है, लेकिन रेट्स को सर्क्यूलेट किया है।

श्री भैरोंसिंह: उस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय लिए हैं उनको सर्क्यूलेट किया है। जो कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर आधारित यह सर्क्यूलर है, फिर रिपोर्ट को छिपा कर क्यों रखना चाहते हैं ? इसक अलावा जब माननीय अध्यक्ष ने भी कह दिया है तो आप ज्यादा जिद्द न करें और उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखदें।

श्री अध्यक्ष: यह तो विशेषज्ञों की रिपोर्ट है। इसमें सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने में आपत्ति नहीं है। मैं

(श्री मथुरादास माथुर)
निवेदन करना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट ऐसी है कि सरकार के पास में काफी रिप्रिजेन्टेशन्स आये थे, तो कई दफा कई रिप्रिजेन्टेशन्स को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बना देते हैं ताकि..

श्री भैरोंसिंह: हाउस से क्यों छिपाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : छिपाने की बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह: यह हाउस सुप्रीम है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय के कह देने के बाद में यह स्पष्टीकरण करने का सवाल नहीं रहता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रिपोर्ट रख देंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस समाप्त होगी ।

श्री भैरोंसिंह: रिपोर्ट के बारे में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : वह रख देंगे मंत्री महोदय, या सदस्यों को बतलाने के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करें ।

श्री मथुरादास माथुर : सदस्यों को बतलाने के लिए उपलब्ध कर दूंगा ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सबसे बड़े तो आप ही ऑपरेटर हैं । आपकी उसमें गवाही हुई होगी ।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष दो प्रस्ताव हैं– एक प्रवर समिति को भेजने का और पहला जनमत के लिए प्रसारित करने का है । माननीय सदस्य वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई वापिस नहीं लेता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : 'हां' पक्ष जीता । Ayes have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज नहीं निकली । मिनिस्टर साहब का गला बैठ गया है ।

श्री अध्यक्ष : गला खराब होने से वोट कम नहीं होते ।

श्री मथुरादास माथुर : सिर्फ आवाज कम होती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोतीलालजी ने कहा, 'एज् हेव इट' । गलती से निकल गया, पता नहीं कैसे निकला है ।

(मत विभाजन सूचक घंटी के पश्चात्)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माथुर साहब के साथ साथ सबका गला खराब हो गया ?

श्री मोतीलाल चौधरी : वोट आ गया अब ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ को जनमत हेतु प्रसारित किया जाय ।

(हां और ना की ध्वनि के पश्चात्)

(श्री अध्यक्ष)
ना पक्ष....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'Ayes' have it.

श्री भैरोंसिंह : 'Ayes' have it.

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री): Noes have it.

श्री मोतीलाल चौधरी : Noes have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन में समझ लो।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, गिरधारीलाल जी को माइनस कर दें, इन्होंने विदड्रा कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्यों ने 'ना' कहा है लेकिन किस बात पर 'ना' कहा है, यह इन्हें पता नहीं है इनकी तनख्वाह बढ़ रही है उस पर 'ना' कहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीद) : बोल कर गया हूं।

श्री मथुरादास माथुर : जिस बात पर हां कहा है, उस बात पर ना कहा है।

श्री अध्यक्ष : इस पर आगे चलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है और इस पर व्हिप इश्यू नहीं हुआ है। जिनको इसके बारे में पूछा नहीं है और जो अभी आये हैं उनको मालूम होना चाहिये कि रोड टैक्स बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इससे किराया भी बढ़ेगा। आप निश्चिन्त होकर, चुप होकर मत बैठें। कृपया हमारे साथ वोट दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब लॉबीज में डिवीजन होगा।

(मत विभाजन के पश्चात्)

(३.२७ म० प०)

श्री अध्यक्ष : इस संशोधन पर जो मतदान हुआ उसका नतीजा इस प्रकार है :

हां पक्ष	२३
ना पक्ष	४७

संशोधन गिर गया।

[विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना' के सदस्य :

'हां' पक्ष की सूची

श्री अब्दुल जब्बार
श्री अमरसिंह (दूदू)
श्री भैरोंसिंह
श्री चौसरसिंह बावेल
श्री दयाचन्द सोन
श्री दिग्विजयसिंह
श्री डूंगाराम राजोरिया
श्री फतेहसिंह
वैद्य श्री गोविन्दसहाय
श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री जयलाल
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
श्री मावा
श्री नाथूलाल करोल
श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री रामसिंह
श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री मानधातासिंह
श्री विजयसिंह झाला

(श्री अध्यक्ष)

"ना' पक्ष की सूची]

श्री आनन्दसिंह कछवाहा
श्री बालकृष्ण कौल
श्री भंवरलाल "कालाबादल"
श्री भीम सेन
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छुट्टनलाल
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम 'आर्य'
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेशलाल
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोविन्दसिंह (पिडावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हरिदेव जोशी
डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम धारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जगनसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरवड़
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री कानाभाई नुवाल
श्री किशनसिंह बाटड़
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
श्री लालाराम
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोतीलाल चौधरी
श्रीमती नगेन्द्रबाला
श्री नारायणसिंह मसूदा
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री परसराम मदेरणा
श्री प्रभुलाल 'सेन्टर'
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री रामदेवसिंह
श्री रविशंकर याज्ञनिक
श्री रावतराम
श्री रूपाराम पंवार
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित]

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री ज्वालाप्रसाद और श्री गोविन्दसिंह ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री गोविन्दसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज का प्रस्ताव फिर भी रह जाता है।

श्री मोहनराज (बाली) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मोहनराज ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ का विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

(विराम)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

क्लाज २. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा का संशोधन है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : [संशोधन इस प्रकार है, "The letters and figures "Rs. 200" and "Rs. 300 be replaced by the letters and figures "Rs. 125" and "Rs. 250".] अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बातें कहीं कि सन् १९५१ से लेकर आज तक का वर्कलोड प्रोडक्शन है वह बढ़ा है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ५१ से आज ६६ है । इसका कम्पेरिजन सन् ५१ से नहीं किया जा सकता है । अगर आपको इसका कम्पेरिजन करना ही है तो आप सन् ६५ से करिये । गत वर्ष से मुकाबला करिये । मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि पिछले वर्ष से मुकाबला करते हैं तो गत वर्ष के मुकाबले में वर्क लोड प्रोडक्शन गिरा है ।

मेरा यह कहना है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं, वे ५०-५१ के दिये हैं और आपने कहा है कि उत्पादन बढ़ा है । मैं यह निवेदन करूंगा कि इन १० वर्षों के आंकड़े नहीं देखें पिछले साल के आंकड़े देखें । हम देखते हैं कि हमारे यहां पर २६ जिलों में से १३ जिलों में अकाल है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर ५० परसेंट भी पैदा नहीं होने वाला है । इसके अलावा सीमेन्ट का प्रोडक्शन गिरा है । काच का प्रोडक्शन गिरा है, इस प्रकार कई चीजों के उत्पादन गिरे हैं ।

यह मैं रेफरेन्स के लिये कह रहा हूं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो टैक्सेज आपने बढ़ाये हैं वे इतने अधिक हैं कि वे मीट आउट नहीं कर सकेंगे । आपने पहले पेनल्टी १००) और २००) रु० रखी थी वहां पर आप अब पेनल्टी २००-३००) कर रहे हैं । मैं आपको निवेदन करूंगा कि आफेन्सेज क्यों होते हैं ? इसका कारण क्या है ? आपको चाहिये कि जब तक ऑफेन्सेज के कारण को आप नहीं मिटावेंगे ऑफेन्सेज नहीं मिटेंगे इसके अलावा जब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं होगा तब तक ये ऑफेन्सेज बन्द नहीं हो सकते ।

आज जिस समय यह बात की जाती है, बसेज में बहुत अधिक सवारियां भर कर लोग ले जाते हैं, पर क्यों ? या तो बसेज की कमी है या उनको आर्थिक लाभ उतना नहीं हो पाता इसलिये ज्यादा ले जाते हैं ऐसी दशा में जो पेनल्टी १०० रु० से २०० रु० और २०० रु० से ४०० रु० कर रहे हैं, इसे नहीं तो बढ़ावें अच्छा होगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापिस लेलें अगर वापिस नहीं लें तो दूने के बजाय सवाया कर दें, सौ का सवा सौ कर लीजिये और दो सौ का ढाई सौ कर लीजिये ।

Page No.97

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(श्री मथुरादास माथुर ने गर्दन हिला कर संशोधन को स्वीकार करने से इन्कार किया)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): कुछ कहना चाहिये, गर्दन हिला देने से तो काम नहीं चलता ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समझ जाय तो यह काफी होगा ।

श्री विजयसिंह झाला: इशारों से सदन चलेगा कैसे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): इसका मतलब यह है कि आपका संशोधन स्वीकार नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष: मतदान कराना चाहते हैं माननीय सदस्य ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ पर जो संशोधन श्री सम्पतिलाल बोहरा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ३ ....

श्री मथुरादास माथुर: क्लॉज ३ में मामूली संशोधन है ।

"In Schedule II proposed to be substituted in Part I—

(1) In item A (II), (c) for the expression '40 or above' substitute the expression 'more than 40'."

(2) "In item B (V), (b) after the word 'any' and before the word 'region', insert the word 'one'."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके संशोधन हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : भाव में कोई फर्क नहीं है, forty और above हमने कहा मोर दैन फोर्टी पर यह होगा, पहले आ चुका है फोर्टी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में जो मंत्री महोदय ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, स्वीकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गए ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक का अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए ।

(विराम)

क्लॉज २ पर संभवतः मतदान नहीं हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६६ को पारित किया जाय ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के प्रथम वाचन के उत्तर में जब मंत्री महोदय ने अपना स्पष्टीकरण दिया उसके बाद जो शंका इस बिल के आने पर थी वह सदन को लगभग स्पष्ट हो गई है। माननीय सदस्यों ने एक शंका रखी कि आज के दिन ट्रक और बस मालिकों का खर्चा इतना अधिक बढ़ गया है कि उन खर्चों को देखते हुए उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वे अपने इन साधनों से अपना खर्चा चला सकें। उस संबन्ध में खास तौर से ट्रक मालिकों सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया । यह बात सही है कि ट्रक की मशीनरी टायर वगैरह बहुत महंगे हो गये हैं, पर हम कब मना करते हैं कि वे चार्जेज नहीं बढ़ाएं, वे भी अपने चार्जेज को बढ़ा दें । इसके साथ ही साथ बस मालिकों का प्रश्न था, हमने शंका प्रकट की थी, उससे भी आपने स्वीकार किया कि बस मालिकों की ओर से सरकार को रिप्रेजन्टेशन एक साल से पेश किया हुआ है और हमने ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये हैं ।

इससे स्पष्ट है, माल पर किराया बढ़ता है। बस ओपरेटर्स प्रति मील किराया बढ़ाते हैं तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । सरकार का तो स्पष्ट मत है कि येन केन प्रकारेण, सरकार जो टैक्स बढ़ाये वे प्राप्त होने चाहियें । आप बस ऑपरेटर्स से, ट्रक ओपरेटर्स से कहें कि वे भाड़ा बढ़ायें, इसमें हमें आपत्ति नहीं है, पर भाडा किस पर बढ़ेगा ? रेलों के कम्पिटीशन में ट्रक खड़े हैं । रेलों की कठिनाइयों के कारण लोगों को मजबूरन ट्रकों से माल भेजना पड़ता है। ट्रकों पर बढ़े हुए भाड़े से माल लाया जायगा तो वस्तुएं मेहंगी होंगी या नहीं, इस पर भी क्या कभी आपने ध्यान दिया है ?

जहां तक बस ओपरेटर्स का प्रश्न है, आपने यह कहा है कि ए क्लास की २,००० रुपया आमदनी है, बी क्लास की ७०० रुपया आमदनी है और सी क्लास के बारे में आपकी मान्यता है कि बस ओपरेटर्स इनसे कमाई कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा और मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप किस आधार को मान कर चलते हैं कि बस ओपरेटर्स को इनसे कमाई होती है । सी रूट्स पर जो बसेज चलती हैं, उनसे जो उनको आमदनी होती है और जो उनका खर्चा होता है इन दोनों के आंकड़े मैं रखना चाहूंगा ।

(३.४८ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

'सी' क्लास के रूट्स पर सरकार ने ५१ से किराया तय किया हुआ है वही लगातार आज चला आ रहा है और वह किराया है ८ पाई प्रति मील । १६५१ में आपने यह तय किया था वही आज तक चला आ रहा है । इसके बावजूद आपके एक्ट, रूल्स के तहत एक बस ओपरेटर एक दिन में ४० मील का रन कर सकता है । ४० मील रन करता है और ८ पाई प्रति मील के हिसाब से किराया लेता है तो अनुमान लगाइये कि उसको कितनी आमदनी होगी । सी क्लास रूट पर चलने वाले का हिसाब ४० मील से लगाएं और मेगजिमम बस की केपेसिटी ५० हो सकती है तो इस हिसाब से उसकी आमदनी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

८० रुपया रोजाना आयगी। और इसके मुकाबले में उसका खर्चा क्या हुआ इसका अनुमान लगायें। ५१ में जिस आधार पर किराया तय किया, उस समय जो व्हिकल वह इस्तेमाल में लेता था वह शेवरलेट २० हजार में आती थी। आज मर्सिडी ५५ हजार या ६० हजार में आती है। डीजल जो १ रु० ६ आना प्रति गैलन था वह आज ३ रु० १० आना प्रति गैलन है। टायर की कीमत ४०० रुपया प्रति टायर थी वह आज ७०० रुपया प्रति टायर हो गई है। ड्राइवर्स का वेतन अधिक है, कन्डक्टर का वेतन अधिक है, खलासियों का वेतन अधिक है, यह महंगाई भी पूरी बढ़ गई है। जहां सी० क्लास रोड पर चलने वाला बस ऑपरेटर ८० रुपया रोज कमाता है, खर्च का आंकड़ा लगायें तो इस प्रकार आता है :

"४० मील रन करने पर १६ लीटर डीजल का खर्चा आता है तो १४ रुपये तो डीजल के हो गये, मोबिल आइल २ रुपये का गिन लीजिये, ड्राइवर के ५ रुपये, कन्डेक्टर के ३ रुपये और खलासी के २ रुपये। रोड टैक्स आज लग रहा है उससे तो और अधिक होगा पर आज उसे ३७॥ रुपया देना पड़ता है।"

बीमा जो उनको करवाना पड़ता है उसका भी डेढ रुपया देना पड़ता है और जो फाइनेन्स कंपनी से लोन लेकर गाड़ी लेते हैं तो उसका ब्याज भी करीब २० रु० प्रतिदिन पड़ता है। ६०,००० की गाड़ी पर एक रुपये सैकड़े का ब्याज..

श्री मथुरादास माथुर : सी रूट पर कोई भी साठ हजार की गाड़ी नहीं लगाता है। वहां पर कोई भी माडिल का रेस्ट्रिक्शन नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ४० हजार लगा लो।

श्री मथुरादास माथुर : 'सी' रूट पर तो सैकिंड हैंड गाड़ी १०-१५ हजार में लेकर लगाते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिटनेस सर्टीफिकेट के अनुसार जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए..

श्री मथुरादास माथुर : साठ हजार में गाड़ी नहीं आती।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह दुर्भाग्य की बात है कि बस ऑपरेटर्स अपना पैसा बचाने के लिए सरकार की आंखों में धूल झोंकते हैं। खराब से खराब गाडी चलाने के लिए बाध्य होगए हैं। उसके टायर का खर्चा लगा लो। ६ टायर्स की कीमत साढे चार हजार होती है उसकी लाइफ दस हजार मील होती है। अगर चालीस मील प्रतिदिन का हिसाब लगाएं तो उस पर १८ रुपये खर्च आता है तो इस तरह से एक बस को चलाने में ८० रुपए की आमदनी और १०० रु० का खर्चा है।

श्री मथुरादास माथुर : कतई नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक बस आपरेटर को किसी एक विभाग की खुशामद करनी पडती हो, ऐसा नहीं है। ट्रान्सपोर्ट विभाग, पुलिस विभाग, पैसेंजर टैक्स के लिए एकसाइज विभाग, इन्कम टैक्स अधिकारी और इसके ऊपर पोलिटिकल पार्टीज का प्रेशर, आपका और हमारा, हम तो नगण्य ही हैं लेकिन मैं दृष्टांत नहीं देना चाहता।

श्री मथुरादास माथुर : उसको आप ताजा कर रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस तरह का जो दैनिक खर्चा है उसको करना पड़ता है, वह दस रुपया लगा लें तो कम नहीं है । आज एक बस ओपरेटर जिसकी आमदनी मुश्किल से ८० रु० रोज होती है उसके मुकाबले उसका १०० रुपये का खर्चा कम से कम होता है । इस आधार पर अगर आप तथ्य मानकर चलते हैं तो आप अनुमान लगाएं कि उनके अन्दर कम्पिटीशन क्यों है ? रिश्वतखोरी क्यों चलती है ? जिस गाड़ी की मुश्किल से कीमत दो हजार या पांच हजार हो, लेकिन क्यों उसको रूट परमिट मिली हुई है ? तो वह उस गाड़ी को १५ हजार में बेचता है। आपके लॉ के अन्दर खामियां हैं। जिसको आपने परमिट दिया है, वह बस बेचता है तो उसके साथ साथ उसका वह रूट भी कैंसिल हो जाना चाहिए इसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। यह करप्शन और माल प्रेक्टिस चल रही है, सरकार रोकना नहीं चाहती। सरकार की तरफ से छुट्टी है कि नोमीनल फीस देकर बाकी दो हजार की बस को २५-३० हजार में बेंच सकते हैं । यह कार्यवाही लगभग हर जिला हेडक्वार्टर पर चलती है, इससे सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, सरकार को तो होगा ही लेकिन साधारण यात्रियों को कितना नुकसान होता है ? आज इन्हीं कारणों से गाड़ी ओवरलोड करके चलना पड़ता है । ५० की जगह ६०-७० सवारियां बिठानी पड़ती है, गाड़ी जो अच्छी कन्डीशन में चलनी चाहिए वह नहीं होती है, लेकिन सरकार सभी बातों पर मौन है । जैसे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा अगर आप इस तथ्य को मानकर चलते हैं कि आगे जाकर किराए में आप वृद्धि करने वाले नहीं हैं, ऑबजेक्शन्स इन्वाइट करते हैं उनको कन्सीडर करने वाले नहीं हैं, १९५१ के किरायों को मेन्टेन करने वाले हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बस ओपरेटर्स से कमिटमेंट दिलाएंगे कि यदि आप यह रोड टैक्स नहीं बढ़ाते हैं तो वे किराए की वृद्धि में मांग नहीं करेंगे। यह बिल जब सदन के सामने आया था तो मेरे सामने दुविधा थी कि यह बोझ तो बस ओपरेटर्स पर पड़ेगा, ट्रक मालिकों पर पड़ेगा, हमें क्या लेना-देना है, ये लोग बहुत कमाते हैं। यह एक धारणा साधारण व्यक्तियों के अन्दर बैठी हुई है, मेरे अन्दर भी थी। लेकिन जब सारे कॉम्पलीकेशन्स को देखा और सरकार का जो व्यवहार चल रहा है वह केवल बस आपरेटर्स को कहना चाहती है कि तुम पर क्या बोझ पड़ा है, अगर भार पड़ेगा तो किराया बढ़ा देंगे, उसका भार यात्री पर पड़ेगा। तो आप स्वीकार करेंगे कि जो एक साधारण व्यक्ति गांव का रहने वाला है, जो आम तौर से बसों का प्रयोग करता है। उस पर दिन प्रतिदिन यह खर्चा बढ़ता जाता है, उसमें बरदाश्त करने की ताकत नहीं है इसलिए इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं और हम तो आशा करते थे कि टैक्स के अन्दर आप किसी प्रकार का रिबेट देंगे, कमी करेंगे लेकिन आपने जो यह टैक्स बढ़ाया है उसको वापस लेलें । सरकार को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
अगर अपनी आमदनी की चिन्ता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अन्दर कितनी बकाया है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास, रूलर्स के पास, प्राईवेट पार्टीज के पास और सरकारी विभागों के पास कितनी बकाया है? लगभग १२ लाख रुपये। लेकिन सरकार उसको वसूल करने की कोशिश नहीं करती। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के जो एरियर्स चल रहे हैं उनको छोड़ने को आप तैयार बैठे हैं और ऐसा रिकमंड किया है। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है, २ लाख रुपये को छोड़ने की स्वीकृति के लिये भेजा है। तो आपके जो आमदनी बढ़ाने के जरिये हैं उनसे ही आपकी आमदनी बढ़ सकती है बगैर टैक्स बढ़ाने के। मैंने एक दृष्टांत बताया कि लॉ को अमेंड करके जैसे ही बस ओपरेटर अपनी बस बेचता है तो उसका रूट परमिट भी खत्म कर देना चाहिए और नये आदमी को नई परमिट के लिये एप्लाई करना चाहिये। इससे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन सरकार आज जो टैक्स वसूल करना चाहिये वह वसूल करने के बजाय नये टैक्स लगाती है।

ऑडिट रिपोर्ट में इस प्रकार के रिमार्क्स दिये हैं सरकार ने कि रोड टैक्स एडवान्स में वसूल किया जाये, लेकिन वह एडवान्स में वसूल नहीं किया जाता। जोधपुर डिवीजन के कई ऐसे केसेज थे जहां रोड टैक्स वापिस दे दिया। जो रोड टैक्स एक साल पहले वसूल किया गया था वह रिफंड कर दिया आपके अधिकारियों ने। आज भी ऐसे क्लॉजेज हैं जिनमें आपके अधिकारियों को डिसक्रीशनरी पॉवर्स दिये हुए हैं, जैसे सेक्शन १३, रूल ३३ के तहत बस ओपरेटर, अगर रीजनेबल ग्राउन्ड्स हैं, तो टैक्स जमा नहीं करायें। अब ये रीजनेबल ग्राउन्ड्स क्या हैं? ये आपके अधिकारियों के डिसक्रीशन पर हैं। अगर अधिकारी और बस ओपरेटर मिल कर समझौता करलें तो रीजनेबल ग्राउन्ड्स एक्जिस्ट हो जाते हैं और बस ओपरेटर टैक्स नहीं भरता है और अगर बस ओपरेटर और अधिकारी नहीं मिले तो रीजनेबल ग्राउन्ड्स खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लेक्यूनाज को आप रोकिये।

आज पैसेन्जर्स टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। और बस ओपरेटर पर तीन तीन तरह के टैक्सेज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। आज पैसेंजर्स टैक्स एक विभाग वसूल करता है, तो रोड टैक्स दूसरे विभाग के पास है और रूट की परमिट किस ओपरेटर को दी जाये किसको नहीं यह तीसरे विभाग, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है। और देखने को यह मिलता है कि पैसेंजर्स टैक्स बकाया है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। सरकार एरियर्स की वजह से परेशान रहती है और अगर इन डिपार्टमेंट्स के बीच कोओर्डीनेशन होता तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। लेकिन सरकार का ध्यान इस लेक्यूना की तरफ नहीं गया। जहां तक एक्ट को री-मोडल करने और लेक्यूनाज को दूर करने का सवाल है उसकी ओर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
सरकार का ध्यान नहीं जाता, लेकिन टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आपके इस टैक्स बढ़ाने के पीछे केवल एक बात है। आपने बस मालिकों को विश्वास दिला दिया है कि आप लोग किराया बढ़ा सकते हो। और इस प्रकार का जो आप आश्वासन दे रहे हैं कि किराया बढ़ादो, तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को दूसरी परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा।

(४ म० प०)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष ..

श्री मथुरादास माथुर : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन करू....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ने प्रारम्भ कर दिया है। आप बैठिये।

श्री मथुरादास माथुर : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन मुद्दे उठाये। एक तो यह कि बस ओपरेटर्स को यह विश्वास दिलाया गया है कि बसों का फेयर बढ़ा दिया जावेगा। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि करीब साल भर पहले राज्य सरकार मोटर व्हिकल्स अधिनियम के द्वारा टैक्स में वृद्धि कर रही थी उस वक्त इसका आभास भी नहीं था। उनके रिप्रजेन्टेशन्स इस बारे में चल रहे थे कि महंगाई बढ़ने से, डीजल और टायर्स के भाव बढ़ने से उनके किराये में वृद्धि होनी चाहिये। उसके लिये राज्य सरकार ने कमेटी बिठायी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर गजट में यह छापा किया जो मैं आपके सामने निवेदन कर चुका हूं। बहुत ही मामूली किराये की वृद्धि के लिये सुझाव रखा। उसको गजट में छापा किया गया है। बहस सुनने के बाद दोनों के रिप्रजेन्टेटिव्ज से बात करके उस पर विचार किया जावेगा। इसलिये फेयर बढ़ाने की बात इससे सम्बन्धित नहीं है। उसी कमेटी की सिफारिश पर ही विचार किया जा रहा है।

यह भी निवेदन करदूं कि राजस्थान में रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी और स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी हैं, औसत तौर पर एक रूट पर ४० मील का माइलेज मिलता है। उसको रिवाइज किया गया है और यह कोशिश की जा रही है कि कम से कम 'ए' क्लास रूट पर ८० से १०० मील रोज का करना चाहिये और रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी को यह कह दिया गया है कि 'बी' और 'सी' पर भी इसी सीलिंग के आधार पर वह फैसला करलें। इसी रीति से आगे परमिट दिये जावेंगे। जिनके पास ८० माल नहीं हैं, ४० और ५० मील ही हैं, ट्रेफिक सर्वे करने के बाद उनको ज्यादा परमिट दिये जावेंगे जिससे औसत ८० से १०० मील पड़ सके। मसानी कमेटी ने भी यह कहा था। उस दृष्टि से भी यह किया गया है। लोगों को ए, बी, सी रूट पर ज्यादा माइलेज मिल जावेगा और फोरिन एक्सचेंज पर जो भार था वह भी कम होगा इस टेलिस्कोपिक डिस्ट्रिब्यूशन से क्योंकि फोरिन कम्पोनेन्ट लेकर नई

(श्री मथुरादास माथुर)

गाड़ी लगा देते थे वह कम होगी। माइलेज बढ़ने के बाद इकोनोमी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनकी डिफिकल्टी को देखते हुए माइलेज को बढ़ाने की बात कह चुका हूं। दूसरी बड़ी बड़ी स्टेट के मुकाबले में जो टैक्स में वृद्धि की है वह भी कम है। इन्ट्रेस्ट चार्जेज की बात कही। मैंने इसको केल्कुलेट किया है, आप भी करें, मैं यहां बैठ कर कर रहा था। ८० रु० रोज आपके लिहाज से कमाता है तो ज्यादा कमाता है फिर भी ५०-४० रु० से अधिक खर्चा नहीं पड़ेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें से इन्ट्रेस्ट कम कर सकते हैं, ड्राइवर की तनख्वाह कम कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपने डेप्रिसियेशन से के तौर पर १८ रु० रोज का तो टायर लगा दिया। यदि फूट जाय तो छः फूट जाय और नहीं फूटे तो एक भी नहीं। इसको कई एक्सपर्ट्स देख चुके हैं। आप की यह दलील है कि १०० रु० का खर्चा है और ८० रु० की आमदनी है तो यह धन्धा ही वे लोग कल बन्द करदें। लेकिन फिर भी धन्धा करते हैं और परमिट के लिए ऊपर पड़ते हैं। तो कोई भी यह नहीं मान सकता कि कोई आदमी इस प्रकार २० रु० रोज का घाटा खाकर धन्धा करता है। यह सीधी सी बात है, वकील साहब। इज्जत का मारा कोई एक दो साल इसका धन्धा घाटा खा कर करले। १०-२० रु० रोज का मतलब ७,५०० रु० हजार रुपया साल का घाटा खाकर कोई धन्धा करे यह नामुमकिन बात है। गुड्स के अन्दर तो रेट्स का सीलिंग है उससे कम में चलाते हैं। उसमें भी कमाते हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि कोई पुराना जिसके यह घरेलू धन्धा है वह एक-दो साल घाटा खा लेगा, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हो सकती कि इस प्रकार घाटा खाकर धन्धा करे। यह बात जरूरी है कि मुनाफे का जो परसेन्टेज पहले था उसमें कमी हुई है। कुछ तो लेबर के भाव बढ़ गये, दूसरी चीजों के भाव बढ़ गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): राजस्थान में जितने ट्रक्स परचेज किये गये हैं, रजिस्टर किये गये हैं उनमें से कितने ट्रक्स यहां प्लाई कर रहे हैं और कितने ट्रक्स दूसरी स्टेट में चले गये हैं इस आधार पर कि यहां पर रोड्स अच्छी नहीं हैं, उनको बेनिफिट नहीं है, ट्रक्स चलाना। मैजोरिटी परसेन्टेज तो राजस्थान के बाहर गया। आप आंकड़े रजिस्ट्रेशन के बना रहे हैं, कितने परचेज किये, कितने रजिस्टर किये और कितने राजस्थान में प्लाई नहीं करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान के अन्दर किसी आदमी के पास एजेन्सी है, गंगानगर में खरीदी गई वह वहां प्लाई नहीं करती है,, रजिस्ट्रेशन बाहर जाकर हो जाता है। इसलिए इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कहते हैं ट्रक्स चलाने का धन्धा बेनिफी-शियल है।

श्री मथुरादास माथुर: जो टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या भी हजारों की तादाद में है। चाहे रोजन में चाहे आल रूट में। उनको बेनिफीशियल है। वे चलाते हैं। रजिस्टर होकर बाहर भी चले जाते हैं। दिल्ली, पंजाब में रजिस्टर्ड हैं लेकिन हमारे यहां आ जाते हैं। इन्टर स्टेट और आल इन्डिया चलाते हैं। कई माननीय सदस्य इस गलतफहमी में थे कि बस ऑपरेटर्स घाटे में चलते हैं, कोई इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

अब सवाल यह है कि मार्जिनल प्रॉफ़िट कम होता जाता है तो इसका कारण यह भी है कि लेबर्स की डिमान्डस् बढ़ती जाती हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होने से भी आमदनी में फर्क आया है। कल बोनस की मांग होगी तो उस पर भी विचार करना होगा। दूसरी तरफ चीजों के भाव भी बढ़ते जाते हैं इससे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो गया है। इस पर भी आज कोई रूट खाली होता है उसके लिये एप्लीकेशन मांगी जाती हैं तो सैंकड़ों की तादाद में लोग उसके लिये अर्जियें देते हैं। घाटे वाला सौदा अगर यह है तो इतनी संख्या में लोग इसको लेने के लिये नहीं आते। घाटा खाकर कोई बिजिनेस करता है इसलिये आप हमदर्दी उनके प्रति बताते हैं तो यह जरूरत नहीं है। हम तो केवल साल भर के अन्दर दो हजार रुपया कमाते हैं तो २०० रुपया ही मांगते हैं। इसलिये मेरे द्वारा प्रस्तावित जो टैक्स है उसके लिये तो इतना बोलने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये थी। यह तो कुछ रोड्स बनाने के लिये, कुछ रिपेयर्स के लिये आज कल मेटेरियल का भाव बढ़ गया है थर्टी परसेंट कम्पनसेट करना चाहते हैं उसके लिये यह छोटा सा कदम है। मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण संशोधन विधेयक, १९६६, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।
(४.१२ म. प.)

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

(विचारार्थ लेने विषयक वैधानिक आपत्ति, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६६, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को विचारार्थ न लिया जाय इस संबन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

इस विधेयक द्वारा जो टैक्स लगा रहे हैं सेल ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में इसमें टैक्स लगाने की बात है इसमें टैक्स के रिडक्शन की बात कही गई है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका इसमें संशोधन नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा यह कहना है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह बिल नहीं लाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं कौन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल २८६-ए की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"No law of a State shall impose, or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place—

(a) outside the State, or

(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India."

यह जो हमारा संविधान है आर्टिकल २८६-ए के अन्तर्गत जो माल एक्सपोर्ट होता है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार या उसमें रिडक्शन करने का सवाल नहीं उठता। इसके बारे में एक केस के अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है।

"As explained by the Supreme Court, the object underlying the exemption from sales taxation given by the present clause is also to avoid double taxation of the foreign trade of the country which is of so great importance to the Nation's economy. The double taxation sought to be avoided consisted in the imposition of export duty by the Central Government and the imposition of sales-tax by the State Government in its different aspects as an export and as a sale. Such double taxation is avoided by exempting the export-sale and the import-purchase from the levy of sales-tax by the State.

The bans imposed by sub-clauses (a) and (b) are independent and each one of these bans has to be surmounted before a State can impose a tax on the sale or purchase of goods."

यह डिसिजन सुप्रीम कोर्ट का है। इससे पहले हाई कोर्ट की भी रूलिंग है। वह और भी ज्यादा स्पष्ट है। एक केस जानकीदास भगतराम वर्सेज इ० टी० ओ०, लुधियाना, पंजाब हाई कोर्ट का फैसला है जो स्पष्ट रूप से लिखते हैं—

"Article 286 of the Constitution of India prohibits a State Government from levying any tax on the sale or purchase of goods which are exported or imported. The idea apparently is that the goods, which are to be exported out of the country, should not be subjected to any additional burden of sales-tax or purchase-tax. One cannot understand how it will make the slightest difference to the debated question as to whether a sale is in the course of export ou

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

of the Indian territory or otherwise."

फिर आगे लिखते हैं—

"A sale by export thus involves a series of integrated activities commencing from the agreement of sale with a foreign buyer and ending with the delivery of the goods to a common carrier for transport out of the country by land or sea. Such a sale cannot be dissociated from the export without which it cannot be effectuated, and the sale and resultant export form parts of a single transaction. Of these two integrated activities, which together constitute an export sale, whichever first occurs can well be regarded as taking place in the course of the other. Assuming without deciding that the property in the goods in the present cases passed to the foreign buyers and the sales were thus completed within the State before the goods commenced their journey as found by the Sales Tax Authorities, the sales must, nevertheless be regarded as having taken place in the course of the export and are, therefore, exempt under Article 286 (1)(b). That clause, indeed assumes that the sale has taken place within the limits of the State and exempts it if it takes place in the course of the export of the goods concerned."

इस प्रकार जो विधेयक हमारे सामने हैं उसके बारे में जो विचार २८६-ए के बारे में हैं वे मैंने रखे।

इसके अलावा विशेष बात यह है कि इसमें सरकार ने डिसक्रिमिनेशन किया है, इसमें यह लिखा है—

"....of goods notified by the State Government in this behalf...."

यदि एक्सपोर्ट के लिये कन्सेशन देना है, राजस्थान से कोई चीज हिन्दुस्तान से बाहर जाय, उसके लिये परमिशन मिल सकती है, उसके लिये टैक्स में कन्सेशन मिलना चाहिये। लेकिन आप एक चीज से दूसरी चीज में डिसक्रिमिनेट नहीं कर सकते। जवाहरात पर आप छूट दें और हाथी दांत पर नहीं, माइका पर नहीं, इस प्रकार डिसक्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। आप जो कानून लाये हैं!

'goods specified by the State Government.'

सरकार की मर्जी चाहे जिस चीज में कन्सेशन दे सकती है। इस प्रकार आप एक चीज से दूसरी चीज में डिसक्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जवाहरात में और लकड़ी की चीजों में भेदभाव नहीं कर सकते। कोई चीज जो राजस्थान से बाहर एक्सपोर्ट होती है हरेक पर कन्सेशन मिलना चाहिये उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये इस क्लॉज में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उससे डिसक्रिमिनेशन जाहिर होता है।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

एक आइटम से दूसरे आइटम में डिसक्रिमिनेशन करने का जो अधिकार आप क्लॉज ४ में ले रहे हैं वह इल्लीगल है।

इसके अलावा दूसरा क्लॉज है क्लॉज ३, जिसके जरिये हमारी सरकार जो मामला सबजुडिस है। हमने यह मामला पहले भी विधान सभा में उठाया था राज्य सरकार गलत तरीके से विधान सभा की बिना स्वीकृति के चार परसेंट से पांच परसेंट टैक्स वसूल कर रही है। यह प्रश्न जब उठाया गया बड़ी दलील दी गई हमने जो कुछ कहा था वह सही है। इसके बारे में एक केस रेवेन्यू बोर्ड में गया उसका क्या रिजल्ट रहा? एक केस का जिक्र मैं करना चाहता हूं जिसका जजमेन्ट रेवेन्यू बोर्ड ने दिया है उसकी कुछ लाईनें आपको सुनाना चाहता हूं। यह मनमोहन सोडा वाटर फैक्टरी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): गवर्नमेन्ट को क्या कहना है क्लॉज ३ के संबन्ध में जो मेटर हाई कोर्ट में पेन्डिग है फोर परसेन्ट से जो फाइव परसेन्ट किया नोटिफिकेशन के जरिये वह टैक्स जारी करने का अधिकार नहीं था जैसा कि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हुआ है। उसके बारे में हाई कोर्ट में मामला पेन्डिग है। आप हाई कोर्ट का फैसला होने दीजिये। आपको जल्दी क्या है?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): अन्डर सेक्शन १५ राजस्थान सेल्स टैक्स के हमने हाई कोर्ट में लॉ के मुद्दे को रेफेरेन्स किया है। काफी ज्यादा रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व्ड है। इसलिये हमने इसमें रख दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हाई कोर्ट ने आपके इन्टरप्रीटेशन को सही मान लिया है या वेलिड कर दिया है आप यह मानकर चल रहे हैं क्या कि गवर्नमेन्ट को लगाने का अधिकार था? हाई कोर्ट का जजमेन्ट आपके खिलाफ नहीं होगा, आप यह मानकर चल रहे हैं क्या? और उसी बिना पर गवर्नमेन्ट यह अमेन्डमेन्ट ला रही है। आप क्या यह कनवीन्स हो गये हैं क्यों कि रेवेन्यू बोर्ड का जो फैसला हुआ वह गलत है और आपने किया है वह ठीक किया है।

आप सैकण्डरी डिस्कसन हु उस में नहीं करा सकते सरकार स्वयं इस बात .. कनविस्ड नहीं है कि राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड ने जो डिसिजन दिया है कि चार परसेन्ट का पांच परसेन्ट इल्लिगली लगाया है, और जिसके खिलाफ रेफेरेन्स हाई कोर्ट में दिया है, उसमें वह जीत हो जावेगी। सरकार को भरोसा नहीं है कि उसका लॉ पॉइन्ट स्ट्रॉग है, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट होगा। जजमेन्ट उनका उनके फेवर में होगा। उसे स्वयं को डर है कि वह सेट एसाइड होगा तो फिर इसकी क्या जरूरत है? आप क्यों नहीं जस्टिफाइड समझते हैं अपने नोटिफिकेशन इश्यू करने को? या तो फिर कह दीजिये कि उसे गलत इश्यू किया या फिर कहिये कि रेवेन्यू बोड ने गलत निर्णय दिया। दोनों में से एक बात तो कहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मावली और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो पॉइन्ट उठाया वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर रेवेन्यू बोर्ड के डिसिजन पर सरकार को कोई शंका है और हाई कोर्ट में रेफेरेन्स दिया है तो हाई कोर्ट के निर्णय के पहले ही आप किसी चीज को एन्टीसिपेट करें और जो इश्यू हाई कोर्ट में पेश होने से सबजुडिस है उसको प्रीडिटरमिन एन्टीसिपेट करके व्यवस्था चार परसेन्ट से पांच परसेन्ट लगाने की करते हैं तो मेरे खयाल से आपका यह कार्य खामियों से भरपूर है और कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में भी आता है। मंत्री महोदय को अगर कोई स्पष्टीकरण हो तो इस बारे में करना चाहिये ताकि हमें तसल्ली हो। नहीं तो हम तो यह सोचेंगे कि आप अपनी हठधर्मी के फलस्वरूप मनमानी करने पर तुले हैं और इस तरह कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कहा कि राज्य सरकार इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही। तो मैं निवेदन करूं कि मुझे जवाब देने में आपत्ति नहीं है।

पर प्रश्न यहां यह था कि जिस सोडा वाटर फैक्टरी का रेफेरेन्स मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया उस पॉइन्ट पर बहस को हटाकर जयपुर से आने वाले मिननीय सदस्य और बात कहने लगे। पर चूंकि प्रिलिमिनेरी ओब्जेक्शन ही खड़ा करते हैं यह तो इसका भी स्पष्टीकरण कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन ६–३–६१ को सेल्स टैक्स की दफा ५ की तहत जारी किया। उसके तहत बहुत से आर्टिकल्स हैं। करीब आर्टिकल ४७ के तो स्पेसिफिक नाम लिखे और ४८ वें सीरियल नम्बर पर यह लिखा कि यह जो ४७ आर्टिकल्स हैं उनके अलावा जो भी गुड्स हों उन पर पांच परसेन्ट लगेगा। और प्रिसीडिंग ४७ आर्टिकल्स थे उन पर अलग–अलग रेट्स जो हैं वे टैक्स की निर्धारित हैं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): "All goods other than the following" ये वर्ड्स यूज हुए हैं इसमें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: नीचे लिखा है, इनके अलावा।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सदस्य कानून को समझे नहीं और ऑब्जेक्शन कर दिया। नोटिफिकेशन मेरे पास है। उसके वर्डिंग में समझ रहा हूं। अगर वे नहीं समझ सकें, तो मेरी मजबूरी है।

इस नोटिफिकेशन के तीन कॉलम हैं, एक है सीरियल नम्बर, दूसरा है डेस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और तीसरा है रेट ऑफ टैक्स।

इसमें ४७ जो हैं उनमें तो स्पेसिफिक गुड्स का डेस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आइटम नम्बर ४८ जिसका जिक्र वे कर रहे हैं इसमें लिखा है "Goods other than the following" it means goods specified in serial No. 47 above. इट मीन्स दी रेट ऑफ ५%

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रीसीडिंग गुड्स के अलावा ५ परसेन्ट है।

इसलिए ४८ वाली एन्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं और उसको नहीं पढ़ने से यह गलतफहमी हो रही है।

तो मैं यह कह रहा था कि यह जो सोड वाटर फेक्टरी है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसका ६१-६२ का असेसमेंन्ट हुआ। उसको फेक्टरी ओनर ने चेलेन्ज किया। असेसिंग ओथोरिटी ने यह ओर्डर १९-११-६३ को दिया। डिप्टी कमिश्नर के पास इसकी अपील की गई। डिप्टी कमिश्नर ने १७-१२-६३ को ओर्डर दिया जिसमें लिखा कि एन्ट्री ४८ में असेसी का गुड्स आता है। यह स्पेसिफिकली मेन्शन नहीं है इसलिये इस पर ४ परसेंट रेट लगेगी। सरकार ने इसके लिये एक स्पेसिफिकेशन भी निकाला था। तो उसका डिप्टी कमिश्नर ने यह इन्टरप्रिटेशन लिया कि नहीं, यह स्पेसिफिकेशन इनवेलिड है इसलिये इस पर टेक्स ही नहीं लगेगा। हम रिवीजन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गये। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के जजमेन्ट को अप-हेल्ड किया और कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से कन्कर करता हूं कि यह प्रोपर स्पेसिफिकेशन नहीं है जहां तक सीरियल नम्बर ४८ का प्रश्न है। हम इसके खिलाफ राजस्थान सेलसटेक्स एक्ट की धारा १५ के अन्तर्गत रेफरेन्स में हाई कोर्ट में गये। क्योंकि सेल्स टेक्स एक्ट में ऐसा प्रोवीजन है कि किसी भी लॉ के मामले में रेवेन्यू बोर्ड के जजमेन्ट के बारे में राज्य सरकार हाई कोर्ट के अन्दर लां के मुद्दे को क्लेरिफाई कराने के लिये जा सकती है। इसलिये हम गये। अब यह न तो रिवीजन है और न रेगुलर अपील है। लॉ के मामले में हम उनकी ओपीनियन चाहते हैं प्रश्न इतना सा है। इसलिये इस मामले में जैसा विरोधी पक्ष के नेता समझ रहे हैं कि यह कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ऐसी बात नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह रेफरेंन्स है और आपको अधिकार है, मुझे यह पता नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : रेफरेन्स लॉ के पाइन्ट पर होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और लॉ का ही पाइन्ट है इसमें।

श्री परसराम मदेरणा: और एक बात निवेदन यह करनी है कि जब सिंगल मेम्बर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बेंच ने डिप्टी कमिश्नर के फैसले को अपहेल्ड किया था तो हमने एक एप्लीकेशन और मूव की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एप्लीकेशन यह मूव की कि इस पाइन्ट के ऊपर डाइरेक्ट जजमेन्ट सुप्रीम कोर्ट का हो गया है इसलिये अपीलेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने नहीं था इसलिये उन्होंने एक मिस्टेक की है और उसको रेक्टीफाई किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं हमने जो फैसला दे दिया है वह फैसला ठीक है। उसके बाद में हम रेफरेंन्स में गये। हम यह सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई इस तरह का प्रश्न खड़ा नहीं होगा क्योंकि इसी तरह का ही और सेम एनोलोजी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला

(श्री परसराम मदेरणा)
आया था और व केस भी इससे रेलेवेन्ट है और मैं इस सदन में उसके कुछ रिलेवेन्ट पोर्शन्स पढ़कर सुनाता हूं। वह केस इस प्रकार है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट आपके कन्टेन्शन को सपोर्ट करता है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य कुछ बातें Pick and choose करते हैं और उसे एक्सप्लेन नहीं करने देते हैं। पहले तो मावली से आने वाले माननीय सदस्य को एक्सप्लेन नहीं करने दिया और अब मुझे नहीं पढ़ने दे रहे हैं। आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप बहुत लम्बे घूम रहे हैं। आप तो रिलेवेन्ट बात कहें। उसमें इतना लम्बा जाने की जरूरत नहीं है। आप मेन पोइन्ट से दूर खिसक रहे हैं। मेरा ऑबजेक्शन तो केवल इतना है कि इस मामले में रेवेन्यू बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ हुआ है और आपने रिव्यू की एप्लीकेशन दी वह रिजेक्ट कर दी। आप रेफेरेन्स कर सकते हैं और आपको रेफेरेन्स करने का अधिकार भी है और हाई कोर्ट का कोई जजमेन्ट है वह आपके फेवर में जाता है इसलिए जब आपके माफिक फैसला हो जायेगा तो आप यह कहें कि हम अपने फैसले के बारे में कनविन्स नहीं हैं और हमने जो रेफेरेन्स की है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ है वह सही है, और ठीक है। अगर आप समझते हैं कि हमने जो कन्टेन्शन लिया है वह सही है, तो हाई कोर्ट में फैसला होने दीजिए। क्या जरूरत है इस अमेन्डमेन्ट को लाने की? इतना सा मेरा पोइन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको लाने की जरूरत यह है कि इसमें हजारों असेसमेन्ट के केसेज आज हेल्डअप हो गये हैं ३-४ हजार के आसपास और उसमें लाखों रुपया स्टेट का इनवोल्व्ड है और रेफेरेन्स के मामले में राज्य सरकार का यह एक्सपीरियेन्स रहा है, केसेज में दो-दो और तीन तीन साल लग जाते हैं। इसलिये हम इस सदन में इसको लाये हैं और इसलिए भी लाये हैं कि हम सोच रहे थे कि जल्दी फैसला हो जाये, लेकिन राज्य सरकार ने देखा है कि जल्दी फैसला नहीं होगा और जल्दी फैसला नहीं होगा तो इस सेशन में इसको नहीं लाते हैं और बाद में स्टेट की रेवेन्यूज का लोस होता है। अब यदि बाद में स्टेट की रेवेन्यू जहां इनवोल्व्ड है और फिर हम कोई ऑर्डिनेन्स लाते हैं तो माननीय सदस्य कहते हैं कि बाद में अमेन्डमेन्ट लाये हैं और पहले ऑर्डिनेन्स निकालते हैं इसलिए हमने मुनासिब समझा है और आप देखेंगे कि हम जो बिल लाये हैं..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका जवाब बिल्कुल स्मार्ट है, मैं मानता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। आप मानते हैं कि इसके आने के बाद में आपने जो रेफेरेन्स किया है उसको सरकार वापिस लेलेगी या वह रिडन्डेन्ट होगी। जो रेफेरेन्स आपने किया है हाई कोर्ट का और सुप्रीम

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कोर्ट का फैसला आप उसकी लाइट में ले आये क्योंकि बहुत सारा रुपया इनवोल्व्ड था। ऐसी हालत में यह लाजिमी है कि यह अमेन्डमेन्ट ले आये तो उस रेफेरेन्स को वापिस लेलें। अब रेफेरेन्स की जरूरत क्या है? क्या स्थिति है आखिर, आप अच्छी तरह समझाइये तो सही।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो एक छोटा सा मुद्दा उठाया था।

श्री परसराम मदेरणा : उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसी में फंसे हुए हो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कतई फंसा हुआ नहीं हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न ऐसा है कि यदि अधूरा जवाब दूंगा तो जब क्लॉज १ की बात आयेगी उस समय फिर डिटेल में कहना पड़ेगा क्योंकि मुद्दा आपने खड़ा कर दिया है। अब आप कट शोर्ट ही कराना चाहते हैं तो मेरा उत्तर इतना है कि क्योंकि इसमें रेवेन्यू इन्वोल्व्ड है और हम सेक्शन ५ के अन्दर जब हम रेट ५ परसेन्ट प्रेस्काइब कर देते हैं तो आपके रेफरेन्स का कोई मतलब नहीं रहता और रेफेरेन्स इन्फक्चुअस हो जायेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस सुप्रीम कार्ट के जजमेंट के रिलेवेन्ट पोर्शन्स इसलिए पढ़ना चाहता हूं ताकि जो हाउट्स माननीय सदस्यों को हैं और मावली से आने वाले माननीय सदस्य इस जजमेन्ट के पढ़ने के बाद में ऐसा समझता हूं कि वह डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू बोर्ड का आर्डर है या डिसीजन है उसको पढ़ने की तकलीफ नहीं करेंगे, क्योंकि मामला बहुत क्लियर है और मामला बहुत ही एनोलोगस है:

"It will be convenient to consider first the petitioner's contention that the Bombay Sales Tax Act, 1953 does not authorise the imposition of a tax on the purchase of bidi tobacco. The relevant portion of sec. 10 (1) which provides for the levy of a purchase tax is in these words:

'there shall be levied a purchase tax on the turn over of purchase of goods specified in column 1 of Schedule B at the rates, if any, specified against such goods in column 4 of the said Schedule...'

The petitioners contention is that bidi tobacco which was purchased by it is not one of the goods specified in column 4 of the said Schedule. Turning to Schedule B, we find there are 80 entries in the first column. Against each of these entries, the second column of the Schedule mentions the rates of sales tax leviable under section 8 of the Act; the third column mentions the rate of

Page No.112

(श्री परसराम मदेरणा)
general sales tax leviable under section 9, while the fourth column which is the last column mentions the rate of purchase tax. While the entries from 1 to 79 mention specific articles, entry 80 as it stood before its amendment in 1957 was in these words: "All goods other than those specified from time to time in Schedule A and in the preceding entries" (An amendment by the Bombay Act 71 of 1958 added the words "and section 7A" after the words Schedule A). The question is whether these words "all goods other than those specified from time to time in Schedule A and in the preceding entries" amount to a specification of goods for the purpose of section 10. On behalf of the petitioner, Mr. Pathak contends that only the mention of specific goods can amount to specification and mention goods in such general language as "all goods other than these specified from time to time in Schedule A and in the preceding entries" cannot be said to be a specification of goods. We are unable to accept this argument. While it is true that mention of specific goods is specioation for the purpose of section 10; as also for the purpose of section 8 and 9 of the Act, we see no reason to think that mention of goods in a general way as "all goods other than those specified from time to time in Schedule A and in the preceding entries" of Schedule B itself is not a specification. We are of opinion that the entry 80 in Schedule B is a specification of goods within the meaning of section 10 and as bidi tobacco which the petitioner purchased is not within either Schedule A or any of the earlier entries in in Schedule B, purchase tax under section 10 is leviable on these purchases, at the rate mentioned against entry 80."

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : साइटेशन तो बताया ही नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अनवर खां महबूब खां एण्ड कम्पनी v/s दी स्टेट ऑफ बाम्बे (नाऊ महाराष्ट्र) एण्ड अदर्स।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कौन से साल का है ?

श्री परसराम मदेरणा : २० सितम्बर, १९६०।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह वोल्यूम कौन सा है ?

श्री परसराम मदेरणा : वोल्यूम ११।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत बढ़िया।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए जो एन्ट्री ८० की वर्डिंग है वह यही है और जो हमारा नोटिफिकेशन है उसके वर्डिंग भी यही है। चूंकि उसमें दो डिसीजन हो गए हैं इसलिए यह

(श्री परसराम मदेरणा)

बाइंडिग हैं। असेसिंग ऑथोरिटीज चाहे वह डिप्टी कमिश्नर हो या रेवेन्यू बोर्ड हो। इसलिए कई मामले स्टे हो गए हैं, कई एसेसमेंट होने से रह गए हैं, कई लोग रिफण्ड के लिए कह रहे हैं, इस प्रकार इस प्रश्न को चैलेंज कर लिया है। बहुत-सों ने चैलेंज नहीं किया है। इस डिसीजिन के होने के बाद रिफण्ड की एप्लीकेशन्स आ रही हैं, इसलिए यह अमेंडमेंट किया गया है। यह नोटिफिकेशन सेक्शन ५ में इंसर्ट करने के लिए, पांच धारा को बनाने के लिए किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्लेरीफिकेशन करना चाहता हूं। आपने जो यह सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी को साइट किया है, जहां तक मैं समझ सका हूं, यह तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बिना पर आप यह जस्टीफाई करना चाहते हैं। आपने जो एन्ट्री ४८ में लिखी है और उसके अन्दर जो नोटिफिकेशन निकाला और जिससे चार परसेंट से पांच परसेंट टैक्स लगाया है, वह लगाने का अधिकार उस नोटिफिकेशन के तहत राज्य सरकार को है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी से गवर्नमेंट का कन्टेनशन सपोर्ट होता है, यही कहने का मतलब है ?

आपने जो सुप्रीम कोर्ट की इस ऑथोरिटी को साइट किया है, आप उधर क्या देखते हैं, मेरी तरफ देखिए, मैं क्या कह रहा हूं। आपने जो सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी को साइ किया है इससे मैं तो यह समझता हूं कि इससे गवर्नमेंट का यह कन्टेनशन सपोर्ट होता है कि आपने जो एन्ट्री ४८ के तहत नोटिफिकेशन निकाला और जिस नोटिफिकेशन के अन्दर चार परसेंट से पांच परसेंट कर दिया, तो यह जस्टीफाइड था, इसमें कोई इल्लिगेलिटी नहीं थी, फिर चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ भी जजमेंट दिया हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस ऑथोरिटी से गवर्नमेंट के असेसमेंट का सपोर्ट होता है, क्या इससे यह मतलब है ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यही व्यू रखती है और जो इन्टरप्रिटेशन जो गुड्स अदर देन दी प्रीसीडिंग एन्ट्री है और जो एन्ट्री का लॉ पोइन्ट ऑफ व्यू से इन्टरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट की इस ओथोरिटी से राज्य सरकार भी इत्तफाक करती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब इत्तफाक करती है तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी से गवर्नमेंट के कन्टेनशन का सपोर्ट होता है तो फिर रेवेन्यू बोर्ड के जजमेंट को फाड़ कर फेंकिये। रेवेन्यू बोर्ड का जजमेंट कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई रेफरेंस है वहां पर तो उसको विदड्रा कर लिया जाये। जहां जहां पर भी असेसिंग ऑथोरिटीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हों या रेवेन्यू बोर्ड हों, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भेज दो। नए केसेज में आप इसको साइट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट यह है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब पर लागू है। It is the law of the land which is binding on all courts including the Revenue Board and the High Courts.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रेवेन्यू बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के माथे पर नहीं है, रेवेन्यू बोर्ड कोई भी फैसला दे दे वह बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। आप डिप्टी कमिश्नर्स के सामने, रेवेन्यू बोर्ड के सामने, जितनी असेसिंग ऑथोरिटीज हैं उनके सामने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेश कर सकते हैं, सबका असेसमेंट कराते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब, यह बहुत जरूरी है। बाकी बहस तो ठीक है लेकिन यह लीगल इश्यू है इसको इस तरह से थ्रेश आउट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि समय करीब २ समाप्त हो रहा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जब तक बिराजे हैं तब तक तो समय की चिन्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन इसको यथा-विधि एक्सटेंड तो कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि सदन की इसके लिए क्या अनुमति है, कितना समय और इस बिल के लिए बढ़े ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो बहुत जरूरी है, इसके अन्दर जिनका इंटरेस्ट है वे बैठे हैं बाकी जिनका इन्टेरेस्ट नहीं है वे चाय पी रहे हैं। जो जाना चाहें जा सकते हैं लेकिन इस पर अच्छी तरह से विचार होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : Say about two hours.

श्री राधाकृष्ण गोयल We shall finish before that.

श्री उपाध्यक्ष : तो जब तक आज की कार्यवाही समाप्त न हो, समय बढाया जाता है।

(स्वीकृत)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग है और जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिलाई करते हैं तो आप रेवेन्यू बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर के डिसिजन्स की परवाह न करते हुए आगे बढ़िये। लेकिन इसमें डिफिकल्टी अराइज हो सकती है और ट्रेडर्स का हैरेसमेंट हो सकता है और हो रहा है। असेसमेंट का जो हमारा इण्टरप्रिटेशन है इसको बहुत से लोग विपरीत इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसमें कुछ लोग स्टे लेने गए हैं या जाने वाले हैं ऐसी मुझे इत्तिला मिली है। मैं डेफिनेट नहीं कह सकता लेकिन उन्होंने ओब्जेक्शन किया है कई लोग रिफंड मांग रहे हैं ऐसी सूरत में लॉं को डिस्टिंग्युश करते हैं एक से दूसरे पर। जब तक उस पर डायरेक्ट रूलिंग या किसी पार्टी के केस में जजमेंट न हो जाय कि पर्टीक्युलर रूलिंग है और यही सही इण्टरप्रिटेशन है, क्योंकि दो कोर्ट्स ने रूलिंग कर दी है अभी तक। इसलिए जब तक इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करके इसको डिस्टिंग्युश नहीं करते हैं या इसके बिना पर यह नहीं कहते हैं कि एन्ट्री नं० ४८ जो है यह प्रोपर स्पेसिफिकेशन है। जब तक यह नहीं होता उनका डिस्प्यूट रहता है और काफी ट्रेडर्स को हैरेसमेंट होने

(श्री परसराम मदेरणा)

वाला है और उस हैरेसमेंट में हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर अगर हम किसी कॉम्पीटेंट कोर्ट को जिसने कि इस स्टेट के अन्दर कॉम्पीटेन्ट कोर्ट है सेल्स टैक्स के मामलों में और जिसने इस नोटिफीकेशन की एन्ट्री को इन्वेलिड एक्ट करार कर दिया है, वह जब तक इसको नहीं मान लेती है, लॉ का सही इन्टरप्रिटेशन नहीं होगा और अगर लॉ का सही इन्टरप्रिटेशन नहीं करते हैं तो कोर्ट कॉग्नीजेंस भी ले सकती है कि यह कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इससे बचने के लिए ही यह अमेन्डमेंट लाया जा रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खुद इस बात से कन्विन्स नहीं है । गवर्नमेंट को खुद को इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पता नहीं था और रेवेन्यू बोर्ड में सन् ६४ में केसेज चले तो इसके बाद आज मंत्री महोदय पहली बार इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं । और पढ़ने के बाद यहां हाउस में अब पढ़ा है । सन् ६४ से लेकर ६६ तक आज तक किसी केस में आपने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को साइट नहीं किया है । अगर आपने इसको पहले देखा होता तो आप, रेवेन्यू बोर्ड में ही रिविजन में जा सकते थे, और इस जजमेंट को साइट कर सकते थे, किसी नए केस में साइट कर सकते थे, या रिविव्यू कर सकते थे । लेकिन गवर्नमेंट को खुद को ही पता नहीं है कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है । आपको इस सारे फक्ट ऑफ दी केस को साइट करना चाहिये लेकिन अभी तक नहीं किया गया तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के एबव कण्टेन्शन से आप खुद भी कन्विन्स्ड नहीं हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर ने फैसला दिया है वह भी सही है या नहीं? इसमें हैरेसमेंट का भी कोई सवाल खड़ा नहीं होता । जो रिफण्ड मंगने वाले हैं उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के अन्दर रिविव्यू कर सकते हैं । आपको रिविजन में जाना चाहिए था, फिर आप क्यों नहीं गए ? डिप्टी कमिश्नर के फैसले पर जो नोटिफिकेशन के जरिए चार परसेंट से पांच परसेंट किया है उसका रिफण्ड मांग रहे हैं तो उसके लिए आपको रिविजन में जाना चाहिये लेकिन आप नहीं गए तो क्यों नहीं गए ? आप रेवेन्यू बोर्ड में भी रिविजन में जाते और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साइट करते और आप खुद फ्रेश जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बिना पर ऑब्टेन कर सकते थे । लेकिन यह तो आपके डिपार्टमेंट की एफिशिऐसी बताती है कि आपका प्रोसिक्यूशन कितानी वीक है । जो सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी आपके कण्टेनशन को सपोर्ट करती है उसको आपने किसी भी लेवल पर यूज नहीं किया, कहीं पर भी साइट नहीं किया, कहीं पर इसको दिखाया तक नहीं और इसी आधार पर दो साल से केसेज चल रहे हैं ।

श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वरचुअली तो सरकार यह मानती है कि हमारा कानून ठीक है । हमने जो कानून यहां पास किया वह सही पास किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट कर दिया । लेकिन चूंकि आपके ऑफिसर्स गलत बात कर रहे हैं, हैरेसमेंट हमारे डिपार्टमेंट का बढ़ता चला जा रहा है इसलिए कोई गलत बात हमसे, सदन से करवायी जाय । सवाल तो यह है कि एक ने गलत इण्टरप्रिटेशन कर दिया, एक ने गलती कर दी तो आप यहां आ गए और अब अगर फिर गलत इंटरप्रिटेशन कर दें तो फिर आप यहां आ जायेंगे, तो आखिर कोई एण्ड तो होना चाहिये । जब हम यहां पर किसी तरह का लॉ बनाते हैं तो अच्छी तरह से सोच समझ कर ही पास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सपोर्ट कर दिया है लेकिन चूंकि रेवेन्यू बोर्ड मानता नहीं है, हाई कोर्ट मानता नहीं है तो क्यों नहीं मानता है। नहीं मानने के रीजन सामने आने चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, महकमे में ऊपर से नीचे तक जांच होनी चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हास्यास्पद सी स्थिति पैदा की जा रही है! एक ओर तो माननीय उप-मंत्रीजी यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा है जो कुछ इनका विचार है, जो कुछ इन्होंने जारी किया है नोटिफिकेशन उसकी सुप्रीम कोर्ट समर्थन करता है और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस माफिक है, जो बात आप करना चाहते हैं वह पहले से ही आपके पॉवर में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को माना है कि गवर्नमेंट को यह पॉवर उपलब्ध है, कानून जायज है, उसको फिर दूबारा रि-वेलीडेट कराने के लिए, दुरुस्ती के नाम पर यह दुबारा कानून बना रहे हैं तो यह रि-डोनोविट लॉ को तरह होगा। जिस लॉ को ऑलरेडी सदन पास कर चुका है और कानून की शक्ल में मौजूद है और मंत्री महोदय स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साइट कर रहे हैं तो भी इस तरह से दुबारा इस सदन से पास कराने की जो स्थिति पैदा कर रहे हैं यह अच्छी स्थिति नहीं है बल्कि एक तरह की हास्यास्पद स्थिति है। इसलिए मंत्री महोदय को जो रेवेन्यू बोर्ड का जजमेंट है या डिप्टी केमिश्नर्स ने जो डिसीजन दिया है उस पर ढिलाई नहीं करके उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साइट करना चाहिये और जब सुप्रीम कोर्ट आपकी कानूनी बात का सपोर्ट कर रहा है तो फिर इसमें रेवेन्यू बोर्ड की कोई वकत नहीं रहती। इसलिए इसको यहां पास करने की जरूरत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो जब तक कोर्ट्स उस इंटरप्रिटेशन से इत्तफाक नहीं करे तो हमारा जो इण्टरप्रिटेशन है इसमें कोई लीगल फोर्स नहीं रखता, एक बात। दूसरी बात यह कि जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि रेवेन्यू बोर्ड ने अपना डिसीजन २४-७-६४ को दिया था तो हमने सेक्शन १७ के नीचे रेक्टीफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए हमने एक अपील रेवेन्यू बोर्ड को मूव की थी और जैसा कि कह चुका हूं मैं पहले, रेवेन्यू बोर्ड ने यह कहा कि हमारा जजमेंट ठीक है और उनको जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिस्टिंग्युश किया तो उन्होने कहा कि हमारा जजमेंट पहले वाला ही ठीक है। तो यह स्थिति हो गई थी और उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए सेक्शन १७ में हमने एप्लीकेशन मूव की। उस मूव के करने के बाद भी अगर रेवेन्यू बोर्ड ने अपने पहले वाले डिसीजन को कायम रखा तो उसके बाद में यह स्थिति खड़ी होती है। इस जजमेंट के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट का यह व्यू है कि जो रोजाना लीगल इन्टरप्रिटेशन होता है तो रेवेन्यू बोर्ड की पोजीशन यह है कि जो इन्होंने लॉ का इन्टरप्रिटेशन किया है करेक्ट है, उस वक्त में स्थिति यह खड़ी होती है कि हमारा इन्टरप्रिटेशन लॉ का इन्टरप्रिटेशन बन नहीं सकता। जब लॉ का इन्टरप्रिटेशन नहीं बनता है, और अपील प्रोवाइड न हो तो रेवेन्यू बोर्ड का रेफरेन्स प्रोवाइडेड है तो इसका रेफरेन्स हाई कोर्ट में कर दिया। इन दी मीन व्हाइल इस को इसलिए पेश किया है कि जो इन्टरप्रिटेशन हम लेते हैं उस इन्टरप्रिटेशन के बारे में डीलर्स को यह पता है कि राज्य सरकार के इन्टरप्रिटेशन के विपरीत रेवेन्यू बोर्ड का फैसला है इसलिए वे हमारे इन्टरप्रिटेशन

(श्री परसराम मदेरणा)

को चेलेंज करते हैं, और रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बावजूद हमारे इन्टरप्रिटेशन के ऊपर जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर बेस करते हैं, उसको लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूं कि वह अच्छी पोजीशन नहीं होगी और उसके लिए रेवेन्यू बोर्ड हमारे खिलाफ कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात ले सकता है तथा सब्सीक्वेन्टली ये केसेज फेल न हों और उनको लिटिगेशन में इन्वोल्वड नहीं होना पड़े, इसलिए यह स्थिति की जा रही है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य लीगल पोजीशन को एप्रिशिएट करते हुए और हमारा जो इन्टरप्रिटेशन है वह क्या है इसके बेसिस पर हम रेवेन्यू बोर्ड के डिसीजन को ताक में नहीं रख सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपने एक नई बात और बता दी कि जब रेवेन्यू बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को साइट किया तो रिवियु के लिए रेफर किया और कहा कि रिलेट नहीं करता है फेक्ट्स से।

श्री परसराम मदेरणा: यह नहीं बताया। आप प्रोसिडिंग्ज देख लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं पूछना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड ने यह फैसला कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहां पर एप्लाई नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है कन्टेन्शन को तो किस आधार पर मानते हैं कि सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे केसेज क्यों साइट करते हैं जो कि केसेज एप्लाई नहीं करते हैं फेक्ट्स से। उस के बाद रेवेन्यू बोर्ड हाइएस्ट ऑथोरिटी है सेल्स टैक्स के मामलों में। उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एप्लाई नहीं करता है तो साइट नहीं करना चाहिए और इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपके कन्टेन्शन को सपोर्ट नहीं करता है और रेवेन्यू बोर्ड नहीं मानती है। वह डिस्टिंग्युशेबल है इसलिए गवर्नमेंट रिलाई नहीं कर रही है। फिर आप रिलाई किस पर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अभी तो सम्पत्तिलालजी का पोइंट ऑफ ऑर्डर चल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: वह हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: रिलेवेन्ट प्राइमरी ऑब्जेक्शन उनका था। मैं तो बीच में एक कॉन्स्टीट्यूशनल बात थी, लीगल बात थी, इसलिए बोला था। अभी तो उन्होंने पूरा नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष: that is all right. सवाल तो यह है कि यह उचित नहीं लेकिन फिर भी आप........

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): लीगल ओब्जेक्शन है एक्सपोर्ट का मामला है। एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष: सवाल यह है कि जिस वक्त पोइंट रेज करते हैं तो आपको फिनिश करना चाहिए उसके बाद। ऑब्जेक्शन से दूसरी बात पर चले गये तो आसन को यह ध्यान हुआ कि आप समाप्त कर चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर): आसन ने अनुमति दे दी वह उनका समय खा गये।

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने यह समझा कि वे समाप्त कर चुके हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डाल रहे हैं । इस सम्बन्ध में कुछ तो कहने की इजाजत दें ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं अपना एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन तो कह चुका । उसके बाद जवाब देने से पहले मैं एक्सपोर्ट के बारे में और दूसरे डिस्क्रीशन के बारे में कह चुका । तीसरा ४ से ५ पर्सेन्ट के बारे में मेरा यह निवेदन है कि जब केस रेवेन्यू बोर्ड से डिसाइड हुआ तो माननीय उप-मंत्री ने पहले कहा कि यह स्पेसिफिकेशन का मामला है । हमने गलत स्पेसिफिकेशन किया है । वास्तव में बात यह है कि यह स्पेसिफिकेशन का झगड़ा नहीं है । झगड़ा इस बात का है कि लेजिस्लेचर ने आपको शुरू में यह अधिकार दिया है कि चार पर्सेन्ट टैक्स लगायें जनरल रेट में और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह कहा कि आपकी जनरल ४ से ५ पर्सेन्ट नहीं हो सकती, और उसी बारे में यह कहा है –

"A plain reading of the above provision shows that the intention of the Legislature was that sales tax shall be levied at the general rate of 4 per cent on the taxable turnover at a single point in the series of sales, the point of levy being prescribed separately. This is subject to the qualification that the State Government may by a notification in the official gazette prescribe rates other than the general rate of 4 per cent which may not exceed 7 per cent in respect of any goods or class of goods to be specified in the notification. The above said notification which purports to have been issued under section 5 of the Act, first lists 47 items on which rates different from the general rate of 4 percent have beeen specified. The last and 48th item says that tax will be charged at 5 per cent on goods other than those listed as items 1 to 47 as well as six other items mentioned under item 48. The effect is that the general rate of 4 per cent envisaged in section 5 will be chargeable on six items only, viz. stationery, including paper and newsprint, ready-made clothes, footwear, spectacles, spectacles frames and lenses, gur, kerosene oil. As a result of this notification, the general rate of sales tax has been restricted to six items; which is manifestly contrary to the intention of the Legislature as embodied in section 5 of the Act.

श्री उपाध्यक्ष : उसमें ओब्जेक्शन हो वह कह दें, सारे को पढ़ने से क्या है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दो लाइनें और हैं

Such a defective notification cannot serve as a legal sanction for levying tax on the opposite party for the sale of aerated water at the rate of 5 per cent which is

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

higher than general rate of 4 per cent. It is settled law that any rule or notification which is inconsistent with the provisions of the Statute under which it is issued, is void and without effect."

श्री उपाध्यक्ष : That is all right अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है, बतादो ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरे कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू बोर्ड ने जैसा कि माननीय उप-मंत्री ने कहा कि इस बात पर रिजेक्ट किया है कि इसका जो होना चहिए था शिड्यूल में वह नहीं आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह नहीं है कन्टेन्शन।वह यह है कि स्टेट्यूट में लेजिस्लेचर ने यह कहा है कि जनरल रेट ४ पर्सेन्ट से अधिक नहीं होगी और स्पेसिफिक केसेज में ७ पर्सेन्ट हो सकती है, और इस नोटिफिकेशन के जरिये जनरल रेट बढाकर ४ से ५ पर्सेन्ट कर दी है वह इल्लिगल है। इसलिए यह कहना कि रेवेन्यू बोर्ड ने इस प्रकार से डिसाइड किया है और रेवेन्यू बोर्ड के डिसाइड होने के बाद राजस्थान सरकार हाई कोर्ट में इसको रेफरेन्स के लिए ले गई है। जब केस इसी पोइंट पर है और कोई अदर पोइंट इन्वोल्व्ड नहीं है, लीगल पांइट यह है कि ४ पर्सेन्ट टैक्स लगना चाहिये या ५ पर्सेन्ट टैक्स लगना चाहिये।

(५ म० प०)

जब यह बात सवजुडिस है, हाई कोर्ट में पेंडिन्ग है तो यह अभी यहां पर क्यों लाया गया, हाई कोर्ट का फैसला आवे उसके बाद हमने पहले भी नोटिफिकेशन निकाल कर वेलिडेट किया है तो इसमें जल्दी क्या है Let High Court decide the matter हाई कोर्ट का डिसीजन होने के बाद आवश्यकता होगी तो रेक्टिफाई करेंगे। ऐसी कोई आवश्यकता आज नहीं है कि इस कानून को लाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन प्रश्न उठते हैं, एक तो सेक्शन २८६ के अनुसार नहीं लग सकता, दूसरा इसमें डिसिक्रिमिनेशन किया गया है और तीसरा ऑब्जेक्शन यह है कि यह सब जुडिस है····।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री संपत्तिलाल बोहरा ने आपत्ति उठाई है इस विधेयक के प्रस्तुत होने के विषय में आर्टिकल २८६ के माफिक आउट साइड स्टेट या एक्सपोर्ट जैसी प्रकार के गुड्स हों उनके विषय में यहां कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा उठाया है और तीसरा उन्होंने कहा है कि यह मामला सबजुडिस है। इस विषय में उप-मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण दिया है ..

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पहले पोइन्ट पर नही कहा··

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनलें। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि किस हालत में रेफेरेन्स किया गया है आदि लेकिन अन्य आपत्ति के विषयां में न जाते हुए मैं यह समझता हूं कि यह ऑब्जेक्शन उठाने का समय, जिस वक्त यह मूव फोर लीव टू इन्ट्रोड्यूस दी बिल हुआ, उस समय था। रूल ६४ के अंतर्गत उस समय इस ऑब्जेक्शन को उठाया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद लीव टू इन्ट्रोड्यूस दी बिल हो चुका तो सदन की मंशा हो चुकी कि इस पर विचार किया जाय। इस विषय में पहले भी कभी ऐसी आपत्ति उठाई गई थी उसी

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन में उस समय माननीय अध्यक्ष ने लंबी चौडी रूलिंग दी थी उसमें कहा था कि विधान सभा का जहां तक कार्यक्षेत्र है विधेयक को पास कर देना। उस सम्बंध में इन्टरप्रिटेशन का काम जुडिशियरी और कोर्ट ऑफ लॉ का है । उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि संविधान के विपरीत है तो निर्णय जुडिशियरी और हाई कोर्ट पर छोड़िये वे क्या फैसला करें । इसको दृष्टिगत रखते हुए जब सदन ने कार्य को हाथ में उठा लिया है तो कौनसी चीज जायज है, कौनसी चीज जायज नहीं है इसका निर्णय कोर्ट पर है और यह विधेयक किसी दूसरी बातों के संदर्भ में आज नहीं लिया जाय ऐसा नहीं हो सकता । इसलिए मैं इसको विचारार्थ लेने की इजाजत देता हूं ।

Yes please, amendments श्री गिरधारी लाल ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट यहां पर रखा गया है दफा ४ (ए) में···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : इन्ट्रोडूक्शन के बारे में किस स्टेज पर ओब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, जहां तक सवाल इन्ट्रोडक्शन का है आपने व्यवस्था दी है उस पर आपत्ति नहीं है लेकिन इन्टरप्रिटेशन के सम्बंध में डाउट के विषय में विचार करने का सदन को अधिकार है । और जहां तक मावली के माननीय सदस्य ने एक्सपोर्ट के सम्बंध में कहा, मेरे ख्याल से उनकी आपत्ति है उस पर एक हद तक मेरी सहानुभूति है । यदि एक्सपोर्ट्स के लिए सभी आइटम्स पर कर लगाने की एक सी व्यवस्था है तो आप एक्सेप्शन करके डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं । यदि सेल्स टैक्स बढ़ाना है या एग्जेम्पशन देना है तो सबके लिये एकसी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यदि जवाहरात पर एक व्यवस्था करते हैं और खिलौना, हाथी दांत पर वह व्यवस्था नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन का और अर्थ क्या हो सकता है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में जिस प्रकार से यहां जो आर्टिकल्स एक्सपोर्ट किये जायेंगे उनके सम्बंध में यह प्रावधान किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंन्ट जिन आर्टिकल्स के सम्बंध में उचित समझेगी उन पर टैक्स रिड्यूस करेगी। लेकिन जहां तक एक्सपोर्ट करने का प्रश्न है यह अहम मसला है इस पर सरकार को इस प्रकार से कजूंसी से नहीं सोचना चाहिये कि अमुक अमुक आर्टिकल्स पर रिड्यूस करेंगे या ऐसा करेंगे । एक्सपोर्ट से फोरिन एक्सचेन्ज मिलता है और फौरन एक्सचेंज से देश का विकास होता है । एक्सपोर्ट किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा बढ़े इसकी व्यवस्था करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये कि जिन वस्तुओं से ज्यादा से ज्यादा फोरिन एक्सचेन्ज मिले उन तमाम पर सेल्स टैक्स माफ कर दिया जाय। यह प्रावधान न रखते हुए जिस प्रकार रेस्ट्रिक्टेड प्रावधान रखा है और जो कंडीशन रखी है कि सरकार उचित समझे उस आर्टिकल पर टैक्स रिड्यूस करेगी अलग अलग दो तीन तरीके बता दिये हैं इससे मालूम होता है कि जो हमारी नीति है एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देने की या ट्रेड को इन्सेन्टिव देना चाहते हैं उस में इस सेक्शन से कठिनाई आयेगी और एक्सपोर्ट को जिस प्रकार इन्सेन्टिव मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा इसलिये यह रेस्ट्रिक्शन उचित नही है । जैसा माननीय सदस्य और विरोधी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
दल के नेता ने ऑब्जेक्शन किया कि इन पर अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये एक आर्टिकल पर रिड्यूस कर दें और दूसरे पर नहीं करें, अलग अलग नीति अपनाई जाय यह उचित नही है। एक्सपोर्ट को इन्सेन्टिव देना है तो तमाम पर माफ करना पडेगा। जो नीति अपनाई जाय वह एकसी होनी चाहिये। जो प्रावधान होना चाहिये था उसके बजाय जो रेस्ट्रिक्टेड प्रावधान किया या सरकार ने जो अधिकार लिये हैं....

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक्सपोर्ट ट्रेड को इन्सेन्टिव देने के लिये सरकार जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाई है मेरे ख्याल में उसमें तरमीम की जा सकती है। एक्सपोर्ट ट्रेड को सेल्स टैक्स से छुटकारा मिल जाय तो इन्सेन्टिव मिलेगा और ठीक रहेगा।

दूसरा जो अमेन्डमेन्ट सरकार लाई है उसमें एक नोटिफिकेशन के जरिये ४ परसेन्ट से ५ परसेन्ट किया गया है और उस संबंध में काफी विचार विमर्श हुआ और ५ परसेन्ट के बारे में क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड ने सरकार की मंशा और नोटिफिकेशन के खिलाफ आज्ञा प्रदान कर दी उस वजह से अमेन्डमेन्ट लाया गया है, जितने आर्टिकल्स इस्पेसिफाइड लिस्ट के अलावा हैं उन पर ५ परसेन्ट टैक्स लागू होगा। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इस प्रकार के नोटिफिकेशन के द्वारा रेट बढाई जाती है वह ठीक व्यवस्था नहीं है। यदि आपको कोई भी रेट या टैक्स बढ़ाना है तो जिस समय आप कानून बनाते हैं उस समय ही इस प्रकार का प्रावधान कर देना चाहिये जिससे ये सारी समस्याएं हल हो जांय। इस प्रकार बार बार नोटिफिकेशन निकालने की व्यवस्था करना ठीक नहीं है। समय समय पर इन्क्रीज़ करके, उसमें रटे ऑर्डर करके जो स्टेट को इन्कम होने को थी उसमें बाधायें पहुंचाते हैं। हमें चाहिए कि हम जो कानून बनायें वह बनाने के समय पर ठीक बनायें। उसमें इस प्रकार की कठिनाई न रहे जिससे कि समय समय पर बाधा उपस्थित होती रहे। सेक्शन चार में जिस प्रकार का अमेंडमेंट लाया गया है और उसके द्वारा सरकार ने रखा है कि जिन लोगों के ऊपर असेसिंग ऑथोरिटी कोई टैक्स असेस कर देती है और उसके बाद में कोई पैनाल्टी लागू कर देते हैं तो उसको जमा कराने का समय और इन्स्टालमेंट निर्धारित कर देंगे। यह उसके सम्बन्ध में है। इसके बाद में सेक्शन ५ है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज बाई क्लॉज़ अभी से क्यों प्रारम्भ कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो इसमें जो कमी है वह बता रहा हूं। क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसमें जो कमियां और खामियां हैं वे बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अग्रसर हो रहे हैं वह क्लॉज बाई क्लॉज़ हो रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्लॉज बाई क्लॉज तो बाद में होगा। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें कमियां हैं इसलिए इसको जनमत जानने के लिए एक माह के लिए प्रसारित करना है। वह किसलिए करना है वह बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बतायें कि जो एक माह के लिए प्रसारित करना हैं वह किसलिए करना है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : वही बता रहा हूं कि इसमें यह यह कमी हैं उनकी पूर्ति करके लाना चाहिए ताकि व्यवस्था ठीक हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : सारी जनता इसको क्लॉज बाई क्लॉज देखेगी ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐं हुकुम ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने जनमत के लिए प्रसारित करने के लिए कहा । तो सारी जनता इसको क्लॉज बाई क्लॉज देख कर भेजेंगी पीछे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने निवेदन किया जो क्लाजेज यह सरकार लाई हैं इसमें कमयां हैं । जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में हमें प्रावधान करना चाहिये एक्सपोर्ट ट्रेड को इन्सेंटिव देने के लिए किसी प्रकार का सेल्स टैक्स न लगाऐं । और इसमें जिस प्रकार टैक्स लगाया हैं, उसमें जो रिलेक्जेशन देना हैं, जो छोडना हैं उसका प्रावधान कर दिया । अमुक अमुक को छोड़ेंगे और अमुक को नहीं छोडेंगे, इतना रिड्यूस करेंगे, इतना नहीं करेंगे । ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहते हम फोरिन एक्सचेंज कमाना चाहते हैं तो कम से कम सेल्स टैक्स से मुनाफा करना चाहिये इससे लोगों को इन्सेंटिव मिलेगा और साथ ही फोरिन ट्रेड भी बढ़ेगा ।

इसी प्रकार जो प्रोविजन दिया गया हैं सेक्शन ५ के अन्दर, कि जो भी सेल्स टक्स वुसूल कर लिया जाय उसको वापस रिफन्ड रने का प्रावधान रहता है कि किस प्रकार रिफन्ड होगा, कैसे होगा । वह प्रावधान लाया गया हैं और इसके द्वारा जिन लोगों से पैसा वसूल कर लिया जाता हैं, अगर वह गलती से ज्यादा हो जाता हैं या कैसे भी ज्यादा होता हैं, जैसा सेक्शन चार में हैं कि यदि चार पर्सेन्ट था तो फिर आठ पर्सेन्ट लग गया-उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड में रेफरेन्स किया या हाई कोर्ट में रेफरेन्स किया तो जो एक्सेस हो गया उसको रिफन्ड करने की कार्यवाही चल रही हैं । लेकिन काफी का नहीं हुआ हैं, उन सबका रिफन्ड करने के बारे में जो प्रावधान रखा गया हैं उसमें भी हैं :

"Provided that no claim of refund of any amount of provisional payment made under this sub-section shall be allowed, unless it is made within twelve months from the date of the order to the effect that no tax liability is likely arise in respect of the goods in question."

यह एक साल के अन्दर का जो प्रावधान रखा गया हैं कि एक साल के अन्दर रिफन्ड के बारे में अपील नहीं करता हैं तो उसके बाद में कोई क्लेम नहीं होगा । इस प्रकार की बंदिश लगाना मेरे खयाल में ठीक नहीं हैं । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो अमेंडमेंट्स लाये गये हैं उनसे पूर्ति नहीं होती हैं, और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उनको हमें दूर करना चाहिये और इसी प्रकार से दूसरी ओर भी कमी हैं कि इसमें कुछ प्रावधान आने चाहिये जिसकी वजह से सेल्स टैक्स की अच्छी व्यवस्था हो । यह जो सेल्स टैक्स का कानून हैं वह पूरी तरह से लोगों को राहत देने के लिए हो और स्टेट की ज्यादा से ज्यादा इन्कम बढ़ाने वाला हो । इस प्रकार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की व्यवस्था करने के लिए इसमें प्रावधानों का समावेश होना चाहिये। लेकिन जो चार सेक्शन अमेंड किये हैं-उसके अलावा और व्यवस्था नहीं है इसमें उन लोगों के खिलाफ जो कि टैक्स को इवेड करते हैं, या जो सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति इस प्रकार की गडबड़ी करते हैं कि जो टैक्स लोगों पर लागू होता है उसको उनसे न लेकर खुद अपनी तरफ से उन लोगों से मिल जुल कर टैक्स का इवेजन कराते हैं-उनका चालान करने के लिए और सरकारी ट्रेजरी में पैसा लाने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज सेल्स टैक्स विभाग में इतने कर्मचारी है कि पहले जो एक्साइज और सेल्स टैक्स के दोनों को मिला कर कर्मचारी थे, अब जब अलग अलग हो गए हैं तो उतने ही कर्मचारी और ऑफिसर इस सेल्स टैक्स विभाग में हैं उसके बाद भी टैक्स का इवेजन ज्यादा हो रहा है और जो इन्सपेक्टर वगैरह आपने मुकर्र किये हैं तहसील और सब डिविजन के लिए, वह गांवों में चक्कर लगाते हैं और जिन लोगो को टैक्स नहीं देना है उनको जबर्दस्ती हर्रास करते हैं, लेकिन जिन लोगों को टैक्स देना होता है उनसे मिलकर वह टैक्स का इवेंजन करते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि लोगों पर ज्यादा टैक्स न लगाते हुए जितना टैक्स हम लगा चुके हैं उसको सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से हम वसूल कर सकें। इस प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिये। इसके अलावा जो सीज्योर और खर्च का अधिकार दिया है इन्सपेक्टर को, या डिप्टी कमिश्नर को, या सेल्स टैक्स ऑफिसर को, यह दूसरे अधिकारी जो हैं उनको सीज्योर और खर्च का अधिकार दिया है, उसका दुरुपयोग नहीं हो और अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अच्छी प्रकार से प्रबन्ध किया जा सके-इस सम्बन्ध में पूर्णतया विचार करके और प्रावधान आने चाहिए। वह इस विधेयक में नहीं आए हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इसको जनमत जानने के लिए। प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अच्छा होगा यदि दस-पंद्रह मिनिट में बोलें, ताकि काफी माननीय सदस्य बोल सकें।

श्री चौसरसिंह बाबेल :-उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना टैक्स टैक्स की बात हो रही है। मैंने कल निवेदन किया था कि इस सरकार ने ३२ करोड़ के टैक्स इस चार साल में लगा दिए हैं और ३० करोड़ जनता से ऋण के रूप में लिया है, इसके अलावा जमीनों की बिक्री करके भी करोड़ों रुपये की आमदनी की है। इसी तरह से करोड़ों रुपया लेने के लिए यह जो बिल पेश कया है इस बिल के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं तो निवेदन यह करना चाहता हूं कि जवाहरात का बिजनेस जो जयपुर में है उस पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन जो जवाहरात का बिजनेस करने वाले हैं उन पर भारी असर पड़ेगा; अगर इसको पास कर दिया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह जवाहरात का बिजनेस किस तरस से पनपा जयपुर में, यह मैं नहीं कहना चाहता कि वह कब बसे थे और क्या हुआ था, किस तरह से उनको बसाया गया था और जयपुर की हालत किस तरह

(श्री चौसरसिंह बांवेल)

अच्छी हो पाई है। लेकिन इससे इस बिज़नेस में लगे हुए लोगों के ऊपर बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा और किस प्रकार को स्थिति होगी इसको आप खुद हो सोच सकते हैं। यह जो आपने टैक्स लगाया है अन्तिम बिन्दु पर-इससे इस बिज़नेस में भारी नुकसान होगा। इसके अलावा इसमें यह सरकार की मर्जी पर रखा है कि सरकार जो उचित समझेगी वह करेगी। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा और रिफन्ड के बारे में और जो दूसरे प्रतिबन्ध लगाए हैं वह अनुचित हैं। सरकार को ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहियें। ऐसे प्रतिबन्ध लगा देने से जनता को जो वाजिब रकम मिलनी चाहिए वह उससे महरूम हो जायगी और उसकी वजह से बहुत नुकसान उसको उठाना पड़ेगा।

मेरा निवेदन है कि करोडों रुपया का टैक्स देने के बाद भी आज जनता बहुत दुखी है। बिजली के संकट की वजह से दुःखी है, पानी का संकट है, अनाज का संकट है और टैक्स का भी संकट है। जनता के सामने आज रात दिन संकट ही संकट है। इसके अलावा आपकी एक भी योजना सफल नहीं हुई है। इतना टैक्स लगाते हुए भी आप ३३३ करोड़ रुपये के कर्जदार हैं। उसको आप किस तरह से चुकायेंगे। इस कर्ज की १७ करोड़ की तो किश्त आ रही है। वह इस साल में आप को चुकाना है। मैं निवेदन करूंगा कि टैक्स का भार आप जनता पर न बढायें। इसके अलावा जो टैक्स लगाए उसमें भेदभाव न करें और सबके साथ एकसा व्यवहार रखें। मेरे जो पूर्व वक्ताओं ने कहा है, और जैसा कि आपके खुद के मेम्बर आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उसके ऊपर आप विचार करें और उसके अलावा हम जो कह रहे हैं उस पर आप विचार करें। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सुझाव दिए हैं उन पर विचार करें। मैं यह निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कर न लगाएं, जिनमें कानूनी बाधा आती हो। इसे सरकार को देखना चाहिये, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं उनको देखना चाहिये और अपने मन में ऊंचे-नीच क्यों चलाते हैं। फिर भी आप मन में आये वह करना चाहें तो करें। मैं यही निवेदन करता हूं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल, १९६६ सरकार द्वारा विधान सभा में प्रसारित किया गया है। मेरा इस संबन्ध में एक प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल के द्वारा राज्य सरकार यह चाहती है कि हम एक्सपोर्ट पर टैक्स लगावे। मैं इस पर लंबी-चौड़ी तकरीर नहीं करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पर्चेज़ टैक्स लगाये हैं और एक तरफ आपने एक्सपोर्ट टैक्स भी लगाये हैं। टैक्स तो एक ऐसी चीज है जो बहते हुए दरिया की तरह है और अगर बहते हुए दरिया के सामने आप दीवार बनाना चाहते हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर बहते हुए दरिया के पानी को दीवार से रोका जावे, या वह पानी आने से रोका जाए तो उससे हमको नुकसान होता है। एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना मानों बहते हुए दरिया को बन्द करना है, इससे बिजनेस पर बहुत बड़ा भारी असर पड़ता है। इसके लिये आपको यह देखना चाहिये कि इससे लोकल मार्केट पर बड़ा असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जब इसका उत्तर देंगे इस पर प्रकाश डालेंगे।

आज आप जवाहरात का धन्धा ही ले लीजिये, आपने उनके पर्चेज़ पर टैक्स लगाया है।

Page No.125

(श्री अब्दुल जब्बार)

है। आज जवाहरात का धन्धा इण्डिया में कहां कहां पर है, तो यह धन्धा मद्रास, बम्बई, जयपुर आदि में है और जयपुर में यह बहुत पुराना धन्धा है। माल मेन्युफेक्चर होने के बाद हौंगकौंग और बैंगकोक और दूसरे स्थानों पर दुनिया में जाता है। जब जयपुर के माल पर आप पर्चेज टैक्स लगावें और एक्सपोर्ट टैक्स लगावें तो उसके बाद में माल इम्पोर्ट होगा वहां से भी टैक्स लगेगा। इसलिये उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी क्या रेट हो जाती है in comparison to Jaipur और इसका नतीजा यह होगा कि जयपुर के माल के बनिस्बत मद्रास और बम्बई के माल को प्राथमिकता मिलेगी। यह प्राथमिकता क्यों मिलेगी क्योंकि टैक्स का भार ज्यादा होगा। इसलिये आज टैक्स लगाते हुए यह देखना है कि कितने व्यक्ति इससे इफेक्टेड होंगे और उसके साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि हमारी सरकार उनकी बारीकियों को भी समझती है या नहीं। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार के अधिकारी उन बारीकियों को समझते नहीं और यही कहते हैं कि जो हम करते हैं वह सही करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न इसी संबन्ध में था। वह २८-३-६६ को था, उस प्रश्न के द्वारा मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि अगर कृषक अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई इंजिन या पंपिंग सेट या बिजली का सामान मीटर आदि लाए तो सेल्स टैक्स लिया जाता है? तो उत्तर मिला–जी नहीं। मैंने पूछा क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की छूट कानून में दे रखी है, तो उत्तर मिलता है कि निर्धारित परिस्थितियों में राजस्थान बिक्री-कर देय नहीं होता, अतः छूट का प्रश्न नहीं उठता। यह साफ तौर से कानून के चलाने वालों का इस पर जवाब है जो नये कानून लाते हैं और उसके बाद में किनको छूट दी जावेगी और किनको नहीं दी जावेगी, यह सरकार का जवाब है, इससे साफ जाहिर होता है। मैं मंत्री महोदय को बताना चहता हूं कि किस प्रकार का लोगों के साथ व्यवहार होता है। एक इंजिन और वाटर पंपिंग सेट रतलाम से आता है उसका सेलस टैक्स ४३२.६६ पै० नाके पर ले लिया जाता है। जब कि उसका सेल्स टैक्स मध्य प्रदेश में आलरेडी दिया जा चुका है। जब उनसे कहा जाता है तो सरकार जवाब देती है कि ऐसे प्रावधान नहीं हैं, वही सरकार की मशीनरी टैक्स लेती है। या तो हमें सरकार समझा दे या सरकार खुद समझ ले कि वास्तव में क्या बात सही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है वह इतना खतरनाक है कि इससे आपको बहुत नुकसान होगा और व्यापारी को भी बहुत नुकसान होगा। यह टैक्स तो बाम्बे पोर्ट पर या कलकत्ता या मद्रास पोर्ट पर लगाना चाहिये। अगर यहां पर जयपुर में इस पर टैक्स लगता है तो बाम्बे के माल के मुकाबले में यहा का बिजनेस कतई पनप नहीं सकता। जब तक एक्सपोर्ट नही होगा तब तक हमें कमोडिटीज का पैसा नहीं मिलेगा और उसकी खपत नहीं होगी तो प्रोड्यूसर को सही पैसा उस माल का नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी प्रकार से उस प्रोड्यूसर को उसके लिये मार्केट नहीं मिलेगा और उसको कीमत पूरी सही नही मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कम से कम वित्त मंत्रीजी से २५ मर्तबा पूछने पर और पांच मर्तबा अपने भाषण में यह कहा कि किसानों

(श्री अब्दुल जब्बार)

से पत्थर की रॉयल्टी नहीं ली जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों से पत्थरों पर रॉयल्टी ली जाती है और उसके लिये जो रॉयल्टी ली गई है उसकी रसीदें मैं मंत्री महोदय को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। या तो यह हो कि इसको डाकाजनी कहा जावे या और कुछ कहा जावे। मैं इस बात को साफ खुले शब्दों में कह रहा हूं। छोटे छोटे दुकानदार यह कहते हैं कि इतने सेल्स टैक्स आर्टीकल लिये जावें। उनको पैसे सिगरेट, चाय और दावत के लिये चाहिये। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप कुछ तो इसमें सुधार करें। आपके इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। कम से कम आप इस हद तक कोशिश करें कि आपके अधिकारी तो कम से कम ईमानदारी से काम करें। यह मैं मानता हूं कि मंहगाई है और उनको इससे परेशानी है मगर उनके लिये दूसरा रास्ता खुला है। वे उस रास्ते को अपनावें और रिश्वतखोरी को छोड़ें। आपने उनको रिप्रिजेन्टेशन देने की छूट दी है वे रिप्रिजेन्टेशन दें। लेकिन यह तो नहीं होना चाहिये कि वे बेईमानी करें और छोटे छोटे दुकानदारों को दबावें और उनसे सेल्स टैक्स इस तरह से वसूल करें। जैसे बाप-दादे पुरानी गठड़ी छोड़ कर गये हों। आज हम देखते हैं कि व्यापारी और दुकानदार जिनको सेल्स टैक्स का कोई भी अधिकारी या क्लर्क कुछ भी कह दे और वह उसको तामील नहीं करे तो उसकी क्या हालत होती है। हम देखते हैं कि आज व्यापारी और दुकानदार अपनी वहियों के पुलिन्दे और किताबें साइकिल के पीछे रख कर ले जाते हैं और दिन भर उनको परेशान करते हैं। यह सेल्स टैक्स विभाग क्या हुआ यह तो एक प्रकार से आतंक जमाने का नया तरीका हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप किसको कम करेंगे किसको ज्यादा करेंगे। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे और जनता की राय जान ली जावे कि जनता क्या चाहती है। आपको मालूम हो जावेगा कि आपके इस सेल्स टैक्स के खिलाफ कितने प्रार्थना-पत्र आते हैं। आप जनता को मौका दें। आज जनता की हुकूमत है, जनता की आवाज पर आज हुकूमत चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे और जैसा मैंने माननीय मंत्री महोदय को बताया कि उनके कर्मचारी लोगों को किस प्रकार से परेशान करते हैं उसके लिये कोई प्रबन्ध करें।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जावे। आज राजस्थान में आप कहीं भी चले जावें और किसी भी व्यापारी से पूछा जावे कि आज किस प्रकार से सेल्स टैक्स के महकमे वाले ज्यादतियां कर रहे हैं। जब आपके पास ये शिकायतें बहुत ज्यादा हुईं तो चुनावों के समय में मालूम हुआ कि उसकी वजह से हमारी हार हुई है तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने तीन चार वर्षों में सारी बातों पर अध्ययन करने के बाद में अपनी रिपोर्ट दी और उसके

Page No.127

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

बाद उस पर क्या अमल हुआ यह मैं नहीं कह सकता। वह रिपोर्ट सदन के सामने आई नहीं। उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिये उसके बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं। अगर कोई व्यापारी यह कहे कि मुझे लाइसेन्स दिया जावे, मैं राजस्थान में व्यापार करना चाहता हूं तो उसको अर्जी दिये ६-६ महीने गुजर जाते हैं मगर उसको लाइसेन्स नहीं मिलता है। दो-तीन महीने के बाद इन्सपेक्टर के पास अर्जी जाती है और इन्सपेक्टर जब उसको टाइम मिलता है तब देखने जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सी० टी० ओ० मौके पर नहीं मिलते, जितने ऑफिसर्स केम्प करने चले जाते हैं मौके पर नहीं मिलते और इस तरह एप्लीकेशन्स पड़ी रहती हैं। आज राजस्थान में यह हालत है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर चले जाइये, फाइल्स का इन्सपेक्शन करिये, आपको मालूम हो जायगा कि किसी अधिकारी ने चार-चार, ६-६ महीने से पहले लाइसेंस इश्यू नहीं किये हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि उनकी वजह से कानून में संशोधन किया जाना आवश्यक है, किसी को मुक्ति देनी है, एग्जम्प्शन देना है तो साफ-सीधे शब्दों में कह दीजिये कि फलां चीज पर टैक्स नहीं लगेगा पर कुछ न कुछ कन्डीशन्स इस प्रकार की रख दी जाती हैं कि उनकी वजह से मुक्ति नाकारा हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये १० रुपया एग्जम्प्शन लाइसेंस फीस रख दी गई है, आपको मुक्ति देनी ही है तो, एग्जम्प्शन देना ही है तो फिर १० रुपये की फीस की क्या आवश्यकता है? दस रुपये से तो ज्यादा खर्चा आपका आ जाता है। आप उसकी जांच करायेंगे, लाइसेंस की छपाई आदि सारा खर्चा लगाया जाय तो आपका खर्चा १० रु० से ज्यादा पड़ता है। रेवेन्यू बोर्ड का भी इस प्रकार का डिसिजन हो गया है कि १० रुपया बाद में भी दे तो उसे मुक्ति प्रमाण-पत्र देना पड़ेगा। जैमिनी मूर्ति कलाकार का केस है, उसमें रेवेन्यू बोर्ड ने डिसिजन दिया है कि किसी आदमी की आज लायबिलिटी बनती है तो १० रुपया एग्जम्प्शन सर्टिफिकेट की फीस देने पर वह एग्जम्प्शन पाने का अधिकारी है। इस फैसले का थोड़ा सा पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूं :

"I have heard both the counsel for the parties and gone through the entire record. The argument of the learned Government Advocate appears to be illogical when on the one hand he says that the scheme of the Act does not provide anywhere the grant of exemption certificate retrospectively and on the other hand in the same breath he says that it is on the discretion of the Government to grant any exemption to any person as per section 4(2) of the Rajasthan Sales Tax Act. As a matter of fact the Government has exempted the items in dispute from sales tax vide its notification dated 14-4-55 and the petitioner ought to have obtained

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

exemption certificate. The sales tax department has asked the petitioner to get himself registered with retrospective effect from 1959-60 and simultaneously the petitioner has applied for exemption certificate. Since the petitioner did not obtain exemption certificate earlier he is definitely liable for penalty, but to impose sales tax on his turnover would defeat the very intention of the authorities to exempt the disputed items from Sales Tax. I, therefore, accept the revision.."

इसके जरिये, माननीय उपाध्यक्ष, में निवेदन करना चाहता हूं कि १० रुपया मुक्ति प्रमाण-पत्र का नहीं दे तो कानून में प्रावधान है कि सारे पर सेल्स टैक्स लग जायगा। यदि किसी ने समय पर १० रु० जमा नहीं कराया तो सारी चीजों पर लग जाय तो यह उचित नहीं मालूम होता, तो कन्डोशनल चीजें हैं इनकी क्या कीमत है। १० रुपया वाटर पम्पिंग सेट पर है, पान पर है, पान को टैक्स से मुक्त करने की वित्त मंत्री ने घोषणा की पर पान वालों को फंसा दिया कि दस रुपये का मुक्ति प्रमाण-पत्र देगा तो छूट होगी, यह ठीक नहीं है, आपको मुक्त करना है तो सीधी सादी भाषा में कह देना चाहिये कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कुछ चीजों में छोटी सी कन्डीशन रख दी है कि सर्टिफिकेट में नाम लिखायेगा तो उन चीजों पर टैक्स से मुक्ति मिलेगी। वह आइटम मुक्त हैं पर आपने यह कन्डीशन रख दी है कि तुम लिस्ट में उनका नाम लिखाओगे तब ही मुक्ति मिलेगी। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे दालें, राइटिंग चाक्स, ऐसी चीजें हैं, ताजे फूल सुगन्धी वाले, इनके नाम सर्टिफिकेट में नहीं लिखायें तो टैक्स लग जायगा। इसका कोई औचित्य नहीं है। यह तो वैसा ही हुआ, जैसे पुराने जमाने में राजा ने किसो को कुछ देने का हुक्म दिया और बीच में आकर अटके मुंशी और प्रधान अपनी बात रखने के लिये अटका देते थे और उसको पूरी चीज नहीं मिलती थी, उसी प्रकार हमारे यहां तय हुआ था कि चांदी के जेवरात पर डबल टैक्स नहीं लगेगा। चांदी-सोना ऐसा है कि जेवर बना कर फिर उनसे चांदी सोना बना सकते हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाइये, वापिस उसकी लकड़ी नहीं बन सकती पर चांदी सोने से जेवर बनाइये, वापिस उनका चांदी सोना बना सकते हैं बुलियन बन सकती है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि पुराने जेवर खरीदते हैं उन पर टैक्स माफ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उसमें एक वर्ड लगा दिया कि पुराने जेवर खरीद कर उनसे नये जेवर बना कर बेचेगा तो टैक्स माफ अगर बुलियन बना कर, चांदी सोना बना कर बेचेगा तो टैक्स लगेगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि वास्तव में मुक्ति देना चाहते हैं तो पुराने चांदी के जेवर खरीदता है, वह उनसे जेवर ही बनवाये यह जरूरी नहीं है। बुलियन बना सकता है, बर्तन बनवा सकता है। तो इस प्रकार के सुधार इस कानून में करने की आवश्यकता है।

घानी तेल पर मुक्ति दी, पर इसमें भी एक्सक्लुजिव शब्द लगा दिया। इसका

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

अर्थ यह हुआ कि घानी तेल बना कर बेचता है और उसके साथ तिलहन बेचता है तो उसको एग्जम्प्शन नहीं मिलेगा। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के एग्जम्प्शन सिर्फ खाना पूर्ति के लिये है, गारमेंट पर १० रुपये में माफी-पत्र है, इस प्रकार की छोटी चीजें हैं इनसे कोई इम्पेक्ट नहीं बढ़ता, इससे तो उल्टा एस्टेब्लिशमेंट पर वर्क-लोड पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की एग्जम्प्शन्स की बातें हैं वह हटा दी जायं।

रिफंड की आज यह हालत है कि दर्ख्वास्तों पर दर्ख्वास्तें दो फिर भी रिफंड नहीं होता। असेसिंग ऑथोरिटी ऑर्डर दे कि इतना जमा कराया, इतना कुल टैक्स बनता है, इतना रुपया रिफंडेबल है फिर भी रुपया रिफंड नहीं होता है। कहते हैं कि रिफंड के लिये एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन किस बात की और एप्लीकेशन दें भी तो उसको डिस्पोज़ ऑफ करेंगे जब मर्जी होगी तब, जब असेसिंग ऑथोरिटी का क्लीयर ऑर्डर है कि इतना कुल टैक्स बनता है, इतना जमा है और इतना रिफंड किया जाय तो फिर एप्लीकेशन का क्या सवाल। कोई असेसी असेसिंग ऑथेरिटी से ब्याज वसूल करने की हिम्मत नहीं कर सकता।

आप असेसिंग ऑथोरिटीज़ से पूछें कि उनके ऑर्डर्स के खिलाफ कितनी अपीलें हुईं, कितनी रिफंड की एप्लीकेशन्स आईं, कितनों को रिफंड किया गया, तो वे नहीं बता सकते क्योंकि उनके पास कोई रजिस्टर कोई रिकार्ड मेन्टेन नहीं किया जाता। अपील पर डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर देता है कि इतना रिफंड किया जाय किन्तु रिफंड नहीं करते। यदि एक डिप्टी कमिश्नर डाइरेक्शन्स देता है कि इतना पैसा रिफंड किया जाता है तो फिर आवश्यकता किस बात की रह जाती है कि आप एप्लीकेशन्स मांगें ?

आज आपने ४-५ प्रतिशत टैक्स लगाया, रेवेन्यू बोर्ड ने कहा कि ४-५ प्रतिशत नहीं लगा सकते। उसके बाद जबर्दस्ती जिनसे लिया गया उनको आज तक रिफंड नही मिला।

इसी प्रकार रेक्टीफिकेशन की बात मैंने कल कही, रेक्टीफिकेशन्स की एप्लीकेशन्स दी जाती हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती और वह रिजेक्ट की जाती हैं। उप-मंत्री महोदय इस प्रकार के आदेश दें कि कम से कम कोई ऐसी एप्लीकेशन आए तो डिस्पोज़ ऑफ करने के पहले वह एक हीयरिंग जरूर दें।

कोई आदमी सी या डी फार्म लेने जाय तो समय पर नहीं मिलते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सी फार्म आज कल सिवाय सी० टी० ओ० के और कोई इश्यू नहीं करता, आपने असेसिंग ऑथोरिटीज बना रखी हैं लेकिन सी फार्म केवल सी० टी० ओ० ही इश्यू करता है जब कि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो चुका है कि

" 'C' from is like a sale." लेकिन आज दिन तक कोई भी असेसिंग ऑथोरिटी उस रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को नहीं मानती और यदि कोई टैक्स बाकी है तो 'सी' फार्म इश्यू नहीं होता। बार बार कानून का उल्लंघन होता है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं।

(श्री संपत्तिलाल बोहरा)

'डी' फार्म इतने रद्दी कागज पर बने हुए हैं कि स्याही से लिखा भी नहीं जाता।

मैं कुछ सजेशन्स देना चाहता हूं कि हर विभाग में एक रजिस्टर होना चाहिए और उसमें अपीलों का भी रजिस्टर होना चाहिए। इस प्रकार जब मिसलेनियस वर्क्स की एप्लीकेशन्स या रेक्टीफिकेशन्स की एप्लीकेशन्स आएं तो भी एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें दिखाना चाहिये कि कब उसका डिस्पोजल हुआ ताकि ऑफिसर को जब कोई शिकायत करे तो वह देख सके।

बहुत से जिलों में ऐसी हालत है कि ऑफिसर्स कैम्प में चले जाते हैं हैड-क्वार्टर्स पर कोई ऑफिसर नहीं मिलता है तो बाहर के लोग जो आते हैं जो समय पर 'सी' और 'डी' फार्म नहीं मिलता है, इसलिए हैड-क्वार्टर्स पर कम से कम एक अधिकारी हर समय उपस्थित रहे और उसे 'सी' और 'डी' फार्म इश्यू करने का अधिकार होना चाहिए। आज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 'बी' कोई भी इश्यू नहीं करता। यदि हैड-क्वार्टर पर कोई भी ऑफिसर है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करने का अधिकार उसे होना चाहिए ताकि लोगों की तकलीफ कम हो। इसके अलावा कम से कम एक दिन सप्ताह में फिक्स करना चाहिए जिस दिन मिसलेनियस वर्क का डिस्पोजल हो। आज कोई भी रिफंड के लिए परवाह नहीं करता, एप्लीकेशन के डिस्पोजल की परवाह नहीं करता।

आज ऑफिसर्स इतने परेशान हैं कि शुरू में तो एपोइंटमेंट मिलता है, पर वे प्रोबेशन पर चले आते हैं, जब से सेल्स टैक्स लागू हुआ है तब से प्रोबेशन पर चल रहे हैं, हर बार एक्स्टेन्शन हो जाता है, ६-६ महीने का एक्स्टेन्शन दिया जाता है। किस कानून के अन्तर्गत आप प्रोबेशन पर रख रहे हो और फिर हर ६ महीने के बाद एक्स्टेन्शन। उसकी सैलेरी ६-६ महीने तक पेंडिंग रखते हैं तो फिर वह करप्शन नहीं करेगा क्या? वह सेकिन्ड क्लास का एन्टाइटल्ड है जब कि दूसरे इन्सपेक्टर्स उससे ज्यादा पैसे लेते हैं, ज्यादा अधिकार मिलते हैं, ज्यादा टी० ए० मिलता है।

आज सेल्स टैक्स ऑफिसर्स को न स्टेनो दिया जाता है, न टाइप-राइटर दी जाती है और सारा काम उनको अपने हाथ से घसीटना पड़ता है। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना डिस्पोजल करो, यदि इतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए तो इतने यूनिट्स नहीं गिने जायेंगे। जो छोटे छोटे ऑफिसर्स हैं, जो स्मॉल केसेज को डील करते हैं, तो यूनिट्स कम बनते हैं और बहुत ज्यादा असेसमेन्ट करते हैं। होता क्या है कि असेसमेंट लगाते हैं लेकिन रिकार्ड नहीं देख पाते। एक आदमी से ३००-४०० केसेज का डिस्पोजल चाहें, एक ही आदमी असेसमेंट करे, डिमांड रजिस्टर पर चढ़ाए, असेसमेंट ऑर्डर हाथ से लिख दे और कोई अपील की तो सर्टीफाइड कॉपी हाथ से लिख कर दे। आवश्यकता इस बात की है कि आप टाइप-राइटर्स उनको प्रोवाइड करें, स्टेनो प्रोवाइड करें और यूनिट्स के सिस्टम को चेंज करें।

आज ऑफिसर्स के जुरिस्डिक्शन का जहां तक सवाल है, पॉवर देने का कोई बेसिस नहीं है, किसी को एक लाख की

Page No.131

(श्री संपत्ति लाल बोहरा)
पॉवर देते हैं, किसी को दो लाख की पॉवर। यह रीजनेबल बेसिस नहीं है एक, दो या तीन लाख का। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आपको पॉवर देनी है तो टैक्स बेसिस पर दो, कमोडिटी बेसिस पर दो, सर्किल्स इस तरह से डिवाइड करो जिससे कमीशन एजेंट्स के केसेज एक असेसिंग ओथॉरिटी डील करे, कपड़े के केसेज, वूलन के केसेज एक आदमी डील करे, कंपनीज के केसेज एक आदमी डील करे। इस तरह से सबजेक्टवाइज डिवाइड करो। आपने कर दी दो लाख की पॉवर्स, चाहे दो लाख का कपड़ा भी हो और एक आदमी जिसको एक लाख की पावर्स है, उसके पास दो लाख का असेसी कपड़े का आ गया तो वह असेसमेंट नहीं कर सकता, इसमें रिवीजन किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार स्पेशल असेसमेंट सर्किल्स जो आपने बनाए हैं उनका भी, आधार इसी बेसिस पर है, यह ठीक नहीं है। काम तो उनके पास कम है। जो असेसी गया, वह सुबह से शाम तक देखता है, वह कहता है कि १०० केसेज साल में देने हैं तो एक दिन में वह काम नहीं कर सकता। यदि वह असेसी १०-१५ लाख टर्न-ओवर वाला है चाहे टैक्सेबल टर्न-ओवर कम है या ज्यादा, उसमें ४-५ दिन से ज्यादा रगड़ा नहीं जाता। इसलिए आपने स्पेशल असेसमेंट सर्किल में कम से कम जो डेफीनेशन रखी है ५ लाख का मैन्युफैक्चर और १५ लाख का टर्न-ओवर इसको चेंज करिए। यह करिए कि इन पर्टीक्यूलर आइटम्स को वह असेस करेगा ताकि वह एफीशियेन्ट ऑफिसर बन सके।

आज आपके ऑफिसेज में हालत यह है कि बैठने की जगह नहीं। आप लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। राजस्थान का सेल्स टैक्स इस समय १३ करोड़ रुपया है और अगले बजट में १५ करोड़, लेकिन ऐसे बजट के बावजूद असेसीज के लिए या स्टॉफ के लिए बैठने के लिए कुर्सी या बेंच का प्रबंध नहीं। यदि आप उदयपुर के सेल्स टैक्स ऑफिस में जायें तो आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा, असेसीज के लिए कमरा नहीं, वकीलों के लिए कमरा नहीं, लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर, मेन्टेनेंस एक्सपेंडीचर इस विभाग में जो होता है वह सबसे कम है। जब एक्साइज और टैक्सेशन शामिल था तब समझ में आता था कि एक्साइज में खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन कम्पैरिजन में एक्साइज की आमदनी ७,२०,००,००० रुपये है वहां राजस्थान में टैक्सेशन की आमदनी १६,३२,००,००० रु० है। अकेले सेल्स टैक्स की आमदनी १३,४०,००,००० इस वर्ष की है। मेन्टेनेन्स का इस विभाग पर जो खर्चा होना चाहिए वह एक नया पैसा नहीं है, टोटल खर्चा २.७ पर्सेन्ट केल्कुलेशन चार्जेज आते हैं, सारा स्टॉफ, मेन्टेनेंस, ऑफिसर्स, सारे इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर्स, सब मिलाकर पर्सेंटेज के हिसाब से खर्चा २.७ पर्सेंट है जब कि एक्साइज का ६.१५ है। जो असेसी करोड़ो रुपयों के टैक्स देता है उसको पानी पिलाने की सुविधा नहीं है, वकीलों के लिए कमरा नहीं, लाइब्रेरी नहीं है। सरकार जब इतना टैक्स व्यापारियों से वसूल करती है तो यह प्रबंध भी उसको करना चाहिए तो उपयुक्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा

(श्री संपतिलल बोहरा)

प्रश्न मैंने पहले भी उठाया था रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जो कुछ होता है उस सम्बन्ध में इसलिए मांग की थी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाय। सिलेक्ट कमेटी में भी चर्चा की थी, जैसा कि अखबारों में आया है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक मेम्बर के द्वारा जो डिस्पोजल होता था, अब दो मेम्बर हो गये, बैंच बैठती नहीं, इसका नतीजा यह हुआ है कि डिस्पोजल कम हो गया। गत वर्ष में आपने यह अमेन्डमेन्ट किया, उसके बाद कितनी अपीलें डिस्पोज ऑफ की गई यह आप ही देख लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भाव बढ़े हैं, प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है उसके हिसाब से हिसाब लगायें तो पांच हजार का मिनिमम रेस्ट्रिक्शन रख रखा है, पांच हजार की बिक्री करेगा तो सेल्स टैक्स का लाइसेन्स लेना पड़ेगा। प्राइस इन्डेक्स को देखें तो पांच हजार की कीमत ३ हजार ही रह गई है। २६ में से २३ डिस्ट्रिक्ट में अकाल है, अनाज नहीं है, अनाज उनको राजस्थान सरकार ही सप्लाई करती है। पांच हजार की जो आपने लिमिट रख रखी है यदि उसको हटा देते हैं तो वह लोड कम हो जावेगा।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, एक्स-पार्टी असेसमेंट होते हैं उनको री-ओपन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा इन्कम-टैक्स में है वैसा ही प्रावधान इसमें भी होना चाहिये। वन मंथ या टू मंथ में पार्टी आकर एप्लीकेशन दे तो री-ओपन होना चाहिए।

हमारी सरकार ने १६-३ को नोटिफिकेशन निकाला उसके जरिये जो कुछ भी मंशा थी, पता नहीं वह क्या थी, जो रॉयल्टी है ऑइल सीड के बारे में उसमें उन्होंने यह कहा है कि इन्टरस्टेट बिजनेस होगा तो हाफ पर्सेंट टैक्स लगेगा। लेकिन कन्डीशन लगा दी है यदि राजस्थान में करेगा तो लेंगे पांच पर्सेन्ट। एक्सपोर्ट करेगा तो आधा पर्सेन्ट। मतलब यह है कि ५॥ पर्सेन्ट ऑइल सीड पर टैक्स देकर खरीदें। २ पर्सेन्ट पर्चेज टैक्स लगेगा और हाफ पर्सेन्ट यह लगेगा। एक आदमी, कन्सेशनल रेट पर देता है, सेंटर को बेचेगा तो ३ पर्सेंट लगेगा। एक ही तेल पर तीन तरह के टैक्स की व्यवस्था की है। एक व्यक्ति ५॥ पर्सेंट देगा, एक व्यक्ति २॥ पर्सेंट देगा और एक व्यक्ति ३ पर्सेंट देगा। आप ही देखिये कि यह कैसे व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार दूसरा नोटिफिकेशन है: "The State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, exempts from tax the sale, for recutting or reshaping...."

इसको एग्जम्प्ट करते हैं इससे: "..of Gems--whether precious or semi-precious (hereinafter referred to as such goods), on the condition that the selling dealer claiming the exemption obtains a declaration from the purchasing dealer in the form appended hereto to the effect that such goods are being purchased for the purpose of recutting or reshaping and will, after recutting or reshaping,

(श्री सम्पत्ति लाल बोहरा)
be sold within the State or in the course of inter-State trade or commerce;"

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके नीचे जो शब्द काम में लिये गये हैं वे हैं: "......the tax on the sale of 'Gems and stones—whether precious, semi-precious or imitation and pearls, whether real, cultured or imitation' shall be payable at the last point in the series of sales by successive dealers."

मेरा कहने का अर्थ यह है कि जहां नीचे आप यह कहते हैं जेम्स-स्टोन्स, इमीटेशन मोती ये सब इसमें कवर होंगे। कटिंग और रीकटिंग के लिये जेम्स को ही क्यों? इसके लिये क्यों अधिकार दे रहे हैं। नीचे जहां सब को एग्जम्प्ट कर रहे हैं लास्ट पोइन्ट है लेकिन सिर्फ जेम्स कटिंग और रीशोपिंग को ही क्यों ले रहे हैं। यह भाषा की गलती है तो इसको देख लीजिये।

डिक्लेरेशन फॉर्म किस प्रकार होगा? रूल २५ सी यह कहता है कि जो डिक्लेरेशन होगा फॉर्म नं० १७ होगा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे यह आप देख लीजियेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। इन पोइन्ट्स पर पहले कह चुका हूं।

जो अमेन्डमेन्ट अभी सेक्शन ४ (ए) में लगाया गया वह टैक्स के बारे में है और मेरे विचार में सेक्शन ४ (ए) लिखा गया है वह ५ के अन्तर्गत आना चाहिये। रेट्स ऑफ टैक्स कम और ज्यादा करने का सवाल है वह चार्जिंग सेक्शन में यहां आना चाहिए।

एक बात मैंने पहले उठायी। इसमें वर्ड यूज हुए हैं:

"reduce the rate of tax payable on the sale to or purchase by any exporter"

तो मेरा व्यू यह है कि एक्सपोर्टर जो माल राजस्थान में पर्चेज करेगा उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। रिड्यूस करने का प्रश्न है, "goods notified by the State Government" इसका क्या आधार है? आप यह समझते हैं कि राजस्थान का माल एक्स्पोर्ट हो और विदेशों में जाना चाहिए यह राजस्थान के हित में है तो मुझे भी वह ही सुविधा मिलनी चाहिये जो दूसरे एक्स्पोर्टर को है। चाहे मैं मिट्टी को एक्सपोर्ट करूं, चाहे मैं सोप स्टोन को एक्सपोर्ट करूं, चाहे जवाहरात को एक्सपोर्ट करूं। राजस्थान का माल बाहर जाकर बिके यही आपका मतलब है तो फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुन्जाइश नहीं होनी चाहिये और वर्ड यूज हुए हैं ये "goods notified by the State Government" ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं। ये वर्ड इसमें से हटाये जाने चाहियें। जो भी माल एक्सपोर्ट हो उसके लिये एक ही कन्डीशन होनी चाहिये या इस प्रकार की कन्डीशन कर दीजिये कि इस तरह का माल बेचेगा तो उसके साथ यह होगा। केवल सरकार के हाथ में अधिकार नहीं देने चाहिये। जिससे

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)
जिसको मन चाहे उसको रिलीफ दे और जिसको मन चाहे न दे। कोई आदमी मेन्यूफेक्चर करने के लिये कन्सेशनल रेट पर माल चाहता है तो उसको नहीं देंगे। इसके बारे में मैंने कल भी कहा था। उसको कहते हैं कि कन्सेशनल रेट पर खरीद लिया और एक्सपोर्ट कर दिया तो सवाया टैक्स लगेगा और दुगुना जुर्माना लगेगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि एक्सपोर्ट करेगा तो रिलीफ देंगे। रिलीफ देना है तो ५ (सी) में कन्सेशन में रिलीफ दें ताकि सस्ता माल खरीद कर एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन आप नहीं देते।

सेक्शन्स ३, ४, ५ का प्रश्न है वह पहले निवेदन कर चुका हूं। एक पोइन्ट कहना चाहता हूं जो वर्ड इसमें यूज हुआ है माननीय उप-मंत्री जरा इसको सुन लें। "All goods other than the following" उसमें "और" शब्द नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इतना इलस्ट्रेटिव, इतना ओजस्वी और विद्वता पूर्ण भाषण, हर फैक्ट्स पर, हर लॉ पोइन्ट पर, उसके बाद में माननीय उप-मंत्रीजी न नोट कर रहे हैं और न उन पर उसका कोई असर हो रहा है और न उनको अधिकार है कि इस प्रकार का संशोधन वे स्वीकार कर सकें। सेल्स टैक्स एक्ट द्वारा राजस्थान में लाखों और करोड़ों रुपये के टैक्स लगाये जाते हैं जो, मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट में इतना बड़ा भारी सेल्स टैक्स का इन्सीडेंस नहीं है। किस स्टेट में है बता दीजिये?

(घंटी)

आपको नरम-नरम भाषण ज्यादा पसन्द आता है।

श्री परसराम मदेरणा : आप उनको इन्टरप्रेट कर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दुस्तान की किसी स्टेट में इतना बड़ा भारी सेल्स टैक्स का इन्सीडेन्स नहीं होगा जितना कि राजस्थान में है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : इस एक्ट में 'और' वर्ड नहीं है, करेक्शन की आवश्यकता हो तो वह भी कर लिया जाय।

चौथा अमेन्डमेन्ट है वैसे तो बहुत अच्छा है असेसिंग ऑथोरिटी को पॉवर दे रहे हैं, इन्स्टालमेन्ट के पॉवर दे रहे हैं इसमें तकलीफ यह है कि कन्डीशन्स उसकी मर्जी पर छोड़ दी है। रूल्स में प्रेस्क्राइब करेंगे। मेरा इस बारे में निवेदन है कि जो भी कन्डीशन आप तय करें वह हाउस के सामने आनी चाहिये।

रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट टैक्स पर बारह परसेंट लिया जायगा। कितना परसेंट इन्ट्रेस्ट चार्ज कर सकते हैं यह सब हाउस के सामने स्पेसिफाई होना चाहिये।

पाचवां क्लॉज है वह बहुत ही खराब है। रिफन्ड के लिये एक साल के अन्दर अन्दर क्लेम किया जाय, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगा।

"Provided that no claim of refund of any amount of provisional payment made under this sub-section shall be allowed, unless it is made within twelve months from the date of the

Page No.135

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

ordar to the effect that no tax liability is likely to arise in respeot of the goods in question."

इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक तो यह है, "there has to be a declaration that no tax liability is likely to arise," यह घोषणा कौन करे ? असेसिंग ऑथोरिटी तो नहीं करेगा, मेरे पर टैक्स लाएबिलिटी नहीं। जब जाकर कोई कहे कि मेरे पर टैक्स लाएबिलिटी नहीं है तो सेल्स टैक्स ऑफिसर जांच करेगा टैक्स लाएबिलिटी बनती है या नहीं। अगर नहीं बनती है तो उसके लिये क्या प्रोसीजर होगा वह भी निश्चित नहीं किया गया है। नो टैक्स लाएबिलिटी का सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। उसके बाद रिफन्ड करवाना है तो वह एक साल के भीतर भीतर करवा ले, गलत टैक्स ले लिया गया है इसलिये। यह जो एक साल का है उसमें ऐसा मालूम होता है सरकार का यह इरादा है कि जो ज्यादा टैक्स चार्ज कर लिया उसको हजम कर लिया जाय। जब एक तरफ तो उससे जबर्दस्ती टैक्स वसूल कर लिया जाता है और जब रिफन्ड का सवाल आता है तो उसको हजम करने की सोची जाती है। जैसा कि निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। आप इस बारे में अच्छी तरह से देख लें कि टैक्स की लाएबिलिटी को रिफन्ड करने या उसको असेस करने के बारे में किस तरह का प्रोसीजर होगा। यह उप-वित्त मंत्री महोदय के देखने की बात है।

कल उप-वित्त मंत्री महोदय ने यह भी बताया था कि राजस्थान में जो टैक्स का इन्सीडेन्स है वह बहुत सारी स्टेट्स से बहुत कम है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि टैक्स का इन्सीडेन्स राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इसके बारे में मैं आपको बजट अध्ययन से आंकड़े बताना चाहता हूं :

राजस्थान में बिक्री कर का पर्सेन्टेज	..	६.७९ है
उत्तर प्रदेश में	..	३.३२ है

उत्तर प्रदेश जो हमारे से ज्यादा विकसित है, जहां गंगा जमुना जैसी नदियां बहती हैं जिनके कारण करोड़ों रुपयों का उत्पादन होता है, नदी के किनारे किनारे सिंचाई होती है काफी माल पैदा होता है। गंगा जमुना जो बहती है उससे इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है फिर भी वहां पर बिक्री कर का इन्सीडेन्स प्रति व्यक्ति ३.३२ है जब कि हमारे यहां राजस्थान में ६.७९ है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं बिहार में ४.३ है। मध्य प्रदेश जो हमारा पडौसी प्रान्त है जहां पर हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना है और भी बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, मोटरों का कारखाना है, स्कूटर का कारखाना है, स्टील के कारखाने हैं वहां पर भी टैक्स का इन्सीडेन्स ७.०१ है। आबकारी के आंकड़े मिलायें, सेल्स टैक्स के भी मिलायें दोनों को मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में आबकारी टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों मिलाकर ४.८० है जब कि हमारे यहां राजस्थान में पर-केपिटा टैक्स दोनों मिलाकर १०.२६ है। इतना टैक्स किसी भी स्टेट में नहीं है आबकारी पर कर इतना कहीं नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो, इन्क्रीज कितना हुआ, यह बतलाइये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: उत्तर प्रदेश में आबकारी कर १.५ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पर-केपिटा सेल्स टैक्स का मुकाबला अन्य राज्यों से किया। ६३-६४ के एस्टीमेट्स के आधार पर वह मैं अर्ज कर देता हूं। उसमें मध्य प्रदेश का पर्सेंटेज इन्क्रीज हुआ है, वह इस प्रकार है:—

मध्य प्रदेश	५५
आसाम	५२
उत्तर प्रदेश	४६
केरल	४१
गुजरात	३१
बिहार	२३
आन्ध्र	१४

और राजस्थान १४८ परसेंट । हमारे यहां राजस्थान में १४८ पर केपिटा टैक्स इन्सीडेन्स इन्क्रीज हुआ है । यह आंकड़े जाकर ढाई सौ परसेंट पड़ता है इससे यह पता चलता है कि सेल्स टैक्स के सिवाय आपके पास कोई आमदनी का जरिया ही नहीं । आप इसका परसेन्टेज इन्क्रीज करते चले जा रहे हैं।

यह मैं आंकड़े आपको जो बता रहा हूं वह मेरे मन के नहीं हैं। यह गवर्नमेन्ट का ममोरेण्डम है जो फाइनेन्स कमीशन को थर्ड प्लान के बारे में प्लानिंग कमीशन को दिया गया था । उसमें गवर्नमेन्ट ने खुद ने लिखा है:

"It will be noticed that the percentage income has been the highest in Rajasthan, showing that the greatest effort in increasing sales tax was made by this State."

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपकी कन्ट्रीब्यूट्री स्पीच हो गई ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसलिये ये आंकड़े निकाल कर बताने पड़े । वास्तव में राजस्थान के लोगों के ऊपर पर-केपिटा टैक्स का इन्सीडेन्स बिक्री कर, आबकारी कर दोनों मिलाकर देखें उत्तर प्रदेश में टोटल टैक्स सब मिलाकर बिक्री कर और आबकारी कर दोनों मिलाकर १६.६६ है जबकि राजस्थान में २४-२५ टोटल टैक्स पर-कपिटा।

मध्य प्रदेश में	२२.२६
बिहार में	१६.४२
आन्ध्र में	२३.६०

मेरा यह बता कर निवेदन करना यह है कि आज राजस्थान में पर-केपिटा इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेज बहुत ज्यादा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान का इन्सीडेन्स ऑफ टैक्स कन्ज्यूमर पर पड़ता है । दूसरी स्टेट्स के अन्दर उसका भार सारे हिन्दुस्तान के लोगों पर पड़ता है। आन्ध्र प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने हैं टाटा आयरन एन्ड स्टील का कारखाना बिहार में है। इस प्रकार जहां पर बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं उनका माल सब जगह जाता है और उससे टैक्स रिकवर होता है क्योंकि

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

उन चीजों का कन्जम्प्शन सारे हिन्दुस्तान में होता है। हमारे यहां एक्सपोर्ट की चीजें नहीं, हमारे यहां इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं के बराबर है। इसलिये यहां पर इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन इतना अधिक है। इसलिये मैंने जैसा कि पहले कहा सेल्स टैक्स एक्ट रिवाइज किया जाय यह जो कॉम्प्लीकेटेड हो गया है इसका फिर से निर्माण किया जाय। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निवेदन किया है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय और सेल्स टैक्स एक्ट नया बनाकर प्रस्तुत किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री राधाकृष्ण गोयल !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक हमारे सामने जो प्रस्तुत है उस पर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो इसमें प्राथमिक आपत्तियां उठाई गई हैं उन पर सरकार को विचार करना चाहिये।

इस पर पहली आपत्ति यह उठाई गई कि जहां कर लगाने का उद्देश्य हो वहां संविधान के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी, उसके अभाव में लगाया गया कर वैध नहीं माना जा सकता।

इस भावना के साथ संविधान के आर्टिकल २८६ (१) की तरफ देखें तो वर्तमान संशोधन के द्वारा लगाए जाने वाले करों को लगाने का अधिकार इस सदन को नहीं रह जाता। इसके लिए प्रेसीडेंट की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।

इस तरह से संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हुए जो कार्यवाही सदन में चल रही है इस पर, वह अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन करों ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया है। प्रति वर्ष जिस अनुपात से इसकी मात्रा बढ़ाई जा रही है उससे जन साधारण की जीवन यापन की विधियां कष्टमय बनती जा रही हैं।

राजस्थान की दो करोड़ जनता को १३ करोड़ से ज्यादा का बिक्री कर हर साल देना पड़ता है जो कि देश के अन्य राज्यों से अधिक है। गरीब से गरीब आदमी की दैनिक वस्तु पर कर लगा रखा है। इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो हम चौंक जावेंगे कि कितने गलत तरीके से यह कर लगाए गये हैं। इस कर प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन आवश्यक है।

आज सरकार के खर्चे उसके अपव्यय और दुर्व्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि सरकार अगर ठीक ढंग से अनुशासन के साथ काम करे और उसके मन्त्रीगण और अधिकारीगण जिस विलासिता और आलस्य में अपना समय नष्ट कर रहे हैं उसे पूरे रचनात्मक कामों में लगावें तो आसानी से सरकार के इस अपव्यय और दुर्व्यय को घटाया जाकर सरकारी खर्चा २५-३० परसेन्ट तो आसानी से कम किया जा सकता है। इससे बहुत सुन्दर परिणाम निकल सकते हैं। तो सरकार अगर जनता को करों के भार से बचाना चाहती है और

Page No.138

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अच्छा शासन चलाना चाहती है, तो कर्मण्यता की भावना अपनावें, अन्धा-धुन्द, अनाप-शनाप खर्चा, अपव्यय, भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था सारी दूर हो सकती है। मैं यह दृढ़ विश्वास से कहता हूं कि सरकार अगर इस दृढ़ निश्चय और कर्मठता की भावना से काम करने लग जावे तो करदाताओं का पचास प्रतिशत कर-भार कम हो सकता है।

अपने थोड़े से आलस्य और मनो-विलासिता के कारण आज उन्होंने सबको कष्ट में डाल रखा है। जनता भी अब धीरे धीरे उनके इस चलन को समझ रही है।

फिर कर वसूली का तरीका भी सरकार का ठीक नहीं है। इस पर कल भी और आज भी सदन में काफी वादविवाद हो चुका है। तो सरकार इसकी वसूली की जो व्यवस्था आज है उसमें स्वच्छता लाने की चेष्टा करे। जिनसे आप टैक्स वसूल करते हैं उनको कुछ नागरिक सुविधाएं भी बदले में प्रदान करें सारा का सारा इन कुव्यवस्थाओं और प्रशासन पर ही खर्च न कर डाले। आज वसूली की इस कुव्यवस्था से जनता इतनी हैरान है जितनी टैक्सेज देने से नहीं है। टैक्स देना उतना नहीं अखरता जितना वसूल करने का सरकार का तरीका अखरता है। राज्य सरकार को इस पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अच्छे अच्छे व्यापारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, कठोरता और अभद्रता का सामना करना पड़ता है कि जो बहुत ही लज्जाजनक कहा जा सकता है। छोटे छोटे अधिकारी भी इस अनियन्त्रित प्रशासन तन्त्र के कारण इस प्रकार के काम कर गुजरते हैं कि जो सरकार के लिए भी लज्जास्पद है।

टैक्सेशन ऑफिसरों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था राज्य सरकार ने बना रखी है वह भी अनुचित है। आज जैसे अकाउन्ट्स सर्विस अलग है, जुडिशियल सर्विस अलग है, वैसे ही इसकी भी अलग सर्विस बना देनी चाहिये। नहीं तो आज यह होता है कि छः महीने एक ऑफिसर एस०डी०ओ० के तौर पर काम करता है, रेवेन्यू कलेक्शन करता है, उसे यहां लाकर बिठा दिया। उसको बदल दिया, फिर उसकी जगह किसी टीनेन्सी लॉज जानने वाले को यहां लाकर बिठा दिया। अब वे रेवेन्यू और प्रशासन के तन्त्र को समझने वाले इस सेल्स टैक्स के काम को क्या तो समझेंगे और क्या इसमें सफल होंगे। उनका पुराना और भिन्न विभागों का अनुभव यहां सफल नहीं होता। फिर थोडा बहुत समझने लगता है कि उसे उठा कर फिर दूसरे विभाग में भेज दिया।

इससे अनुभवी और योग्य व्यक्ति इस विभाग में मिल सकेंगे, अच्छे अच्छे सुझाव वे स्वयं दे सकेंगे। आज तो टैक्स लगाना और उसे वसूल करना ये दो प्रक्रियाएं इस विभाग की हैं। इन दोनों में सक्षमता बिना योग्य ट्रेनिंग के प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अभाव में आज तो फूहड़पने में हाड़-तोड़ टैक्स सरकार के ये कर्मचारी वसूल कर रहे हैं जिससे समाज को और सरकार को दोनों को लाभ के स्थान पर नुकसान पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार से समाज और सरकार दोनों जर्जरित हो रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं।

एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को और व्यापार को सबको नुकसान पहुंच रहा है। आज तो इन अधिकारियों के दिमाग में केवल एक बात है कि सरकार का खर्चा चलाने के लिए, उनकी तनख्वाह देने के लिए और विकास के नाम पर बरबादी करने के लिए किसी तरह से सरकार का खजाना

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

भरना है। किसी तरह से टैक्स वसूल होना चाहिये। उनके दिमाग में बस यह बात रहती है। आज प्रगतिशील कहलाने वाली समाजवादी लोकतन्त्री सरकार की टैक्सेशन प्रणाली को इतना वैज्ञानिक बनाना होगा कि वह टैक्स लेने की बात को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सके, जिससे टैक्स अदा करने वाले को भी फील न हो और जनता पर भी दुष्प्रभाव न पड़े, प्रशासन भी स्वच्छ ईमानदार रहे।

टीम ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह टैक्स लगाने की वैज्ञानिक प्रणाली से भिन्न नहीं हो सकती। जिन्होंने इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है, दस बीस साल का अनुभव जिन लोगों ने हासिल किया है जो स्पेशली ट्रेन्ड हैं इस क्षेत्र के वे ही इस बारे में मार्ग-दर्शन सही रूप से कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था इसमें कि १३ करोड़ रुपये से अधिक सेल्स टैक्स को राज्य सरकार वसूल करती है, इसलिए यह एक ऐसा महत्व का विषय है कि इसके लिए कुछ समय दिया ही जाना चाहिये।

मैं यह निवेदन कर रहा था टैक्सेशन के सम्बन्ध में कि सेल्स टैक्स के अन्दर जो हमने ग्रेजुअली अलहदा-अलहदा वस्तुओं पर सेल्स टैक्स की दरें बढ़ाई हैं राज्य सरकार उनको जस्टिफाई नहीं कर सकती। अलबत्ता यही बात कह सकती है सरकार कि हमें डेवलपमेंट के काम में अधिक रुपये की आवश्यकता है इसलिए टैक्स बढ़ा रहे हैं। यह दलील भी कोई ठोस दलील नहीं है। जैसे जैसे वह अपनी फिजूलखर्ची बढ़ाते जायें और दूसरों का गला घोंट कर पैसा वसूल करते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी कर-दाताओं के ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है और इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी रीजनिंग राज्य सरकार दे रही है उसे अनुपयुक्त मैं मानता हूं और यह दलील तो किसी प्रकार का भी टैक्स बढ़ाया जाय तो कोई लेमैन भी दे सकता है। इस सम्बन्ध में विश्लेषण के साथ सदन को आश्वस्त करना चाहिये कि जो टैक्स वह लगा रहे हैं उससे जनता के व्यापार में और जनता के उत्पादन की क्षमता में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होगा बल्कि उसमें वृद्धि ही होगी और उस वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार के कोष को लाभ भी पहुंचेगा। जब तक इस दिशा में राज्य सरकार कुछ अपने विशेषज्ञों द्वारा जांच नहीं करवाएगी और अपना मन्तव्य और रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत नहीं करेगी और स्वयं अपने आपको भी आश्वस्त नहीं कर लेगी तब तक इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाना पूर्णतया अनुचित है। राज्य सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह एक्सपर्टस ओपीनियन पहले ले जो कि राज्य सरकार ने नहीं ली है और राज्य सरकार के किसी प्रवक्ता ने ही इस सदन में कहा है कि वह इस कर को वैज्ञानिक कर मानते हैं और इस कर के लगाने से जनता को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी और इससे जनता को जो राहत मिलनी चाहिये उसमें भी कठिनाई नहीं आयेगी।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, जब बेसिकली राज्य सरकार इसको एक्स्प्लेन करने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही संविधान के प्रति भी यह एक ऐसी बात है कि पूर्णतया संविधान का पालन नहीं करते हुए इस सदन में इस बिल को पास करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, यह दोनों बातें ऐसी हैं कि जिससे सदन के

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

प्रत्येक माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन होता है और मैं ऐसा मानता हूं कि यह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विषय इतना गंभीर है और मेरे बाद कुछ बोलने वाले माननीय सदस्य भी इसकी गंभीरता को अनुभव करते हुए, मैं आशा व्यक्त करता हूं, इस सम्बन्ध में हम गहरा रोष प्रकट करें और इसके लिए हम सार्थक कदम उठाएं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए यह निवेदन करते हुए मैं जो भी यह संशोधन बिल लाये हैं वह असामयिक है और अकाल के समय में जनता को पीसने की गरज से यह लाया गया है और अन्धाधुन्ध खर्चों को मीट करने के लिए और रूड और क्रूड-वे में इस संशोधन को यहां लाकर पास करवाना चाहते हैं। केवल एक ही ऐम रखा गया है कि जनता को चूसो और संविधान के अन्तर्गत जो आपत्तियां उठाई गई हैं उनके ऊपर भी गौर नहीं किया गया है तो यह व्यवस्था ऐसी है कि जो पूर्णतया अनुचित है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति के पास भेज देना चाहिये जो इसका सविस्तार विश्लेषण करे और जहां जहां एक्सपर्टस ओपीनियन उपलब्ध हो सकती है और राज्यों से इस सम्बन्ध में जो अनुभव हो सकते हैं उनको प्राप्त करें और प्राप्त करके

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जैसा कि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे उसके बाद में राज्य सरकार को सम्भव है कि यह विधेयक यहां प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छा ही उत्पन्न होगी। ऐसा मेरा विश्वास है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए इस गंभीर संशोधन विधेयक को इतनी आसानी से पास नहीं होने दिया जाय और यहां विचार के पहले सिलेक्ट कमेटी में इसको जरूर भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कारण कि संविधान की धारा २८६ के अन्तर्गत यह विधेयक पारित नहीं किया जा सकता, संविधान की धारा ३०४ (बी) के अन्दर जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हो जाये तब तक इस विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की आपत्तियां प्रस्तुत करने के बाद भी राज्य सरकार इसको पारित कराने पर तुली हुई है। क्या नतीजा होगा इसका यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन पिछले दिनों में जो अनुभव आये हैं और जिस प्रकार से इस सदन में वैधानिक आपत्तियां प्रस्तुत करने के बाद में राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि जो यात्री-कर के सम्बन्ध में राजस्थान की सरकार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा लगाया मैं समझता हूं कि इस कानून के सम्बन्ध में भी वही हालत राज्य सरकार की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ तो संवैधानिक दृष्टि से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपत्तियां प्रस्तुत की जायें और उन पर सरकार विचार नहीं करे और दूसरी तरफ सदन में इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किये जायें कि आज इस प्रकार का सेल्स टैक्स राजस्थान की गरीब जनता पर लगाना वाजिब नहीं कहा जा सकता। आज राजस्थान की सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, अपने आमदनी के जरिये नोन-टैक्स रेवेन्यू के सोर्स से नहीं बढ़ाये और राज्य सरकार ने राजस्थान की दो करोड़ जनता पर टैक्स लगाने का संशोधन बिल रखा है मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घृणित और निकृष्ट तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस वेलफेयर स्टेट में रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका आज से १४ वीं सदी में जो भी कर सकते थे जब राज्य का काम केवल लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने का था, परन्तु आज के वेलफयर स्टेट जो इस प्रकार से प्रोग्रेसिव कहलाती हैं जो डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाती हैं, जो सोशियलिस्टिक स्टेट कहलाती हैं और समाजवादी सरकार का ढांचा जिस प्रकार का बनाया जा रहा है उसमें टैक्सेज को रेवेन्यू का आधार नहीं बनाना चाहिये। यह तो चौदहवीं सदी का तरीका है जो शायद अकबर और औरंगजेब के जमाने में जजिया-कर लगा कर राजकोष में पैसा इकट्ठा करने का तरीका उनके जमाने में था। वही तरीका राजस्थान सरकार ने अपने कोष में पैसा इकट्ठा करने का बना रखा है। आज की सोशियलिस्टिक और वेलफेयर स्टेट में तरीका यह है कि राज्य सरकार पब्लिक अण्डरन्टेकिंग्ज़ खोले, सार्वजनिक उद्योग खोले, नोन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाये लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज राजस्थानकेअन्दर राजस्थान की सरकार की नोन-टैक्स रेवेन्यू जो कि १९६१-६२ में थी वही की वही १९६५-६६ में है। आज टैक्सेज की रेवेन्यू जिस तरह से बढ़ती जा रही है अभी मैंने सेल्स टैक्स के आंकड़े, इस सदन के सामने प्रस्तुत किये थे और राज्य सरकार ने स्वयं ने मेमोरेन्डम पेश किया, फाइनेन्स कमीशन के सामने और मैं समझता हूं कि उस मेमोरेन्डम में राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है कि जहां एक तरफ आन्ध्र प्रदेश में पर-कपिटा इन्सीडेन्स आफ सेल्स टैक्स १४ पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ है, अजा राजस्थान के सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पर-केपिटा इन्सीडेन्स ऑफ सेल्स टैक्स १४८ पर्सेन्ट है दूसरी जगह कहीं २५ पर्सेन्ट और कहीं ३५ पर्सेन्ट बढ़ा है लेकिन राजस्थान में १५० पर्सेन्ट के करीब इन्क्रीज। मैं समझता हूं कि आज ऐसा लगता है कि १९६१-६२ में ४ करोड़ की आमदनी थी वहां आज १३ करोड़ की आमदनी है। सेल्स टैक्स के कर जैसे एक जंगली गाय है कि कहां आमदनी नहीं बढ़ सकती सरकार धन का दुरुपयोग नहीं रोक सकती तो क्या करना चाहिये कि सेल्स टैक्स लगा दो, नोटिफिकेशन निकाल दो। हालांकि नोटिफिकेशन के अधिकार नहीं हैं, रेवेन्यू बोर्ड में चैलेन्ज हो गया, हाई कोर्ट में जायें और फिर सुप्रिम कोर्ट के फैसले का गलत बहाना लेकर कि हमारा जो कन्टेन्शन है वही सुप्रिम कोर्ट का है। रेवेन्यू बोर्ड मानने वाला नहीं है, हाई कोर्ट मानने वाला नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन निकालो और उसको ६१ से रिट्रोस्पेक्टिवली इसको वेलीडेट किया जाये ऐसा क्लॉज ३ में जो प्रोवीजन डाला है मैं समझता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की इनएफीशियेन्सी, बदइन्तजामी और राजस्थान सरकार में जो रेम्पेन्ट करप्शन है उसका उदाहरण है कि ऐसे गलत काम सरकार करती है और फिर उनके लिए कानून बनाती है। इनको लॉ की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हम लोगों का अटेचमेन्ट करवाना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार में आपके कॉमर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ३१ लाख की बकाया क्यों बाकी है ? क्यों नहीं आपने आज तक वसूल किया ?

आज जो ३१ लाख रुपये की बकाया है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की जितनी बकाया है उसमें से ३१ लाख रुपये तो केवल कॉमर्शियल टैक्सेज डिपार्टमेंट का ही है। ३०,८१,०००) रुपये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और इस ३१ लाख में कोई, श्री गिरधारीलालजी व्यास, पिछले साल की नहीं है। इसमें से लगभग साढ़े सात लाख रुपये की बकाया पिछले पांच सालों की है और पांच साल से राजस्थान का यह डिपार्टमेंट साढ़े सात लाख रुपयों की बकाया वसूल नहीं कर पाया, तो फिर आप किस बात का अधिकार चाहते हैं ? हम लोगों को सीज करेंगे, लोगों की दुकानों पर ताले लगाने के लिए उनके माल को नीलाम करने के लिए अधिकार चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस समय राजस्थान सरकार के जो बकाया में एरियर्स हैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन राजस्थान सरकार को टैक्स लगाने की क्या जरूरत है, यह मैं पूछना चाहता हूं। कितना रुपया चाहिये, सेल्स टैक्स के माध्यम से आखिर राजस्थान सरकार को ? राजस्थान सरकार को विकास योजनाओं के लिए रुपया चाहिये, हम भी कहते हैं कि विकास के लिए पैसा चाहिये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको और टैक्स लगाने की क्या जरूरत है जब कि आज भी राजस्थान सरकार का ११ करोड़ रुपया बकाया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रुपया बकाया है इसको क्यों नहीं सरकार वसूल करती ? उपाध्यक्ष महोदय, इरिगेशन का ४१ लाख रुपया बकाया है, फोरेस्ट का २१ लाख रुपया बकाया है। लैंड रेवेन्यू का ५ करोड १८ लाख रुपया बकाया है। पब्लिक हैल्थ में ३ करोड ३२ लाख रुपया बकाया है, इन नगरपालिकाओं वगैरह में। माइन्स एण्ड जियोलोजी में ७० लाख है। बिल्डिंग एण्ड रोड्स में, सरकारी भवनों के किराये का बकाया है वह ४५ लाख है और इस ४५ लाख में से भी २८ लाख ऐसा है जो पिछले पन्द्रह साल से भी ज्यादा से बकाया है और, उपाध्यक्ष महोदय, मोटर व्हिकल टैक्सेशन में १४ लाख बकाया है और इस चौदह लाख में से जो आपका राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन है, जो आपका लाडला बच्चा है जो आपका पब्लिक एण्टरप्राइज है उसमें करीब चार लाख पन्द्रह हजार रुपया बकाया है। आपके स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन में जो कि आपका पब्लिक अण्डरटेकिंग है वह भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही आपको टैक्स नहीं देता तो जो यह रुपया स्टेट ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन में बकाया है तो यह बकाया भी वसूल नहीं हो सकती। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के पब्लिक एण्टरप्राइजेज की बात करते हैं तो जो आपका धौलपुर का हाईटेक है उससे टैक्स वसूल क्यों नहीं करते ? उप-मंत्रीजी अगर आपको सेल्स टैक्स वसूल करना है, अगर किसी की प्रोपर्टी को अटैच करना है, किसी पर ताला लगाना है, किसी को जेल में डालना है तो वह है धौलपुर हाईटेक कम्पनी और उसके मैनेजर को आपको जेल में डालना चाहिये। जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में लाखों रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है। लेकिन आप उसको जेल में नहीं डालेंगे। वहां के मैनेजर श्री खत्री साहब और वे खत्री साहब कौन हैं यह आप सबको पता है.....

कुछ माननीय सदस्य : कौन है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे खत्री साहब वही हैं जो श्रीमती, शायद अब तो श्रीमती हो गई हैं, श्रीमती प्रतिभारानी के भाई ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सगे भाई हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सगे ही होंगे । भाई तो सभी तरह के होते हैं । सगे भी होते हैं और बाकी तरह के भी होते हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : किसी के साले तो नहीं हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस चीज में ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं उनके सम्बन्धों की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि उनके सम्बन्धों की चर्चा करने से उन दोनों के ताल्लुकात ज्यादा गहरे होते हैं । इसलिए मैं उनको ज्यादा नजदीक नहीं होने देना चाहता । जब जब भी प्रतिभारानी की चर्चा की जाती है तो कौल साहब वहां जाकर कह देते हैं, "सनम्, मैंने तेरे लिए लाखों के बोल सहे" । इसलिए वह नजदीक की स्थिति पैदा न हो और दोनों ज्यादा नजदीक न आयें इस दृष्टि से उस पर चर्चा नहीं करना चाहता । मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में कौल साहब के बारे में और इस ग्लास टक्नोलोजिस्ट के बारे में जो कुछ चर्चा हुई और सदन में जितनी टीका-टिप्पणी और आलोचना हुई उस ग्लास टेक्नोलोजिस्ट को जिसको पहले पांच-छः सौ रुपये महीना मिलता था आपने कैसे सोलह सौ रुपये महीने में अपोइन्ट कर दिया, तो इस सारी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं उस आलोचना का परिणाम क्या हुआ । हमारी सरकार के लाडले श्री खत्रीजी, ग्लास टेक्नोलोजिस्ट को हाईटेक का मैनेजर कायम कर दिया । उनको ग्लास हाईटेक का जनरल मैनेजर बना दिया गया है । और उसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोकुल प्रसादजी शायद जानना चाहेंगे कि कैसे बना दिया, तो मैं आपके सामने बोर्ड के रिजोल्युशन को पढ़ कर सुनाता हूं ।

"As resolved in the 22nd meeting of the Board of Directors held on....., the duties of General Manager will be performed by the following officers as under:—

1. Shri Suraj Raj

He will look after the work of establishment, accounts and sales etc."

और लिखा है बाद में नम्बर २ :

"2. Shri Khatri.

He will look after the work of production, management of different sections, technical staff and labour employed in the factory."

उपाध्यक्ष महोदय, जनरल मैनेजर की यह पॉवर्स, फैक्ट्री के मैनेजमेंट, लेबर का सुपरविजन, जितना भी टेक्निकल स्टाफ है उसका सुपरविजन, यह सारा काम मैनेजर का है, ये सारी जनरल मैनेजर की ड्यूटीज हैं, इस ग्लास टेक्नोलोजिस्ट की ड्यूटीज हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की पब्लिक एण्टरप्राइजेज में क्या यही मापदण्ड होने वाला है कि एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यक्ति जिस पर करप्शन के चार्जेज लगाये जायं, सदन में चार्जेज लगाये जायं, जिसके अपोइन्टमेंट को लेकर सदन में चर्चा हो, जो ग्लास टेक्नोलोजिस्ट भी नहीं बल्कि एक रेडियो कम्पनी में काम किया हुआ हो और जिसे पांच-छः सौ रुपये मिलते हों उसको सोलह सौ रुपये में रखें, जनरल मैनेजर और बना दें, इसलिए उप-मंत्रीजी में आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपमें ताकत है, अगर आप में कुछ कुव्वत है और यदि आपको कौल साहब का डर नहीं है तो मेहरबानी करके पहले आप सैल्स टैक्स का एरियर इस ग्लास हाईटेक से वसूल कीजिए । अगर आपको अटैचमेंट करना है, फाइनेलाइज करने हैं असेसमेंट्स तो इनके करिए। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता; लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके इन मैनेजर ने इन्कम-टैक्स का रिटर्न तक नहीं भरा है । इन्कम टैक्स में नुकसान हो रहा है तो इन्कम टैक्स का रिटर्न भरना चाहिए । आपको जो हर साल घाटा होता है, एक साल ढाई लाख का घाटा हुआ और दो साल में पांच लाख का नुकसान हो गया है । आपने असेसमेंट ऑफ रिटर्न नहीं भरा और आगे चल कर जब आपको फायदा होगा तब वह आपका फायदा कैरिड फोर्वर्ड नहीं होगा, उस पर पूरा इन्कम-टैक्स लगेगा । उसमें किसके पैसे का नुकसान होगा । कल जब सवाल उठा था ड्राइवर्स का तो कहा गया कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है और उस पर जुर्माना होता है तो उसका रुपया नहीं भर सकते तो जरा यह बता दीजिए कि हाईटेक के यह जनरल मैनेजर, यह ग्लास टैक्नोलोजिस्ट, आपकी सरकार के लाडले, यह इन्कम-टैक्स रिटर्न नहीं भरें और हाईटेक में पांच लाख का घाटा हो जाय तो उसके बारे में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

आज वे सेल्स टैक्स के रिटर्न नहीं भरें और रिटर्न नहीं भरने के बाद असेसमेंट हो जाये, पैनल्टी लग जाय तो क्या आपकी सरकार में यह कुव्वत है तो खड़े होकर सदन में कहें कि कल ही अटैचमेन्ट भेजेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, वहां पर तालाबन्दी कर देंगे और उसको पकड़ कर लायेंगे जैसे यहां मिर्जा इस्माइल रोड पर एक गरीब आदमी के साथ किया कि उसकी दुकान पर तालाबन्दी कर दी, उसका दफ्तर बन्द कर दिया और ९ बोरियों में सारे कागज भर कर ले गये और महीनों हो गये और वह आदमी बरबाद हो गया । राजस्थान में एक कम्पनी ही थी ईस्टर्न कॉमाडिटीज प्राइवेट लिमिटेड । वह अकेली ही कम्पनी अपनी तरह की थी और उसने यहां पर फैक्ट्री खोली। सुखाड़ियाजी ने उसको इनवाइट किया था, बुलाया था और उसने फैक्ट्री खोली, वहां पर उसके यहां चालीस ऑफिसरों का लवाजमा का लवाजमा पहुंचा और उन्होंने इन्वेन्ट्री नहीं बनाई और सामान बोरियों में भर कर ले आये। उपाध्यक्ष महोदय, यह लूट है एक तरफ और दूसरी लूट दूसरी तरफ है। क्या यह कीमत है ? क्या राजस्थान को ऐसे ही चलाने वाले हैं ? क्या राजस्थान में इसी प्रकार से टैक्स लगाने वाले हैं और टैक्स लगा कर राजस्थान की गरीब जनता और विरोधी दल का कैसे समर्थन करेंगे ? हम समर्थन करना चाहते हैं कि विकास हो राजस्थान का, हम भी चाहते हैं कि जनता की आमदनी बढ़े, राजस्थान समृद्धशाली बने । इतने करोड़ रुपयों का टैक्स लगाने के बाद भी राजस्थान हिन्दुस्तान में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है। हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान इकोनोमिकली बेकवर्ड प्रान्त है। यहां की पर-केपिटा इन्कम कम है और टेक्सेसन का पर-केपिटा हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। कहां जाता है वह पैसा ? यह उस पैसे का करते क्या हैं ? इस पैसे का उपाध्यक्ष महोदय, कि इतने पैसों का टेक्स लगाते हैं तो जाता कहां है ? घड़े में नल की टूटी खोलकर पानी भरने जाये; लेकिन अगर घड़ा फूटा हुआ है उसमें जब तक उसके छेद को नहीं भरेंगे तो घड़ा नहीं भरेगा। इस सदन में इन टेक्सज का विरोध होता रहेगा और तब तक विरोध होता रहेगा जब तक कि यह सरकार इन सारी बातों को नहीं रोकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय न लेकर केवल एक दो चीजों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हम १३ करोड़ रुपया टेक्सेज से वसूल करते हैं, लेकिन उसका उपयोग करते कहां हैं ? वह पैसा जाता कहां है ? राजस्थान का विकास होता क्यों नहीं ? राजस्थान में बिजली की कमी है, राजस्थान में पानी की कमी है, गांधीसागर से पानी नहीं आता है, जयपुर में पानी नहीं मिलता है। गर्मी का मौसम आ गया। नसीराबाद में पानी की कमी है। मकराना के जेठमलजी चिल्लाते हैं। दुनिया भर की समस्याएं लेकर सवाल खड़े करते हैं। जयपुर में पीने के पानी की कमी, गांधीसागर में बिजली पैदा करने की कमी। जयपुर में पीने का पानी इसलिए नहीं मिलता है कि बिजली नहीं है। करते क्या हैं ? होता क्या है इस पैसे का? इस पैसे का, उपाध्यक्ष महोदय, क्या होता है ? जरा विचार करें। कैसी योजना है ? उन सारी चीजों में नहीं ले जाना चाहता हूं इस सदन को। एक नहीं, हजारों, और एक दिन नहीं दो दिन, तीन दिन भी इस कांग्रेसी राज्य, इस समाजवादी राज्य की अगर वे सारी घटनाएं रखी जायं तो भी कम हैं। कांग्रेस के माननीय सदस्य, आप भी जनता से चुने हुए आये हैं। जनता के धन को बरबाद किया जा रहा है। जनता के पैसे को इस तरह बरबाद नहीं करना चाहिए। आप भी इस सदन में अनेकों मामले उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या होता है इस पैसे का ? इसका एक उदाहरण मैं रखना चाहूंगा। यह उदाहरण है, उपाध्यक्ष महोदय, लगभग १,४०,०००) रु० की घास खरीदी ६ हजार क्विन्टल। ६ हजार क्विन्टल घास जिसकी कीमत सवा लाख है, वह सात फोडर डीपोज थे बीकानेर में, उन सब में आग लग गई। आग लग गई तो ६ हजार क्विन्टल घास जल गई। तलवाड़ा फोडर डिपो बनाया गया, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ४०० क्विन्टल घास थी। यह घास भी आग से जल गई। आपके नागौर में लगभग ढाई हजार क्विन्टल घास थी। इसमें से उपाध्यक्ष महोदय, लगभग डेढ़ हजार क्विन्टल घास बरसात में बह गई। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर कलेक्टर ने लगभग १४ हजार मन घास वहां हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ भेजी। हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के एस० डी० एम० और तहसीलदार ने उसकी डिलीवरी नहीं ली। उन्होंने भेज दी १४ हजार मन घास। उन्होंने लौटा दी। भेजी थी १४ हजार मन और वापस आई ४ हजार मन।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : घास खा गये।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : वह थी ही नहीं, फर्जी बिल बनाये गये थे

Page No.146

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : घास गधे ही खाते थे अब तक तो लेकिन अब सरकार भी खाने लग गई हैं ।

एक माननीय सदस्य : घास का पैसा खाया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार उससे ज्यादा नहीं है, जो घास खाते हैं और गोबर करते हैं ।

जनता से टैक्स लेते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की घास जल जाय, उसको बरबाद करदें । एक नहीं और उदाहरण बताता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद क्या हुआ कि ५ डीपो बीकानेर तहसील में खुले और उनमें लगभग ५१ हजार मन घास जिसकी कीमत ढाई लाख रुपया होती है, था । उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर क्या होता है कि लगभग शार्टेज जो हुई वह १२ हजार मन की हो गई । १२ हजार मन घास का पता नही । कुल ५१ हजार मन घास था उसमें से १२ हजार मन घास का पता नहीं । और, उपाध्यक्ष महोदय, लगभग डेढ लाख मन घास, १,३४,००० मन घास, जिसकी कौस्ट पांच लाख रुपये होती है, तो उस डेढ लाख मन घास में से ६ हजार मन घास का पता नहीं कि कहां गई । घास भेजा १४ हजार मन और वापस आया ४ हजार मन, घास को आग लग जाये, घास कम हो जाये । यह सब मिलाकर आप अन्दाज लगाइये कि कितना घास यहां राजस्थान की सरकार द्वारा, राजस्थान की गरीब जनता पर इस तरह से लगाये हुए पैसों से खरीदकर बरबाद कर चुकी है । उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी प्रकार घास जलता रहा और घास बहता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन घास को बहने से, घास को जलने से नहीं रोकने वाली यह राजस्थान सरकार, राजस्थान की जनता की गाढी कमाई के पैसे का दुरुपयोग नहीं रोकने वाली यह सरकार, राजस्थान की दो करोड़ जनता की बद्दुआओं से बहने वाले आंसुओं के पानी में बह कर न जाने कहां चली जाये । क्या रोकना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं ? इन चीजों को रोकने का इन्तजाम नहीं । आप इन चीजों को नही रोक सकते । आप गरीबों पर अटेचमट करेंगे, गरीबों को पकड़ेंगे पांच पांच साल की बकाया वसूली नहीं हो रही है और राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्स का भार बढ़ाये जा रहे हैं । मोटर पर टैक्स, ट्रक पर टैक्स, लारी पर टैक्स, बस पर टैक्स, पैसेन्जरों पर टैक्स, बैठने वालों पर टैक्स, चलने वालों पर टैक्स, रिक्शे पर टैक्स, साईकल पर टैक्स, स्कूटर पर टैक्स, टम्पो पर टक्स, किस पर टैक्स नहीं है आज ?

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हालत क्या हो रही है ? करप्शन के चार्जेज लगाये जायं, कोई सुनने वाला नहीं है । मंत्रियों पर आप जायेंगे तो एकाध को छोड़ कर कोई बचने वाला नहीं है । शिकायतें की जाती हैं तो वे सही हैं या नहीं इसकी जांच नहीं होती है । कोई यह कहे कि शराब के ठेकों में वित्त मंत्री पैसा खा गये तो कोई कहने वाला नहीं ह कि यह गलत ह । जांच कर ली है । कोई यह कहे कि पी० डब्ल्यू० डी० के ठेकों में मंत्रीजी पैसा खा गये तो यह गलत है यह साबित करने वाला कोई नहीं । इस सरकार की हिम्मत नहीं है । राजस्थान सरकार का हर मंत्री, एकाध को छोड़कर, करप्शन के चार्जेज में लिपटा हुआ है । जिसका जवाब राजस्थान सरकार दे नहीं सकती । उपाध्यक्ष महोदय, आज एक एक मंत्री का हाथ उठाकर देखें चाहे मोरेलिटी का क्वेश्चन हो, करप्शन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का सवाल हो, टैक्स का सवाल हो । राजस्थान का मंत्रीमंडल, एकाध सदस्य की बात मैं नहीं कहता, पर कालिख लगी हुई है जिस पर अंगुली लगा देंगे तो अंगुली काली हो जायेगी । जैसे काजल से होती है ।

श्री भैरोंसिंह : उससे इनका मुंह काला हो जायेगा ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं । आपके काले हाथ वहां तक नहीं जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी मारफत जायेंगे । वह आपको कर देंगे और आप हमको कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस चीज पर अधिक जाना नहीं चाहता । कई चार्जेज यहां हाउस में लगाये गये । चार्जेज का ही सवाल नहीं चार्जेज के बारे में क्या कहें ? आज तक राजस्थान की विधान सभा में एक बार नहीं दो-तीन बार एस० के० डे जो सेन्टर के मिनिस्टर हैं उन्होंने जो जमीन ली है वह फर्जी पट्टों से ली है । ९ में से ८ पट्टे फर्जी डिक्लेयर कर दिये गये, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई । यह बात जरूर हुई कि सवाल उठने के बाद सेन्टर के मिनिस्टर श्री एस० के० डे ने उस फार्म को ३५ हजार में श्री रूंगटा को बेच दिया और चले गये । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ उन चार्जेज का ? श्री हरिदेव जोशी ने जमीन दबा ली, सांसियों और कंजरों की । सदन में आरोप लगाया गया । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जांच का आश्वासन दिया । क्या हुआ जांच का?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई जमीन नहीं दबाई । आपके कहने से दबी हुई नहीं मानी जायेगी । आपकी मर्जी आये उसको कह दें तो इस बात को नहीं मान लेते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात सही है ।

श्री भैरोंसिंह : आप सीरियसली न लें । वह सीरियसली नहीं कह रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दबाने की बात कहते हैं ? क्या आपके मंत्रियों का यही तरीका है ? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बस में जाते हैं और बस में आते हैं उस समय सुमित्राजी या गौरीजी आ जायं तो हम सीट खाली कर देते हैं कि बहनजी बैठिये । आपके मंत्रीजी का प्लॉट गौरीजी को अलाट हो गया है और मंत्रीजी उस पर बैठे हुए हैं । एक महिला को क्वार्टर एलॉट हो गया और उसको दबाकर बैठे हैं । हरिदेवजी छोड़ेंगे नहीं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसका तरीका है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या है तरीका, यह पूछ लें ।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि वह योग्यता से मंत्रीमंडल में शामिल नहीं किये गये बल्कि बंगले के कारण से किये गये हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक क्वार्टर में रहते हैं, अपने साथियों के साथ । एक एम० एल० ए० की तरह रहते हैं । हरिदेवजी रहते हैं तो उसमें क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप थोड़ा बहुत जो हवाला दें व ठीक दें । वह बंगले में नहीं रह कर क्वार्टर में रहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मोरेलिटी है कि दूसरों के राइट पर एन्क्रोचमेंट करके उस पर अधिकार जमाते रहें यह मोरेलिटी की बात कहते हैं। दुनियां भर के लाइसेन्स लेते हैं । यह कानून में कहां लिखा है कि मंत्रीमंडल का एक सदस्य एक बालक को मार दे, कार से एक्सीडेन्ट करके ? यह मोरेलिटी है कि कोई मंत्री दिल्ली या अलवर जाये तो कार में मक्का पटक कर ले आये। चोरी करते फिरें, सर्किट हाउसेज में हड़कते फिरें। यह मंत्री-मंडल के सदस्य ..।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. I will request the Hon. Member to keep the relevancy of the Bill in mind.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान में चार मुख्यमंत्री देखें हैं । एक हीरालालजी शास्त्री, एक टीकारामजी पालीवाल....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५ मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : रिलेवेन्सी का खयाल रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आखिरी कह कर खत्म कर दूंगा ।

यह आखिरी यज्ञ है उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आनंद तो आपको भी आ रहा है। राजस्थान में चार मुख्य मंत्री हुए, पहले हुए हीरालालजी शास्त्री, दूसरे जयनारायणजी व्यास, तीसरे हुए टीकारामजी पालीवाल और चौथे हुए मोहनलालजी सुखाड़िया। अब यदि यह पूछा जाय कि वे तीनों जल्दी जल्दी क्यों चले गये और ये इतने क्यों टिके । इसका विश्लेषण कया गया, कांग्रेस के सदस्यों ने किया और जनता भी करती है । कहने लगे हीरालालजी शास्त्री की क्या हालत थी वे कहते थे "न खाऊं न खाने दूं" न खाऊं और न खाने दूं तो मिसल आगे कैसे चले। हाकिम नहीं आवे तो मिसल कैसे पास होगी। इसलिये लोगों ने कहा कि इनको हटाया जाय। उनके बाद आये जयनारायणजी व्यास वे कहने लगे "मैं नहीं खाऊं, तम भले ही खाओ"। ऊपर व्यासजी नही खावें तो नीचे वालों का काम कैसे बने। इसलिये पैसे वापिस करने पड़े। इसलिये लोगों ने कहा इनको भी हटाओ। उनके बाद आये पालीवालजी। वे कहने लगे ये "तुम मत खाओ मैं खाऊंगा"। जब हाकिम खावे तो नीचे वालों के पास पैसा पहुंचे नहीं इसलिये उनको भी हटना पड़ा। सुखाड़ियाजी आये तो उन्होंने पूछा कि ये तीनों कैसे गये तो उनको कहा कि वे इसलिये गये तो सुखाड़ियाजी ने कहा "थे भी खाओ में भी खाऊं" । नीचे वाले खायेंगे तो फाइल ऊपर जायेगी और ऊपर जायगी तो नीचे आयेगी। यह तुम्हारा राज्य है । सुखाड़ियाजी का ११ साल का राज्य अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है । एक एक साल के काले कारनामे ऐसे चिपके हुए हैं जैसे दशानन के ऊपर मूंड चिपके हुए थे। जैसे दशानन के मूंड एक एक कर के कट गये उसी तरह से यह आपका रावण का राज्य ज्यादा नहीं चलने वाला है । कांग्रेस के लोग ही महसूस कर रहे हैं कि यह क्या हो रहा है ? लेकिन हिम्मत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
नहीं हो रही है तो पंजाब के कांग्रेसियों से पूछो वहिर्गमन कैसे किया जाता है। हिम्मत नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश के कमलापति त्रिपाठी से पूछो कि कैसे आत्मा की आवाज सुनाई जाती है। राजस्थान की दो करोड़ जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कह रही है कि सुखाड़ियाजी के इस काले शासन का अंत करो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अंत में, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के एम० एल० एज० सावधान हों, मंत्रियों, हकूमत और सरकारी कर्मचारियों का सवाल आज नहीं तो कल आयेगा इसलिये आयेगा कि धन का दुरुपयोग किया है, मुकद्दमों में घोटाला किया है, जांच दबाकर रखी हो ऊपर नहीं आ रही है तो कितने दिन ऊपर नहीं आयगी ? लेकिन जिस दिन विरोधी दल ताकत में आयेगा उस दिन दबी हुई फाइले उखाड़ी जायेंगी, जांच कमेटी बैठाई जायेगी, उसके बाद आपकी क्या हालत होगी इसका कैरों ने रस्ता दिखा दिया है। यह सरकार विचार करे इस सेल्स टैक्स एक्ट को आज पास करने की जरूरत नहीं है, जनता की राय जानने के लिये भेज दिया जाय और फिर देखें कि जनता क्या चाहती है। इन शब्दों के साथ में कहूंगा कि ऐसा काला कानून राजस्थान सरकार लाई है और खास तौर से मैं उप-मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार ने उनको अधिकार नहीं दिया है तो टेलिफोन से पूछ सकते हैं कि क्या जनमत जानने के लिये सक्यूलेट करने के लिये भेज सकते हैं, कंसीड्रेशन डेफर कर सकते हैं, यदि आपको अधिकार नहीं है तो पूछ लें और यदि आपको अधिकार है तो राजस्थान की जनता पर रहम खाओ। दो करोड़ जनता की बद्दुआ मत लो। लाल बहादुर जो मरते समय कह गये कि गरीबों की बद्दुआ मत लो, बुरी होती है। सुनारों की बद्दुआ मुरारजी को खा गई। राजस्थान के दो करोड़ गरीबों की बद्दुआ इस सरकार को खा जायगी आप उसको चाओ, कांग्रेस को बचाओ। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय लिया, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उप-मन्त्री वित्त): उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री कर संशोधन विधेयक पर चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, मावली से आने वाले माननीय सदस्य, आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे। जयपुर के माननीय सदस्य ने इस सदन में कांस्टिट्युशनली यह मुद्दा उठाया......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई असर आप पर हुआ या नहीं ? इसको डेफर कर रहे हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : उपदेश आपने काफी दिया, मुझ पर असर हुआ या नहीं, यह मैं आखिर में कहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं उपदेश के बाद भी तो आपके डिस्कशन में हम पार्टी नहीं बन सकते। यदि सरकार इस बात पर तुली हुई है कि राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात करके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कानून पास करे तो आपके साथ भागीदार हम नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी में हम यह बात सुनने को तैयार नहीं हैं, हम आपको नहीं सुनेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : टैक्सेज में खास तौर से व्यवहारिक रिलीफ के लिये अमेन्डमेंट लाया हूं।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई रिलीफ नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पब्लिक ओपीनियन के लिये रेफर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, आप हव्वा बनाना चाहते हैं।

(सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और मदेरणा, दोनों एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : आप हव्वा बनाना चाहते हैं....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये ५ दिन में रिपोर्ट आ जायगी...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Please hear the reply.

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे —अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order pleas · !

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो बिल सदन में विचाराधीन है उसके जरिये मैं कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर रहा हूं इसलिये यह बात बार बार कही गई टैक्सेशन मेजर को लेकर, टैक्स इन्क्रीज करने को लेकर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा रहे हैं यह बात बेंगू के माननीय सदस्य ने और एक और माननीय सदस्य ने कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो बिल सदन के सामने है वह रूटीन टाइप का प्रोसिजरल और रिलीफ देने के संबंध में है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : ४ परसेन्ट के बजाय ५ परसेन्ट वसूल करना चाहते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज! आप सुन लें पहले।

श्री परसराम मदेरणा : मावली से आनेवाले माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं, उनमें किस प्रकार टैक्स रिड्यूस किया जाना चाहिये। यह उनका कल सुझाव था, जो उन्होंने कल आर्ग्यूमेन्ट्स दिये थे उनकी पूर्ति जो मैं आज बिल लाया हूं, उससे होती है। जो रिलफ का सवाल है वह इसलिये रखा है कि ज्यादा सहूलियतें मिलें। आज थोड़े बहुत पॉवर्स एसेसिंग अॉथोरिटी को देते हैं वह भी ट्रेडर्स और डीलर्स के एडवान्टेज में जाने वाली बात है। इस प्रकार का यह बिल है जिससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है टैक्सेशन मेजर्स के नाम से बात कह सकते हैं, जयपुर के माननीय सदस्य ने आंकड़े रखे उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो टैक्स है वह हिन्दुस्तान की बहुत सी स्टेट्स से ज्यादा है और उन्होंने कहा कि आन्ध्र में पिछले साल १४ परसेन्ट था और राजस्थान में १४६ परसेन्ट था। टोंक के माननीय सदस्य ने कहा

(श्री परसराम मदेरणा)
कि बिक्री कर पर–कैपिटा राजस्थान में इन्क्रीज हुआ है और हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा है। मैंने कल कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट दिया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जो आन्ध्र के बारे में कहते हैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में ५.३४ है जब कि आन्ध्र में ५.५९ पर-कैपिटा टैक्स है, राजस्थान से ज्यादा..

श्री संपत्तिलाल बोहरा: आप आंकड़े कहां से ले रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का बजट अध्ययन किया था उसमें यह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं। थोड़े दिन पहले प्लानिंग कमीशन..

श्री राधाकृष्ण गोयल : राजस्थान की जन-संख्या २ करोड़ है और १३ करोड़ का टैक्सेशन है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि हाउस का डिकोरम रखें। एक तरफ से बात हुई है उसका उत्तर सुनलें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप बेसिकली....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते, यह उचित बात नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप बेसिकली क्या बात कह रहे हैं?

श्री दौलतराम सारण : जो मंत्री महोदय, फिगर्स दे रहे हैं वह गलत हों, तो उसके बाद में रिफ्यूट करें।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज! आप सुनते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है?

श्री संपत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आय-व्ययक अध्ययन है १९६६-६७ का, इसमें प्रति व्यक्ति कर राजस्व के आंकड़े दे रखे हैं पेज ४४ पर। इसमें राजस्थान का आंकड़ा है ६.७९ सेल्स टैक्स का और आप बता रहे हैं ५। इसके मायने क्या है? हम किसको सही मानें? आपको सही मानें या जो राजस्थान गवर्नमेंट ने वितरित किये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री संपत्तिलाल बोहरा : उसमें जो आंकड़े दिये हैं वह सही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री परसराम मदेरणा : मैं लेटेस्ट दे रहा हूं।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने फिगर्स बजट स्टडी में दे रखे हैं, फाइनेन्स कमीशन को जो मेमोरेन्डम दिया उसमें दे रखे हैं, उसके अलावा यह फिगर्स आप कहां से लाये?

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसमें एक छोटी सी बात है कि जो आंकड़े आप दे रहे हैं वह गलत है या सही है––यह हम नहीं जानते। आप हमें भुलावे में डालने के लिए यह कह रहे हैं।

श्री मगनलाल (हिन्डौन सु०) : यह हो सकता है कि वह कौल साहब के थे और यह आपके हैं।

श्री संपतिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, दो करोड़ की राजस्थान की पॉपूलेशन है और राजस्थान का आंकड़ा है ६.७९ सेल्स टॅक्स का।

श्री परसराम मदेरणा : आप दे रहे हैं उसमें सेन्ट्रल सेल्स टॅक्स इन्क्लूडेड है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं नहीं! उसमें लिखा हुआ है पर केपिटा सेल्स-टॅक्स १९६५-६६ है ६.७९। यह पेज ४४ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो फाइनेन्स कमीशन को राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से दिया हुआ मेमोरेन्डम है उसमें बतलाया गया है कि १९६१-६२ और १९६३-६४ इन तीन सालों के अन्दर १.४८ परसेन्ट इन्क्रीज हुआ है। १९६३-६४ के बाद में तो बहुत हो गया होगा वह परसेन्टेज!

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लेटेस्ट फिगर्स दे रहा हूं।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : फिर वही बात कह रहे हैं कि लेटेस्ट फिगर्स दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और यह बजट स्टडी में दे रखे हैं और फाइनेन्स कमीशन को दिये गये मेमोरेन्डम में दे रखे हैं, यह गलत दिये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल: वह भी सरकार की ओर से सरक्यूलेट हुए हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप चैलेंज कर देना अगर गलत हों।

श्री परसराम मदेरणा : वह फिगर्स हैं वह लास्ट ईअर के हैं और मैं लेटेस्ट फिगर्स दे रहा हूं और इसमें सेन्ट्रल सेल्स टॅक्स भी एक्सक्लूडेड है और आप दे रहे हैं उसमें सेन्ट्रल सेल्स टॅक्स इनक्लूडेड है। मैं जो दे रहा हूं वह सिर्फ सेल्स टॅक्स के फिगर्स दे रहा हूं। यह बात भी यहां कही गई कि राजस्थान बिक्री कर से जो आय राज्य सरकार को होती है, ऐसा जो टॅक्स वसूल होता है और जो पर-कॅपिटा टॅक्स इन्सीडेंस है वह पर-कॅपिटा टॅक्स इन्सीडेंस काफी ऊंचा है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि राजस्थान का जहां ५.३४ है, वहां आन्ध्र का ५.५९ है। आप सोच लीजिये, यदि आप आन्ध्र की पापुलेशन को देखते हैं तो आन्ध्र की पापुलेशन राजस्थान से ज्यादा है। जब राजस्थान से वहां की पापुलेशन ज्यादा है तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि टॅक्स भी ज्यादा है, पर-कॅपिटा-टॅक्स इन्सीडेंस भी ज्यादा होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्कम भी बढ़ी है!

श्री संपत्तिलाल बोहरा : इन्कम भी बढ़ी होगी!

श्री राधाकृष्ण गोयल : ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए यह कहना कि राजस्थान में बिक्री कर ज्यादा है, यह बात गलत है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : टोटल टॅक्स परसेन्टेज कितना है?

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले सुन लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसमें तो ६.७९ बताया है और आप ५.३४ बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री राधाकृष्ण गोयल : ये तो हमेशा अधूरे फिगर्स देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री राधाकृष्ण गोयल : कितना टैक्स वसूल होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि बिना आज्ञा के इन्ट्रप्शन करेंगे, तो उसको एक्सपंज करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानकारी कर ली है विभाग के अधिकारियों से । यदि सेंट्रल सेल्स टैक्स इन्क्लूड करते हैं तो जो फिगर्स मावली से आने वाले माननीय सदस्य दे रहे हैं वह फिगर्स आयेंगे। मैंने सिर्फ बिक्री कर के फिगर्स दिये हैं, राजस्थान बिक्री कर के फिगर्स दिये हैं इसमें अगर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के फिगर्स इन्क्लूड करेंगे तो वही फिगर्स आयेंगे। इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फिगर्स दिये हैं वह पिछली साल के हैं और मैं जो दे रहा हूं वह लेटेस्ट फिगर्स दे रहा हूं और यह करेक्ट फिगर्स हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान से ज्यादा केवल आन्ध्र में ही नहीं है बल्कि उसके अलावा दूसरे जो स्टेटस हैं उनमें ९ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर-कैपिटा टैक्स, सेल्स टैक्स राजस्थान से ज्यादा है और उन स्टेट्स के नाम मैंने कल भी बताये थे आसाम के अन्दर ५.९३ है, गुजरात के अन्दर ९.११ है, केरल में ९.२३ है और महाराष्ट्र में ११.७१ है, वेस्ट बंगाल में ९.४० है और उसी तरह से पंजाब··

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह कौनसी रिपोर्ट है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप कुछ तो बतायें, यह कौनसी रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक की है, क्या है आखिर ?

श्री परसराम मदेरणा : यह कोई रिपोर्ट नहीं है। डिपार्टमेंट जो स्टेटिसटिक्स इकट्ठे करता है, वह है····

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह गलत फिगर्स हैं !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट के ऑथेंटिक फिगर्स आप बता रहे हैं और कहते हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर किस तरह इन फिगर्स को हम ऑथेंटिक मानें ? आप बतायें कि आपने यह फिगर्स कहां से लिये हैं ? ताकि हम कम्पेरीजन कर सकें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि आपके पास लास्ट ईअर के हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी रिपोर्ट है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो डिपार्टमेंट स्टेटिसटिक्स तैयार करता है, वहां हमने तैयार कराये हैं। जो लेटेस्ट पोजीशन है, वह बताई है।

Page No.154

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): इसका मतलब यह है कि जो बजट के साथ दिये हैं वह गलत है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): व पिछली साल के हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : और आप जो फिगर्स दे रहे हैं वह सही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; फतहसिंह जी कह रहे हैं कि १९६७-६८ के हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य के आंकड़े हैं उनमें सेल्स टैक्स इन्क्लूडेड हैं और आपके १९६५ के हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या सेन्ट्रल सेल्स टैक्स का भार जनता पर नहीं है?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जब सेन्ट्रल सेल्स टैक्स का दिखा रहे हैं तो उसका भार भी जनता पर पड़ेगा ही।

श्री भैरोंसिंह : जिस रिपोर्ट को लेकर माननीय मंत्री पढ़ रहे हैं उसका नाम बता दें, क्या है?

श्री परसराम मदेरणा : इसका नाम नहीं है। यह डिपार्टमेंट ने स्टेटिसटिक्स तैयार किये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो रिपोर्ट हाथ में लिये हुए थे जिल्द वाली, इसका नाम बता दीजिये, क्या है?

श्री परसराम मदेरणा : नाम कुछ नहीं है, यह रिपोर्ट नहीं है डिपार्टमेंट के तैयार किये हुए स्टेटिसटिक्स हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ते हैं तो इसे सदन की मेज पर रख देना चाहिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ऑन ए पाइंन्ट ऑफ आर्डर सर,..

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्या पढ़ रहा हूं। मेरे पास तो आंकड़े हैं। कोई रिपोर्ट नहीं है। वह आंकड़े.....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर,....

श्री परसराम मदेरणा : जो स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट तैयार करता है, वह है

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर....

श्री परसराम मदेरणा : और उसके आधार पर मैंने आपको आंकड़े दिये हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह भी इस बात पर बहस हुई है, यहां मंत्री महोदय जिस समय उत्तर दे रहे थे तो उस समय किसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और जब रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे तो यह कहा गया था कि उसे सदन के मेज पर रखें। इस रिपोर्ट के बारे में, जो आपके हाथ में है, यह लिख कर दिया है कि इसे सदन की मेज पर रखा जाय या हमें दे दी जाय। अगर नहीं दी गई तो जो यहां पर रेफरेन्स देकर कोई बात कहना चाहते हैं तो उसको कम्पेअर कैसे करेंगे?

श्री दौलतराम सारण : कौनसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, कोई रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया है?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जो भी स्टेटिसटिक्स कम्पाइल किये हैं वे सदन की मेज पर रखें। जिस रिपोर्ट का हवाला देकर जो बात कहना चाहते हैं, वह सदन की मेज पर आनी चाहिए, ऐसी परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ आंकड़े ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सैकण्ड। मैं सदन को इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट के रेकॉर्ड से बता रहा हूं, जहां लिखते हैं:

"It will be relevant to point out that among State taxes, the ales tax is the main elastic source, and if the present per capita sales tax incomes of State Governments are compared with the per-capita sales tax incomes at the end of the Second Plan, it will be noticed that the percentage income has been the highest in Rajasthan showing that the greatest effort in increasing sales tax was made by this State".

यह आपके खुद का मेमोरेन्डम है जिसमें आपने हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स से ज्यादा टैक्स परसेन्टज का इन्क्रीज बताया है। आपने बताया है कि १.४८ परसेन्ट का इन्क्रीज किया है। पर-कैपिटा इनक्रीज इन सेल्स टैक्स तना है इससे ज्यादा क्या चाहते हैं?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): यह पैरवी की है सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेने को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर यह कह दें कि झूठे आंकड़े दिये हैं, पैसा लेने को।

श्री परसराम मदेरणा: मैं पर-कैपिटा टैक्स की बात कह रहा था।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैंने जो पोइन्ट ऑफ़ आर्डर रेज किया था, उसका क्या हुआ?

श्री परसराम मदेरणा : इन्क्रीज ऑफ परसेन्टज है उसके बारे में ..

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर था, उसका क्या हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा: वह हो सकता था। आपका जो स्टेटमेंट है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि उसे डिनाई करूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वह भी आपका है।

श्री परसराम मदेरणा : परसेन्टेज बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन परसेन्टेज की जानकारी नहीं है और न वह मैंने दी है। परसेन्टेज बढ़ा है और टैक्स इन्क्रीज हुआ है इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो पर कैपिटा टैक्स है, सेल्स टैक्स राजस्थान में है, उस सेल्स टैक्स से हिन्दुस्तान की छः स्टेट्स ऐसी हैं, जहां पर ज्यादा है और राजस्थान हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में दसवें नम्बर पर आता है। परसेन्टेज बढ़ा है पिछली

Page No.156

(श्री परसराम मदेरणा)

सालों में, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं बढ़ा है। वह बढ़ा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: टाइम मत खराब करें। आगे चलिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल: आप बता दीजिये कि सेल्स टैक्स से कितनी आमदनी है और राजस्थान की पोपुलेशन कितनी है?

श्री उपाध्यक्ष: मैंने निवेदन किया, without permission nothing will be recorded.

श्री गिरधारीलाल व्यास: (आसीन्द): सारा एक्सपंज कर दीजिये, सारा का सारा!

श्री परसराम मदेरणा: इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल को सदन में लाने के पहले आर्टिकल ३०......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसको छोड़ें।

श्री परसराम मदेरणा: इस पर प्रेसीडेंट को लीगल सेंक्शन लेनी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि वह आवश्यक नहीं है और इसके बारे में चेअर की तरफ से रूलिंग भी हो गई है। जब कल इसी प्रकार का बिल आया था और जिस पर कहा गया था कि प्रेसीडेंट की सेंक्शन लाई जाय; मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन दी कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट जब सेल्स टैक्स लगेगा, तो आर्टिकल २८६ का इनफ्रिन्जमेंट होता है। मैं यह कहूंगा कि यह आर्टिकल २८६ का इनफ्रिन्जमेंट नहीं होता है। यह सेल्स टैक्स पहले वाले सेल पर है। हमने इसको लॉफुली एग्जामिन करा लिया है। यह दूसरी जगह पर है।

आसींद से आने वाले और मावली से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि क्लास क्लास में डिसक्रिमिनेशन होगा और जब एक क्लास और दूसरी क्लास में डिसक्रिमिनेशन होता है तो आर्टिकल १४ ऑफ दी कोन्स्टीट्यूशन को डिफाई करता है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ये मुद्दे उठाये गये कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि क्लास ऑफ गुड्स को यह डिसक्रिमिनेशन, आर्टिकल १४ को डिफाई नहीं करता।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बहुत सी एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं और उसको बहुत समय बीत गया है कोई सुनवाई नहीं होती है, इससे लोगों को बहुत हैरेसमेंट होता है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमने सेल्स टैक्स रूल १८ के नीचे प्रावधान रखा है कि इतने दिनों में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिये लेकिन यह देखा गया है कि इसमें देरी होती है उसका मुख्य कारण यह है कि वे सिक्योरिटी जमा नहीं कराते, जो सेक्शन ६ के सब-सेक्शन में करानी चाहिये। मोरओवर वे खुद कोओपरेट नहीं करते। उनको इसके लिये कोओपरेट करना चाहिये। यह सही है कि डिपार्टमेंट में लम्बे अर्से से

(श्री परसराम मदेरणा)
एप्लीकेशन्स पड़ी थीं, जब ध्यान में लाया गया कि लम्बे अर्से से एप्लीकेशन्स पड़ी है, तो हमने देखा और जिस ऑफिसर ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ हमने कार्यवाही की और उसको पनिश किया है। दूसरी बात ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एन्टरी करावें। इसके संबन्ध में सेक्शन ४ (२) है। इसका संबन्ध सेक्शन ४ (२) से है। इसलिये माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वे सजेशन के रूप में रखे हैं मगर उसका इस बिल से कोई संबन्ध नहीं है। अगर मैं आपके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लूं तो भी आपका पर्पज हल नहीं होता है। क्योंकि जनमत के लिये भेजा जावे तो भी उसके सजेशन्स होंगे और आपका मतलब हल नहीं होगा।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैंने जो बातें कही हैं उसमें तरमीम की आवश्यकता नहीं है आपने १०) रु० लिखे हैं। यह तो आप नोटीफिकेशन के जरिये कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको इसकी रिलेवेन्सी के बारे में कहता था फीस १० रु० है और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कुछ नहीं है। कुछ में फीस है और कुछ में फीस नहीं है। जो गुड्स एग्जेम्पट किये जाते हैं। जो फीस राज्य सरकार ने इम्पोज की है वह गलत नहीं है।

जवाहरात के बारे में यह कहा गया कि जो नोटीफिकेशन निकला वह गलत है। मैं कहूंगा कि वह नोटीफिकेशन निकला है वह गलत नहीं है। नीचे जैम और जैम स्टोन्स है। इसमें कोई गलती नहीं है। यह जो नोटीफिकेशन निकला है, वह बिलकुल ठीक है। जैम के बारे में हमने सोचा था कि रिफ्टिंग हो सकता है। दूसरे के नीचे हमने जैम और स्टोन रखा है। इसलिये न ओमिशन है न गलती है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : इसका मतलब यह है कि आपने कन्सेशन सिर्फ जैम को दिया है, कन्सेशन सब को मिलना चाहिये। आपने केवल जैम को ही कन्सेशन दिया है और जैम स्टोन को कन्सेशन नहीं दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल यह बात कही जब स्पेक्टेटर्स पर पेनेल्टी कल के बिल में हम रखने जा रहे थे, कि किसी प्रोप्राइटर को जब लॉ में प्रावइड है आपने सजा दी है क्या? मैंने कहा था कि कल पुख्ता जानकारी करके दूंगा और आज मैं जानकारी के आधार पर निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर में प्रेम प्रकाश, रामप्रकाश, दुवारा राम प्रकाश, मयूर सिनेमा, पोलो विक्ट्री का प्रोसीक्यूशन किया है। इसलिये आप यह न समझें कि हमने उस पर अमल नहीं किया है।

अभी निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति बम्बई से कुछ पंपिंग सेट, इंजिन आदि ला रहा था। जब वह चैक पोस्ट पर आया, तो चैक पोस्ट वालों ने उसको पकड़ लिया और उनसे

(श्री परसराम मदेरणा)

टैक्स वसूल किया। उसकी रसीद उन्होंने मुझे दी। रसीद मैंने देखी। उस रसीद में यह नहीं है कि पंपिंग सेट अपने लिये लाया था। मैंने पूछा माननीय सदस्य से कि आया उसने एप्लीकेशन दी है क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि वे इसकी जानकारी कर लें। जब वह अपने खुद के काम में लेने के लिये ला रहा है तो उसको . . .

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): वह एग्रीकलचर परपज के लिये अपने लिये लाया है। उसने एप्लीकेशन नहीं दी है। उसकी एप्लीकेशन भी आपके पास आ जावेगी।

श्री परसराम मदेरणा : अगर वह अपने खुद के लिये बाहर से लाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। मगर इसके लिये चैक पोस्ट पर ऑफिसर होता है वह सॅटिस्फाई हो जाना चाहिये कि वह अपने खुद के लिये लाया है। अगर वह सॅटिस्फाई नहीं होता और उसको शक होता है तो वह प्रोविजनल पेमेन्ट करा लेता है : अगर वह सॅटिस्फाई करा दे कि वह अपने निजी परपज के लिये लाया गया है, तो प्रोवीजनल टैक्स उसको लौटा दिया जाता है। इस संबन्ध में मैं जानकारी कर लूंगा। अगर वह अपने खुद के परपज के लिये लाया है तो कोई दिक्कत आनेवाली नहीं है। वह रिफन्ड हो जावेगा।

यहां जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बकाया के बारे में कहा और उन्होंने स्टेट एन्टरप्राइज के बारे में बहुत कुछ कहा। ग्लास फैक्ट्री का कौन मैनेजर नया हो रहा है, मैं नहीं समझता कि उसका जवाब देना जरूरी है क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी रकम बकाया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सेल्स टैक्स का ३१ लाख रुपये बकाया है। वह इसलिये रह जाती है कि लोग स्टे-ऑर्डर ले लेते हैं और इसलिये बकाया रहती जा रही है। मगर आप पिछले आंकड़े देखें तो आपको मालूम होगा कि हम उस बकाया को कम करते जा रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि बकाया के आंकड़े कम होते जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: लाखों रुपयों का अन्डर एसेसमेंट हुआ है। यह सब आपकी १९६६ की ऑडिट रिपोर्ट में है। ३॥ लाख रुपयों का लोस है। आपने कोई कार्यवाही नहीं की, यह लेटेस्ट बात मैं आपको कहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा: यह सही है कि एसेसमेंट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा बहुत है लेकिन इसके साथ ही साथ जब ज्यादा खर्चा एस्टेब्लिशमेंट पर टैक्सेज की वसूली के लिये करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा खर्च हो जाता है, तो कहते हैं कि इस टैक्स से क्या फायदा जब कि एस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा खर्चा हो गया है और एस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं और वसूलियात बाकी रह जाती है तो कहते हैं कि इतनी वसूलियात बाकी रख दी।

(श्री परसराम मदेरणा)

कुछ असेसमेंट पूरे नहीं हुए हैं, कोशिश जारी है, पर यह कहना कि टैक्स पेअर्स के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, वह सही नहीं है। जो डिफाल्टर्स हैं, उनके खिलाफ कर्तव्य पालन में स्टेप्स लेते हैं तब तो दुर्व्यवहार की बात कह देते हैं और टैक्स की वसूली बन्द हो जाती है तो कहते हैं कि वसूली नहीं होती है। मैं यह मानता हूं कि टैक्स पेअर के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिये, पर जो लोग टैक्स इवेड करते हैं, उन पर पेनल्टी इम्पोज करना आवश्यक है, उन पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है तो इस सदन के माननीय सदस्य कहते हैं कि दुर्व्यवहार करते हैं और सख्ती से यदि काम नहीं किया जाय, तो कहते हैं कि ये लोग केपेटिलिस्ट्स हैं, इनके साथ सरकार नर्मी बरतती है।

सेल्स टैक्स फर्स्ट पॉइन्ट पर लगता है, कई चीजों पर तो लास्ट पॉइन्ट पर लगता है, डीलर वह लोगों से वसूल कर रहा है और राज्य सरकार के पास जमा नहीं कराये, उस हालत में उसकी बुक्स की जांच नहीं करें, उसका सामान अटेच नहीं करे, तो वसूली नहीं हो सकती। दुर्व्यवहार का प्रश्न नहीं है, टैक्स इवेडर्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना आवश्यक है, वह एक्शन सरकार लेती है, तो उचित है।

यहां दो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जवाहरात पर पहले ही परचेज टैक्स है और अब एक्सपोर्ट टैक्स लगाया जा रहा है। हकीकत यह है कि सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, गवर्नमेंट जिन चीजों के लिये समझती है कि वे एक्सपोर्ट होती है, उनको नोटिफाई करेगी और उन पर टैक्स रिड्यूस करेगी। जो एक्सपोर्ट होने वाली चीजें हैं, उन पर रियायत देने की हमारी मंशा है। जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, उनको नोटिफाई करके उनकी रेट्स को रिड्यूस कर सकें, इस प्रकार के पावर इस बिल के जरिये लेना चाहते हैं, तो माननीय सदस्यों को यह स्वीकार करना चाहिये। मुझे और ज्यादा नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: टैक्स एरियर्स के सम्बन्ध में मैं एक क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं।

१९६६ की रिपोर्ट है इसमें लिखा है

"The tax assessed but not realised totalled to Rs. 96,66,000 at the end of 1964-65."

और इसमें इरिकवरेबल ६ लाख हैं और जिनका पता नहीं ऐसों में २ लाख हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की यह मशीनरी कितनी डिफेक्टिव है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय?

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

हां पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: हां पक्ष जीता।

विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: Noes have it, Sir.

Page No.160

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ऐसा काला कानून विचारार्थ लिया जाय?

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: में पुन: प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय? पुन: मतदान के पश्चात्

हां पक्ष जीता

विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य:

Noes have it, Sir,

हां पक्ष के अनेक माननीय सदस्य:
Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष:
Those who are against.

श्री भैरोंसिंह: आपने फरमा दिया तो रहने दें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं पुन: रखता हूं। प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर संशोधन विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कल लिया जाय, परसों ले लें, सेटरडे को, आज......

श्री उपाध्यक्ष: क्लॉजेज २, ३ और ४ पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २, ३ और ४ विधेयक के अंग बने?

(स्वीकृत)

(क्लॉजेज नं० २, ३ और ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये)

(विराम)

क्लॉजेज ५, श्री अब्दुल जब्बार खां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ये कहते हैं कि मैं कल मूव करूंगा, आज नहीं करूंगा।

श्री अब्दुल जब्बार खां: [संशोधन इस प्रकार है: "In the Proviso, sought to be added to Sec. 22 A of Principal Act, the words "twelve months" be replaced by words "two years"] उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल, १९६६ को क्लॉज ५ पर मेरा संशोधन है। उपाध्यक्ष महोदय यह सवाल यहां आता है कि गैर कानूनी ढंग से टैक्स ले लिया जाय और फिर कहा जाय कि वापस दे दो, तो यह कहा जाय कि एक साल के अन्दर वापस ले सकता है फिर नहीं। क्या यह ज्यादती नहीं है? यह मैं ज्यादती समझता हूं। सरकार का किसी में रुपया बकाया रह जाता है तो पी.डी.आर. के तहत सरकार वसूल करती है फिर यह कहां का न्याय कि टैक्स पेअर नहीं ले सकते। आखिर जुल्म और ज्यादती की इन्तिहा होती है, कम से कम सरकार इसे समझे:

बदलती है जब जालिम की नीयत,
नहीं काम आती है दलीलो हुज्जत।

श्री परसराम मदेरणा: मैं माननीय सदस्य का वह अमेंडमेंट एक्सेप्ट करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बस एक शेर के झटके में ही चित्त ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में श्री अब्दुल जब्बार ने जो संशोधन रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५, यथा संशोधित विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

(क्लॉज ५, यथा संशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रस्तावना, नियमन सिद्धान्त आदि विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रस्तावना, नियमन सिद्धांत आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्री कर संशोधन विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक बात कहनी है कि राजस्थान सरकार को नॉन-टॅक्स रेवेन्यू १९५१–५२ में थी २७. २२ प्रतिशत और १९६५–६६ में १९.८६ प्रतिशत । योजना मंत्रीजी आप इस टॅक्स का समर्थन करते हैं कि राजस्थान की नॉन-टॅक्स रेवेन्यु १९५१–५२ में जिस समय इन्टीग्रेशन हुआ था, २२ रजवाड़ों का इन्टीग्रेशन हुआ था तो नॉन-टॅक्स रेवेन्यू २७.२२ प्रतिशत थी, आज १६ साल के समाजवादी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में नॉन टॅक्स रेवेन्यू का प्रतिशत १९६६–६७ में १९.८६ है । इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ? नॉन-टॅक्स रेवेन्यू २७ से घटाकर १९ प्रतिशत की और राजस्थान में पर-कॅपिटा टॅक्सेसन बढ़ा दिया ।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) पॉपूलेशन देखें, परसन्टेज ऑफ केल्कूलेशन ज्यों ऊपर बढ़ेगा तो वह इकोनामिक प्रोस्पेरिटी की इंडीकेशन नहीं है ? यह नॉन-टॅक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो उस समय रजवाड़े मिले थे, उस समय नॉन-टॅक्स रेवेन्यू का कोर्स बताएं ।

श्री उपाध्यक्ष : I have put the question. प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

(मत विभाजन घंटी)

I will put the question again.

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित हुआ)

सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार ८ अप्रेल, १९६६, ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदानन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ७.३५ बजे दिनांक ८ अप्रेल, १९६६ म० पू ११ बजे तक के लिए स्थागित हुई)

— — — —

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक, ७ अप्रेल, १९६६)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	७	पदाशीन)	पदासीन)
५	अन्तिम से १२	कीई	कोई
६	६	अदलत	अदालत
,,	अन्तिम से ३	भा	भी
८	अन्तिम से ८	६३६	
,,	अन्तिम से ७		६३६
९	शीर्ष	(श्री हरीप्रसाद	(श्री हरिप्रसाद
१०	१	नहीं	नहीं
,,	७	(किशनपोल बाजार,	(किशनपोल,
११	११	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
,,	१२	मेंने	मैंने
१२	९	लेण्ड	लैण्ड
१५	१९	पेसा	पैसा
१७	अन्तिम से २	(हिण्डोन सु०)	(हिण्डौन-सु०)
१८	,, १०	खाद्य	खाद्य
२१	शीर्ष	(उप-मंत्री, वित्त)	(श्री चन्दनमल वैद)
२३	शीर्ष	,,	,,
२४	४	द्वारा	द्वारा
,,	६	प्ररिपत्र	परिपत्र
,,	अन्तिम से १०	अक्ष्यक्षों	अध्यक्षों
,,	अन्तिम से ६	कृछ	कुछ
२५	शीर्ष	(उप-मंत्री, वित्त)	(श्री चन्दनमल वैद)
२५	अन्तिम से १३	पेय-जल	पेय-जल
२६	१५-१६	नीमकथाना	नीमकाथाना
,,	१६	योजनग्रों	योजनाओं
२७	शीर्ष	(मन्त्री, जन स्वास्थ्य)	(श्री हरिदेव जोशी)
,,	४	।	है।
,,	११	श्री हरदेव	श्री हरिदेव
२८	५	पीपाड़।	पीपाड़
,,	६	(गिरव:)	(गिरवा)
,,	७	निम्बाहेड़ा	(निम्बाहेड़ा)
,,	अन्तिम से ६	कर्मचारो	कर्मचारी
,,	अन्तिम से ५	आदे	आदेश
३३	९	धाराएँ	धाराएं
,,	अन्तिम से १२	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
३५	अन्तिम से २	(अनुपस्थित)	(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

१	२	३	४
३६	३	मन्त्रो	मन्त्री
,,	अन्तिम से ९	सूचि	सूची
,,	अन्तिम से ६	विमर्ष	विमर्श
३७	९	श्री मोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
,,	१४	इसलिऐ	इसलिए
,,	२२	करते हैं ?	करते हैं ।
३९	३	उनको	उनकी
,,	१५	श्किल	मुश्किल
४०	अन्तिम से १४	समय के सेनानियों का	समय के सेनानियों की
,,	अन्तिम से १३	क	करें,
,,	अन्तिम	एकते	सकते
४२	३	लगा	लगायें ।
४३	शीर्ष	उप-मंत्री वित्त,(श्रीचन्दनमलवैद)	(श्री चन्दनमल वैद)
४४	११	शेडयूल्ड	शिडयूल्ड
४५	अन्तिम से ९	,,	,,
४६	११	राथ	राज्य
४८	अन्तिम से ११	वो	को
४९	२०	आवाल	अग्रवाल
,,	२१	झालरापटन	झालरापाटन
,,	२१	म्युनसिपेलिटी	म्युनिसिपेलिटी
५०	७	ब्रजेन्पाल	ब्रजेन्द्रपाल
,,	अन्तिम से ६	खानदन	खानदान
५३	१५	मकराणा	मकराना
,,	अन्तिम से ८	कुचामग	कुचामन
५५	अन्तिम से ७-६	डिपर्टमेन्टल	डिपार्टमेन्टल
५६	१६	संख्य	संख्या
,,	१७	(खाग्ची)	(खारची)
५७	१२	व	वे
५८	अन्तिम से ११-१०	साढ़े बजे	साढ़े सात बजे
६०	१०	व	वह
६१	९	सरपीश्यन	सरपीशियन
,,	११	इन्से	इनसे
६७	१५	पार्टीन	पार्टी ने
६८	अन्तिम से ९	श्री दलपतसिह	श्री दलपतसिंह
,,	अन्तिम से १	क्यो	क्यों
६९	अन्तिम से ८	योजन	योजना
७०	१	पाट	काट
,,	अन्तिम से १४	श्री केशरीसिंह	श्री केसरीसिंह
७१	शीर्ष	,,	,,
७३	३	सरकार से	(सरकार से
,,	,,	हुआ	हुआ)
७६	८	(उपस्थान)	(उपस्थापन)

१	२	३	४
७७	१४	(विधायी कार्य)	विधायी कार्य
,,	१८	महदय	महोदय
,,	अन्तिम से ३	(बेगू)	(बेगू)
७६	१८	स लियत	सहूलियत
८४	१३	म	में
,,	,,	इक्ठठे	इकट्ठे
,,	१८	ट्रान्सपोर्ट	ट्रान्सपोर्ट
८७ व ८६	शीर्ष	बात्रेल)	बात्रेल)
८७	६	नदवई	नदबई
८८	१७	अलर	असर
८६	५	ह	है
६५	७	[xxx]	xxx
६७	अन्तिम	[xxx]	xxx
६८	६	(xxx]	xxx
६६	अन्तिम	,,	,,
,,	,,	(अध्यक्ष पीठ....	अध्यक्ष पीठ....
,,	,,	गया)	गया
,,	अन्तिम से १५	श्री रधाकृष्ण	श्री राधाकृष्ण
१००		(xxx)	xxx
१०१	अन्तिम	वे	जावे
,,	अन्तिम से ६	बढोतरी	बढोत्तरी
१०२	शीर्षक	करारोपन	करारोपण
१०७	१४	बेईमान	बेईमान
१०६	३	एमेडमेंट	एमेंडमेंट
१११	अन्तिम से ४	को	की
११२	अन्तिम से १२	निगोशियेशन्स	निगोसियेशन्स
,,	अन्तिम से ११	जायगे	जायेंगे
,,	अन्तिम से ६	दखने	देखने
११३	७	श्री ज्वलाप्रसाद	श्री ज्वालाप्रसाद
११३	१३	इनक	इनका
११४	१५	कारर्पोरेशन	कार्पोरेशन
११६	अन्तिम से २	एक धिकार को	एकाधिकार की
१२०	,, १५	और	ओर
१२३	शीर्षक	मोबर गात्री	मोटर गाड़ी
,,	शीर्ष	(श्री भेंरूसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	२१	रही है	रहा है
,,	अन्तिम से १०	समस्य	समस्या
,,	,, ६	स्मस्याओं	समस्याओं
१२५	शीर्ष	(श्री भेंरूसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	अन्तिम से १४	इसेके	इसके
,,	अन्तिम से ८	हुं	हूं

१	२	३	४
१२६	१२	व से	वैसे
१२७	शीर्ष	(श्री भैरूसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	४	देखत	देखते
,,	७	हुं	हूं
,,	८	कोशिस	कोशिश
,,	अन्तिम से १४	सम्बन्ध	सम्बन्ध
,,	अन्तिम से ५	हुं	हूं
१३३	अन्तिम	यनिट	यूनिट
१३६	शीर्षक	विधयक	विधेयक
१३७	११	अथशास्त्री	अर्थशास्त्री
,,	२२	बरोजगारी	बेरोजगारी
,,	अन्तिम से २	हैवो	हैवी
१३८	२	क५नीज	कम्पनीज़
,,	अन्तिम से १७	निहीं	नहीं
१४३	अन्तिम	नंहीं	नहीं
१४५	२	कहो	कही
१४६	३	बहत	बहुत
,,	१४	करने हों	करते हों
१४७	१८	दीजय ।	दीजिये
१५१	७	स	इस
,,	१९	दि	दिये
,,	२७	दिय	दिये
१५२	१	सेज	बसेज
,,	१५	ब्राचों	बच्चों
,,	२१	दिल्ली	दिल्ली
१५३	अन्तिम से १२	गाड़ियां	गाड़ियों
,,	,, १०	में	में
१५४	१६	है	ही
१५५	१७	बसें	बसों
१५७	अन्तिम से १५	खजान	खजाने
१५९	१२	सेकेंगे	सकेंगे
,,	१८	कोशिस	कोशिश
१६०	१०		है
१६४	३	कम्पन्सेट	कम्पेन्सेट
१६५	१०	इन्टेरेस्ट	इन्टरेस्ट
१६६	११	मोट कलस	मोटर व्हिकल्स
१६८	अन्तिम से ८	रुपये पये	रुपये और
,,	,, ४	रुपय	रुपये
१७०	अन्तिम से २	असिस्टन्स	असिस्टेन्स
१७१	८	नांन-टैक्स	नॉन-टैक्स
१७४	शीर्षक	करारोपरण	करारोपण
,,	३	ओपरेटर्स	ऑपरेटर्स

१	२	३	४
१७४	अन्तिम से ३	श्री भं ोंसिह	श्री भैरोंसिह
१७६	,, ५	आंपरेटर्स	ऑपरेटर्स
१७७	,, ८	व ेरह	वगैरह
१८०	,, १३	अप्रेल ४, १९६६	४ अप्रेल, १९६६
१८०	,, ३	लगत है	लगता है
१८१	१३	ओंपरेटर्स	ऑपरेटर्स
१८१	१६	आंपरेटर्स	ऑपरेटर्स
१८२	१८	आंपरेटर्स	ऑपरेटर्स
१८४	१३	ओपिनीयन	ओपीनियन
१८५	१३	स्पष्टीरकण	स्पष्टीकरण
१८७	अन्तिम से आठ	श्री स ीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१९२	,, ५–६	नहीं तो बढावें अच्छा होगा	नहीं बढावें तो अच्छा होगा
१९५	,, ६	हाने	होने
१९६	अन्तिम से १४	५१ से	सन् १९५१ से
,,	,, ४	हागी	होगी
१९७	३	५१ में	सन् १९५१ में
,,	अन्तिम	लगाता	लगाती
२०४	अन्तिम से ११	८० माल	८० मील
२०५	१८	से के तौर पर	के तौर पर
२०७	१५	डिमान्डस्	डिमान्ड्स
२१३	१०	स	सभा
२१४	१६	ह	है
,,	अन्तिम से ३	बोड	बोर्ड
२१५	१५	महीदय	महोदय
,,	अन्तिम से ४	मिाननीय	माननीय
२१८	,, ८	चाहिऐं	चाहिए
,,	,, ४	कार्ट	कोर्ट
२१९	शीर्षक	विक्रे	बिक्री
,,	१	व	वह
२१९	अन्तिम से ३	ओर	और
२२१	,, ४	काई	कोई
२२४	,, २	भ	भी
२२५	८	होन	होने
,,	११	करन	करने
,,	२१	निकाल	निकाला
,,	अन्तिम से ३	साइ	साइट
२२७	१६	चाहत	चाहता
२२८	२१	इत्तिल	इत्तिला
२२९	अन्तिम से ३	कमि नर	कमिश्नर
,,	अन्तिम	मंगने	मांगने
२३१	अन्तिम से ८	केमिश्नर्स	कमिश्नर्स

१	२	३	४
२३४	१	करन	करना
,,	अन्तिम से ५	जयपर)	जयपुर)
२३५	५	क्रुछ	कुछ
२३६	८	beeen	been
२३७	१२	चहिए	चाहिए
२३९	५	गोर	और
२४०	१९	फौरन	फोरिन
,,	२६	रखने हुए	रखते हुए
,,	अन्तिम से ६	प्रोत्स हन	प्रोत्साहन
२४०	,, ५	चोहते	चाहते
२४१	७	आय	जाय
,,	अन्तिम से २	टक्स	टैक्स
,,	१४	पीछ	पीछे
,,	१७	कमयां	कमियां
,,	अन्तिम से २	वुसूल	वसूल
,,	,, १	रने	करने
२४४	शीर्षक	१९६	१९६६
,,	अन्तिम से ९	पूर्ती	पूर्ति
,,	,, ३	ल गों	लोगों
२४५	४	इस ों	इसमें
,,	१९	मुकर	मुकरर
,,	अन्तिम से ३	स ज्योर	सीज्योर
२४६	६	लिए।	लिए
,,	अन्तिम से १२	कया	किया
,,	,, ४	तरस	तरह
२४७	२	लेगे	लगे
,,	३	को	की
,,	४	हो	ही
,,	१७	रुपया	रुपयों
२४८	७	ऊंचे-नीच	ऊंच-नीच
२४९	१	र।	
२५६	अन्तिम से १५	पर	कर
२५७	अन्तिम से ३	बत	बता
२६०	२१	रुमल	रुमाल
२६३	१०	बं ा	बेंच
,,	अन्तिम	ा ारोत्रोपन	यारी-ओपन
२६६	शीर्षक	विधयक	विधेयक
२६८	,,	,,	,,
२७१	शीर्षक	७ अप्रल	७ अप्रेल
२७३	,,	बिबी	बिक्री
२७६	अन्तिम से ७	ण्डस्ट्री	इण्डस्ट्री

१	२	३	४
२७७	शीर्षक	७ अप्रल	७ अप्रेल
२८१	१६	बेलफयर	वेलफेयर
२८२	७	परबकपिटा	पर-केपिटा
२८५	अन्तिम से ८	ट्क्नोलोजिस्ट	टेक्नोलोजिस्ट
२८६	अन्तिम से ४	टेक्नोलोयट	,,
२८८	अन्तिम से १०	राजस्थन	राजस्थान
,,	अन्तिम से १	राजस्थ	,,
२८९	१२	टैक्सज	टैक्सेज
२९०	८	पसे को	पैसे को
२९१	२	थ	थे
,,	अन्तिम से ७	सरकार द्वारा	सरकार,
२९२	१६	टक्स	टैक्स
,,	अन्तिम से ११	ह	है
२९६	५	कया	किया
,,	१०	आवे	खावे
२९८	८	चाओ	बचाओ
,,	१५	मानानीय	माननीय
३००	अन्तिम से १६	लाया है	लाया हूं
,,	अन्तिम से १५	रिलफ	रिलीफ
,,	अन्तिम से १४	सहलियत	सहूलियत
३०५	अन्तिम से ८	ापछली	पिछली
३०७	५	व	
३०९	१७	ales	sales
,,	२४	in come	increase
,,	अन्तिम से २	तना	कितना
३१८	अन्तिम से ४	हां पक्ष	सरकारी पक्ष
३१९	११	,,	,,
३२१	१२	(कल।ज ५,	क्लॉज ५,
,,	१३	जोड़ा गया।)	जोड़ा गया।